सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

वार्षिक रिपोर्ट
2023-2024

दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान समारोह
Presentation Ceremony of National Awards 2023 in the field of Empowerment of Persons with Disabilities

3 दिसंबर, 2023 | विज्ञान भवन, नई दिल्ली | 3rd December, 2023 | Vigyan Bhawan, New Delhi

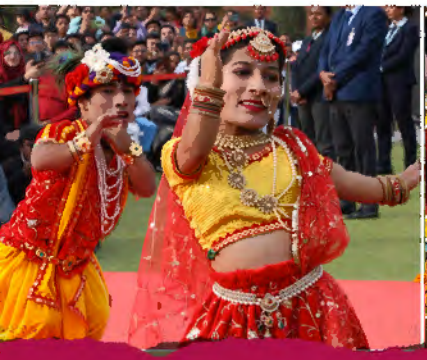

स्वावलम्बन
Swavlamban

माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
भारत सरकार

डा. वीरेन्द्र कुमार
केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

श्री रामदास अठवले
राज्यमंत्री सामाजिक न्याय और
अधिकारिता मंत्रालय

श्री बी. एल. वर्मा
राज्यमंत्री सामाजिक न्याय और
अधिकारिता मंत्रालय

विषय वस्तु

अध्याय / शीर्षक		पृष्ठ सं.
1.	**परिचय**	**6-8**
1.1	पृष्ठभूमि	6
1.2	विभाग को आवंटित कार्य	6
1.3	विजन	6
1.4	मिशन	6
1.5	उद्देश्य	6
1.6	विभाग की प्रमुख प्रतिबद्धताएं	6
1.7	दिव्य कला शक्ति	7
1.8	चुनौतियां	7
1.9	अभिकथन	8
1.10	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	8
2.	**सिंहावलोकन**	**9-12**
2.1	दिव्यांगताओं के प्रकार	9
2.2	दिव्यांगजनों की कार्य की स्थिति	10
2.3	वर्ष 2023–24 के दौरान विभाग की प्रमुख गतिविधियां	10
2.4	बजट आवंटन और व्यय	12
3.	**सांविधिक संरचना**	**13-16**
3.1	प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान	13
3.2	विभाग द्वारा प्रशासित विधान	13
4.	**राष्ट्रीय नीति** – 2006, दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2006 और एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांगजनों के लिए "अधिकारों को वास्तविक बनाने के लिए" इंचियोन कार्यनीति	**17-19**
5.	**विभाग के अधीन सांविधिक निकाय**	**20-41**
5.1	भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई)	20
5.2	मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन (सीसीपीडी)	28

अध्याय / शीर्षक		पृष्ठ सं.
5.3	राष्ट्रीय न्यास	32
6.	**केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**	**42-55**
6.1	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को)	42
6.2	नेशनल दिव्यांगजन फाईनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनडीएफडीसी)	48
7.	**राष्ट्रीय संस्थान**	**56-115**
7.1	परिचय	56
7.2	पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी), दिल्ली।	56
7.3	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, (एसवीएनआईआरटीएआर) कटक।	60
7.4	राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान(एनआईएलडी), कोलकाता।	64
7.5	राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान(एनआईईपीवीडी),देहरादून।	68
7.6	अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई	75
7.7	राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद।	78
7.8	राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, (एनआईईपीएमडी), चेन्नई।	99
7.9	भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी), नई दिल्ली।	106
7.10	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर), सीहोर, मध्य प्रदेश।	111
8.	**विभाग की योजनाएं**	**116-159**
8.1	दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)	116
8.2	जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी)	119
8.3	सहायक यंत्रों / उपकरणों की खरीद / फिटिंग हेतु दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप)	120
8.4	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन के लिए योजना	125
	8.4.1 सिंहावलोकन	125
	8.4.2 दिव्यांगजनों के लिए बाधामुक्त वातावरण का सृजन	127
	8.4.3 दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी)।	127
	8.4.4 सुगम्य भारत अभियान (एआईसी)	135

अध्याय / शीर्षक		पृष्ठ सं.
	8.4.5 ब्रेल प्रेसों की स्थापना / आधुनिकीकरण / क्षमता संवर्धन हेतु सहायता की परियोजना सुगम्य शिक्षण सामग्री के विकास के लिए वित्तीय सहायता पर परियोजना	140
	8.4.6 जागरूकता सृजन और प्रचार योजना (एजीपी) और सेवाकालीन प्रशिक्षण योजना	141
	8.4.7 दिव्यांगता से संबंधित प्रौद्योगिकी, उत्पादों तथा मामलों पर अनुसंधान	144
	8.4.8 विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी)	145
	8.4.9 देश के पांच क्षेत्रों में बधिरों के कॉलेजों के लिए वित्तीय सहायता हेतु परियोजना	146
	8.4.10 स्पाइनल इंजरी सेंटर स्कीम (एएसआईसी) को वित्तीय सहायता	146
	8.4.11 क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर (सीडीईआईसी)	148
8.5	छात्रवृत्ति योजनाएँ	149
8.6	दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि	154
8.7	अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांगता खेल प्रशिक्षण केंद्र (एबीवी–टीसीडीसी)	155
9.	**दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार**	**160**

अनुबंध सं./शीर्षक		पृष्ठ सं.
1.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को आवंटित कार्य	162
2.	जनगणना 2011 के अनुसार दिव्यांगजनों की राज्यवार जनसंख्या	164
3.	राष्ट्रीय संस्थानों/समेकित क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा संचालित दीर्घकालिक पाठयक्रमों (एक या एक वर्ष से अधिक अवधि) का विवरण	165
4	(क) 2020–21 से 2023–24 के दौरान डीडीआरएस के तहत जारी की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार निधियां।	172
	(ख) 2020–21 से 2023–24 के दौरान डीडीआरएस के तहत लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या।	173
	(ग) वर्ष 2023–24 के दौरान डीडीआरएस के तहत गैर–सरकारी संगठनों को जारी सहायता अनुदान का विवरण।	174
5.	(क) डीडीआरसी के तहत अनुदान के लिए स्वीकार्य पद।	185
	(ख) वर्ष 2020–21 से 2023–24 के दौरान सहायता प्रदत्त डीडीआरसी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या और उन्हें जारी की गई राशि।	187
	(ग) वर्ष 2023–24 के दौरान डीडीआरसी को जारी सहायता अनुदान का विवरण।	188
6.	(क) वर्ष 2020–21 से 2023–24 के दौरान विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा एडिप योजना के तहत विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत आयोजित किए गए शिविरों, उपयोग की गई निधियों और शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या का राज्य–वार विवरण	194
	(ख) एडिप योजना के अंतर्गत वर्ष 2023–24 के दौरान विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों (राष्ट्रीय संस्थानों/ सीआरसी/ एलिम्को और एनजीओ आदि) को जारी की गई सहायता अनुदान।	196
	(ग) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 01.01.2023 से 31.03.2024 तक मांग पर आयोजित विशेष शिविरों का ब्यौरा।	198
	(घ) वर्ष 2020–21 से 2023–24 के दौरान एनजीओ/वीओ/राज्य निगमों/डीडीआरसी आदि को जारी सहायता अनुदान।	208
	(ड.) वर्ष 2023–24 के दौरान दस लाख रूपये से पचास लाख रूपये तक आवर्ती/गैर–आवर्ती एकबारगी सहायता अनुदान प्राप्त निजी और स्वैच्छिक संगठन का विवरण।	212
7.	2023–24 के दौरान सिपडा योजना के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए विभिन्न संस्थानों/संगठनों को जारी सहायता अनुदान।	213
8.	31.03.2024 तक यूडीआईडी कार्ड के सृजन की राज्यवार स्थिति।	226

अनुबंध सं./शीर्षक		पृष्ठ सं.
9.	वर्ष 2015-16 से 2023-24 के दौरान छात्रवृत्ति योजनाओं के संबंध में लाभार्थियों की संख्या और जारी की गई राशि।	227
10.	दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि के तहत प्रस्तावों पर किए गए व्यय का विवरण	228
11.	वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं की सूची।	230
12.	सफलता की कहानियां।	233

अध्याय 1

परिचय

1.1 पृष्ठभूमि

दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तिकरण पर लक्षित नीतिगत मामलों पर ध्यान केन्द्रित करने और गतिविधियों पर सार्थक जोर देने के लिए 12 मई 2012 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग करके एक पृथक डिसैबिलिटी कार्य विभाग बनाया गया था। दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को इस विभाग का नाम बदलकर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कर दिया गया। विभाग दिव्यांगता से संबंधित मामलों में विभिन्न स्टेकहोल्डरों, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, गैर सरकारी संगठनों आदि के बीच और नजदीकी समन्वय स्थापित करने के साथ ही दिव्यांगता और दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

1.2 विभाग को आवंटित कार्य : विभाग के लिए आबंटित कार्य **अनुबंध–1** पर दिए गए हैं। विभाग को मुख्य रूप से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का कार्य सौंपा गया है।

1.3 विजन: एक ऐसा समावेशी समाज बनाना जिसमें दिव्यांगजनों की उन्नति और विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि वे उपयोगी, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें।

1.4 मिशन: अपने विभिन्न अधिनियमों /संस्थाओं /संगठनों तथा पुनर्वास की योजनाओं के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त करना और एक ऐसा समर्थकारी वातावरण स्थापित करना जो ऐसे व्यक्तियों को समाज में समान अवसर और उनके अधिकारों को संरक्षण प्रदान करे ताकि वे स्वतंत्र रूप से समाज में भाग ले सकें और उपयोगी सदस्य बन सकें।

1.5 उद्देश्य: अपने उद्देश्य (विजन) को पूरा करने एवं मिशन को हासिल बनाने के लिए, विभाग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए प्रयास करता है;

(i) शारीरिक पुनर्वास, जिसमें शीघ्र निदान तथा उपाय, परामर्श और चिकित्सा पुनर्वास तथा दिव्यांगताओं के प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद में सहायता शामिल है;

(ii) व्यावसायिक शिक्षा सहित शैक्षणिक पुनर्वास;

(iii) आर्थिक पुनर्वास और सामाजिक सशक्तिकरण;

(iv) पुनर्वास व्यावसायिकों/कर्मियों को तैयार करना।

(v) आंतरिक कार्य–दक्षता/संवेदनात्मकता/सेवा प्रदायगी में सुधार; और

(vi) समाज के विभिन्न वर्गों में जागरूकता पैदा करने के माध्यम से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का समर्थन।

1.6 विभाग की प्रमुख प्रतिबद्धताएं :

(i) सतत विकास लक्ष्य : भारत दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीआरपीडी) का एक समर्थक (पक्षकार) है। भारत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। हमारे देश ने दिव्यांगता पर अपने राष्ट्रीय कानून को, यूएनसीआरपीडी के विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप, तैयार किया है, अर्थात् दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 जो 19.04.2017 को लागू हुआ।

(ii) समावेशन एवं बाधामुक्त वातावरण : समीक्षाधीन अवधि के दौरान, विभाग ने मुख्यतः अंतर्निहित वातावरण, परिवहन प्रणाली और आईसीटी पारिस्थितिकी प्रणाली में दिव्यांगजनों के लिए एक बाधामुक्त वातावरण के सृजन पर अपना अधिकतर ध्यान केंद्रित किया है। इसके लिए, विभाग ने एक ओर दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र और उपकरण प्रदान करने और दूसरी ओर सार्वजनिक भवनों, परिवहन और आईसीटी को सुगम्य बनाने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा।

(iii) 1995 में, केंद्र सरकार ने दिव्यांगता क्षेत्र में प्रमुख कानून के रूप में "निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम" अधिनियमित किया, जो अब निरस्त हो गया है। इस अधिनियम में दिव्यांगता को चिकित्सा के संबंध में परिभाषित किया गया था न कि पर्यावरणीय बाधाओं के संदर्भ में। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 में दिव्यांगता को एक सामाजिक पुनर्वास मॉडल के आधार पर परिभाषित किया गया है जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (ण) के तहत दिव्यांगजन की परिभाषा में निहित है।

(iv) दिव्यांगजनों का पुनर्वास : पूर्व वर्षों में दिव्यांगजनों के पुनर्वास का फोकस मुख्यतः शारीरिक दिव्यांगता पर केंद्रित था। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, विभाग ने सभी 21 श्रेणी के दिव्यांगजनों के पुनर्वास हेतु अपने फोकस को बौद्धिक, विकासात्मक और मानसिक दिव्यांगजनों के पुनर्वास पर विशेष महत्व देते हुए पुनः स्थापित किया है।

(v) दिव्यांगता–केंद्रित दृष्टिकोण में परिवर्तनः विभाग मानसिक–सामाजिक दिव्यांगता (मानसिक रोग) की घटनाओं में वृद्धि से चिंतित है। सक्रिय उपचार के अलावा मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में पुनः एकीकृत करने के लिए अक्सर पुनर्वास की आवश्यकता होती है। इस मामले का समाधान करने के लिए विभाग ने मध्य प्रदेश, सीहोर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान को स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह संस्थान मानसिक रोग से पीड़ित ऐसे व्यक्ति जो सफलतापूर्वक उपचारित किए गए हैं, को मुख्य धारा में लाने के लिए पुनर्वास प्रोटोकॉल आधारित समुदाय का विकास करने के अतिरिक्त मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के क्षेत्र में क्षमता निर्माण के प्रति कार्य करने का लक्ष्य रखता है। यह मध्य प्रदेश में भोपाल–सीहोर राजमार्ग के साथ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित 25 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जा रहा है। वर्तमान में, एनआईएमएचआर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 'पुराने जिला पंचायत भवन', सीहोर में प्रदान किए गए एक अस्थायी आवास में कार्य कर रहा है।

(vi) संस्कृति, मनोरंजन, अवकाश और खेल गतिविधियाँ : विभाग ने यह स्वीकार किया है कि दिव्यांगजनों के लिए समर्थकारी वातावरण का निर्माण करना आवश्यक है ताकि वे खेलों सहित जीवन के प्रत्येक कदम पर श्रेष्ठ होने में समर्थ हों, इस उद्देश्य से कि खेल गतिविधियों में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर दिव्यांगजनों को भाग लेने में बढ़ावा दिया जा सके। सरकार ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगजन के खेलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ट्रेनिंग सेंटर फॉर डिसएबिलिटी स्पोर्ट्स की स्थापना की है, जिसमें इनडोर और आउटडोर, दोनों, खेलों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं और लगभग 300 दिव्यांगजनों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं हैं।

1.7 दिव्य कला शक्ति : दिव्यांगजन सभी क्षेत्रों चाहे वे शिक्षा, खेल, साहित्य, संस्कृति हो, में श्रेष्ठ हो सकते हैं और वे अपने अंतर्निहित सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें उपयुक्त अवसर तथा वातावरण प्रदान किया जाए।

1.8 चुनौतियां : दिव्यांगजनों के प्रति जनसामान्य की सोच में व्यवहारिक परिवर्तन लाना विभाग की एक सबसे बड़ी चुनौती रहा है। अतः जागरूकता पैदा करना सामान्य जनता की सोच को बदलने केवल मानसिकता को बदलने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि दिव्यांगजनों में उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए भी

महत्वपूर्ण है। राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि दिव्यांगजनों के लिए बाधामुक्त वातावरण के निर्माण हेतु डिजाइनिंग, योजना और निष्पादन के स्तरों पर सुगम्यता मानकों के संवर्धन को आत्मसात करें। दिव्यांगजनों के लिए समर्थक वातावरण सृजन की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुकूल (मैचिंग) संसाधनों को जुटाना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्थानीय निकायों के लिए हमेशा एक चुनौती रही है।

1.9 अभिकथन : विभाग की वर्ष 2023–24 की वार्षिक रिपोर्ट में विधिक फ्रेमवर्क, संस्थागत अवसंरचना को सशक्त बनाने और कार्यक्रम आधारित सहायता के माध्यम से दिव्यांगता क्षेत्र में की गई प्रगति शामिल है। राज्य सरकारें, सिविल सोसायटी संगठन, दिव्यांगजन और अन्य हितधारक (स्टेकहोल्डर) इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार रहे हैं।

1.10 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत, आरटीआई से संबंधित कार्यों के समन्वय के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में एक नोडल आरटीआई यह अनुभाग/सेल स्थापित किया गया था। यह अनुभाग/सेल आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी मांगने वाले आवेदनों को एकत्र करता है, वितरित करता है और विषय वस्तु से संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ)/सार्वजनिक प्राधिकरणों (पीए) को स्थानांतरित करता है और आरटीआई आवेदन/अपील की प्राप्ति और निपटान के संबंध में केंद्रीय सूचना आयोग को त्रैमासिक रिटर्न जमा करता है।

(ए) आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1) के तहत आवश्यक विभाग के कार्यों के साथ–साथ उसके पदाधिकारियों आदि का विवरण विभाग की वेबसाइट पर रखा गया है।

(बी) अवर सचिव स्तर के अधिकारियों को उनके द्वारा संभाले जा रहे विषयों के अनुसार अधिनियम की धारा 5(1) के तहत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है।

(सी) अधिनियम की धारा 19(1) के अनुसार निदेशक/उप सचिव स्तर के अधिकारियों को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) के रूप में नामित किया गया है।

(डी) आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन प्राप्त करने की सुविधा के लिए केंद्रीय रजिस्ट्री (सीआर) अनुभाग में आवेदन प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। प्राप्त आवेदनों को आरटीआई अनुभाग/प्रकोष्ठ द्वारा संबंधित सीपीआईओ/सार्वजनिक प्राधिकारियों (पीए) को अग्रेषित किया जाता है। इन्हें तुरंत निपटाया गया और आवेदकों को जानकारी प्रदान करने के लिए संबंधित सीपीआईओ सार्वजनिक प्राधिकरणों (पीए) को स्थानांतरित/अग्रेषित किया गया।

(ई) आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा–4(1)(बी) के अनुसार, विभाग ने नियमित रूप से विभाग की वेबसाइट पर सक्रिय प्रकटीकरण पैकेज के स्वत आधार पर विवरण अपलोड किया है/अपलोड कर रहा है।

*****

अध्याय 2
विभाग का सिंहावलोकन

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2.68 करोड़ दिव्यांगजन हैं जो कि कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत है। कुल दिव्यांगजनों में से लगभग 1.50 करोड़ पुरुष हैं और 1.18 करोड़ महिलाएं हैं। इनमें दृष्टि, श्रवण, वाक् और गतिविषयक दिव्यांगताएं, मानसिक रूग्णता, मानसिक मंदता (बौद्धिक दिव्यांगताएं), बहु–दिव्यांगताएं तथा अन्य दिव्यांगताएं शामिल हैं।

2.1 दिव्यांगता के प्रकार

यद्यपि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, दिव्यांगजनों की राज्यवार संख्या का विवरण **अनुबंध–2** पर दिया गया है जिसमें वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिव्यांगता के प्रकार के अनुसार उनकी संख्या का विवरण नीचे दिया गया है :–

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिव्यांगजनों की श्रेणी–वार संख्या			
दिव्यांगता का प्रकार	व्यक्ति	पुरुष	महिला
देखने में	50,33,431	26,39,028	23,94,403
सुनने में	50,72,914	26,78,584	23,94,330
बोलने में	19,98,692	11,22,987	8,75,705
चलने में	54,36,826	33,70,501	20,66,325
मानसिक मंदता	15,05,964	8,70,898	6,35,066
मानसिक रूग्णता	7,22,880	4,15,758	3,07,122
कोई अन्य	49,27,589	27,28,125	21,99,464
बहु दिव्यांगता	21,16,698	11,62,712	9,53,986
कुल	2,68,14,994	1,49,885,93 (55.89%)	1,18,264,01 (44.11%)

2.1.1 आवासीय क्षेत्र के आधार पर दिव्यांगजनों का वर्गीकरण नीचे दिये अनुसार है:–

भारत में आवास के आधार पर दिव्यांगजनों की जनसंख्या, 2011*			
निवास	व्यक्ति	पुरूष	महिला
शहरी	81,78,636 (30.51%)	45,78,034	36,00,602
ग्रामीण	1,86,31,921 (69.49%)	1,04,08,168	82,23,753
कुल	2,68,10,557	1,49,86,202	1,18,24,355

*स्रोत : भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय

2.1.2 दिव्यांगजनों का शैक्षणिक स्तर

शैक्षणिक स्तर	व्यक्ति	पुरूष	महिला
निरक्षर	1,21,96,641	56,40,240	65,56,401
साक्षर	1,46,18,353	9,34,835	52,70,000
(i) साक्षर परंतु प्राथमिक से नीचे	28,40,345	17,06,441	11,33,904
(ii) प्राथमिक परंतु मिडिल से नीचे	35,54,858	21,95,933	13,58,925
(iii)मिडिल परंतु मैट्रिक/माध्यमिक से नीचे	24,48,070	16,16,539	8,31,531
(iv)मैट्रिक/माध्यमिक परंतु स्नातक से नीचे	34,48,650	23,30,080	11,18,570
(v) स्नातक और उससे ऊपर	12,46,857	8,39,702	4,07,155
कुल	**2,68,14,994**	**1,49,88,593**	**1,18,26,401**

*स्रोत : भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय

2.2 दिव्यांगजनों की कार्य करने की स्थिति

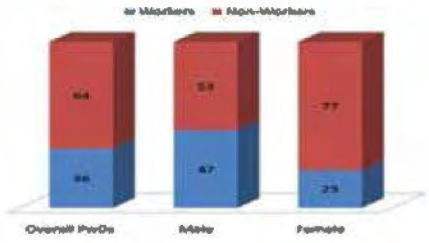

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 36 प्रतिशत दिव्यांगजन कार्य कर रहें हैं (पुरूष–47 प्रतिशत तथा महिलाएं–23 प्रतिशत)। दिव्यांग श्रमिकों में से 31 प्रतिशत कृषि संबंधी मजदूर हैं। 15–59 वर्ष के आयु समूह में पचास प्रतिशत दिव्यांगजन जनसंख्या कार्य कर रहे हैं जबकि 14 वर्ष से कम आयु समूह में 4 प्रतिशत दिव्यांग बच्चे कार्य कर रहे हैं। भारत के महारजिस्ट्रार आगामी जनगणना में आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 में शामिल दिव्यांगजनों की सभी इक्कीस श्रेणियों पर डेटा प्राप्त करने के मानदंडों को संशोधित कर रहे हैं। विभाग ने इस संबंध में अपने विचार पहले ही भारत के महारजिस्ट्रार को दे दिए हैं।

2.3 वर्ष 2023–24 के दौरान विभाग की प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ

(i) विभाग ने दिनांक 08.11.2017 की अधिसूचना के माध्यम से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत दिव्यांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड (सीएबी) गठित किया है। इसके बाद विभाग ने 12.10.2022 की अधिसूचना के जरिए 18 नए मनोनीत सदस्यों के साथ सीएबी पुनर्गठित किया। सीएबी ने अब तक छह बैठकें आयोजित की हैं, सीएबी की छठी बैठक 27.12.2023 को हुई थी।

(ii) विभाग ने मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन के परामर्श से तथा कार्य की प्रकृति और प्रकार को ध्यान में रखते हुए, आयकर निदेशालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के आयकर निरीक्षक और कर सहायक के पदों के संबंध में उन्हें का.आ. 3832 (अ.) दिनांक 16.08.2023 के द्वारा मानसिक बीमारी की बेंचमार्क दिव्यांगता से संबंधित उक्त धारा के प्रावधानों से छूट दी।

(iii) दिनांक 15.06.2017 को दिव्यांगजन अधिकार नियमावली को अधिसूचित किया गया था। इस नियमावली के नियम 15 में सुगम्यता मानकों का प्रावधान है। नियम 15 को समय–समय पर संशोधित किया गया है ताकि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सुगम्यता मानकों को शामिल किया जा सके, जो निम्नानुसार है:

क्रम सं.	मानक का नाम	संशोधन की तिथि	राजपत्र अधिसूचना सं.
i.	भारत में सार्वभौमिक सुगम्यता के लिए सुसंगत दिशानिर्देश और स्थान मानक–2021	05.06.2023	जी.एस.आर. 413(अ)
ii.	आईसीटी उत्पादों और सेवाओं के लिए सुगम्यता (भाग I और II)	10.05.2023	जी.एस.आर. 359(अ)
iii.	संस्कृति क्षेत्र विशिष्ट सुसंगत सुगम्यता मानक	13.07.2023	जी.एस.आर. 504(अ)
iv.	दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए सुगम्य खेल परिसर और आवासीय सुविधाओं पर दिशानिर्देश	17.07.2023	जी.एस.आर. 517(अ)
v.	नागर विमानन के लिए सुगम्यता मानक और दिशानिर्देश 2022	21.07.2023	जी.एस.आर. 528(अ)
vi.	स्वास्थ्य देखभाल के लिए सुगम्यता मानक	09.08.2023	जी.एस.आर. 598(अ)
vii.	ग्रामीण क्षेत्र विशिष्ट सुसंगत सुगम्यता मानक/दिशानिर्देश	16.11.2023	जी.एस.आर. 849(अ)
viii.	दिव्यांगजनों और अन्य जनसंख्या समूहों के लिए सुगम्यता और समावेशी पाइप के जरिए जल आपूर्ति पर दिशानिर्देश	02.01.2024	जी.एस.आर. 07(अ)
	ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालयों के लिए सुगम्यता मानक	02.01.2024	
ix.	बंदरगाह क्षेत्र में अभिगम्यता मानक	15.02.2024	जी.एस.आर. 114(अ)
x.	दिव्यांग व्यक्तियों और कम गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे स्टेशनों की पहुंच और स्टेशनों पर सुविधाओं पर दिशानिर्देश।	08.03.2024	जी.एस.आर. 175(अ)

(iv) दो क्षेत्रीय मंत्रालयों/विभागों अर्थात् दूरसंचार विभाग (डीओटी) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने जीएसआर 359(अ) के माध्यम से 10.05.2023 को अधिसूचित आईसीटी उत्पादों और सेवाओं के लिए सुगम्यता मानकों को अपनाया है और एक विभाग अर्थात् विधि और न्याय विभाग ने आईसीटी उत्पादों और सेवाओं के लिए उक्त सुगम्यता मानकों के साथ–साथ भारत में सार्वभौमिक पहुंच के लिए सुसंगत दिशानिर्देश और स्थान मानक–2021 को जीएसआर 413 (अ) के माध्यम से 05.06.2023 को अधिसूचित किया है।

(v) इसके अलावा, विभाग ने आरपीडब्ल्यूडी नियमावली, 2017 के नियम 15 में और संशोधन करने के लिए मसौदा (संशोधित) नियमावली को भी अधिसूचित किया है, जो निम्नानुसार है:

क्रम सं.	मानक का नाम	मसौदा संशोधन की अधिसूचना की तिथि	राजपत्र अधिसूचना सं.
i.	पुलिस स्टेशनों, जेलों और आपदा न्यूनीकरण केंद्रों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा विशिष्ट निर्मित बुनियादी ढांचे और संबद्ध सेवाओं के लिए पहुंच संबंधी दिशानिर्देश।	25.01.2024	जी.एस.आर. 70(अ)
ii.	उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए पहुंच संबंधी दिशानिर्देश और मानक	02.02.2024	जी.एस.आर. 89(अ)
iii.	शैक्षणिक संस्थानों के लिए अभिगम्यता कोड	02.02.2024	जी.एस.आर. 90(अ)
iv.	बैंकिंग क्षेत्र के लिए सुगम्यता मानक दिशानिर्देश तैयार करना	19.03.2024	जी.एस.आर. 219(अ)

2.4 बजट आवंटन और व्यय

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए विभाग के लिए बजट अनुमान 1225.15 करोड़ रुपये था। 2023–24 में वास्तविक व्यय Rs. 1143.89 करोड़ रुपये है।

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय (रू. करोड़ में)
2018-19	1070.00	1070.00	1017.56
2019-20	1204.90	1100.00	1016.18
2020-21	1325.39	900.00	861.63
2021-22	1171.77	1044.31	1009.45
2022-23	1212.42	1015.98	989.35
2023-24	1225.15	1225.01	1143.89

*****

अध्याय 3
सांविधिक ढांचा

3.1 प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानः

3.1.1 भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना के माध्यम से अन्य बातों के साथ साथ अपने सभी नागरिकों के लिए न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता; प्रतिष्ठा और अवसर की समता को सुनिश्चित करता है।

3.1.2 संविधान का भाग–III सभी नागरिकों (और कुछ मामलों में गैर नागरिकों के लिए भी) के लिए छः मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इनमें शामिल हैंः समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सभी अधिकार दिव्यांगजनों के लिए भी उपलब्ध हैं तथापि संविधान के इस भाग में ऐसे व्यक्तियों का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।

3.1.3 संविधान के भाग–IV में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत शामिल किए गए हैं। यद्यपि ये लागू नहीं कराए जा सकते हैं तथापि इन्हें देश के प्रशासन में यथा मौलिक घोषित किया गया है। इन सिद्धांतों से राज्य की नीति का अनिवार्य आधार होना अपेक्षित है। ये वास्तव में भविष्य की विधायिकाओं और कार्यपालिकाओं के मार्गदर्शन के लिए उन्हें दिए गए अनुदेशों के स्वरूप हैं। अनुच्छेद 41 में दिव्यांगता के मामलों का निम्नानुसार उल्लेख किया गया हैः–

अनुच्छेद 41: काम, शिक्षा और कुछ मामलों में लोक सहायता पाने के अधिकार के बारे में निम्नलिखित कहा गया हैः

"राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की परिसीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और दिव्यांगता तथा अन्य अपात्र आवश्यकता के मामलों में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने के लिए प्रभावी उपबंध करेगा।"

3.1.4 अनुच्छेद 243–झ की 11वीं अनुसूची और अनुच्छेद 243–ब की 12वीं अनुसूची, जो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में है, क्रमशः पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की शक्तियों एवं जिम्मेदारियों से संबंधित हैं, में समाज के अन्य कमजोर वर्गों में दिव्यांगजनों का कल्याण और उनके हितों का संरक्षण शामिल है। उक्त अनुसूचियों के संबंधित उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत हैंः

अनुच्छेद 243 झ की 11वीं अनुसूचीः "दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण"' (प्रविष्टि सं 26)।

अनुच्छेद–243 ब की 12वीं अनुसूचीः' "दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण" (प्रविष्टि सं 09)।

3.2 विभाग द्वारा अभिशासित विधायन

विभाग दिव्यांगता के विभिन्न पहलुओं और दिव्यांगजनों के कल्याण एवं सशक्तिकरण को शासित करने वाले निम्नलिखित विधायनों से संबंधित है :–

(i) भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992

(ii) स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु–दिव्यांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999; और

(iii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

3.2.1 भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992

भारतीय पुनर्वास परिषद को आर सी आई अधिनियम, 1992 के तहत स्थापित किया गया था। परिषद पुनर्वास व्यावसायिकों और कार्मिकों के प्रशिक्षण को विनियमित और मॉनीटर करती है और पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा में अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है। उक्त अधिनियम के अनुसार, इस परिषद को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :

(i) शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना।

(ii) भारत में पुनर्वास व्यावसायिकों/अन्य कार्मिकों हेतु विश्वविद्यालयों इत्यादि द्वारा प्रदत्त अर्हताओं की मान्यता के संबंध में विभाग को सिफारिशें करना।

(iii) भारत के बाहर के संस्थानों की अर्हताओं की मान्यता के संबंध में विभाग को सिफारिशें करना

(iv) परीक्षाओं में निरीक्षण करना।

(v) पुनर्वास व्यावसायिकों/अन्य कार्मिकों का पंजीकरण, और

(vi) पंजीकृत व्यक्तियों के विशेषाधिकारों और व्यावसायिक आचार संहिता को निर्धारित करना।

3.2.2 स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु–दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999

राष्ट्रीय न्यास स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहु–दिव्यांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999, संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय न्यास के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

(i) दिव्यांगजनों को स्वतंत्रत रूप से और यथा संभव पूरी तरह से अपने समुदाय के अंदर और यथा निकट जीवन यापन करने में समर्थ और सशक्त बनाना।

(ii) दिव्यांगजनों को अपने स्वयं के परिवारों में ही रहने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सुविधाओं को सुदृढ़ करना।

(iii) दिव्यांगजनों के परिवार में संकट की अवधि के दौरान आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करने में पंजीकृत संगठनों को सहायता देना।

(iv) ऐसे दिव्यांगजन, जिन्हें परिवार की सहायता प्राप्त नहीं है, की समस्याओं का हल ढूंढना।

(v) दिव्यांगजनों के अभिभावकों अथवा संरक्षकों की मृत्यु होने पर उनकी देखभाल और संरक्षण के उपायों का संवर्द्धन करना।

(vi) जिन दिव्यांगजनों को संरक्षकों और न्यासियों की जरुरत है, उनके लिए इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया तैयार करना।

(vii) दिव्यांगजनों के लिए समान अवसरों, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी की प्राप्ति को सुगम करना।

(viii) ऐसा कोई अन्य कार्य जो पूर्वोक्त उद्देश्यों के प्रासंगिक हो।

3.2.3 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी, 2016) सरकार ने संसद के माध्यम से दिसंबर, 2016 में यथा पारित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को अधिनियमित किया।

3.2.3.1 19 अप्रैल, 2017 से यह अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम में निम्नानुसार पांच श्रेणियों में व्यापक रूप से वर्गीकृत विभिन्न विनिर्दिष्ट दिव्यांगताएं अभिज्ञात की गई हैं:

(i) शारीरिक दिव्यांगता :

- गतिविषयक दिव्यांगता सहित, कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्ति, सेरेब्रल पाल्सी, बौनापन, मस्कुलर डिस्ट्राफी, एसिड अटैक पीड़ित
- दृष्टि बाधिता (केवल दृष्टिहीन और निम्न दृष्टि)
- श्रवण बाधिता (केवल बधिर और सुनने में कठिनाई वाला)
- वाक् और भाषा दिव्यांगता

(ii) बौद्धिक दिव्यांगता सहित, विनिर्दिष्ट अधिगम दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पैक्ट्रम विकार

(iii) मानसिक व्यवहार (मानसिक रूग्णता)

(iv) निम्नलिखित के कारण दिव्यांगता:

(क) गंभीर तंत्रिका संबंधी दशाएं जैसे पार्किनसन रोग, बहु–स्केलेरोसिक।

(ख) रक्त विकार अर्थात् हेमोफीलिया, थेलेसीमिया और सिक्कल कोशिका रोग

(v) बहु–दिव्यांगताएं

3.2.3.2 इस अधिनियम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के विचार से सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) इसने दिनांक 15.06.2017 को दिव्यांगजन अधिकार नियमावली अधिसूचित की। इन नियमों में दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने एवं इसे प्रदान करने की प्रक्रिया, समान अवसर नीति के प्रकाशन की रीति, राष्ट्रीय निधि के उपयोग एवं प्रबंधन के तरीके आदि को निर्दिष्ट करने के साथ–साथ निर्मित वातावरण, यात्री बस परिवहन और वेबसाइटों के लिए सुगम्यता मानकों और अन्य क्षेत्र संबंधी मानकों का प्रावधान किया गया है।

(ii) इसने दिनांक 04.01.2018 को किसी व्यक्ति में विशिष्ट दिव्यांगता की सीमा के मूल्यांकन के लिए दिशा–निर्देश अधिसूचित किए। इन दिशा–निदेशों में मूल्यांकन की विस्तृत प्रक्रिया के साथ–साथ दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है।

(iii) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 के प्रावधानों के संदर्भ में सरकारी नौकरियों में बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण को निर्दिष्ट करते हुए सभी मंत्रालयों एवं विभागों को 15.01.2018 को परिपत्र जारी किया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 17.05.2022 की अधिसूचना के माध्यम से, डीओपीटी ने बैंचमार्क दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के पदोन्नति में 4 प्रतिशत आरक्षण के लाभ प्रदान कर दिया है। डीओपीटी ने दिनांक 28.

12.2023 के अपने कार्यालय ज्ञापन के तहत उन बेंचमार्क दिव्यांग कर्मचारियों को नोशनल पदोन्नति की सुविधा भी प्रदान की है जो 30.06.2016 से पदोन्नति के लिए पात्र थे।

(iv) समय–समय पर राज्यों को आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 101 के संदर्भ में नियम तैयार करने के लिए सलाह दी जाती है। 31 मार्च 2024 तक स्थिति के अनुसार, 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने उक्त अधिनियम के तहत नियमावली अधिसूचित की है।

3.2.3.3 विभाग की नई पहलें :

दिव्यांगता अध्ययन और पुनर्वास विज्ञान विश्वविद्यालयः

(i) वर्ष 2015–16 में तत्कालीन माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण संस्थान (एनआईएसएच) को राष्ट्रीय पुनर्वास एवं दिव्यांगता अध्ययन विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने की घोषणा की थी। तदनुसार, विभाग ने शुरू में एनआईएसएच को विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। हालांकि, पुनर्विचार करने पर, प्रस्तावित विश्वविद्यालय का स्थान हरित क्षेत्र परियोजना के रूप में तिरुवनंतपुरम, केरल से बदलकर कामरूप जिला, असम (गुवाहाटी से 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित) कर दिया गया है क्योंकि एनआईएसएच एक राज्य स्तरीय संस्थान है जो केवल दिव्यांगता के एकल क्षेत्र का ही कार्य करता है नामतः श्रवण दिव्यांगता और इसे तकनीकी रूप से ऐसे एक अत्याधुनिक राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय में अपग्रेड करना पूर्णतया व्यवहार्य नहीं था जहां पर सभी प्रकार की दिव्यांगताओं के अध्ययन तथा पुनर्वास विज्ञान सहित विभिन्न प्रकार के विषयों की आवश्यवकताओं को पूरा किया जा सके। असम राज्य सरकार ने 50 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित की है।

(ii) विभाग ने अब संसद के एक अधिनियम के माध्यम से कामरूप जिले, असम में दिव्यांगता अध्ययन और पुनर्वास विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय किया है। व्यय विभाग द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए स्थल विशिष्ट विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए एडुकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड (ईडीसीआईएल) को नियुक्त किया है। संशोधित ड्राफ्ट डीपीआर एड सीआईएल से 15.03.2023 को प्राप्त हो गया है। इसके परिणामस्वरूप, यूडीएसआरएस, कामरूप, असम की स्थापना के लिए हितधारकों के बीच उनकी टिप्पणियों/सुझावों के लिए एक पीआईबी नोट प्रसारित किया गया है। संबंधित हितधारकों की टिप्पणियों की प्रतीक्षित है।

*****

अध्याय 4

राष्ट्रीय नीति – 2006, दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2006 और एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांगजनों के लिए "अधिकारों को वास्तविक बनाने के लिए" इंचियोन कार्यनीति

4.1 दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीतिः दिव्यांगजन देश के लिए बहुमूल्य मानव संसाधन हैं और यदि उन्हें समान अवसर और प्रभावी पुनर्वास उपाय उपलब्ध हों तो उनमें से अधिकांश व्यक्ति बेहतर गुणवत्ता वाली जिंदगी जी सकते हैं। इस बारे में सरकार ने उनके लिए ऐसा वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से, जो उन्हें समान अवसर, उनके अधिकारों का संरक्षण और समाज में उनकी पूरी भागीदारी प्रदान कर सके, दिव्यांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की जिसे 10 फरवरी, 2006 को प्रकाशित किया गया।

4.1.1 दिव्यांगताओं की रोकथाम और पुनर्वास उपायों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, राष्ट्रीय नीति–2006 में मुख्यतः निवारण, प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप, पुनर्वास के कार्यक्रम, मानव संसाधन विकास, दिव्यांगजनों की शिक्षा, रोजगार, बाधा मुक्त वातावरण, सामाजिक सुरक्षा, अनुसंधान, खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियाँ संबंधी प्रावधान है।

4.1.2 राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित तंत्र स्थापित किया गया हैं :

(i) नीति के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मुद्दों का समन्वय करने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, नोडल विभाग है।

(ii) स्टेकहोल्डरों के प्रतिनिधित्व वाली दिव्यांगता पर केन्द्रीय सलाहकार समिति, राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों का समन्वय करती है। राज्य स्तर पर भी इसी तरह की समिति होती है।

(iii) नीति के कार्यान्वयन के लिए गृह; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास; शहरी विकास; युवा कार्यक्रम और खेल; रेलवे; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन; श्रम; पंचायती राज और महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों और शिक्षा मंत्रालय; सड़क परिवहन एवं राजमार्ग; सार्वजनिक उपक्रम; राजस्व; सूचना प्रौद्योगिकी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की भी पहचान की गई है।

(iv) पंचायती राज संस्थाएं एवं शहरी स्थानीय निकाय जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केन्द्रों के कार्यकरण से संबद्ध हैं। स्थानीय स्तर के मामलों के निराकरण के लिए राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन में इनसे अहम भूमिका निभाया जाना अपेक्षित है।

4.1.3 केंद्रीय स्तर पर मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन और राज्य स्तर पर राज्य आयुक्त, अपनी संबंधित वैधानिक जिम्मेदारियों के अलावा, राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

4.1.4 दिव्यांगजनों के लिए मौजूदा राष्ट्रीय नीति 2006 में अपनाई गई थी। तब से दिव्यांगता क्षेत्र में अनेक घटनाक्रम हुए हैं जिनमें अक्टूबर, 2007 में भारत द्वारा दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीआरपीडी) पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का अधिनियमन शामिल है। यूएनईएससीएपी का सदस्य होने के नाते, भारत नवंबर, 2022 में दिव्यांगजनों के एशिया–प्रशांत दशक की अंतिम समीक्षा में अपनाई गई जकार्ता घोषणा में की गई सिफारिश को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो एशिया–प्रशांत क्षेत्र में यूएनसीआरपीडी के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सदस्य देशों को प्रोत्साहित करता है। इसके बाद भारत ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपनाया जो समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देती है।

4.1.5 उपर्युक्त महत्वपूर्ण उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए, विभाग ने उपर्युक्त नीति की समीक्षा करने और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016, दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीआरपीडी) के प्रावधानों और दिव्यांगता प्रबंधन में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए एक नई नीति दस्तावेज का सुझाव देने के लिए सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। नई राष्ट्रीय नीति के मसौदे का सुझाव देने के लिए मुख्य समिति के अधीन एक कार्यबल का गठन किया गया है। टास्क फोर्स ने एक मसौदा राष्ट्रीय नीति प्रस्तुत की है जिसे दिनांक 09.06.2022 को, 30.09.2022 तक टिप्पणियों के लिए, सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था। मसौदा नीति का भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) रूपांतर भी विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था और मसौदा नीति का ब्रेल पाठ भी उपलब्ध कराया गया था। इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया था कि वे व्यापक कवरेज के लिए मसौदा नीति को क्षेत्रीय भाषा में परिवर्तित करें। हितधारकों से प्राप्त सुझावों और टिप्पणियों को संकलित किया गया है और राष्ट्रीय नीति के नए मसौदे में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। नई राष्ट्रीय नीति का मसौदा सभी संबद्ध मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य हितधारकों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित कर दिया गया है।

4.2 दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी)

भारत उन कुछ पहले देशों में से एक है जिन्होंने कन्वेंशन की पुष्टि की थी। इसके परिणामस्वरूप भारत ने 30 मार्च, 2007 को कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए और इसके बाद अनुसमर्थन के परिणामस्वरूप यह देश में 3 मई, 2008 से लागू हो गया है। कन्वेंशन में प्रत्येक पक्षकार देश के निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण दायित्व हैं:

(i) अधिवेशन के प्रावधानों का कार्यान्वयन,

(ii) कन्वेंशन के साथ देश के कानूनों का सामंजस्य, और

(iii) देश की रिपोर्ट (कंट्री रिपोर्ट) तैयार करना।

तदनुसार, सरकार ने नवंबर 2015 में अपनी पहली देश रिपोर्ट (कंट्री रिपोर्ट) प्रस्तुत की जिसको यूएनएचआरसी मुख्यालय जिनेवा में आयोजित इसके 22 वें सत्र (सितंबर, 2019) के दौरान दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा अपनाया गया था। अब विभाग दिव्यांगता पर देश की अगली रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में है जिसे अक्टूबर, 2025 तक प्रस्तुत किया जाएगा जाएगा।

4.3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभाग की प्रमुख पहल इस प्रकार हैं :

(i) दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत सरकार और ऑस्ट्रेलिया सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के हिस्से के रूप में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल जिसमें श्री राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव और श्री विनीत सिंहल, निदेशक शामिल हैं, ने 17–22 अप्रैल 2023 के दौरान मेलबर्न विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संयुक्त नेतृत्व कार्यक्रम में भाग लिया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने दिव्यांगता के क्षेत्रों में प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई नेताओं और अधिकारियों के साथ भी बैठक की।

(ii) दिव्यांगजनों के एशिया–प्रशांत दशक पर कार्य कर रहे समूह का तदर्थ सत्र यूएनईएससीएपी द्वारा 8–9 नवंबर, 2023 को बैंकॉक में आयोजित किया गया था, जिसमें डॉ. होन्नारेड्डी एन, निदेशक और माननीय मंत्री, एसजे एंड ई के निजी सचिव डॉ. शांतनु अग्रहरि ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और जकार्ता घोषणा के तहत की गई सिफारिश को पूरा करने की दिशा में भारत के अनुभव और सुझाए गए कार्यों को साझा किया था।

(iii) ब्रिक्स डिसेबिलिटी टेकनिकल फोरम की एक बैठक वर्चुअल आधार पर 13 दिसंबर, 2023 को दक्षिण अफ्रीका सरकार की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव, श्री राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इसमें भाग लिया और देश में दिव्यांगता समावेशी और सहभागी समाज के निर्माण की दिशा में देश की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय वक्तव्य प्रस्तुत किया।

(iv) इसके अलावा, संयुक्त सचिव श्री राजीव शर्मा और एलिम्को के सीएमडी श्री प्रवीण कुमार को ब्रिक्स डिसेबिलिटी टेक्निकल फोरम पहल का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया है।

(v) सभी मानवाधिकार रिपोर्टिंग दायित्वों के कार्यान्वयन, अनुवर्ती कार्रवाई और उसे देखने, संयुक्त राष्ट्र संधि निकायों की सिफारिशों की सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय तंत्र के रुप में विदेश मंत्रालय द्वारा गठित मानवाधिकार पर अंतर–मंत्रालयी समिति के लिए श्री राजेश यादव, संयुक्त सचिव को नामित किया गया है।

*****

अध्याय 5
विभाग के अधीन सांविधिक निकाय

5.1 भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई)

भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के अधीन गठित भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई), पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिकों तथा कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विनियमन और मॉनिटरिंग करता है, पुनर्वास और विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देती है, तथा केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर (सीआरसी) का रखरखाव करती है। इसे निःशक्तजन अधिनियम, 1995 के अनुरूप बनाने के लिए और इसे व्यापक आधारित बनाने के लिए संसद द्वारा अधिनियम को 2000 (2000 की संख्या 38) में संशोधित किया गया। 987 संस्थानों और 14 राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर और एमफिल और पीएसवाई. डी. स्तर के आरसीआई अनुमोदित पाठ्यक्रम चलाने की मंजूरी दी गई है।

5.1.1 परिषद की प्रमुख गतिविधियाँ

I. कार्यक्रम प्रभागः

(i) परिषद ने प्रमाणपत्र और डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम को अद्यतन करने के लिए 23–24 मई, 2023 को एनआईएसडी, द्वारका में विशेषज्ञों की एक बैठक आयोजित की।

विचार–विमर्श के बाद, निम्नलिखित संशोधित पाठ्यक्रम सभी 4 कार्य समूहों द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तुत किए गए

क्रम सं	कोर्स	क्रम सं	कोर्स
1	बेंच स्किल्स में सर्टिफिकेट कोर्स (सी.बी.एस.)	10	प्रारंभिक बचपन विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (श्रवण हानि)
2	प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक्स में डिप्लोमा	11	डी.एड. विशेष शिक्षा (श्रवण हानि) – डी.एड. विशेष शिक्षा (एचआई)
3	केयर गिविंग में सर्टिफिकेट कोर्स (सी.सी.सी.जी.)	12	श्रवण भाषा और वाणी में डिप्लोमा
4	पुनर्वास थेरेपी में सर्टिफिकेट कोर्स (सी.सी.आर.टी)	13	डी.एड. विशेष शिक्षा (दृष्टिबाधित) – डी.एड. विशेष शिक्षा
5	हियरिंग एड रिपेयर और ईयर मोल्ड टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा (डी.एच.ए.ई.एम.टी.)	14	कंप्यूटर शिक्षा में डिप्लोमा (दृष्टिबाधित) – डी.सी.ई.
6	भारतीय सांकेतिक भाषा दुभाषिया में डिप्लोमा	15	प्रारंभिक बचपन विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (बौद्धिक दिव्यांगता) – डी.ई.सी.एस.ई. (आईडी)
7	डी.एड. विशेष शिक्षा (बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगता)	16	डी.एड. विशेष शिक्षा (एकाधिक दिव्यांगता)
8	पुनर्वास थेरेपी में डिप्लोमा	17	समुदाय आधारित पुनर्वास में डिप्लोमा (डी.सी.बी.आर.)
9	भारतीय सांकेतिक भाषा शिक्षण में डिप्लोमा	18	व्यावसायिक पुनर्वास में डिप्लोमा (बौद्धिक दिव्यांगता) – डी.वी.आर.(आईडी)

क) दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों के लिए विकसित मानदंडों और दिशानिर्देशों में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (एएसडी), बौद्धिक दिव्यांगता, बहरा अंधापन सहित कई दिव्यांगताएं, विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता, भाषण और श्रवण हानि और दृश्य हानि जैसी दिव्यांगताएं शामिल हैं।

ख) सामान्य शिक्षकों के लिए 5 दिनों की अवधि का सेवाकालीन प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया गया।

ग) सभी डिग्री और उससे ऊपर के स्तरों के पाठ्यक्रमों को अद्यतन करने के लिए 17–18 नवंबर 2023 को एनआईएसडी, द्वारका में 8 कार्य समूहों (विशेषज्ञ समिति) की दो दिवसीय बैठक आयोजित की गई। एनईपी 2020, एनसीआरएफ और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के आलोक में 18 पाठ्यक्रमों को संशोधित किया गया था।

II. पंजीकरण प्रभाग

केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर (सीआरआर) में पंजीकृत पेशेवर/कार्मिकों का विवरण

1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 माह तक पंजीकरण की रिपोर्ट									
माह	नए आवेदन			अतिरिक्त			नवीनीकरण		
	पेशेवर	कार्मिक	कुल	पेशेवर	कार्मिक	कुल	पेशेवर	कार्मिक	कुल
अप्रैल 2023	589	812	1401	196	8	204	327	322	649
मई 2023	363	516	879	88	3	91	709	626	1335
जून 2023	770	999	1769	216	18	234	664	570	1234
जूलाई 2023	640	606	1246	220	5	225	531	536	1067
अगस्त 2023	735	553	1288	121	7	128	436	341	777
सितम्बर 2023	1405	1084	2489	256	18	274	597	627	1224
अक्तूबर 2023	1066	574	1640	121	8	129	560	536	1096
नवम्बर 2023	536	4830	5366	18	9	27	134	148	282
दिसम्बर 2023	728	1862	2590	164	9	173	588	462	1050
जनवरी 2024	721	829	1550	105	10	115	581	475	1056
फरवरी 2024	777	397	1174	222	5	227	558	443	1001
मार्च 2024	1043	751	1794	242	13	255	794	732	1526
कुल	**9373**	**13813**	**23186**	**1969**	**113**	**2082**	**6479**	**5818**	**12297**

माह	अच्छी स्थिति का प्रमाण पत्र	डुप्लिकेट / सुधार	विदेशी अधिकारियों से प्राप्त सीआरआर का सत्यापन	भारतीय एजेंसियों से प्राप्त सीआरआर का सत्यापन
अप्रैल 2023	41	12	20	32
मई 2023	19	12	20	35
जून 2023	28	11	15	127
जूलाई 2023	39	12	8	25
अगस्त 2023	16	12	11	25
सितम्बर 2023	16	10	14	27
अक्तूबर 2023	40	99	19	37
नवम्बर 2023	16	71	16	35
दिसम्बर 2023	25	73	25	61
जनवरी 2024	21	146	9	28
फरवरी 2024	23	39	4	37
मार्च 2024	19	27	12	50
कुल	**303**	**524**	**173**	**519**

III. सतत पुनर्वास शिक्षा (सीआरई) प्रभागः

आरसीआई वेबिनारः

1. 02.04.2023 को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के अवसर पर, वेबेक्स सिस्को के माध्यम से अंग्रेजी में 11.00 से 12.30 तक और हिंदी में 3.00 से 4.30 तक "ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर लोगों को शामिल करने के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण" शीर्षक से एक मुफ्त वेबिनार आयोजित किया गया था। टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट पे ऑटेशन नेटवर्क के सहयोग से प्रणाली। प्रसिद्ध विशेषज्ञों ने ऑटिज्म देखभाल, चिकित्सा और समाज में नए विकास, ऑटिज्म देखभाल के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की भूमिका, ऑटिज्म समर्थन के लिए नए हब और स्पोक दृष्टिकोण और पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण, माता–पिता सहायता समूह और सामुदायिक संगठनों की भूमिका जैसे विषयों पर प्रस्तुति दी। वेबिनार से अंग्रेजी में 1109 लाभार्थी और हिंदी में 1422 लाभार्थी लाभान्वित हुए।

2. 18.05.2023 को विश्व एक्सेसिबिलिटी जागरूकता दिवस के अवसर पर, एनेबल इंडिया के सहयोग से वेबेक्स सिस्को सिस्टम के माध्यम से 11.00 से 12.30 तक अंग्रेजी में और 3.00 से 4.30 तक हिंदी में "डिजिटल एक्सेसिबिलिटी के माध्यम से सशक्त बनना सीखें" शीर्षक से एक मुफ्त वेबिनार आयोजित किया गया था। प्रसिद्ध विशेषज्ञों ने कार्यस्थलों पर सुलभ प्रौद्योगिकियों, सीखने की अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए सुलभ शिक्षण मंच, नवीनतम सुलभ प्रौद्योगिकियों के माध्यम से अपनी सामग्री को सुलभ बनाना सीखें और डिजिटल पहुंच के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों को संबोधित करने जैसे विषयों पर प्रस्तुति दी। वेबिनार से अंग्रेजी में 710 तथा हिन्दी में 326 लाभार्थियों को लाभ हुआ।

3. अगस्त 2023 के दौरान शनिवार को अंग्रेजी (सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक) और हिंदी (दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक) में मुफ्त वेबिनार

सीआरई दिशानिर्देशः सीआरई दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है और 1 अप्रैल, 2023 से वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। नए दिशानिर्देशों में वेबिनार मोड और अनुभवात्मक मोड शामिल हैं। सभी सीआरई प्रति घंटे के आधार पर आयोजित किए जाते हैं। इनमें शामिल व्यक्तियों की संख्या को संशोधित किया गया है। सीआरई अनुमोदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और प्रतिभागियों का पंजीकरण भी ऑनलाइन होगा। वेबिनार आरसीआई वेबेक्स सिस्को प्लेटफॉर्म पर आयोजित (होस्ट) किए जाएंगे।

सीआरई ऑफलाईन/ऑनलाईन कार्यक्रम/कॉन्फ्रेंस/सेमिनार/कार्यशाला/अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस और वर्ष 2023–24 के लिए स्वीकृत लाभार्थियों का विवरण इस प्रकार है :

वर्ष 2023–24 के माह	सीआरई कार्यक्रम				कार्यशाला/संगोष्ठी/सम्मेलन				कुल कार्यक्रम	लाभार्थियों की कुल संख्या
	ऑफलाइन		ऑनलाइन		ऑफलाइन		ऑनलाइन			
	कार्यक्रम की संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या	कार्यक्रम की संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या	कार्यक्रम की संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या	कार्यक्रम की संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(2+4+6+8)	(3+5+7+9)
अप्रैल 2023	0	0	0	0	3	460	0	0	3	460
मई 2023	20	1000	0	0	26	6450	6	1280	52	8730
जून 2023	10	400	1	100	15	2600	4	1000	30	4100
जुलाई 2023	9	410	0	0	30	6200	2	750	41	7360
अगस्त 2023	4	200	0	0	13	2450	13	7750	30	10400
सितंबर 2023	22	1300	5	1250	24	6050	28	7300	79	15900

अक्टूबर 2023	52	2600	3	750	98	22250	41	10500	194	36100
नवम्बर 2023	42	2100	2	500	79	16430	28	7250	151	26280
दिसम्बर 2023	40	2000	10	2500	72	14350	28	10000	150	28850
जनवरी 2024	65	3250	2	500	134	28450	42	10500	243	42700
फरवरी 2024	41	2030	3	750	67	13950	31	7750	142	24480
मार्च 2024	22	1100	1	250	38	8450	17	4250	78	14050
कुल	**327**	**16390**	**27**	**6600**	**599**	**128090**	**240**	**68330**	**1193**	**219410**

कार्यक्रम की स्थिति	माध्यम	01.04.2023 से 31.03.2024 तक	
		कार्यक्रम की संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या
सीआरई कार्यक्रम	ऑफलाइन	327	16390
	ऑनलाइन	27	6600
कार्यशाला / संगोष्ठी / सम्मेलन	ऑफलाइन	599	128090
	ऑनलाइन	240	68330
कुल		**1193**	**219410**

परिषद ने वित्तीय सहायता के साथ ऑफलाइन मोड में विशेष शिक्षकों के लिए पांच दिवसीय – पांच आवासीय संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) और आवासीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम भी विकसित किए हैं। राष्ट्रीय संस्थानों और सीआरसी को प्रायोगिक आधार पर आयोजित करने के लिए अनुमोदित किया गया था:

क्र.सं.	संस्थान का नाम	कार्यक्रम	राज्य	स्थिति
1	सीआरसी, लखनऊ	एफडीपी	उत्तर प्रदेश	**आयोजित**
	सीआरसी, लखनऊ	पुनश्चर्या	उत्तर प्रदेश	**आयोजित**
2	एनआईईपीएमडी, चेन्नई	एफडीपी	तमिलनाडु	**आयोजित**
	एनआईईपीएमडी, चेन्नई	पुनश्चर्या	तमिलनाडु	**आयोजित**
3	एवाईजेएनआईएसएचडी, मुंबई	एफडीपी	महाराष्ट्र	**आयोजित नहीं किया गया**
4	एवाईजेएनआईएसएचडी, मुंबई एक्सएआरसी के सहयोग से	एफडीपी	महाराष्ट्र	**आयोजित नहीं किया गया**
5	एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद	एफडीपी	तेलंगाना	**आयोजित**
	एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद	पुनश्चर्या	तेलंगाना	**आयोजित**

IV. दूरस्थ शिक्षा सेल

अधिदेश के अनुसार, दिव्यांगता क्षेत्र में फेस–टू–फेस मोड के माध्यम से प्रशिक्षित मानव संसाधन विकसित करने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों को सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, मास्टर्स और उससे ऊपर के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यक अनुमति दी जा रही है। हालांकि, यह महसूस किया गया कि विशेष शिक्षा के लिए विशेष रूप से मानव संसाधन की मांग और आपूर्ति के बीच की कमी को पूरी करने के लिए विशेष शिक्षा में हाइब्रिड और मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा मोड कार्यक्रम को अपनाने की आवश्यकता है। अब, वर्तमान परिदृश्य में, एनईपी 2020 में प्रवेश और निकास में छूट के साथ सीखने के हाइब्रिड और ऑनलाइन मोड के प्रावधान की भी

परिकल्पना की गई है। अब यूजीसी, आरसीआई और अन्य शैक्षणिक प्राधिकरणों जैसे नियामक निकायों के लिए यह आवश्यक है कि वे सीखने के नए मिश्रित तरीके को बढावा दें। इस उद्देश्य से परिषद बी.एड. आयोजित करने के लिए राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को बढावा दे रही है। यूजीसी विनियमन अगस्त, 2020 के अनुसार विशेष शिक्षा – ओएलडी कार्यक्रम और बाद में बी.एड. विशेष शिक्षा उनके संबंधित राज्य में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ओएलडी और ऑनलाइन मोड के साथ सितंबर 2021 और सितंबर 2022 में संशोधित किया गया। इस उद्देश्य से, परिषद ने 3–4 दिव्यांगता विशेषज्ञता के साथ 500 छात्रों के वार्षिक प्रवेश के साथ ऑनलाईन मोड के माध्यम से बीएड विशेष शिक्षा कार्यक्रम संचालित करने के लिए 9 राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों के साथ 05 वर्ष की अवधि के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये पाठ्यक्रम उनके संबंधित राज्य में अनुमोदित अध्ययन केंद्रों पर संचालित किए जा रहे हैं।

समझौता ज्ञापन का नवीनीकरणः समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण – परिषद ने बी.एड. संचालित करने के लिए 05 वर्षों की एक और अवधि के लिए वाईसीएमओयू, नासिक के साथ एमओयू को नवीनीकृत किया है। सभी दिव्यांगता विशेषज्ञता के लिए प्रति सत्र 500 के वार्षिक प्रवेश के साथ महाराष्ट्र राज्य के भीतर मराठी और अंग्रेजी भाषाओं में बी.एड. एसपीएल.एड.–ओडीएल ((एचआई, वीआई, आईडी और एलडी) कार्यक्रम।

परिषद ने उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, (यूपीआरटीओयू), प्रयागराज के साथ 05 वर्षों की एक और अवधि के लिए समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया है, जिसमें सभी दिव्यांगता विशेषज्ञताओं के लिए प्रति सत्र 500 व्यक्तियों के वार्षिक प्रवेश के साथ उत्तर प्रदेश राज्य में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में बी.एड. एसपीएल.एड.–ओडीएल (एचआई, वीआई, आईडी और एलडी) कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

परिषद ने आरसीआई के सहयोग से बी.एड. विशेष शिक्षा –ओडीएल, एम.एड. विशेष शिक्षा – ओडीएल, पीजीडीआरपी, सीईसीएसई, एडब्ल्यूटी, पीजीडीडीएम कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 05 वर्षों के लिए आईजीएनओयू, नई दिल्ली के साथ 24.04.2023 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

परिषद ने बीएड स्पेशल एजुकेशन–ओडीएल कार्यक्रम की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य 06.04.2023 को वर्चुअल मोड के माध्यम से सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी और अध्यक्ष, आरसीआई की अध्यक्षता में। मुक्त विश्वविद्यालयों (एसओयू) के कुलपतियों की बैठक आयोजित की है। बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी विश्वविद्यालयों को भेज दिया गया।

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, गुजरात (बीएओयू) से बी.एड. संचालित करने के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए एमओयू के नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ। ओडीएल और एचआई, वीआई और आईडी की जांच की गई और तदनुसार निरीक्षण किया गया। रिपोर्ट के आधार पर एमओयू के नवीनीकरण पर विचार किया गया है. तदनुसार, विश्वविद्यालय ने सदस्य सचिव के हस्ताक्षर के लिए मूल हस्ताक्षरित एमओयू भेज दिया है।

बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, तेलंगाना (बीआरएओयू) से बी.एड. संचालित करने के लिए 5 साल की अवधि के लिए एमओयू के नवीनीकरण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ। ओडीएल और एचआई, वीआई और आईडी की जांच की गई और तदनुसार निरीक्षण किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार संस्थान को अस्वीकृत कर दिया गया। बी.आर.ए.ओ.यू. द्वारा प्रस्तुत अनुपालन के आधार पर विश्वविद्यालय को सशर्त आधार पर दो वर्षों के लिए समझोता ज्ञापन के नवीनीकरण पर विचार किया गया है।

V. समुदाय आधारित समावेशी विकास (सीबीआईडी) कार्यक्रम

भारत सरकार ने दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग हेतु 22.11.2018 को ऑस्ट्रेलिया सरकार के सामाजिक सेवा विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। उक्त समझौता ज्ञापन के अनुसार, यूनिवर्सिटी

ऑफ मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) ने संयुक्त रूप से देश में पहला क्षमता आधारित समुदाय आधारित समावेशी विकास प्रशिक्षण (सीबीआईडी) विकसित किया है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य फ्रंटलाइन समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यकर्ताओं का एक कैडर विकसित करना है, जिसे दिव्यांग–मित्र के रूप में जाना जाता है, जो पीडब्ल्यूडी के व्यापक समावेशन के लिए सामुदायिक लचीलापन (कम्युनिटी रिसाइलेंस) बनाने में मदद करेगा। दिव्यांग–मित्र सामुदायिक स्तर पर दिव्यांगजनों से संबंधित मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने के लिए अत्याधुनिक स्तर पर आंगनवाडी और आशा कार्यकर्ताओं के साथ निकट समन्वय के साथ काम करेंगे।

वर्ष 2023 में, सीबीआईडी प्रशिक्षण कार्यक्रम में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की गई, क्योंकि प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल की गईं। कार्यक्रम के दूसरे बैच के संचालन के लिए प्रशिक्षण संस्थानों को कुल 88 लाख रुपये की अनुदान सहायता (जीआईए) जारी करना एक उल्लेखनीय मील का पत्थर था। विशेष रूप से, आवंटित राशि का 70% जुलाई 2023 में संस्थानों को वितरित किया गया था, जिससे उनकी परिचालन गतिविधियों को सुविधाजनक बनाया गया था।

सीबीआईडी कार्यक्रम के पहले बैच का संचालन करने वाले प्रशिक्षण संस्थानों को जीआईए की 30% शेष राशि जारी करना। परिषद ने जीआईए की 30% शेष राशि 13,96,200/- रु. सीबीआईडी प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले बैच के संचालन के लिए 06 प्रशिक्षण संस्थानों को जारी कर दिये हैं।

VI. क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन और स्कूल जाने की तैयारी के लिए पाठ्यक्रम ढांचे पर हैंडबुकः

क्रॉस डिसएबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन और स्कूल जाने की तैयारी के लिए पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क पर हैंडबुक संयुक्त रूप से एवाईजेएनआईएसएचडी और प्रथम मुंबई के प्रख्यात विशेषज्ञों और शोध विद्वानों के एक समूह द्वारा अंग्रेजी और हिंदी में तैयार की गई है। परिषद ने उक्त हैंडबुक का विमोचन आरसीआई की 86वीं ईसी समिति की बैठक में किया। परिषद द्वारा सभी जीसी सदस्यों और उपयुक्त सरकारी प्राधिकारियों, माता–पिता, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और प्रशिक्षण संस्थानों को इसके उपयोग और तकनीकी ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए परिचालित करने के लिए इसे प्रकाशित किया जा रहा है। इस हैंडबुक के लिए आईएसबीएन संख्या भी प्राप्त की गई है। इसके अतिरिक्त परिषद ने हैंडबुक के प्रभावी उपयोग के लिए 60 घंटे की ई–विषय–वस्तु (सिद्धांत एवं व्यावहारिक) के विकास हेतु एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया है।

परिषद ने आरसीआई के सदस्य सचिव श्री विनीत सिंघल की अध्यक्षता में 4.05.2023 को सीबीआईडी प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे बैच की अंतिम सैद्धांतिक परीक्षा आयोजित करने के तरीके और तौर–तरीकों को तय करने के लिए सीबीआईडी प्रशिक्षण कार्यक्रम के कोर समूह की बैठक आयोजित की है। सीबीआईडी प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे बैच की अंतिम सैद्धांतिक परीक्षाएं जून, 2023 में चिन्हित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गईं। एमएस, आरसीआई द्वारा अनुमोदित बैठक का विवरण कोर ग्रुप के सभी सदस्यों को भेज दिया गया है।

1. उन सभी 16 मौजूदा संस्थानों में सीबीआईडी कार्यक्रम के तीसरे बैच के संचालन की मंजूरी दी गई है, जिन्होंने पहले और दूसरे बैच का संचालन किया है।

2. एसएलएम के संशोधन के बारे में चर्चा के लिए 10 अक्टूबर, 2023 को एक कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की गई थी। अंतिम एसएलएम मेलबर्न विश्वविद्यालय से प्राप्त हुआ था। प्रूफ रीडिंग की गई और एसएलएम को सभी अनुमोदित संस्थानों में वितरित किया गया।

3. तीसरा बैच शुरू होने की तारीख : 1 जनवरी, 2024.

4. प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) जनवरी के दूसरे सप्ताह में निर्धारित किया गया था।

5. परिषद में सीबीआईडी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के 17 नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सीबीआईडी कार्यक्रम संचालित करने के लिए अधिक आवेदन आमंत्रित करने के लिए आरसीआई वेबसाइट पर एक परिपत्र डाला गया है। इन प्रस्तावों की स्क्रीनिंग होनी है।

VII. मास्टर प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमः

परिषद द्वारा 18–19 मई 2023 को एवाईजेएनआईएसएचडी, मुंबई में एक 02 दिवसीय मास्टर प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ताकि राष्ट्रीय संस्थानों और सीआरसी के संकाय सदस्यों को क्रॉस डिसएबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन और स्कूल जाने की तैयारी के लिए पाठ्यक्रम ढांचे पर हैंडबुक के सहायक सामग्री की व्यवस्था करने के लिए उन्मुख किया जा सके जिसे एवाईजेएनआईएसएचडी और प्रथम मुंबई के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों और शोध विद्वानों के एक समूह द्वारा संयुक्त रूप से उनके संस्थान में प्रभावी रूप से विकसित किया गया है। उक्त कार्यक्रम में सीआरसी/एनआई के कुल 35 संकायों ने भाग लिया।

VIII. जबलपुर में 02 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशालाः

परिषद ने जबलपुर, मध्य प्रदेश में 16–17 मई 2023 को **"एनईपीः 2020 के संदर्भ में प्रशिक्षण संस्थानों और मानव संसाधन विकास की क्षमता निर्माण"** पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की है। **डॉ. वीरेंद्र कुमार, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार** ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जबलपुर के माननीय सांसद श्री राकेश सिंह, डीईपीडब्ल्यूडी और आरसीआई के चेयरपर्सन श्री राजेश अग्रवाल, मध्य प्रदेश सरकार के जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉ जितेंद्र जामदार, आरसीआई के उप निदेशक डॉ सुबोध कुमार और अन्य गणमान्य अधिकारी भी उपस्थित थे। कार्यशाला में आरसीआई द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थानों के संकाय, दिव्यांगजनों के माता–पिता और भाई–बहन, उपलब्धि प्राप्त दिव्यांगजन, समग्र शिक्षा के अधिकारी और मध्य प्रदेश सरकार के अन्य विभागों के अधिकारियों सहित 10 राज्यों अर्थात महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा के कुल 308 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

IX. पुनर्वास में परीक्षा के राष्ट्रीय बोर्ड (एनबीईआर)

क) शैक्षणिक सत्र 2023–24 के लिए डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिला संबंधी प्रक्रियाः

एनबीईआर ने निर्णय लिया है कि शैक्षणिक सत्र 2023–24 के लिए आरसीआई द्वारा अनुमोदित सभी प्रमाणपत्र और डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिला सीधे संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय विभागों, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों और सीआरसी द्वारा दिया जाएगा। प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा दाखिल किए गए उम्मीदवारों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 25.07.2023 थी। कक्षाएं 01.08.2023 को शुरू की गई हैं।

ख) इन पाठ्यक्रमों में कुल 33,477 उम्मीदवारों को दाखिला दिया गया है। दाखिल प्राप्त उम्मीदवारों की पाठ्यक्रम–वार स्थिति निम्नानुसार हैः

क्रम सं.	पाठ्यक्रम का नाम	दाखिल हुए उम्मीदवारों की संख्या
1.	डी.एड. विशेष शिक्षा (वीआई)	3895
2.	डीसीई (वीआई)	17
3.	डी.सी.बी.आर	53

4.	डी.पी.ओ	0
5.	डी.वी.आर. (आईडी)	220
6.	डी.ई.सी.एस.ई. (आईडी)	69
7.	सी.सी.सी.जी	82
8.	सी.सी.आर.टी	43
9.	डी.एड.विशेष शिक्षा (आईडीडी)	15968
10.	डी.आर.टी	8
11.	डी.एड.विशेष शिक्षा (एमडी)	535
12	डी.एड.विशेष शिक्षा (एमडी) नवीन	950
13	डी.एड.विशेष शिक्षा (एचआई)	11247
14.	डी.एच.एल.एस.	427
15.	डी.ई.सी.एस.ई. (एचआई)	33
16.	डी.एच.ए.ई.एम.टी.	2
17.	डी.टी.आई.एस.एल.	132
18.	डी.आई.एस.एल.आई.	194
19	डीईसीएसई (एमआर)	102
कुल		**33,477**

ग) शैक्षणिक सत्र 2023–24 के दौरान डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम में अनंतिम रूप से दाखिल हुए 30,658 उम्मीदवारों की राज्यवार और पाठ्यक्रमवार सूची उम्मीदवारों को पीआरएन/पंजीकरण संख्या जारी करने के लिए एवाईजेएनआईएसएचडी, मुंबई, एनआईईपीएमडी, चेन्नई और एनआईईपीवीडी, देहरादून को भेजी गई है।

X. शैक्षणिक सत्र 2022–23 के लिए प्रमाणपत्र और डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रमों की परीक्षा :

परीक्षा एनबीईआर द्वारा एनआईईपीएमडी–चेन्नई, एनआईईपीवीडी–देहरादून और एवाईजेएनआईएसएचडी–मुंबई में अपने 3 एनबीईआर केंद्रों के माध्यम से आयोजित की जाती है। हर वर्ष एनबीईआर द्वारा ऑफलाइन मोड के माध्यम से परीक्षाएं आयोजित की जाती थी। वर्ष 2022–23 में, पूरी परीक्षा प्रणाली को ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित कर दिया गया था और पारदर्शिता में सुधार के लिए, 179 सरकारी संस्थानों (159 केंद्रीय विद्यालय (केवी) और 20 अन्य सरकारी संस्थानों) में परीक्षाएं आयोजित की गई थी। 2021–22 और 2022–23 के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए एक व्यापक पोर्टल विकसित किया गया था। इस पोर्टल में आरसीआई–अनुमोदित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के छात्रों का पूरा डेटा, शुल्क भुगतान आदि को शामिल किया गया था। उत्तर–पुस्तिकाओं का मूल्यांकन डीईपीडब्ल्यूडी और अन्य सरकारी संस्थानों के नियंत्रणाधीन सीआरसी/एनआई में स्थित 25 मूल्यांकन केंद्रों पर किया गया था।

2021–23 बैच में, कुल 10,815 छात्र परीक्षाओं में उपस्थित हुए और 4,881 छात्र उत्तीर्ण हुए और उत्तीर्ण प्रतिशत 45.3% है। वर्ष 2022–23 में, कुल 22,947 छात्र डिप्लोमा और प्रमाणपत्र स्तर के पाठ्यक्रमों में पंजीकृत हुए और 21771 छात्र परीक्षा में उपस्थित हुए और 5348 छात्र उत्तीर्ण हुए।

इस वर्ष, परिषद सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने वाले 4,945 छात्रों के लिए केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर (सीआरआर) के तहत निःशुल्क पंजीकरण प्रदान कर रही है (अन्यथा पंजीकरण के लिए सामान्य शुल्क 1000/– रुपये प्रति छात्र है)। वे सीधे पोर्टल से अपना सीआरआर प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

इस वर्ष के दौरान आरसीआई की प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

i. सम्पूर्ण डिप्लोमा और प्रमाणपत्र परीक्षा ऑनलाइन कराई गई थी।

ii. केवीएस और अन्य सरकारी संस्थानों के माध्यम से परीक्षाएं आयोजित की गईं।

iii. शुल्क प्रणाली एक भुगतान गेटवे के माध्यम से कराई गई थी।

iv. छात्र परिणाम की घोषणा वाले दिन ही अंक विवरण और प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

v. 4,945 छात्रों को सीआरआर नंबर निःशुल्क दिया गया था।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, परिषद 18 राष्ट्रीय टॉपर्स (पाठ्यक्रम–वार) का वार्षिक दीक्षांत समारोह आयोजित कर रही है। यह दीक्षांत समारोह कार्यक्रम 22.12.2023 को डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

कुमारी प्रतिमा भौमिक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ने प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम के टॉपर्स को सम्मानित किया। श्री राजेश अग्रवाल, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, भारत सरकार भी इस अवसर पर उपस्थित थे। आरसीआई की अध्यक्ष डॉ शरणजीत कौर, डीईपीडब्ल्यूडी के संयुक्त सचिव श्री राजेश यादव और आरसीआई के सदस्य सचिव डॉ. होन्नारेड्डी एन. ने भी दीक्षांत समारोह में भाग लिया।

विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के कुल 1000 छात्रों और अन्य स्टाफ सदस्यों ने इस दीक्षांत समारोह में भाग लिया।

1. कुल 15932 छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन और री–टोटलिंग के लिए आवेदन किया है और पुनर्मूल्यांकन और री–टोटलिंग का काम पूरा हो चुका है। परिणाम 05.03.2024 को घोषित किया गया है।

2. असफल छात्रों के लिए, परिषद देश भर के विभिन्न सरकारी संस्थानों में पूरक परीक्षा के आयोजन की तिथि 05.04.2024 से 12.04.2024

5.2 मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन (सीसीपीडी)

5.2.1 सिंहावलोकन

क) सीसीपीडी का कार्यालय निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा 57 (1) के तहत और वर्तमान संदर्भ में, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 74(1) के तहत स्थापित किया गया है।

ख) मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन इस अधिनियम या किसी अन्य कानून द्वारा या उसके तहत दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लागू किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा करेंगे और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करेंगे; उन कारकों की समीक्षा करेंगे जो दिव्यांगजनों के अधिकारों के उपयोग को रोकते हैं और उपरोक्त अधिनियम की धारा 75 (2) के अनुसार उचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करेंगे;

ग) मुख्य आयुक्त भी अपने प्रस्ताव पर या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर या अन्यथा दिव्यांगजनों के अधिकारों से वंचित होने या कार्यान्वयन न करने या नियमों, उप–कानूनों, विनियमों के कार्यकारी आदेशों, दिशा–निर्देशों या निर्देशों आदि के कार्यान्वयन न करने या जिसे संबंधित शिकायतों पर विचार कर सकते हैं, जो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के कल्याण और संरक्षण के लिए बनाए गए या जारी किए गए हैं और इस मामले को संबंधित प्राधिकारियों के पास ले जा सकते हैं। मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन को कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए सिविल न्यायालय की कुछ शक्तियां सौंपी गई हैं।

5.2.2 स्वप्रेरणा से लिए गए मामले

सीसीपीडी का कार्यालय इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों जैसे रोजगार में आरक्षण, प्रवेश, प्रेस, मीडिया में रिपोर्ट किए गए दिव्यांगों के खिलाफ भेदभाव के मामलों को लागू न किए जाने के बारे में स्व प्रेरणा से कार्य करता है और संबंधित प्राधिकारियों के साथ चर्चा करता है। इस तरह की सक्रिय पहलों ने न केवल दिव्यांगों के अधिकारों की रक्षा की है, बल्कि विभिन्न स्टेकहोल्डरों को भी संवेदनशील बनाया है और दिव्यांगजनों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा की है।

(i) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 75 के तहत मुख्य आयुक्त के कार्य–

(क) स्वयं या अन्यथा, किसी भी कानून या नीति, कार्यक्रम तथा प्रक्रिया–विधियों के प्रावधान का पता लगाएंगे, जो इस अधिनियम के असंगत है तथा आवश्यक सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करेंगे।

(ख) स्वयं या अन्यथा, दिव्यांगजन के अधिकारों के अपवंचन अथवा ऐसे मामलों के लिए जिसमें केंद्र सरकार उपयुक्त सरकार है, के संबंध में उनके लिए उपलब्ध सुरक्षा की जांच करेंगे तथा सुधारात्मक कार्रवाई के लिए मामले को उपयुक्त अधिकारियों के समक्ष ले जाएंगे।

(ग) दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण के लिए इस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत या इस अधिनियम के तहत या इसके द्वारा उपलब्ध सुरक्षा की समीक्षा करेंगे और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करेंगे।

(घ) दिव्यांगजनों के अधिकारों के उपयोग को रोकने वाले कारकों की समीक्षा करेंगे तथा उपयुक्त उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करेंगे।

(ड.) दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संधियों और अन्य अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करेंगे तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करेंगे।

(च) दिव्यांगजनों के अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करेंगे तथा उसका प्रचार करेंगे।

(छ) दिव्यांगजन के अधिकारों की जागरूकता का प्रचार करेंगे तथा उनके संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों का प्रचार करेंगे।

(ज) इस अधिनियम के प्रावधानों और दिव्यांगजनों के लिए बनाए गए योजनाओं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग करेंगे।

(झ) दिव्यांगजनों के लाभार्थ केंद्र सरकार द्वारा संवितरित निधियों के प्रयोग की मॉनिटरिंग करेंगे तथा केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए ऐसे अन्य क्रियाकलापों का निष्पादन करेंगे।

(ii) मुख्य आयुक्त इस अधिनियम के तहत अपने क्रियाकलापों के निष्पादन के दौरान किसी भी मामले पर आयुक्तों से परामर्श करेंगे।

(iii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी) की धारा 77 के अनुसार, इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन के उद्देश्य से मुख्य आयुक्त की शक्तियां सिविल न्यायालय के समान हैं, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में मुकदमें की सुनवाई करते हुए सिविल प्रक्रिया –विधि संहिता, 1908 के तहत किसी एक न्यायालय में निहित होती हैं, नामतः

(क) गवाहों को बुलाना और उपस्थित होने के लिए उन्हें बाध्य करना;

(ख) किसी भी दस्तावेज का पता लगाना तथा समक्ष रखने को कहना

(ग) किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या प्रतिलिपि को मांगना

(घ) शपथ पत्र पर सबूत प्राप्त करना; और

(ड.) गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए अधिकार–पत्र (कमीशन) जारी करना।

(iv) मुख्य आयुक्त के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही, भारतीय दंड संहिता की धारा 193 तथा 228 के अधीन एक न्यायिक कार्यवाही होगी तथा मुख्य आयुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 और अध्याय XXVI के उद्देश्य के लिए एक सिविल न्यायलय के रूप में माना जाएगा।

5.2.3 राष्ट्रीय समीक्षा बैठक :

आयुक्तों के कार्य के समन्वयन और दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के उद्देश्य से, सीसीपीडी कार्यालय प्रतिवर्ष राज्य आयुक्तों की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक आयोजित करता है। राज्य आयुक्त अपने कार्य और उनके द्वारा की गई पहलों और वर्ष के दौरान दिव्यांगता के क्षेत्र में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के दिव्यांगजन आयुक्तों की 18वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक 29 और 30 नवंबर, 2023 को डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित की गई थी। दो दिवसीय बैठक का उद्घाटन और अध्यक्षता डीईपीडब्ल्यूडी के सचिव, श्री राजेश अग्रवाल ने की, जिनके पास सीसीपीडी का अतिरिक्त प्रभार था। डॉ. शरणजीत कौर, अध्यक्ष, भारतीय पुनर्वास परिषद, श्री के.आर. वैधीश्वरन, संयुक्त सचिव और सीईओ, राष्ट्रीय न्यास, श्री राजेश यादव, संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी भी उद्घाटन सत्र के दौरान उपस्थित थे और प्रतिभागियों को संबोधित किया। 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के दिव्यांगजन आयुक्त या उनके प्रतिनिधिगण, रेल मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, शिक्षा मंत्रालय, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी दो दिवसीय समीक्षा बैठक में भाग लिया।

5.2.4 सार्वजनिक भवनों/स्थानों का एक्सेस ऑडिटः सीसीपीडी के कार्यालय ने सार्वजनिक स्थानों जैसे सरकारी कार्यालय भवनों, अस्पतालों, स्टेडियमों, बाजार स्थानों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, बस स्टॉप, धार्मिक स्थानों आदि में उनकी सुगम्यता हेतु ऑडिट करने की पहल की और यह सुनिश्चित किया कि दिए गए समय सीमा के भीतर आवश्यक संशोधन किए जाएं। 31.01.2024 को जेएनयू का सुगम्य लेखा परीक्षा किया गया।

5.2.5 इस अधिनियम के प्रावधानों और दिव्यांगजनों से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग करनाः वर्ष 2023–2024 के दौरान निम्नलिखित 6 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं, नामतः

i. पश्चिम बंगाल, 10–12/08/2023,

ii. दादर और नगर हवेली, 16–18/08/2023,

iii. कर्नाटक, 22–24/08/2023,

iv. सिक्किम, 26–29/08/2023,

v. लेह–लद्दाख, 19–22/09/2023,

vi. केरल, 24–27/01/2024

5.2.6 आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन पर जागरूकता कार्यशालाएंः वित्तीय वर्ष के दौरान मुख्य आयुक्त कार्यालय ने आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन पर निम्नलिखित 03 संवेदीकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया थाः

i) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 21 के तहत 25 मई, 2023 को नई दिल्ली में समान अवसर नीति के पंजीकरण पर एक दिवसीय कार्यशाला।

ii) 15 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत सरकारी संगठनों/पीएसयू/बैंकों/प्रतिष्ठानों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर एक दिवसीय कार्यशाला।

iii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत नई दिल्ली में 3 नवंबर 2023 को सरकारी संगठनों/पीएसयू/बैंकों/प्रतिष्ठानों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर प्रशिक्षण–सह जागरूकता विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला।

5.2.7 शिकायतों का निवारण : सितंबर, 1998 में अपनी स्थापना के बाद से, सीसीपीडी के कार्यालय में कुल 41054 मामले दर्ज किए गए हैं और मार्च 2024 के अंत तक 40094 मामलों का निपटारा किया गया था। वित्त वर्ष 2023-2024 के दौरान, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2023 तक 912 मामले दर्ज किए गए और पिछले वर्ष के बैकलॉग सहित 438 मामलों का निपटारा किया गया। उपरोक्त मामलों में मुख्य आयुक्त/आयुक्त की सिफारिश को मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन के कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

5.2.8 शिकायतों की वर्चुअल सुनवाई : कोविड 19 के कारण, शिकायतकर्ता और प्रतिवादी का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना संभव नहीं था। इसलिए सीसीपीडी कार्यालय जून 2020 से वेबेक्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन हियरिंग का आयोजन कर रहा है। हालाँकि, फरवरी 2024 से मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन के कार्यालय ने हाइब्रिड मोड पर स्विच कर दिया।

5.2.9 ऑनलाइन केस प्रबंधन पोर्टल सीसीपीडी कार्यालय के पास शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा और शिकायत का वास्तविक समय स्टेशन जानने के लिए एक ऑनलाइन केस प्रबंधन पोर्टल है। (www.ccpdcourt.gov.in)

5.2.10 आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 40 के तहत दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं की पहुंच और प्रावधान के मानकों के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देश

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 40 के अनुसार, केंद्र सरकार, मुख्य आयुक्त के परामर्श से, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहुंच के मानकों को निर्धारित करते हुए नियम बनाएगी। आरपीडब्ल्यूडी नियम 2017 के नियम 16 में कहा गया है कि केंद्र सरकार नवीनतम वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधार पर अधिसूचित पहुंच मानकों की समय–समय पर समीक्षा करेगी। इस संबंध में परामर्श हेतु विशेषज्ञों के सुझावों को शामिल करने और विचार और अधिसूचना के लिए डीईपीडब्ल्यूडी को दिशानिर्देश भेजने के लिए सभी 23 मंत्रालयों/विभागों का परामर्श पूरा कर लिया गया है और संबंधित मंत्रालयों/विभागों को दे दिया गया है।

5.2.11 आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 21 के तहत समान अवसर नीति का निर्माण:

क) धारा 21(1) के अनुसार प्रत्येक प्रतिष्ठान को आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में प्रस्तावित उपायों का विवरण देते हुए "समान अवसर नीति" अधिसूचित करनी होगी।

ख) 160 संगठनों से समान अवसर नीति प्राप्त हुई है।

ग) 160 समान अवसर नीतियों में से, अब तक 14 समान अवसर नीतियां आरपीडब्ल्यूडी नियमावली, 2017 के नियम 8 के अनुसार उचित रूप में पाई गईं थी और इस कार्यालय में पंजीकृत थीं।

5.3 ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक मंदता और बहु दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास:

5.3.1 परिचय:

राष्ट्रीय न्यास संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित एक स्वायत्त निकाय है जिसका नाम है "ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999"

राष्ट्रीय न्यास के उद्देश्य इस प्रकार हैं –

(i) दिव्यांगजनों को स्वतंत्रतापूर्वक और यथा संभव पूरी तरह से अपने समुदाय के अंदर और यथा निकट जीवन यापन करने में समर्थ और सशक्त बनाना;

(ii) दिव्यांगजनों को अपने स्वयं के परिवार में ही रहने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सुविधाओं को सुदृढ करना;

(iii) दिव्यांगजनों के परिवार में संकट की अवधि के दौरान आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करने में पंजीकृत संगठनों को सहायता देना;

(iv) दिव्यांगजन, जिन्हें परिवार की सहायता प्राप्त नहीं है, की समस्याओं का हल ढूंढना;

(v) दिव्यांगजनों के माता–पिता अथवा संरक्षकों की मृत्यु होने पर उनकी देखभाल और संरक्षण के उपायों का संवर्द्धन करना;

(vi) जिन दिव्यांगजनों को संरक्षकों और न्यासियों की जरुरत है, उनके लिए इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया विकसित करना;

(vii) दिव्यांगजनों के लिए समान अवसरों, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी की प्राप्ति को सुगम करना; और

(viii) ऐसा कोई अन्य कार्यकरण जो पूर्वोक्त उद्देश्यों के आनुषंगिक हो।

राष्ट्रीय न्यास की स्थापना दो बुनियादी कर्तव्यों–कानूनी और कल्याण के निर्वहन के लिए की गई है। स्थानीय स्तर की समितियों (एलएलसी) के माध्यम से कानूनी संरक्षकता प्रदान करने के लिए कानूनी कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है। योजनाओं के माध्यम से कल्याण कर्त्तव्य का निर्वहन किया जाता है। राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों में अन्य बातों के साथ–साथ प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम और आश्रय, देखभाल और सशक्तिकरण शामिल हैं। अधिनियम के अंतर्गत कवर किए गए दिव्यांगजनों के समान अवसरों, अधिकारों की सुरक्षा और पूरी भागीदारी के लिए राष्ट्रीय न्यास प्रतिबद्ध है।

5.3.2 संगठनों का पंजीकरण

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 12 (1) के अनुसार कोई भी स्वैच्छिक संगठन दिव्यांगजनों के अभिभावक संघ दिव्यांगजन संघ जो ऑटिसम, प्रमस्तिष्क घात, **बौद्धिक मंदता** तथा बहुत दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) या कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 25 या पब्लिक चौरिटेबल ट्रस्ट अधिनियम के अधीन और निःशक्तजन अधिनियम 1995 या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत संबंधित राज्य में पहले से ही पंजीकृत किए गए हैं वे राष्ट्रीय न्यास में फॉर्म ई, (ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म को भरने पर ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त) उचित रूप से मोहर लगाकर संगठन के मुखिया से हस्ताक्षर कराकर ऑनलाइन फॉर्म भरने के माध्यम से पंजीकरण हेतु आवेदन दे सकते हैं। न्यास की योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए न्यास के साथ ऐसे संगठनों का पंजीकरण आवश्यक है। गैर सरकारी संगठनों के पंजीकरण की वैधता 5 वर्ष है। पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए, गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को पंजीकरण की समाप्ति से 6 महीने पहले आवेदन करना होगा।

राष्ट्रीय न्यास के पंजीकृत संगठनों की कुल संख्या 612 है। 01.04.2023 से 31.03.2024 तक पंजीकृत एनजीओ की संख्या 128 है। आरओ की सूची राज्यवार और जिलेवार राष्ट्रीय न्यास वेबसाइट (www.thenationaltrust.gov.in) पर देखी जा सकती है।

5.3.3 राष्ट्रीय न्यास की प्रमुख गतिविधियां निम्नलिखित हैं –

(i) स्थानीय स्तरीय समिति (एलएलसी)

स्थानीय स्तरीय समिति का कार्य कानूनी अभिभावकों की स्क्रीनिंग, नियुक्ति, निगरानी है। एलएलसी जागरूकता सृजन, अभिसरण और दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में लाने जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा देते हैं। राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 की धारा 13 के तहत, देश के प्रत्येक जिले में तीन साल की अवधि के लिए या

बोर्ड द्वारा निम्नलिखित सदस्यों से इसका पुनर्गठन होने तक एक स्थानीय स्तर की समिति का गठन करना आवश्यक है–

- संघ या राज्य की सिविल सेवा का एक अधिकारी जो जिला मजिस्ट्रेट या किसी जिले के जिला आयुक्त के पद से नीचे न हो
- राष्ट्रीय ट्रस्ट के साथ पंजीकृत संगठन का एक प्रतिनिधिय, और
- विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खंड (टी) में परिभाषित दिव्यांग व्यक्ति

देश के सभी जिलों को कवर करते हुए एलएलसी के अध्यक्ष डीसी/डीएम सहित 754 एलएलसी का गठन किया गया है।

(ii) कानूनी संरक्षकों की नियुक्ति

क) राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 14–17 में स्थानीय स्तर की समिति द्वारा ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगजनों के लिए दी जाने वाली संरक्षकता के बारे में विस्तार से बताया गया है। संरक्षकता एक आवश्यकता आधारित सक्षम प्रावधान है।

ख) एक संरक्षक वह व्यक्ति होता है, जिसे किसी अन्य व्यक्ति या उसकी संपत्ति की देखभाल के लिए नियुक्त किया जाता है। वह उस व्यक्ति की देखभाल और सुरक्षा का जिम्मा लेता है जिसके लिए उसे संरक्षक नियुक्त किया जाता है। संरक्षक व्यक्ति की ओर से तथा उसके प्रतिपाल्य (वार्ड) संपत्ति के संबंध में सभी कानूनी निर्णय लेता है।

ग) ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता और बहु दिव्यांगता वाले व्यक्ति एक विशेष स्थिति में हैं क्योंकि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी, वे अपने स्वयं के जीवन का प्रबंधन करने या अपनी बेहतरी के लिए कानूनी निर्णय लेने में हमेशा सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसलिए उन्हें किसी को अपने पूरे जीवन में कानूनी क्षेत्रों में अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि, सेरेब्रल पाल्सी और बहु दिव्यांगता के मामलों में, सक्षम तंत्र और / या वैज्ञानिक सुविधाओं की उपलब्धता के कारण केवल सीमित संरक्षण की आवश्यकता हो सकती है, जो ऐसे व्यक्तियों को आत्मनिर्भरता की अलग–अलग श्रेणी (डिग्री) के साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है।

घ) राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 14 के तहत, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली स्थानीय स्तर की समिति को नियम 16 (1) के तहत फॉर्म ए में आवेदन प्राप्त करने और ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु–दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए नियम 16 (2) के तहत फॉर्म बी में अभिभावकों की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है। यह उनकी संपत्तियों सहित उनके हितों की मॉनीटरिंग और रक्षा के लिए तंत्र भी प्रदान करता है।

वर्ष 2016 से पहले ऑफलाइन मोड में 30304 संरक्षको को नियत किया गया था। इसके बाद, नई योजना प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) के माध्यम से, 38769 संरक्षकों को नियत किया गया है, यानी 31.03.2023 तक कुल 69073 संरक्षकों को नियत किया गया है, जिसमें 01.04.2023 से 31.03.2024 तक स्वीकृत 7192 कानूनी संरक्षकर्त्ता आवेदन शामिल हैं।

(iii) राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी)

प्रत्येक राज्य/यूटी सरकार से राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग के लिए एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) गठित करने का अनुरोध किया गया है। दिव्यांगता को देखने वाले राज्य सरकार के प्रधान सचिव समिति के अध्यक्ष होते हैं और संबंधित एसएनएसी (अभी गठन के प्रक्रियाधीन) समिति का संयोजक होता है। एसएलसीसी की संरचना निम्नानुसार है:–

सचिव, समाज कल्याण.....अध्यक्ष

आयुक्त (दिव्यांगता).....उपाध्यक्ष

निदेशक, समाज कल्याण.....सदस्य

राज्य नोडल एजेंसी केंद्र.....सदस्य सचिव

1 एलएलसी एनजीओ सदस्य.....सदस्य (प्रत्येक 10 जिलों से)

5.3.4 योजनाओं की विशेषताएं और वर्ष 2023–24 के दौरान योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाएं इस प्रकार हैं–

(i) दिशा (0–10 वर्ष की आयु वालों के लिए प्रारम्भिक उपाय और स्कूल की तैयारी की योजना)

यह राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत शामिल की गई चार दिव्यांगताओं वाले 0–10 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए एक प्रारंभिक उपाय और विद्यालय की तैयारी की योजना है और इसका उद्देश्य उपचारों, प्रशिक्षणों के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए प्रारंभिक उपाय करने हेतु दिशा केन्द्रों की स्थापना करना और उनके परिवार के सदस्यों को सहायता प्रदान करना है। पंजीकृत संगठनों को दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) को एक दिन में (प्रातः 8 बजे और सायंकाल 6 बजे के बीच) न्यूनतम 4 घंटों के लिए आयु विशिष्ट गतिविधियों सहित दिवसीय देख–भाल की सुविधाएं दी जानी चाहिए। इसमें दिव्यांगजनों के लिए केन्द्र में देखभाल प्रदाता और आया सहित विशेष अनुदेशक अथवा प्रारम्भिक उपाय थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और परामर्शदाता होने चाहिए।

यह योजना वर्ष 2015–16 में शुरू की गई थी। पिछले 9 वर्षों के दौरान, इस योजना के तहत Rs. 17.36 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है, जिससे हर साल लगभग 660 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। इसमें 01.04. 2023 से 31.03.2024 तक 22 दिशा केंद्रों के माध्यम से लाभ प्राप्त करने वाले 440 दिव्यांगजनों के लिए Rs.1.99 करोड़ रुपये जारी करना शामिल है।

(ii) विकास (10 + वर्षीय के लिए दिवस देखभाल योजना)

यह 10 वर्ष और उससे ऊपर के आयु वाले दिव्यांगजनों के लिए दिवस देखभाल योजना है, जिसे वर्ष 2015–16 में शुरू किया गया था, मुख्य रूप से अन्तर्वैयक्तिक और व्यावसायिक कौशलों को बढाने हेतु यह दिवस देखभाल योजना है क्योंकि वे उच्चतर आयु वर्गों में आगे (संक्रमण काल में) जाने की स्थिति में होते हैं। जिस समय के दौरान दिव्यांगजन विकास केन्द्र में होंगे, केन्द्र उन्हें दिवस–देखभाल सहायता भी प्रदान करेगा। इसके अलावा, यह राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजनों के परिवार के सदस्यों को उनकी अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए दिन के दौरान कुछ समय प्रदान करने के लिए सहायता करता है। पंजीकृत संगठनों को दिव्यांगजनों को एक दिन में (प्रातः 8 बजे और सायंकाल 6 बजे के बीच में) न्यूनतम 6 घंटों के लिए आयु विशिष्ट गतिविधियों सहित दिवसीय–देखभाल की सुविधा दी जानी चाहिए। दिवसीय देखभाल केन्द्र एक माह में न्यूनतम 21 दिनों के लिए खुला रहना चाहिए।

यह योजना वर्ष 2015–16 में शुरू की गई थी। पिछले 9 वर्षों के दौरान, इस योजना के तहत Rs. 30.53 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है, जिससे हर वर्ष लगभग 1020 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। इसमें 01.04.2023 से 31.03.2024 तक 31 विकास केंद्रों के माध्यम से लाभ प्राप्त करने वाले 930 दिव्यांगजनों के लिए 3.61 करोड़ रुपये जारी करना शामिल है।

(iii) दिशा–सह विकास योजना (डे केयर): पंजीकृत संगठनों के लिए, जो कई योजनाओं को लागू कर रहे थे, विलय योजना को लागू करने के लिए एक विकल्प दिया गया था। **दिशा–सह विकास योजना (डे केयर): का संचालन 01.04.2018 से किया जा रहा है।**

पिछले 6 वर्षों के दौरान, इस योजना के तहत 32.00 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है, जिससे हर साल लगभग 1350 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। इसमें 01.04.2023 से 31.03.2024 तक 39 दिशा–सह–विकास केंद्रों के माध्यम से लाभ प्राप्त करने वाले 1170 दिव्यांगजनों के लिए 6.06 करोड़ रुपये जारी करना शामिल है।

(iv) समर्थ (राहत रेस्पाइट देखभाल योजना) : समर्थ योजना का उद्देश्य अनाथों या परित्यक्तों, संकट में फँसे परिवारों तथा साथ ही राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अन्तर्गत शामिल की गई चार दिव्यांगताओं में से कम से कम एक दिव्यांगता वाले निराश्रितों समेत गरीबी रेखा से नीचे के एंव निम्न आय वर्ग के परिवारों से संबंधित दिव्यांगों को राहत (रेस्पाईट) गृह प्रदान करना है। यह परिवार के सदस्यों के लिए भी अवसरों के सृजन का उद्देश्य रखती है ताकि उन्हें अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए राहत समय मिल सके। इस योजना के तहत सभी आयु वर्गों के लिए, व्यावसायिक चिकित्सकों द्वारा मूलभूत चिकित्सा देखभाल के उपबंध समेत स्वीकार्य जीवन स्तरों के साथ पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण देखभाल सेवा वाली सामूहिक गृह सुविधा प्रदान करने हेतु समर्थ केन्द्रों की स्थापना की जाती है।

यह योजना वर्ष 2015–16 में शुरू की गई थी। पिछले 9 वर्षों के दौरान, इस योजना के तहत 14.39 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है, जिससे हर वर्ष लगभग 390 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। इसमें 01.04.2023 से 31.03.2024 तक 11 समर्थ केंद्रों के माध्यम से लाभ प्राप्त करने वाले 445 दिव्यांगजनों के लिए 1.85 करोड़ रुपये जारी करना शामिल है।

(v) घरौंदा (वयस्कों के लिए सामूहिक गृह): 2015–16 में शुरू की गई घरौंदा योजना का उद्देश्य स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों को एक सुनिश्चित गृह और जीवनभर न्यूनतम देखभाल सेवाओं की गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं प्रदान करना है। योजना देशभर में सुनिश्चित गृह व्यवस्था के लिए आधारभूत संरचना की स्थापना करने के लिए भी सुविधाएं प्रदान करती है, स्वतंत्र और गौरवपूर्ण सहायता प्राप्त रहन–सहन को प्रोत्साहित करती है तथा चिरस्थायी आधार पर देख–भाल सेवाएं उपलब्ध कराती है।

यह योजना वर्ष 2015–16 में शुरू की गई थी। पिछले 9 वर्षों के दौरान, इस योजना के तहत 26.12 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है, जिससे हर वर्ष लगभग 480 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। इसमें 01–04–2023 से 31.03.2024 तक 22 घरौंदा केंद्रों के माध्यम से लाभ प्राप्त करने वाले 400 दिव्यांगजनों के लिए Rs. 4.08 करोड़ रुपये जारी करना शामिल है।

(vi) समर्थ सह घरौंदा योजना (आवासीय) देखभाल: पंजीकृत संगठनों के लिए, जो कई योजनाओं को लागू कर रहे थे, विलय योजना को लागू करने के लिए एक विकल्प दिया गया था। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दी गई सहमति और योजना की दिशानिर्देशों के आधार पर, 12 क्षेत्रीय कार्यालयों को 01.04.2018 से विलय की गई समर्थ–सह घरौंदा योजना (आवासीय) आवंटित की गई थी।

पिछले 6 वर्षों के दौरान, इस योजना के तहत 14.38 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है, जिससे हर वर्ष लगभग 390 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। इसमें 01.04.2023 से 31.03.2024 तक 12 समर्थ–सह–घरौंदा केंद्रों के माध्यम से लाभ प्राप्त करने वाले 346 दिव्यांगजनों के लिए 3.55 करोड़ रुपये जारी करना शामिल है।

(vii) 'निरामय' स्वास्थ्य बीमा योजनाः

राष्ट्रीय न्यास ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता और बहु–दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत, 1 लाख रुपये का बीमा कवर है, जिसमें ओपीडी, डायग्नोस्टिक टेस्ट, थेरेपी, सुधारात्मक सर्जरी, वैकल्पिक चिकित्सा और परिवहन शामिल हैं। इस योजना के तहत नामांकन हेतु कोई आयु सीमा नहीं है और उपचार किसी भी प्राधिकृत चिकित्सक/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र से लिया जा सकता है। यह प्रतिपूर्ति के आधार पर है। यह योजना पूरे देश में **612 से अधिक पंजीकृत संगठनों** के माध्यम से चल रही है जो ऑनलाइन आवेदन भरने में दिव्यांगजनों को सुविधा प्रदान करते हैं। उपर्युक्त शर्त वाला कोई भी व्यक्ति नाममात्र शुल्क का भुगतान करके लाभ प्राप्त कर सकता है। उन दिव्यांगजनों के लिए नामांकन/नवीनीकरण शुल्क नहीं लिया जाता है जिनके पास प्राकृतिक माता–पिता के स्थान पर कानूनी अभिभावक हैं।

नीति वर्ष 2023–24 से राष्ट्रीय न्यास के पंजीकृत संगठनों के अलावा, डीईपीडब्ल्यूडी के तहत राष्ट्रीय संस्थानों और राष्ट्रीय संस्थानों के तहत समेकित क्षेत्रीय केंद्रों (सीआरसी) और व्यक्तिगत लाभार्थियों और उनके देखभाल करने वालों के लिए भी पहुंच को बढ़ाते हुए योजना के तहत नामांकन/नवीनीकरण करने की अनुमति दी गई है। वर्ष 2023–24 से लाभार्थी यूडीआईडी कार्ड नंबर या यूडीआईडी नामांकन नंबर (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ) देने के बाद सीधे राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट के माध्यम से अपना नामांकन कर सकते हैं।

वर्ष 2023–24 के दौरान कुल 87,746 दिव्यांगजनों का नामांकन किया गया। वर्ष के दौरान व्यय 1.4.2023 से 31.3.2024 तक रु.13.86 करोड़ था। वर्तमान में यह योजना मेसर्स ओरिनेटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है।

टिप्पणी– 01.04.2023 से यूडीआईडी (पीडब्ल्यूडी प्रमाणपत्र के साथ) के तहत निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना, डे केयर और आवासीय देखभाल योजनाओं के लाभार्थियों को विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) कार्ड/नामांकन संख्या के साथ लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है।

5.3.5 राष्ट्रीय न्यास की अन्य गतिविधियाँः

(i) विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस प्रति वर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है एवं इस अवसर पर बैठक/संगोष्ठी/कार्यशाला आयोजित जाती हैं। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, राष्ट्रीय न्यास ने 30 मई 2023 को राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी), द्वारका, नई दिल्ली में 'ऑटिज्म कॉन्क्लेव' का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न विशेषज्ञों, पेशेवरों, रोल मॉडल और ऑटिज्म ग्रस्त व्यक्तियों के माता–पिता ने भाग लिया। इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव, श्री राजेश अग्रवाल ने किया और एम्स, दिल्ली के बाल न्यूरोलॉजी विभाग की प्रमुख डॉ. शेफाली गुलाटी, डॉ. नीमेश देसाई, वरिष्ठ सलाहकार मनोचिकित्सक और आईबीएचएएस, दिल्ली की पूर्व प्रमुख, सुश्री मेरी बरुआ, एक्शन फॉर ऑटिज्म आदि ने भाग लिया।

30 मई, 2023 को ऑटिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी और अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास की अध्यक्षता में किया गया

(ii) आजादी का अमृत महोत्सव (एकम) के तहत बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के रोजगार/स्वरोजगार पर बैठक – भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) मनाने के हिस्से के रूप में, नेशनल ट्रस्ट ने समावेशी विकास थीम के 5 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की, अर्थात– प्रारंभिक हस्तक्षेप, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) कार्ड दिव्यांगता प्रमाण पत्र, कौशल विकास/ व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार/स्वरोजगार और सरकारी। योजनाएं/गतिविधियाँ।

राष्ट्रीय न्यास ने 16.06.2023 को आजादी का अमृत महोत्सव (एकम) के तहत बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के रोजगार/ स्वरोजगार पर वर्चुअल बैठक का आयोजन किया। बैठक में इंडियन एकेडमी ऑफ सेरेब्रल पाल्सी के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन; वाराणसी के देवा इंटरनेशनल से डॉ. तुलसी; मुस्कान – दिल्ली से सुश्री सीमा चड्ढा शामिल थे। बैठक के दौरान, राष्ट्रीय न्यास के पंजीकृत संगठन मुस्कान, दिल्ली ने बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के रोजगार/स्वरोजगार सृजन के लिए 3 मॉडल प्रस्तुत किए। इसके अलावा, बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के लिए रोजगार/ स्वरोजगार में विभिन्न अवसरों को अन्य संसाधन व्यक्तियों द्वारा साझा किया गया था। इस बैठक में राष्ट्रीय न्यास के बोर्ड सदस्यों, पंजीकृत संगठनों (आरओ) और उनके माता–पिता ने भाग लिया।

(iii) स्वच्छ भारत मिशन के 9 वर्ष पूरे होने का महोत्सव – राष्ट्रीय न्यास ने 15 सितंबर, 2023 से 2 अक्टूबर, 2023 तक स्वच्छ भारत मिशन मनाया। इस आयोजन का विषय 'कचरा मुक्त भारत' है। स्वच्छता विषय से संबंधित जमीनी गतिविधियों पर राष्ट्रीय न्यास के अधिकारियों ने शपथ ली। स्वच्छ भारत अभियान – अभियान

का संचालन राष्ट्रीय न्यास द्वारा हैंडिकैप्ड चिल्ड्रन्स पैरेंट्स एसोसिएशन (एचसीपीए), सेक्टर–5, द्वारका में भी किया गया, जो राष्ट्रीय न्यास का पंजीकृत संगठन है। राष्ट्रीय न्यास के सभी स्टॉफ सदस्यों ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया।

2 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय न्यास के पंजीकृत संगठन एचसीपीए में स्वच्छता अभियान कैम्पेन का आयोजन किया गया

(iv) विश्व प्रमस्तिष्क घात दिवस – राष्ट्रीय न्यास ने 6 अक्टूबर, 2023 को राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (एनआईएसडी), ऑडिटोरियम, द्वारका, नई दिल्ली में विश्व प्रमस्तिष्क घात दिवस पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। प्रमस्तिष्क घात से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए पैनल पर चर्चा की गई, अनुभव साझा किए गए तथा चुनौतियों, जरूरतों और सुविधाओं पर बातचीत की गई। कार्यशाला का आयोजन श्री राजेश अग्रवाल, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास की अध्यक्षता में किया गया था। कार्यशाला में भौतिक और वर्चुअल दोनों तरीकों से 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया जिसमें गैर–सरकारी संगठन, पेशेवर, उनके माता–पिता और प्रमस्तिष्क घात वाले व्यक्ति शामिल थे।

(v) वार्षिक आम सभा (एजीएम)– राष्ट्रीय न्यास की 23वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) का आयोजन श्री राजेश अग्रवाल, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी और अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास की अध्यक्षता में 4 नवंबर, 2023 को हाइब्रिड मोड में किया गया था। चर्चा के दौरान, विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए निरामय–स्वास्थ्य बीमा योजना पर मानक दिशानिर्देश तैयार करने, राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट पर आम जनता के लिए योजना केंद्रों में रिक्तियों और अन्य से संबंधित बोर्ड के सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों से विभिन्न सुझाव/विचार प्राप्त हुए। हितधारकों के सभी प्रश्नों का राष्ट्रीय न्यास के अधिकारियों द्वारा समाधान किया गया। प्रतिभागियों ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की और आश्वासन दिया कि वे इस क्षेत्र के हित में सभी तरीकों से अपना सहयोग देंगे।

(vi) स्वयं–सहायता पर मेंटर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम – राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजनों के लिए स्वयं–सहायता पर मेंटर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में तथा स्वयं–सहायता (दिव्यांगजन) और उनके परिवारों के मन में दृष्टिकोण (सोच) को बदलना है।

संभव की एक प्रदर्शनी की झलकः समावेशन को संभव बनाना (सेरेब्रल पाल्सी वाले व्यक्तियों के लिए सहायक उपकरण)

दिव्यांगजनों, माता–पिता और पेशेवरों सहित जीवन– काल दृष्टिकोण पर पैनल चर्चा

राष्ट्रीय न्यास ने देश में इस कार्यक्रम के संचालन के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से प्रत्येक में 15 मेंटर्स (पेशेवर/माता–पिता) और 15 स्वयं सहायता (दिव्यांगजन) व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाता है। अब तक 18 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय न्यास के आवासीय योजना केन्द्रों नामतः – घरौंदा और समर्थ–सह–घरौंदा में संचालित किए जा रहे हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है–

प्रशिक्षण कार्यक्रम की संख्या	अंचल का नाम	जिला	राज्य	आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम की तिथि
पहला	पुनर्वास सेवा अनुसंधान केंद्र (सीआरएसआर)	भद्रक	ओडिशा	20,21 और 22, जुलाई, 2023
दूसरा	उन्नायक सेवा समिति	रायगढ़	छत्तीसगढ़	22, 23, और 24, जुलाई, 2023
तीसरा	सेंट जूड्स फॉर मेंटली चैलेंज्ड ए यूनिट ऑफ एकमवेल ऑर्थोपीडिक सेंटर	सेलम	तमिलनाडु	24 और 25 अगस्त, 2023
चौथा	संवेदना सेरेब्रल पाल्सी विकास केंद्र, आरएसएस जनकल्याण समिति द्वारा संचालित	लातूर	महाराष्ट्र	9 और 10 सितंबर, 2023
पांचवां	स्वामी विवेकानंद शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति	संत कबीर नगर	उत्तर प्रदेश	28 और 29 अक्टूबर, 2023
छटा	निःशक्त जन आधार वेलफेयर सोसाइटी	इंदौर	मध्य प्रदेश	16 और 17 अक्टूबर, 2023
सातवां	उमा एजुकेशनल एंड टेक्निकल सोसाइटी	गोदावरी पूर्व	आंध्र प्रदेश	28 और 29 अक्टूबर, 2023
आठवां	रामपुरहाट स्पास्टिक एण्ड हैंडीकैप्ड सोसाइटी	बीरभूम	पश्चिम बंगाल	04 और 05 नवंबर, 2023
नौवां	महिला बाल विकास ग्रामाद्योग शिक्षा समिति	भरतपुर,	राजस्थान	27 और 28 नवंबर, 2023
दसवां	इंटीग्रेटेड रीहैबिलिटेशन एंड डिवलेपमेंट सेंटर –आईआरडीसी	पुडुचेरी	पुडुचेरी	1 और 2 दिसंबर, 2023

ग्यारहवां	डॉ.ब्रज विहारी मोहंती मेमोरियल मेंटली रिटार्टेड बेनिफिट ट्रस्ट	कटक	ओडिशा	10 और 11 दिसंबर, 23
बारहवां	दीपशिखा, इंस्टिट्यूट ऑर चाइल्ड डिवलेपमेंट एंड मेंटर हेल्थ (ए यूनिट ऑफ पुरश्री)	रांची	झारखंड	11 और 12 दिसम्बर, 23
तेरहवां	नवोदित ग्राम उत्थान महिला एवं बाल विकास समिति	होशंगाबाद	मध्य प्रदेश	16 और 17 जनवरी 2024
चौदहवां	श्री श्री जदीमहल यूथ क्लब	बालासोर	ओडिशा	19 और 20 जनवरी 2024
पन्द्रहवां	शांति मैत्री ग्रामीण विकास संस्थान	धमतरी	छत्तीसगढ	20 और 21 जनवरी फरवरी 2024
सोलहवां	संचित विकास संस्थान	बस्ती	उत्तर प्रदेश।	15 और 16 फरवरी 2024
सतरहवां	ग्रामीण प्रगति संस्थान	अमेठी	उत्तर प्रदेश।	18 और 19 फरवरी 2024
अठारहवां	कैलाशी महिला विकास समिति	आजमगढ़	उत्तर प्रदेश।	21 और 22 फरवरी 2024

देश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित मेंटार्स प्रशिक्षण कार्यक्रम

अध्याय 6
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई)

6.1 भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को)

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), अनुसूची "ग" लघुरत्न श्रेणी–II वाली केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अनुरूप), के अन्तर्गत पंजीकृत है। यह दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य कर रहा है। यह भारत सरकार का 100 प्रतिशत स्वामित्व वाला केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पुनर्वास, सहायक यंत्रों का निर्माण करके और उनके लिए कृत्रिम अंगों और पुनर्वास सहायक यंत्रों की उपलब्धता, उपयोग, आपूर्ति और वितरण को बढ़ावा, प्रोत्साहन देने और विकसित करने के माध्यम से दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को यथासंभव लाभान्वित करना है। निगम का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है बल्कि इसका मुख्य जोर उचित कीमत पर दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों की एक बड़ी संख्या को सहायक यंत्रों और उपकरणों को उपलब्ध कराने पर है। संस्थान ने 1976 में कृत्रिम अंग का निर्माण करना शुरू किया। वर्तमान में इसके छः सहायक उत्पादन केंद्र (एएपीसीएस) हैं जो भुवनेश्वर (उडीसा), जबलपुर (म. प्र.), बंगलुरू (कर्नाटक), मोहाली (पंजाब), उज्जैन (म.प्र.) और फरीदाबाद (हरियाणा) में हैं। एक और एएपीसी फरीदाबाद में स्थापित किया जा रहा है। निगम के पांच विपणन केंद्र हैं जो नई दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, हैदराबाद और गुवाहाटी में हैं।

6.1.2 उद्देश्य

देश के दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और अन्य पुनर्वास उपकरणों के संवर्धन, प्रोत्साहन तथा उपलब्धता बढाने, प्रयोग, आपूर्ति तथा वितरण द्वारा दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास उपकरणों के निर्माण द्वारा उन्हें अधिकतम लाभान्वित करना है। निगम का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है और इसका मुख्य जोर उचित मूल्य पर बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों को बेहतर गुणवत्ता वाले सहायक यंत्र एवं उपकरण उपलब्ध कराना है।

6.1.3 वित्तीय विशिष्टताएं

वित्त वर्ष 2023–24 (31.03.2024 तक) के दौरान निगम ने पिछले वर्ष 2022–23 में 458.67 करोड़ के कारोबार की तुलना में 627 करोड़ रुपये (अनंतिम) का कारोबार किया है। इस प्रकार 2022–23 में 343.45 करोड़ रुपये की उत्पादन मूल्य की तुलना में 458.62 करोड़ रुपये (अनंतिम 01.04.2023 से 31.03.2024) उत्पादन मूल्य दर्ज किया गया है।

6.1.4 निगम के वास्तविक प्रदर्शन को दर्शाने वाले मात्रात्मक आंकड़े

क्र. स.	वास्तविक निष्पादन (महत्वपूर्ण उत्पाद का वास्तविक निष्पादन)	उत्पादन (संख्या में)		विक्रय (संख्या में)	
		2022-23	2023.24 (31.03.2024 की स्थिति के अनुसार अनंतिम आंकड़े)	2022-23	2023.24 (31.03.2024 की स्थिति के अनुसार अनंतिम आंकड़े)
1	ट्राईसाइकिल	86965	130777	86165	130730
2	व्हील चेयर	144843	190869	133418	141422
3	बैसाखियां	86730	102870	88748	102453
4	श्रवण यंत्र	161498	192503	140379	165450

(करोड़ रूपये में)

विवरण	2023–24 के विक्रय आंकड़े (31.03.2024 तक के अनंतिम आँकड़े)	2022–23 की विक्रय
जीआईए से जुटाए गए संसाधन	418.90	302.03
जीआईए के अलावा जुटाए गए संसाधन	212.61	179.89
कुल	631.51	481.92

6.1.5 एडिप शिविर

निगम ने 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करने वाले 723 शिविरों के माध्यम से एडिप योजना के तहत वित्त वर्ष 2023–24 में 195748 लाभार्थियों (31.03.2024 तक के अनंतिम आंकड़े) को उपकरण–वार कवर किया है। इसके अलावा, एडिप मुख्यालय (14757), एडिप आसरा (3454) और एडिप पीएमडीके (6887) के तहत 25098 लाभार्थियों को सेवा प्रदान की गई।

6.1.6 एडिप–सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) शिविर

एडिप–सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत, वित्त वर्ष 2023–24 (31.03.2024 तक के अनंतिम आंकड़े) में 873 शिविरों का आयोजन किया गया था, जिसमें 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए 01–12 के वर्ग समूह में विशेष आवश्यकताओं वाले 99216 बच्चों को सेवा प्रदान की गई थी।

6.1.7 राष्ट्रीय वयोश्री योजना

देश भर के विभिन्न जिलों/स्थानों पर राष्ट्रीय वयोश्री योजना के निष्पादन के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एलिम्को को एकमात्र कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान निगम ने देश भर के 84 जिलों में 84 वितरण शिविरों का आयोजन किया है, जिसमें निगम ने 53848 वरिष्ठ नागरिकों को 214156 सहायक यंत्र और उपकरण (31.03.2024 तक) अनंतिम वितरित किए थे।

6.1.8 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (विक्रय) के तहत गतिविधियां

एलिम्को अपनी सीएसआर परियोजनाओं के हिस्से के रूप में दिव्यांगजन को सशक्त बनाने में कई कंपनियों के लिए सीएसआर कार्यान्वयन भागीदार के रूप में भी काम कर रहा है। निगम ने पहल की है और दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों के आकलन और वितरण के लिए एलिम्को के माध्यम से अपने सीएसआर दायित्व को पूरा करने के लिए सभी लाभकारी सीपीएसयू से संपर्क करना शुरू कर दिया है। हमारे निगम ने भारत पेट्रोलियम, आरईसी लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एनएचपीसी लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, सेल, आईआरसीटीसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, बीएसईएस राजधानी लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, एनबीसीसी सर्विस लिमिटेड सहित कई सीपीएसयू के साथ सहयोग स्थापित किया है।

2023–24 मे निगम ने 115 सीएसआर शिविर आयोजित किए थे और 24574 लाभार्थियों को सहायक उपकरण वितरित किए (अनंतिम आंकड़ा 31.03.2024 तक)।

6.1.9 औद्योगिक संबंध

निगम में औद्योगिक संबंधों का परिदृश्य शांतिपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहा है। निगम सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करके परामर्शी दृष्टिकोण के माध्यम से अपने प्रबंधन में सहभागिता संस्कृति को प्रोत्साहित करना

जारी रखता है। किसी भी प्रकार की औद्योगिक संबंध समस्या के कारण निगम ने वर्ष के दौरान एक भी काम के घंटे का नुकसान नहीं किया है।

6.1.10 सहायक यंत्र एवं सहायक उपकरणों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एलिम्को द्वारा उठाए गए कदम

1. एलिम्को ने तीन आईएसओ प्रमाणन लागू किए हैं, अर्थात् ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 13485:2016.

   क) IS/ISO 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली लाइसेंस का पुनरू प्रमाणन ऑडिट जून 2023 के महीने में बीआईएस लेखा परीक्षकों द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था और इसके बाद अगले 03 वर्षों के लिए एलिम्को, कानपुर को क्यूएमएस प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है जो 26/07/2026 तक वैध है। इसके अलावा इसकी प्रभावशीलता को सत्यापित करने के लिए वार्षिक निगरानी ऑडिट क्यूएमएस भी सालाना आयोजित किए जाते हैं।

   ख) आईएसओ 13485:2016 चिकित्सा उपकरणों – गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों – विनियामक उद्देश्यों के लिए आवश्यकताओं का निगरानी ऑडिट मेसर्स यूआरएस ऑडिटर द्वारा नवंबर 2023 के महीने में किया गया था और लाइसेंस जारी रखने की सिफारिश की गई थी।

   ग) जनवरी 2024 के महीने में यूआरएस ऑडिटर द्वारा आईएसओ ISO 13485:2016 के तहत बीटीई हियरिंग एड के लिए एक विशेष ऑडिट किया गया था, बीटीई हियरिंग एड के लिए सर्टिफिकेट आईएसओ 13485:2016 एलिम्को को प्रदान किया गया है, जो 13/12/2024 तक वैध है।

2. यूरोपीय संघ के देशों और कुछ अन्य देशों के निर्यात बाजार का दोहन करने के लिए उत्पादों की सीई मार्किंग अनिवार्य है, तदनुसार एलिम्को ने व्हील चेयर (05 मॉडल अर्थात TD2A06 – बच्चों का आकार, TD2C51 – वयस्क आकार, TD2A09 – मध्यम आकार, TD2B36 – उबड़–खाबड़ इलाका, TD2B37 – सक्रिय फोल्डिंग व्हील चेयर) मेसर्स डिम्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नवंबर 2023 के महीने में सीई मार्किंग प्रमाणीकरण शुरू किया है। बीटीई हियरिंग एड्स पर सीई के अंकन के लिए सीई प्रमाणीकरण चल रहा है और जुलाई 2024 के महीने में प्राप्त किया जाएगा।

3. भारत सरकार ने अपने नियमों एमडीआर–2017 के तहत यह अनिवार्य कर दिया है कि देश में बेचे जाने वाले सभी चिकित्सा उपकरणों को विनियमित किया जाना चाहिए। तदनुसार, एलिम्को ने क्रमशः मई 2024 और जुलाई 2023 के महीने में उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन, यूपी सरकार से एमडीआर – 2017 के अनुसार बीटीई हियरिंग एड के लिए विनिर्माण लाइसेंस और अन्य चिकित्सा उपकरणों की बिक्री के लिए थोक लाइसेंस प्राप्त किया है। लाइसेंस जारी होने की तारीख से 5 साल के लिए वैध हैं।

4. भारतीय गुणवत्ता परिषद (भारत सरकार का एक निकाय), गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए तीसरे पक्ष की सहभागिताः

   सहायक यंत्र एवं सहायक उपकरणों की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए, निगम ने निरंतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दूसरे स्तर/चरण की गुणवत्ता जांच के लिए भारत सरकार की एक एजेंसी भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) को नियुक्त किया। भारतीय गुणवत्ता परिषद स्वतंत्र रूप से अपने तेजी से आगे बढ़ने वाले 16 उत्पादों के लिए निगम में उत्पाद गुणवत्ता मूल्यांकन कर रही है और विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट प्रदान करती है जिसमें अर्ध वार्षिक मूल्यांकन के दौरान 100 प्रतिशत गुणवत्ता अनुपालन की सूचना दी गई है। भारतीय गुणवत्ता परिषद नियमित आधार पर सभी 5 एएपीसी द्वारा विनिर्मित किए जा रहे उत्पादों की गुणवत्ता लेखा परीक्षा भी कर रही है।

5. इन–हाउस टेस्ट आयोजित करने और एमटीसी ट्राइसाइकिल में उपयोग की जाने वाली बैटरी के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए क्यूसी लैब में एक अत्याधुनिक बैटरी परीक्षण मशीन स्थापित और चालू की गई है।

6. सभी इलेक्ट्रोप्लेटेड खरीदी गई वस्तुओं के साथ–साथ घर में निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता और प्लेटिंग मोटाई सुनिश्चित करने के लिए फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोमीटर मशीन स्थापित की गई है

6.1.11 शिविर के छायाचित्रों की झलकियाँ

(माननीय केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता, डॉ. वीरेन्द्र कुमार द्वारा दिनांक 25.11.2023 को साबरकॉठा, गुजरात में आयोजित एडिप योजना वितरण के तहत वितरण शिविर में एलिम्को द्वारा स्वदेश निर्मित 'मोटरचालित तिपहिए' का शुभारंभ तथा वितरण किया गया।)

(माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री ए. नारायण स्वामी दिनांक 16.12.2023 को अनकापल्ली, आंध्र प्रदेश में आयोजित तिपहिए के वितरण शिविर में उपस्थित हुए)

((माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, कु. प्रतिमा भौमिक ने दिनांक 25.11.2023 को औरंगाबाद में आयोजित आरवीवाई एवं एडिप योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को सहायक यंत्र और सहायक उपकरण वितरित किए)

(माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास आठवले ने दिनांक 24.09.2023 को बीड़, महाराष्ट्र में एडिप योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को सहायक यंत्र और उपकरण वितरित किए)

(आजमगढ़ में एडिप–एसएसए योजना के तहत बच्चों को सहायक यंत्र और उपकरण वितरित किए गए)

माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिनांक 25.10.2023 को गोरखपुर में एडिप–एसएसए योजना के तहत आयोजित शिविर में सहायक यंत्र और सहायक उपकरण वितरित किए।

दिनांक 30.12.2023 को गोलापरा असम में सीएसआर शिविर के दौरान आईआरएफसी द्वारा सहायक यंत्र और उपकरण सहायक यंत्र और उपकरण का वितरण

6.1.11 कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

भले ही कंपनी सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही है लेकिन एक कॉर्पोरेट इकाई होने के नाते, कंपनी अन्य व्यक्तियों की सामाजिक जरूरतों को भी समझती है। इसलिए, कंपनी ने अपनी सीएसआर नीति के तहत 2023–24 के दौरान 127.61 लाख रुपये के लक्ष्य की तुलना में विभिन्न सीएसआर गतिविधियों (31.03.2024 तक) पर 127.61 लाख रुपये खर्च किए।

6.2 नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनडीएफडीसी) (पूर्व में राष्ट्रीय हैंडिकैप्ड वित्त और विकास निगम):

नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनडीएफडीसी) की स्थापना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 24.01.1997 में की गई थी। यह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन गैर–लाभकारी (एक नोट फोर प्रोफिट) कंपनी के रूप में पंजीकृत है। यह पूर्णतया भारत सरकार के स्वामित्व के अधीन है तथा इसकी 499.50 (चार सौ निनयानवे और पचास लाख रु. केवल) करोड़ रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी है। कंपनी का प्रबंधन भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।

6.2.1 निगम के मुख्य उद्देश्य

क) दिव्यांगजनों के लाभ के लिए आर्थिक विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना।

ख) दिव्यांगजनों के लाभ/आर्थिक पुनर्वास के लिए स्व–रोजगार और अन्य उपक्रमों को बढ़ावा देना।

ग) आर्थिक और वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाओं और परियोजनाओं के लिए दिव्यांगजनों या दिव्यांगजनों के समूहों को ऋण और अग्रिम राशि के माध्यम से ऐसी आय और/या आर्थिक मानदंडों, जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हो, के अध्यधीन सहायता करना।

घ) राज्य स्तर पर सरकारी मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से देश में दिव्यांगजनों के लिए चयनित मामलों में रियायती वित्त प्रदान करना जिसकी सीमा भारत सरकार द्वारा कंपनी को दी गई बजटीय सहायता तक होगी।

ङ) स्नातक और उच्च स्तर पर प्रशिक्षण के लिए सामान्य/व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिव्यांगजनों को ऋण देना।

च) उत्पादन इकाइयों के उचित और कुशल प्रबंधन के लिए दिव्यांगजन के तकनीकी और उद्यमशीलता कौशल के उन्नयन में सहायता करना।

छ) दिव्यांगजनों की आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए उनके उचित पुनर्वास/उत्थान के लिए प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रक्रिया विकास, प्रौद्योगिकी, सामान्य सुविधा केंद्र और अन्य ढांचागत गतिविधियाँ स्थापित करना।

ज) दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने और उन्हें वाणिज्यिक निधियन प्राप्त करने के माध्यम से उनके पुनः वित्तपोषण करने के माध्यम से या उनके विकास का प्रबंधन करने के लिए राज्य स्तर के संगठनों की सहायता करना।

झ) दिव्यांगजनों के लिए राज्य वित्त निगमों के माध्यम से या केंद्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा स्थापित, राज्य सरकारों/बोर्डों द्वारा प्राधिकृत तदनुरूपी निगमों के माध्यम से निधियों को मार्गीकृत करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम के अनुरूप एक शीर्ष संस्थान के रूप में कार्य करना। एनडीएफडीसी उपर्युक्त संगठनों के माध्यम से वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव प्राप्त करेगा और इन संगठनों के माध्यम से संवितरण के लिए लाभार्थियों को ऋण और मार्जिन राशि मंजूर करेगा। एनडीएफडीसी द्वारा वित्तपोषित प्राधिकृत राज्य वित्त और विकास निगमों/बोर्डों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और निगम गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों का समन्वय और मॉनिटरिंग भी करेगा।

ञ) स्व–नियोजित व्यक्तियों/व्यक्तियों के समूह या पंजीकृत कारखानों/कंपनियों/दिव्यांगजनों की सहकारी समितियों को उनके तैयार माल के विपणन में सहायता करने और कच्चे माल की खरीद में सहायता करना।

6.2.2 गतिविधियां/कार्य

(i) क्रेडिट आधारित गतिविधियां:

एनडीएफडीसी पात्रता मानदंड पूरा करने वाले सभी पात्र दिव्यांगजनों को आसान शर्तों पर रियायती ब्याज दर पर ऋण सहायता प्रदान करता है। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ऋण सहायता, ब्याज–दर और पुनर्भुगतान अवधि का विवरण नीचे दिया गया है:–

क्र. सं.	योजना	अधिकतम ऋण	लाभार्थी द्वारा देय ब्याज दर	ऋण चुकाने हेतु अधिकतम अवधि
1	दिव्यांगजन स्वाबलंबन योजना	50.00 लाख रू.	5–9% वार्षिक रु	10 वर्ष*
2	विशेष माइक्रोफाइनेंस योजना	प्रति पीडब्ल्यूडी 60,000 रू.	12.5 प्रतिशत वार्षिक	3 वर्ष

शिक्षा ऋण के लिए : ब्याज दर 4% प्रति वर्ष होगी।

दिव्यांगजन स्वाबलम्बन योजना के तहत दिव्यांग महिलाओं/ओएच के अतिरिक्त अन्य दिव्यांगजनों को 50,000/–रू. तक के स्वरोजगार ऋण (शिक्षा ऋण के लिए नहीं) में 1 प्रतिशत ब्याज दर की छूट दी गई है। एनडीएफडीसी द्वारा इस छूट को वहन किया जाता है।

* एनडीएफडीसी योजना के अंतर्गत शिक्षा ऋण/आवास ऋण के लिए चुकौती (पुनर्भुगतान) अवधि कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा स्वीकृत चुकौती अवधि के अनुरूप (सह–मियाद) होगी।

(ii) गैर क्रेडिट आधारित गतिविधियाँ :

एनडीएफडीसी अपने जनादेश को प्राप्त करने के लिए दिव्यांगजनों के हित में निधियां प्रदान करता है और विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करता है। ये हैं :

(क) कौशल प्रशिक्षण :

- **कौशल और उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए सहायता** :एनडीएफडीसी पीएम–दक्ष–डीईपीडब्ल्यूडी पोर्टल पर (एनएपी–एसडीपी) के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डीईपीडब्ल्यूडी के पैनल में शामिल प्रशिक्षण भागीदारों/प्रतिष्ठित संस्थानों को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) जागरूकता सृजन और विपणन सहायता

- **जागरूकता सृजन** : एनडीएफडीसी, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अपनी योजनाओं के संबंध में प्रचार/जागरूकता सृजन के लिए पिछले वित्त वर्ष रू. 50,000/– (केवल रूपये पचास हजार) तक की राशि या कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पिछले वित्त वर्ष से बिल्कुल पहले संवितरित राशि के 0.10 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, पर विचार किया जाता है, के व्यय प्रतिपूर्ति करता है।
- **विपणन सहायता** : :एनडीएफडीसी दिव्यांगजनों को उनके उत्पादों के विपणन कि लिए सहायता प्रदान करता है। विभिन्न प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए दिव्यांगजनों को नियमित रूप से प्रायोजित किया जाता है। एनडीएफडीसी दिव्यांगजनों की व्यवसाय पहुँच को बढ़ाने के लिए उनके उत्पादों के ऑनलाइन और ऑफलाइन विपणन में भी सहायता करता है।

6.2.3 निष्पादन और उपलब्धि :

2021–22 से 2023–24 तक ऋण योजनाओं के तहत एनडीएफडीसी की वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

क्र. सं	वित्त वर्ष	जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या (*)
1	2021–22	112.75	16,713
2	2022–23	121.83	18,655
3	2023–24	123.35	16504

6.2.4 एनडीएफडीसी की पहल:

निगम ने पहुंच (आउटरीच) बढ़ाने के लिए कुछ पहल की है। ये इस प्रकार हैं:

(i) एनडीएफडीसी स्वावलंबन केंद्र: एनडीएफडीसी ने प्रायोगिक आधार पर ऋण आवश्यकताओं, कौशल संबंधों, सुनिश्चित व्यावसायिक संपर्क आवश्यकताओं आदि को अभिसरण करके एनडीएफडीसी स्वावलंबन केंद्र (एनएसके) की अवधारणा को शुरू किया है।

(ii) पीडब्ल्यूडी उद्यमियों के उत्पादों का ऑनलाइन विपणन: रियायती ऋण के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास की प्रक्रिया में दिव्यांग उद्यमियों को अपने उत्पादों के विपणन में हैंड होल्डिंग सहायता प्रदान करना एक महत्वपूर्ण पहलू है। चूंकि दिव्यांग उद्यमी को अपनी गतिशीलता/संप्रेषण सीमाओं के साथ अपने उत्पादों और सेवाओं को बाजार में लाने में कुछ मुश्किल हो सकती हैं। एनडीएफडीसी ने दिव्यांग उद्यमियों के उत्पादों और सेवाओं का एकत्रीकरण करने के माध्यम से उनके वस्तुओं और सेवाओं के विपणन में उनकी सीधे सहायता करने के लिए प्रयास शुरू किए हैं। मौजूदा

ई–मार्केटिंग मंच के साथ इस दिशा में प्रयास किए गए हैं। दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए कुछ उत्पाद अब अग्रणी ई–मार्केटिंग प्लेटफार्म (अमेज़ॅन, फ्लिपकार्ट, जैम आदि) पर उपलब्ध हैं।

(iii) निगम की पहुंच को बढ़ाना: अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए, निगम ने नई राज्य नामित एजेंसियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए। निगम ने 18.10.2023 को जम्मू और कश्मीर बैंक के साथ एनडीएफडीसी से 100% पुनर्वित्त वाली एनडीएफडीसी योजना के तहत स्वरोजगार और उच्च शिक्षा के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक की शाखाओं के माध्यम से पीडब्ल्यूडी को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए समझौता किया है।

(iv) राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में एनडीएफडीसी की योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग प्रणाली: एनडीएफडीसी अपनी योजनाओं और कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग के लिए निम्नलिखित आंतरिक तंत्र का पालन कर रहा है:

क. **ऋण का उपयोग:** कार्यान्वयन एजेंसियों को उपलब्ध कराई गई निधियों का उपयोग इसके जारी होने की तारीख से निर्धारित अवधि के भीतर किया जाना है। कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की गई राशि के संबंध में उपयोग विवरण प्रस्तुत करना होता है।

ख. **राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलन/कार्यशालाएं:** एनडीएफडीसी नियमित रूप से अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलनों/कार्यशालाओं का आयोजन करता है। ऐसे सम्मेलनों/कार्यशालाओं में एनडीएफडीसी योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है। संबंधित राज्यों में एनडीएफडीसी की योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली अड़चनों पर भी चर्चा और मूल्यांकन किया जाता है। चर्चाओं के आधार पर नीतियों को एनडीएफडीसी के उद्देश्यों के दायरे में उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाता है।

ग. **आंतरिक समीक्षा बैठक:** विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा एनडीएफडीसी योजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा/ मॉनीटरिंग की जाती है और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त उपाय किए जाते हैं।

(v) कौशल प्रशिक्षण केंद्र : एनडीएफडीसी दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण पर जोर दे रहा है और बागपत, नोएडा, कन्नौज, मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश), यमुनानगर, सोनीपत, कुरुक्षेत्र (हरियाणा), छिंदवाड़ा, इंदौर, नागदा, टीकमगढ, निवाड़ी (एमपी), भीलवाड़ा, दौसा, डीग (राजस्थान), उधम सिंह नगर (उत्तराखंड), नयागढ़, कोणार्क (ओडिशा), दंतेवाड़ा और बालोद (छत्तीसगढ़), गुमला, धनबाद और गिरिडीह (झारखंड) में एनडीएफडीसी स्वावलंबन केंद्रों के नाम पर स्मार्ट सेंटर और उसके माइक्रो–स्किलिंग केंद्रों के माध्यम से उनके ईडीपी/कौशल प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। एनडीएफडीसी ने सिपडा योजना के तहत 162 दिव्यांगों का कौशल प्रशिक्षण वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान शुरू किया।

(vi) यूडीआईडी संख्या:– निगम की डीएसवाई योजना के तहत अनिवार्य आवश्यकता में से एक के रूप में विशिष्ट दिव्यांगता आईडी (यूडीआईडी) संख्या/यूडीआईडी नामांकन संख्या (यदि यूडीआईडी संख्या उपलब्ध नहीं है) रखने हेतु एक अतिरिक्त शर्त को निर्धारित किया गया है।

(vii) समय पर पुनर्भुगतान के लिए ब्याज दर में छूट

बिना किसी चूक के समय पर ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को ब्याज दर में छूट की अनुमति दी गई है।

(viii) निगम के नाम में परिवर्तन: निगम का नाम राष्ट्रीय हैंडिकैप्ड फाइनेंस एंड डिवलेपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएचएफडीसी) से बदलकर राष्ट्रीय दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डिवलेपमेंट कॉर्पोरेशन (एनडीएफडीसी) कर दिया गया है।

6.2.5 स्वच्छता अभियानः एनडीएफडीसी द्वारा भारत सरकार के विशेष मिशन 2.0 के कार्यान्वयन के संबंध में 2 अक्टूबर 2023 को पंजीकृत कार्यालय, फरीदाबाद में स्वच्छता अभियान शुरू किया गया था।

6.2.6 हर घर तिरंगाः आजादी का अमृत महोत्सव 2023 के एक भाग के रूप में एनडीएफडीसी द्वारा 15 अगस्त, 2023 को डीएलएफ प्राइम टॉवर, ओखला फेज –1, नई दिल्ली के परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। इसके अलावा, पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय ध्वज खरीदे गए और कर्मचारियों को उनके घरों पर फहराने के लिए प्रदान किए गए।

6.2.7 पर्पल फेस्टः

i) एनडीएफडीसी ने 8–13 जनवरी 2024 तक गोवा में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट–2024 में भाग लिया, जिसका उद्घाटन गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, भारत सरकार श्री रामदास अठावले ने किया। एनडीएफडीसी ने पर्पल फेस्ट में आयोजित दिव्य कला मेले में छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 12 दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों को भाग लेने की सुविधा प्रदान की, जिसमें घरेलू सजावट, जीवन शैली की वस्तुएं, कपड़े, स्टेशनरी, पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद, पैकेज्ड भोजन सहित उत्पादों की एक विविध श्रृंखला पेश की गई। जैविक सामान, खिलौने, उपहार, व्यक्तिगत सामान, आभूषण, क्लच बैग, और बहुत कुछ।

ii) एनडीएफडीसी ने 26.02.2024 को डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजेई, भारत सरकार द्वारा अमृत उद्यान, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में दिव्यांगजनों के लिए आयोजित पर्पल फेस्ट में 100 दिव्यांगजनों के साथ भाग लिया।

6.2.8 दिव्य कला मेलाः

एनडीएफडीसी को इस विभाग द्वारा विभिन्न राज्यों में दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों के प्रदर्शन और विपणन के लिए प्रदर्शनी–सह–मेला (दिव्य कला मेला) आयोजित करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय संस्थान और संगठन भी अपनी सूचना–स्टाल लगाकर प्रदर्शनी में भाग लेते हैं। प्रदर्शनी के दौरान, दिव्यांगजनों के लाभ के लिए कई कार्यशालाएं/कार्यक्रम/गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। प्रदर्शनी के आयोजन का उद्देश्य यह है कि सभी राज्यों के दिव्यांगजनों को अपनी कला और कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर मिले और साथ ही उन्हें महानगरों में व्यापार और मार्केटिंग करने का मौका मिले। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, गुवाहाटी, जयपुर, इंदौर, वाराणसी, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, पटना, सूरत, नागपुर, अगरतला और अहमदाबाद में बारह (12) दिव्य कला मेले आयोजित किए गए हैं। 31-03-2024 तक गुवाहाटी, जयपुर, इंदौर, वाराणसी, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, पटना, सूरत, नागपुर, अगरतला और अहमदाबाद में बारह (12) दिव्य कला मेले आयोजित किए गए हैं।उपर्युक्त आयोजित दिव्य कला मेलों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

क्र. सं.	दिव्य कला मेले का आयोजन स्थान	दिव्य कला मेले की अवधि	दिव्यांगजन प्रतिभागियों की संख्या	कुल व्यापार (लाख में) (लगभग)	कुल फुटफॉल (लगभग)	भाग लेने वाले राज्यों की संख्या	स्वीकृत/संवितरित ऋण (लाख में)
1.	गुवाहाटी, असम	11 से 17 मई, 2023	94	20.00	5,500	20	–
2.	इंदौर, मध्य प्रदेश	17 से 23 जून, 2023	100	50.00	22,000	20	–
3.	जयपुर, राजस्थान	29 जून से 05 जुलाई, 2023	78	30.00	12,000	20	100.00

4.	वाराणसी, उत्तर प्रदेश	15 से 23 सितंबर, 2023	80	80.00	25,000	21	130.00
5.	हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	06 से 15 अक्टूबर, 2023	101	105.00	30,000	20	80.00
6.	बैंगलोर, कर्नाटक	27 अक्टूबर से 06 नवंबर, 2023	76	60.00	30,000	20	23.50
7.	चेन्नई, तमिलनाडु	17 से 26 नवंबर, 2023	82	106.54	15,000	18	225.00
8.	पटना, बिहार	08 से 17 दिसंबर, 2023	61	115.00	40,000	17	32.00
9.	सूरत, गुजरात	29 दिसंबर, 2023 से 07 जनवरी, 2024	84	72.00	15,000	16	108.00
10	नागपुर, महाराष्ट्र	12 से 21 जनवरी, 2024	87	62.00	20,000	14	9.50
11	अगरतला, त्रिपुरा	6 से 11 फरवरी, 2024	58	8.65	8000	15	76.00
12	अहमदाबाद, गुजरात	16 से 25 फरवरी, 2024	84	91.00	–	17	203.00
		कुल	**985**	**800.19**	**2,22,500**	**218**	**911**

दिव्य कला मेले के दौरान, एनडीएफडीसी ने दिव्यांगजनों के लिए रोजगार मेले का भी आयोजन किया। रोजगार मेले का विवरण इस प्रकार है

दिव्य कला मेला . रोजगार मेला रिपोर्ट				
क्र.स.	स्थान	दिव्यांगजन उम्मीदवार जिन्होने भाग लिया/ रजिस्टर्ड किया	लघु–सूचीबद्ध	चयनियत
1	डि.के.एम.–नई दिल्ली	191	100	18
2	डि.के.एम.–जयपुर	32	6	6
3	डि.के.एम.–हैदराबाद	51	9	0
4	डि.के.एम.–वाराणसी	164	51	35
5	डि.के.एम.–चेन्नई	107	19	9
6	डि.के.एम.–बैंगलोर	100	15	15
7	डि.के.एम.–पटना	272	72	8
8	डि.के.एम.–अगरतला	25	07	07
9	डि.के.एम–अहमदाबाद	117	26	14
	कुल	**1059**	**305**	**112**

माननीय मंत्री (एसजे एंड ई) डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने जयपुर में 29 जून, 2023 से 5 जुलाई, 2023 तक आयोजित दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया।

माननीय राज्य मंत्री (एसजे एंड ई) कुमारी प्रतिमा भौमिक जी ने गुवाहाटी में 11 मई, 2023 से 17 मई 2023 तक आयोजित दिव्य कला मेले के दौरान दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र और उपकरण वितरित किए।

माननीय राज्यपाल कर्नाटक श्री थावरचंद गहलोत जी ने बेंगलुरु में 27 अक्टूबर, 2023 से 5 नवम्बर, 2023 तक आयोजित दिव्य कला मेले के दौरान प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र वितरित किए।

पटना में 8 दिसम्बर, 2023 से 17 दिसम्बर, 2023 तक आयोजित दिव्य कला मेले के दौरान एनडीएफडीसी द्वारा दिव्यांगजनों के लिए जॉब फेयर आयोजित किया गया।

27.10.2023 से 06.11.2023 तक बैंगलोर में आयोजित दिव्य कला मेले के दौरान एनडीएफडीसी द्वारा दिव्यांगजनों के लिए एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया ।

अध्याय 7

राष्ट्रीय संस्थान

7.1 परिचय

दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कुल नौ राष्ट्रीय संस्थान कार्यरत हैं। ये राष्ट्रीय संस्थान स्वायत्त निकाय हैं और विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए स्थापित किए गए हैं। दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास में संलग्न ये संस्थान दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवा प्रदान कर रहे हैं और अनुसंधान एवं विकास कार्य कर रहे हैं। ये नौ राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित हैं:–

(i) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी), नई दिल्ली

(ii) स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक, ओडिशा

(iii) राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी), कोलकाता पश्चिम बंगाल

(iv) राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून, उत्तराखंड

(v) अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण बाधित दिव्यांगजन संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई, महाराष्ट्र

(vi) राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांगजन संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद, तेलंगाना

(vii) राष्ट्रीय बहु–दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी), चेन्नई।

(viii) भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली

(ix) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर), सिहोर, मध्य प्रदेश

7.2 पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी), नई दिल्ली

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी) की स्थापना 1960 में सोसाइटी फॉर क्रिपल्ड एंड हैंडीकैप्ड द्वारा की गई थी। भारत सरकार ने वर्ष 1975 में इसका प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण लिया तथा इसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत वर्ष 1976 में एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया। वर्तमान में संस्थान द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल चिकित्सा तथा प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स के क्षेत्र में डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

संस्थान गतिशील दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों जिनमें प्रमस्तिष्क घात वाले बच्चे, कुष्ठ रोग से उपचारित व्यक्ति तथा बोलने और सुनने में अक्षम जैसी संबद्ध समस्याएं शामिल हैं, को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करता है। यह गतिशीलता में सुधार के लिए अपेक्षित चिकित्सा तथा सहायक यंत्र और उपकरण भी प्रदान करता है और उनकी शारीरिक बहाली में मदद करता है।

7.2.1 लक्ष्य एवं उद्देश्य

(i) फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल चिकित्सक, प्रोस्थेटिस्ट एवं ऑर्थोटिस्ट और अन्य ऐसे पेशेवरों को प्रशिक्षण प्रदान करना, जो दिव्यांगजनों को सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

(ii) बौद्धिक दिव्यांगता वाले अथवा बिना बौद्धिक दिव्यांगता वाले अस्थिरोग ग्रस्त व्यक्तियों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, कार्य–समायोजन और इसी तरह की अन्य पुनर्वास सेवाएं, जिन्हे सोसाइटी उपयुक्त समझती है, प्रदान करना।

(iii) ऐसे सहायक यंत्रों और उपकरणों, जिनकी दिव्यांगजनों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए जरूरत पड़ती है, का निर्माण और वितरण करना।

(iv) दिव्यांगजनों की शिक्षा और पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली ऐसी अन्य सेवाएं प्रदान करना। इसमें बैठकों, सेमिनारों तथा संगोष्ठियों का आयोजन करना भी शामिल है।

(v) दिव्यांगजनों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए अधिकाधिक प्रभावी तकनीकों के विकास के उद्देश्य से अनुसंधान करना, प्रायोजित करना और उन्हें बढ़ाना।

(vi) अनुसंधान या ऐसी अन्य गतिविधियों में ऐसी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या स्थानीय एजेंसियों के साथ सहयोग करना जिन्हें दिव्यांगजनों के लिए सेवाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया जा सकता है।

(vii) ऐसे प्रकाशनों को शुरू करना या प्रायोजित करना जो उचित समझे जा सकते हैं।

(viii) ऐसे अन्य कार्य करना जो उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक या आनुषंगिक हों।

7.2.2 क्षेत्रीय केंद्र और समेकित क्षेत्रीय केंद्र

संस्थान ने नई दिल्ली के सीमापुरी और नरेला, करनाल, हरियाणा में नीलोखेड़ी में अपने सेटेलाइट केन्द्र तथा टोन्क, राजस्थान में विस्तार सेवा केन्द्र स्थापित किए हैं। दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी), लखनऊ, श्रीनगर और जम्मू इस संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत विस्तारित शाखाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं।

7.2.3 नई पहल और कार्यक्रमः

संस्थान ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सूचीबद्ध और निर्देशित जागरूकता सृजन कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में कई कार्यक्रम आयोजित किए। कुछ उल्लेखनीय गतिविधियाँ इस प्रकार थीं:

सांबा में सीआरसी जम्मू के नए भवन की आधारशिला का अनावरण डॉ. वीरेंद्र कुमार, माननीय केंद्रीय मंत्री (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) द्वारा 28.12.2023 को वर्चुअल मोड से किया गया। श्री जुगल किशोर शर्मा, सांसद (जम्मू) ने श्री राजेश अग्रवाल, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी के साथ श्री राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, श्री विनीत सिंघल, निदेशक, डीईपीडब्ल्यूडी की उपस्थिति में भूमि पूजन किया।

सीआरसी जम्मू के अस्थायी भवन का उद्घाटन श्री मनोज सिन्हा, माननीय उप राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर द्वारा 28.12.2023 को श्री राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी और श्रीमती रोहिनिका, निदेशक, सीआरसी जम्मू की उपस्थिति में किया गया।

सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से रन फॉर यूनिटी का आयोजन दिनांक 31.10. 2023 को किया गया। श्री राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी के साथ 650 दिव्यांगजनों और संस्थान के कर्मचारियों और छात्रों ने, राजघाट से लाल किले तक दौड़ लगाने से पहले, सरदार पटेल की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की।

विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 08.09.2023 को मनाया गया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और श्री राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी की उपस्थिति में श्री रोशन लाल द्वारा लिखित पुस्तक का अनावरण किया।

14.11.2023 को सीडीईआईसी यूनिट से दिव्यांग बच्चों की सक्रिय भागीदारी के साथ बाल दिवस मनाया गया। बच्चों ने फैशन शो और स्किट में भाग लिया। बच्चों के मनोरंजन के लिए एक औपचारिक केक भी काटा गया। मां शक्ति फाउंडेशन ने मैजिक शो को स्पॉन्सर करके योगदान दिया।

संस्थान का पहला दीक्षांत समारोह दिनांक 22.12.2023 को आयोजित किया गया। कुमारी प्रतिमा भौमिक, माननीय राज्य मंत्री (एसजे एंड ई) ने वर्ष 2023 के स्नातकों को डिग्री प्रदान की।

- पीडीयूएनआईपीपीडी(डी) ने 05.01.2024 को पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय, यूएसए में ओक्यूपेशनल चिकित्सा में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अमित सेठी द्वारा "नॉन–इनवेसिव ब्रेन स्टिमुलेशनः डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक एप्लिकेशन" पर अतिथि वार्ता का आयोजन किया। व्याख्यान में छात्रों, प्रशिक्षुओं और संकाय ने भाग लिया।
- पीडीयूएनआईपीपीडी(डी) ने 08.01.2024 को 'आयुष्मान भारत हैल्थ अकाउंट' (आभा) और 'स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में भविष्य' विषयों पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्य वक्ता डॉ. आनंदी रामचंद्रन, प्रो आईआईएचएमआर दिल्ली थी। कार्यक्रम का उद्देश्य सुरक्षा, गोपनीयता और निजता सुनिश्चित करते हुए डेटा, सूचना और बुनियादी ढांचा सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से स्वास्थ्य पारिस्थितिकी प्रणाली विकसित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना है।
- सीडीईआईसी, पीडीयूएनआईपीपीडी ने 23 से 25 जनवरी 2024 तक "गणतंत्र दिवस" मनाया। इस गणतंत्र दिवस पर सीडीईआईसी ने कुछ पेपर क्राफ्ट गतिविधि और ध्वज में रंग भरने का आयोजन किया। 32 दिव्यांगजनों ने इस गतिविधि में भाग लिया और इस गणतंत्र दिवस पर 2 बच्चों ने नृत्य किया।
- केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, डीजीएचएस, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 31 जनवरी 2024 को पीडीयूएनआईपीपीडी(डी) के 30 अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पीओएसएच)" विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न के रोकथाम और उसके खिलाफ संरक्षण सुनिश्चित करना है।
- पीडीयूएनआईपीपीडी ने क्लीनिकल प्रशिक्षण/ट्रांसलेशनल रिसर्च पर डीएचआर–आईसीएमआर द्वारा वित्त पोषित कार्यशालाओं के तहत स्ट्रोक पुनर्वास के लिए क्लीनिकल प्रशिक्षण पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है। यह कार्यशाला 9 से 11 फरवरी, 2024 तक भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आईएनएसए), नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है।

- बसंत पंचमी के अवसर पर, पीडीयूएनआईपीपीडी के छात्रों ने "सरस्वती पूजा" का आयोजन किया, जिसमें डॉ. जितेंद्र शर्मा, निदेशक, पीडीयूएनआईपीपीडी और डॉ अखिलेश शुक्ला (उप निदेशक) तथा संकाय सदस्यों के साथ संस्थान के अन्य कर्मचारियों और छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
- पीडीयूएनआईपीपीडी(डी) के परिसर में पीएम दक्ष योजना, डीईपीडब्ल्यूडी के तहत मोबाइल रिपेयरिंग प्रशिक्षण के लिए कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। 30 दिव्यांग लाभार्थियों ने 15 फरवरी 2024 को ओरिएंटेशन कार्यक्रम में भाग लिया।
- 26 फरवरी, 2024 को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रपति भवन में विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए 'पर्पल फेस्ट' का आयोजन किया, जिसकी नोडल एजेंसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान थी। 10 हजार से अधिक दिव्यांगजनों ने इस भव्य स्थल पर अपने एस्कॉर्ट्स के साथ, एकजुटता और आपसी सम्मान के बंधन को बढ़ावा देते हुए भाग लिया । भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ाते हुए, इस कार्यक्रम को अपना समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान किया ।

- मूल्यांकन क्लिनिक पीडीयूएनआईपीपीडी के तहत वाक् चिकित्सा विभाग ने 5 मार्च 2024 को "विश्व श्रवण दिवस" मनाया। श्रवण स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के प्रयास के हिस्से के रूप में, रोगियों और बच्चों के लिए निःशुल्क ऑडियोलॉजिकल मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया। श्री आकाश गंधर्व (ऑडियोलॉजिस्ट, साउंड फॉर लाइफ हियरिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड) को उनके ऑडियोलॉजिकल उपकरणों के साथ मूल्यांकन शिविर में आमंत्रित किया गया था। कुल 34 रोगियों, कर्मचारियों और छात्रों का मूल्यांकन किया गया और तदनुसार सलाह दी गई।
- दिनांक 11 मार्च, 2024 को पीडीयूएनआईपीपीडी ने बड़े उत्साह और जोश के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। संस्थान के परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली में उपायुक्त (कस्टम) के रूप में तैनात आईआरएस 2017 बैच की श्रीमती उम्मुल खेर ने अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आईपीएच के निदेशक डॉ. जितेंद्र शर्मा ने उनका हार्दिक स्वागत किया, जिससे इस अवसर की गरिमा और बढ़ गई।

7.3 स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर) कटक:

स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर) कटक, ओडिशा के ओलटपुर में स्थित है। इसे वर्ष 1975 में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), कानपुर की एक सहायक इकाई के रूप में राष्ट्रीय प्रोस्थेटिक और आर्थोटिक संस्थान (एनआईपीओटी) के रूप में स्थापित किया गया था। एनआईपीओटी को 22.02.1984 को समुदाय आधारित पुनर्वास और मानव संसाधन विकास पर जोर देने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (पहले कल्याण मंत्रालय), भारत सरकार के अन्तर्गत लाया गया था। तब से ही यह इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वायत्त निकाय है। इसका नाम

1984 में एनआईपीओटी से बदलकर एनआईआरटीएआर कर दिया गया और बाद में वर्ष 2004 में इसका नाम (एसवीएनआईआरटीएआर) कर दिया गया। यह गतिशील दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए देश के प्रमुख संस्थानों में से एक है।

7.3.1 विभाग और सेवाएं:

यह संस्थान भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल चिकित्सा, प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, वाक् एवं श्रवण और सीडीईआईसी विभागों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के गतिशील दिव्यांगता ग्रस्त रोगियों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करता है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संस्थान में ग्यारह प्रमुख विभाग/अनुभाग हैं अर्थात प्रशासन, लेखा और वित्त, अकादमिक (एचआरडी), शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास, प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल चिकित्सा, पुस्तकालय और सूचना केंद्र, मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य तथा वाक् और श्रवण।

7.3.2 अनुसंधान और विकास:

एसवीएनआईआरटीएआर के विभिन्न विभागों ने उपयुक्त सर्जिकल, चिकित्सा चिकित्सीय प्रक्रियाओं और नए सहायक यंत्रों और उपकरणों के विकास के लिए गतिशील दिव्यांगताओं के लिए अपने क्षेत्र में अनुसंधान और विकासात्मक कार्य किए हैं।

7.3.3 एसवीएनआईआरटीएआर उप–केंद्र:

ग्रामीण, जनजातीय और अन्य अन्दरूनी दूर–दराज क्षेत्रों के दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाएं प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों में पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए भुवनेश्वर, कटक, ढेंकानाल और नौपाड़ा में संस्थान के चार उप–केन्द्र हैं और दिव्यांगजनों के घर पर पुनर्वास सहायक यंत्र और उपकरण प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में पुनर्वास शिविर आयोजित करते हैं। दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए सैटेलाइट सेंटर खोलने के लिए जिला प्रशासन, मलकानगिरी, ओडिशा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

7.3.4 समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी):

दिव्यांगजनों के लिए समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की एक पहल है। गुवाहाटी, बालंगीर (ओडिशा), रांची और इम्फाल में दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए संस्थान के 04 सीआरसी हैं। एनआईईपीएमडी, चेन्नई से सीआरसी, शिलांग को अपने अधिकार में लेने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दीमापुर, नागालैंड में क्षेत्रीय केन्द्र खोलने के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

7.3.5 एसवीएनआईआरटीएआर में शुरू की गईं नई गतिविधियां:

क) 'जनऔषधि केंद्र' के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है और जनवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में शुरू होने जा रहा है।

ख) शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास विभाग में इनडोर रोगियों के लिए 50 से भी अधिक और बेड जोड़े गए हैं और कुल संख्या 200 हो गई है।

ग) विभिन्न पैर संबंधी विकार और मधुमेह पैर प्रबंधन के लिए उन्नत कम्प्यूटरीकृत पोडियाट्रिक प्रयोगशाला प्रणाली, पी एंड ओ उपकरणों के डिजाइन विकास के लिए सात एक्सिस रोडिन 4 डी सीएडी सीएएम प्रणाली, सिलिकॉन प्रोस्थेसिस के लिए कॉस्मेटिक–बहाली क्लीनिकल प्रयोगशाला, पी एंड ओ सॉकेट समाधान के मुद्रण के लिए उन्नत 3 डी प्रिंटिंग प्रयोगशाला।

घ) रोबोटिक्स ऊपरी चरम सीमा और निचली चरम सीमा चिकित्सा क्रमशः ऑक्यूपेशनल और फिजियोथेरेपी विभाग द्वारा शुरू की गई।

7.3.6 एसवीएनआईआरटीएआर की नई गतिविधियाँ और तथ्यः

क) नए व्यावसायिक प्रशिक्षण भवन में दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एसवीएनआईआरटीएआर और सीटीटीसी, भुवनेश्वर और यूथ4जॉब्स के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

ख) मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों ने एसवीएनआईआरटीएआर के साथ अकादमिक और अनुसंधान सहयोग के लिए अक्टूबर के दौरान दौरा किया।

ग) एम्स और एसवीएनआईआरटीएआर ने शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों के लिए समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए।

घ) इस संस्थान ने स्वास्थ्य पंचायत को बढ़ावा देने और दिव्यांगजनों को सुविधा प्रदान करने के लिए पंचायत राज संस्थानों और समुदाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एसआईआरडी और पीआर), ओडिशा सरकार के साथ 22.11. 2023 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

ङ) फिजियोथेरेपी विभाग ने 08 से 13 जनवरी 2024 तक गोवा में आयोजित आंतरिक पर्पल महोत्सव में भाग लिया। इस महोत्सव के दौरान, रीढ़, कूल्हे, घुटने, पैर और कंधे की विभिन्न स्थितियों के लिए पुराने रोगियों को मैनुअल थेरेपी उपचार दिया गया था। मरीजों ने उपचार के प्रति बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। रोगियों के बीच–पुराने दर्द की स्थिति के प्रबंधन और, सर्जरी के बिना एवं लंबे समय तक दवाओं को जारी रखे बिना, इसे कैसे बनाए रखा जाए –इस बारे में जागरूकता पैदा की गई थी । कुल 158 लाभार्थियों का इलाज किया गया। संस्थान ने एसवीएनआईआरटीएआर में कौशल विकास प्रशिक्षण के दौरान दिव्यांगजनों की विभिन्न गतिविधियों और उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को प्रदर्शित किया ।

च) प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स विभाग ने संस्थान के परिसर में 18 और 19 जनवरी 2024 को "पुनर्वास में अनुसंधान विधियों और प्रथाओं" पर एक सीआरई कार्यक्रम आयोजित किया। डॉ. भबानी शंकर पाढ़ी, प्रिंसिपल, स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर, डॉ. बी. आर. मिश्रा, वरिष्ठ संकाय, एम्स, भुवनेश्वर, डॉ. आरसी मोहंती, प्रोफेसर, सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ओडिशा, डॉ. एस. के. साबत, प्रोफेसर, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, केआईआईटी, भुवनेश्वर ने संसाधन व्यक्तियों के रूप में पुनर्वास में अनुसंधान विधियों और प्रथाओं पर विभिन्न विषयों पर व्याख्यान दिए ।

छ) इस संस्थान ने 90.00 लाख रुपये की लागत से वर्क सिम्युलेटर की खरीद और स्थापना के लिए दीन दयाल भवन, अशोक नगर, जनपथ, भुवनेश्वर में आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) से सीएसआर सहायता के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ।

ज) संस्थान ने सीएसआर, सीएमपीडीआई के तहत एसवीएनआईआरटीएआर में दिव्यांग रोगियों, उनके साथ आने वालों, कर्मचारियों और छात्रों के लिए कैंटीन/कैफेटेरिया के प्रावधान के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) क्षेत्रीय संस्थान–VII के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

झ) माननीय केंद्रीय मंत्री **डॉ. वीरेंद्र कुमार** ने **21 फरवरी 2024** को दोपहर 01:00 बजे स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर) के नवनिर्मित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (वीटीसी) का उद्घाटन माननीय राज्यमंत्री श्री ए. नारायणस्वामी, माननीय राज्यमंत्री, सुश्री

प्रतिमा भौमिक, माननीय राज्यमंत्री, श्री रामदास अठावले की उपस्थिति में वर्चुअल रूप से किया गया। नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह में श्री राजेश अग्रवाल, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, भारत सरकार, श्री राजेश यादव, संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, भारत सरकार, श्री राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, भारत सरकार उपस्थित थे। एसवीएनआईआरटीएआर के कर्मचारियों, छात्रों और दिव्यांगजनों के साथ निदेशक, एसवीएनआईआरटीएआर, उप निदेशक (तकनीकी), उप निदेशक (पी एंड ए) और प्रभारी कार्यालय, सामाजिक कार्य विभाग भी उपस्थित थे।

ञ) सीआरसी, गुवाहाटी के छात्रावास भवन का उद्घाटन **21 फरवरी 2024** को माननीय केंद्रीय मंत्री **डॉ. वीरेंद्र कुमार** द्वारा माननीय राज्यमंत्री श्री ए. नारायणस्वामी, माननीय राज्यमंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक, माननीय राज्यमंत्री श्री रामदास अठावले और गुवाहाटी की माननीय संसद सदस्य श्रीमती क्वीन ओजा की गरिमामयी उपस्थिति में वर्चुअल रूप से किया गया। नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह में श्री राजेश अग्रवाल, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, भारत सरकार, श्री राजेश यादव, संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, भारत सरकार, श्री राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, भारत सरकार उपस्थित थे। इस समारोह में डॉ. पी. पी. मोहंती, निदेशक, एसवीएनआईआरटीएआर और श्री रंजन दास, नोडल अधिकारी, सीआरसी, गुवाहाटी भी उपस्थित थे। पूरे कार्यक्रम को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया था।

ट) 01 मार्च 2024 को 20 दिव्यांगों के साथ एलईडी रिपेयरिंग पर कौशल प्रशिक्षण शुरू किया गया है। प्रशिक्षण का उद्घाटन एनडीएफडीसी द्वारा स्वीकृत सीएसआर अनुदान (आईआरएफसी) के तहत नए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, एसवीएनआईआरटीएआर में डीडी (पीए) और सीटीटीसी के प्रशिक्षक की उपस्थिति में वर्तमान निदेशक द्वारा किया गया था। 12 फरवरी 2024 से मोबाइल रिपेयरिंग का प्रशिक्षण कार्यक्रम 10 दिव्यांगजनों के साथ शुरू हुआ।

ड) मार्च 2024 के महीने के दौरान न्यू वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, एसवीएनआईआरटीएआर में "यूथ4जॉब" के सहयोग से पीडब्ल्यूडी के लिए सॉफ्ट स्किल पर कौशल प्रशिक्षण शुरू हुआ।

ठ) 01 मार्च 2024 को 20 दिव्यांगजनों के साथ एलईडी रिपेयरिंग पर कौशल प्रशिक्षण शुरू किया गया है। प्रशिक्षण का उद्घाटन एनडीएफडीसी द्वारा स्वीकृत सीएसआर अनुदान (आईआरएफसी) के तहत नए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, एसवीएनआईआरटीएआर में डीडी (पीए) और सीटीटीसी के प्रशिक्षक की उपस्थिति में निदेशक द्वारा किया गया था ।

ढ) मार्च 2024 के महीने के दौरान न्यू वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, एसवीएनआईआरटीएआर में "यूथ4जॉब" के सहयोग से पीडब्ल्यूडी के लिए सॉफ्ट स्किल पर कौशल प्रशिक्षण शुरू किया गया ।

7.4 राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी)

7.4.1 संस्थान और इसकी गतिविधियां

तत्कालीन सामाजिक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में वर्ष 1978 में राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी), पहले का राष्ट्रीय अस्थिरोग ग्रस्त संस्थान (एनआईओएच), की कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में स्थापना की गई थी। एनआईएलडी दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान करता है और उन्हें अपने गैर–दिव्यांग मित्र समूह के साथ एक समान आधार पर पुनर्वास, प्रबंधन, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और मानव संसाधन विकास के माध्यम से जीवन जीने के लिए अपने अधिकारों को अनुभव करने में सक्षम बनाता है।

7.4.2 संस्थान के उद्देश्य

(i) समन्वय अथवा समस्या ग्रस्त गतिशील दिव्यांगजनों की शिक्षा और पुनर्वास के सभी पहलुओं में अनुसंधान को संचालित/प्रायोजित समन्वयन करना अथवा सब्सिडी देना ।

(ii) बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में सहायक यन्त्रों के प्रभावी मूल्यांकन और मानकीकरण अथवा उपयुक्त सर्जिकल अथवा चिकित्सा प्रक्रिया अथवा नए सहायक उपकरणों के विकास के लिए अनुसंधान शुरू करना, प्रायोजित करना, समन्वयन करना अथवा सब्सिडी देना।

(iii) प्रशिक्षणार्थियों और शिक्षकों, रोजगार अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों, व्यावसायिक परामर्शदाताओं अथवा ऐसे अन्य कार्मिकों, जिन्हें संस्थान द्वारा शिक्षा, प्रशिक्षण को बढ़ावा देने अथवा गतिशील दिव्यांगजनों के पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक समझा जाता है, के प्रशिक्षण को शुरू करना अथवा प्रायोजित करना।

(iv) लोकोमोटर दिव्यांगजनों की शिक्षा, पुनर्वास या चिकित्सा के किसी भी पहलुओं को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए किसी भी या सभी सहायक यंत्रों के विनिर्माण और वितरण को वितरित करने, बढ़ावा देने या सब्सिडी देने के लिए।

7.4.3 प्रदत्त सेवाएं

(i) मानव संसाधन विकास (संस्थान द्वारा प्रदान की जा रही डिग्री, पीजी डिप्लोमा और मास्टर स्तरीय डिप्लोमा 11 विभिन्न पाठ्यक्रम)

(ii) अनुसंधान और विकास

(iii) शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास

(iv) 50 बिस्तरों वाले अस्पताल में ओपीडी सेवाएं और सुधारात्मक सर्जरी

(v) डायग्नोस्टिक सेवाएं –पैथालाजी, रेडियोलाजी –एक्स–रे, ईएमजी व एनसीवी

(vi) उपयुक्त सहायक यंत्र और उपकरण उपलब्ध कराना

(vii) फिजियोथैरेपी

(viii) ऑक्यूपेशनल थैरेपी

(ix) प्रोस्थेसिस और आर्थोसिस फैब्रिकेशन व फिटमेंट

(x) संस्थान और शिविरों के माध्यम से एडिप योजना का कार्यान्वयन करना

(xi) सामाजिक–आर्थिक पुनर्वास

(xii) वोकेशनल काउंसलिंग एवं मार्गदर्शन

(xiii) विशेष शिक्षा काउंसलिंग

(xiv) दिव्यांगजनों को रेल रियायत प्रमाणपत्र

(xv) पुस्तकालय, प्रलेखीकरण और सूचना का प्रसार

(xvi) छात्रों का प्लेसमेंट (नियोजन)

(xvii) प्रशिक्षण भागीदारों के सहयोग से कौशल विकास

(xviii) गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) की मानीटरिंग

(xix) जागरूकता सृजन एवं प्रदर्शनी

31 मार्च 2024 तक वर्ष के दौरान एनआईएलडी, कोलकाता की ओपीडी/आईपीडी में 26688 नए मामले (जनवरी, 2024 से मार्च 2024: 5880), 20310 अनुवर्ती मामले (जनवरी, 2024 से मार्च 2024: 5225) और 213880 सहायक सेवाएं (जनवरी, 2024 से मार्च 2024: 57640) प्रदान की गई हैं।

7.4.4 क्षेत्रीय केंद्र और समेकित क्षेत्रीय केंद्रः

संस्थान आइजोल में अपने क्षेत्रीय केंद्रों और नाहरलागुन स्थित दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए समेकित क्षेत्रीय केंद्र तथा पटना और त्रिपुरा में स्थित दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए समेकित क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से उत्तर पूर्व क्षेत्रों में पुनर्वास संबंधी गतिविधियों को गति देता है।

7.4.5 नई पहल और कार्यक्रमः

क) 9 वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सतर्कता जागरूकता अभियान और सप्ताह, संविधान दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

ख) दिव्यांगजनों, माता–पिता, छात्रों, पेशेवरों और संकायों के लिए एनआईएलडी, सीआरसी, आरसी द्वारा 50 वेबिनार/सेमिनार/कार्यशाला अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

<table>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>दिव्यांगजन/रोगियों का पंजीकरण</td><td>छोटे ओटी में उपचार</td><td>रोगी का एक्स–रे</td></tr>
<tr><td></td><td>चिकित्सा पुनर्वास</td><td></td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>ईएमजी बायोफीडबैक</td><td>अल्ट्रासाउंड थेरेपी</td><td>शार्ट वेव डायथेर्मी</td></tr>
<tr><td></td><td>फिजियोथेरेपी सेवाएं</td><td></td></tr>
</table>

बीटीई के माध्यम से चिकित्सा	*फिंगर डेक्सटेरिटी एक्सरसाइज*	*एक्सरसाइज चिकित्सा*
	ऑक्यूपेशनल चिकित्सा सेवाएं	
सर्जिकल जूतों का ग्राइडिंग/ बफिंग	*ट्रांस–फेमोरल प्रोस्थेसिस का संयोजन/बेंच सर्रखण प्रक्रिया*	*केएएफओ का ट्रायल/फिटमेंट*
प्रोस्थेटिक्स एवं आर्थोटिक्स सेवाएं		

ओपीडी में रोगी का मूल्यांकन	*यूडीआईडी पंजीकरण*
सामाजिक आर्थिक पुनर्वास सेवाएँ	

ऑक्यूपेशनल थेरेपी

विशेष शिक्षा

मनोचिकित्सीय सेवाएं

सीडीईआईसीः विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (0–6 वर्ष) को सेवाएं प्रदान करना।

एनटीपीसी–फरक्का (पश्चिम बंगाल) में 4 सितम्बर, 2023 को एडिप योजना के तहत वितरण शिविर

काकीनाड़ा (आंध्र प्रदेश) में 29 अगस्त, 2023 को एडिप योजना के तहत मूल्यांकन शिविर

सामाजिक आर्थिक पुनर्वास सेवाएँ

7.5 राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून

राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी) देहरादून में 1943 से डीईपीडब्ल्यूडी के प्रशासनिक नियंत्रण में दृष्टि बाधित दिव्यांगजनों की शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहा है।

7.5.1 लक्ष्य और उद्देश्य

क) मानव संसाधन विकास गतिविधियों को शुरू करना।

ख) दृष्टि दिव्यांगता के क्षेत्र में अनुसंधान का संचालन, संवर्धन और प्रायोजन करना।

ग) डिजाइन, विनिर्माण, वितरण, आपूर्ति और सभी आयु वर्ग के दृष्टिबाधित वाले व्यक्तियों के बीच इन सामग्रियों के उनके उपयोग को बढ़ावा देना।

घ) दिव्यांगता से संबंधित सेवाओं को विकसित करना और इन सेवाओं की वितरण प्रणाली शुरू करना।

7.5.2 दिव्यांगजनों के लिए चेन्नई (तमिलनाडु) में क्षेत्रीय केंद्र और चार समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी) फील्ड सेटअप

संस्थान का दिव्यांगजनों के लिए चेन्नई (तमिलनाडु) में एक क्षेत्रीय केंद्र; और चार समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी) सुंदरनगर (हिमाचल प्रदेश), गोरखपुर (यूपी), गंगटोक (सिक्किम) और जयपुर (राजस्थान) में हैं।

7.5.3 प्रदत्त सेवाएं

- दृष्टिबाधित, बधिर–दृष्टिहीन, बहु–दिव्यांगता और क्लीनिकल, पुनर्वास मनोचिकित्सा के लिए विशेष शिक्षक तैयार करने हेतु दीर्घकालिक मानव संसाधन विकास पाठ्यक्रम और समुदाय आधारित समावेशी विकास (सीबीआईडी) में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम तैयार करना ।
- क्षमता निर्माण और व्यावसायिक कार्यों के लिए अल्पकालिक और सीआरई कार्यक्रम
- स्कूली शिक्षा (दृष्टि बाधित बच्चों के लिए नर्सरी से कक्षा XII तक)
- अनुसंधान और विकास
- नौकरी को चिन्हित करना और जॉब प्लेसमेंट
- ब्रेल सहायक यंत्रों और उपकरणों का उत्पादन, वितरण और आपूर्ति
- अर्ली इंटरवेंशन सेंटर के माध्यम से रोग की शुरूआत में ही पहचान और हस्तक्षेप
- क्लीनिकल, रेफरल और मार्गदर्शन एवं परामर्श
- समुदाय / पहुंच कार्यक्रम
- ब्रेल में सुगम्य पठन सामग्री, बड़े आकार में मुद्रण और ऑडियो प्रारूप का उत्पादन, वितरण और आपूर्ति
- एडिप योजना के तहत सहायक यंत्रों और उपकरणों का वितरण
- सामुदायिक एफएम रेडियो (हैलो दून) ने जागरूकता कार्यक्रमों का निर्माण और प्रसारण किया

7.5.4 संस्थान की नई गतिविधियां

क) 17 दिसंबर को वाराणसी में काशी तमिल संगमम, 2023 के उद्घाटन अवसर पर, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान (सीआईसीटी) द्वारा प्रकाशित और एनआईईपीवीडी, क्षेत्रीय केंद्र, चेन्नई द्वारा मुद्रित थिरुक्कुरल, मणिमेकलाई, सिलापथिकारम, पुरणानूरु, थोलकाप्पियम और अन्य क्लासिक तमिल साहित्य (46 शीर्षक) के ब्रेल अनुवाद का विमोचन किया।

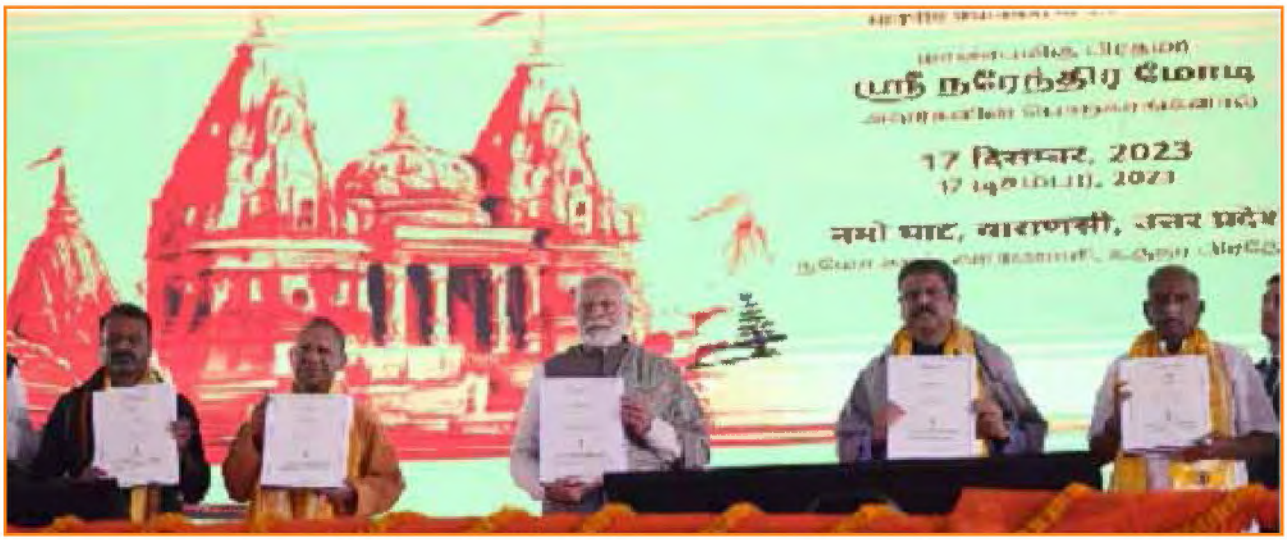

माननीय प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी ने थिरुक्कुरल, मणिमेकलाई और अन्य क्लासिक तमिल साहित्य के ब्रेल अनुवाद का विमोचन किया

ख) माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने दिव्य कला मेला, इंदौर (म.प्र.) में ब्रेल लिपि में चार पुस्तकों – 'ल्यूसेंट कंप्यूटर', 'हिंदुस्तानी संगीत पद्धति', 'मालगुडी डेज' और 'पंचतंत्र की श्रेष्ठ कहानियों' का विमोचन किया। संस्थान ने इन पुस्तकों के लिए लिप्यांतरण का कार्य किया ताकि उन्हें दृष्टि बाधित बच्चों के लिए सुगम्य बनाया जा सके। इस सराहनीय पहल का उद्देश्य दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा को समर्थन प्रदान करना है। इसके अलावा, इन ब्रेल पुस्तकों की 16,000 प्रतियां दृष्टि संबंधी दिव्यांगताओं के क्षेत्र में काम कर रहे स्कूलों और संस्थानों में वितरित की गई हैं।

माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने इंदौर, मध्य प्रदेश में दिव्य कला मेले के दौरान दृष्टिबाधित बच्चों के लिए तैयार की गई ब्रेल पुस्तकों के संग्रह का उद्घाटन किया।

ग) 20 नवंबर 2023 को, एनआईईपीवीडी ने सचिव (डीईपीडब्ल्यूडी) के मेंटरशिप के तहत दो ऐतिहासिक समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर करके समावेशिता को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। इस पहले समझौता ज्ञापन पर एनआईईपीवीडी, देहरादून और नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली ने हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन देहरादून, उत्तराखंड में यूनिवर्सल डिजाइन सेंटर फॉर रीडिंग की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है। यह केंद्र नेशनल बुक ट्रस्ट के विभिन्न सुगम्य प्रारूपों में प्रकाशनों और शिक्षण सामग्रियों के व्यापक संग्रह का प्रदर्शन करेगा।

सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी की उपस्थिति में एनआईईपीवीडी और नेशनल बुक ट्रस्ट के बीच समझौता ज्ञापन

एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, एनआईईपीवीडी ने प्रिंट दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य पुस्तकों और संबंधित संसाधनों से युक्त एक ऑनलाइन लाइब्रेरी के प्रावधान की सुविधा प्रदान करने हेतु डेजी फोरम ऑफ

इंडिया (डीएफआई) के साथ सहयोग स्थापित किया। यह सहयोग भारत में प्रिंट दिव्यांगजनों के लिए तैयार किए गए एक ऑनलाइन पुस्तकालय, सुगम्य पुस्तकालय के माध्यम से सुगम्य पुस्तकों के सृजन और प्रसारित करने का प्रयास करता है। लक्षित दर्शकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न सुगम्य प्रारूप जैसे डेजी, ई–पब, बीआरएफ, और अन्य में कार्य किया जाएगा।

सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी की उपस्थिति में एनआईईपीवीडी और डीएफआई, नई दिल्ली के बीच समझौता ज्ञापन

घ) भारत के सर्वोच्च न्यायालय (एससीआई) की ई–समिति के अनुरोध पर, संस्थान का कौशल विकास और आर्थिक सशक्तिकरण विभाग **'दृष्टिबाधित न्यायिक अधिकारियों और अदालत के कर्मचारियों के लिए डिजिटल सुगम्यता प्रशिक्षण'** पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम की सुविधा प्रदान कर रहा है। देश भर में इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुविधाजनक बनाने के लिए संस्थान द्वारा विशेषज्ञों/संसाधन व्यक्तियों का एक पैनल तैयार किया गया है। अब तक ई–समिति, एससीआई के सहयोग से कार्यक्रम के 07 बैचों का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है। आईआईपीए, नई दिल्ली में कुल 112 न्यायिक और न्यायालय कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

आईआईपीए, नई दिल्ली में दृष्टिबाधित न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और न्यायालय कर्मचारियों के डिजिटल सुगम्यता प्रशिक्षण का प्रशिक्षण

ङ) दिव्यांगजनों के लिए पाठ्यक्रमों के संरेखण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, संस्थान के वोकेशनल विभाग द्वारा 50 से अधिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन किया और चिन्हित किया तथा फिर दिव्यांगजनों के लिए उनके संरेखण/अनुकूलन के लिए दिव्यांगजनों के लिए क्षेत्र कौशल परिषद को भेजा गया।

च) संस्थान के चार फुटबॉल खिलाड़ियों ने कोच्चि, केरल में 'आईबीएसए ब्लाइंड फुटबॉल इंटर कॉन्टिनेंटल कप, 2023' में भारत का प्रतिनिधित्व किया। टूर्नामेंट में चिली, कोस्टा रिका, पोलैंड, कोरिया, मिस्र, भारत, रोमानिया, ग्रीस, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की टीमों ने भाग लिया। भारतीय टीम ने दृष्टिहीन फुटबॉल खेलने वाले शीर्ष देशों में छठा स्थान हासिल किया। मास्टर सोवेंद्र ने असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए रोमानिया, कोरिया और मिस्र के खिलाफ चार गोल किए।

आईबीएसए ब्लाइंड फुटबॉल इंटर कॉन्टिनेंटल कप, 2023 की झलक

छ) मंत्रालय के निर्देश के अनुसार, संस्थान के सामुदायिक रेडियो स्टेशन (एनआईवीएच हैलो दून) ने दृष्टिबाधितों के लिए एक राष्ट्रव्यापी संगीत प्रतियोगिता 'दिव्य बैंड ऑफ इंडिया' शुरू की। 29 राज्यों के 69 वीडियो के साथ, इस पहल ने व्यापक भागीदारी और उत्साह को उजागर किया। यह पहल एक पुल के रूप में कार्य करती है, प्रतिभाओं को अवसरों से जोड़ती है, समावेशिता को बढ़ावा देती है, और संगीत उद्योग में पीडब्ल्यूवीआई के लिए बाधाओं को तोड़ती है। संस्थान ने प्रदर्शन के आधार पर 38 विजेता दिव्य बैंडों की पहचान की और उन्हें सम्मानित किया।

भारत के दिव्य बैंड के प्रतिभागी

ज) संस्थान के सामुदायिक रेडियो स्टेशन (एनआईवीएच हैलो दून) को सीईएमसीए और यूनेस्को परियोजना में, **'सभी के लिए सतत सीखने के अवसर सृजित करने'** की श्रेणी में 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2023 के उत्सव' में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस प्रतिष्ठित सम्मान को भारत सरकार के आयुष मंत्रालय का समर्थन प्राप्त था और कार्यक्रम का संचालन कॉमन वेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया, नई दिल्ली द्वारा किया गया था।"

संस्थान के सामुदायिक रेडियो स्टेशन (एनआईवीएच हैलो दून–91.2) को सीईएमसीए और यूनेस्को परियोजना में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ

झ) संस्थान ने 11–13 सितंबर, 2023 तक ब्रेल प्रेस कर्मियों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें ध्यान मुख्यतः ई–पब, ब्रेल, बड़े प्रिंट और अन्य सुगम्य प्रारूपों को कवर करते हुए उन्नत ब्रेल प्रिंटिंग प्रौद्योगिकियों में ज्ञान के उन्नयन, सॉफ्ट कॉपी विकास के रखरखाव और प्रशिक्षण पर था। इस कार्यक्रम में 29 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

11–13 सितंबर, 2023 को ब्रेल प्रेस कर्मियों के लिए आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम

ञ) वर्ष 2014 से, संस्थान एक नोडल एजेंसी के रूप में डीईपीडब्ल्यूडी, भारत सरकार की सिपडा योजना के तहत ब्रेल प्रेस परियोजना को लागू कर रहा है। प्रारंभ में यह परियोजना स्कूल जाने वाले छात्रों को ब्रेल पाठ्य–पुस्तकें प्रदान करने पर केंद्रित थी। परियोजना को नवंबर, 2023 के महीने में डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा कई बैठकों के माध्यम से संशोधित किया गया है। अब इस परियोजना का विस्तार कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले दृष्टिबाधित छात्रों को शामिल करने के लिए किया गया है। इस व्यापक पहल में ब्रेल पुस्तकों के अलावा टॉकिंग बुक्स, ई–पब्स/डिजिटल पुस्तक और बड़े प्रिंट वाले पुस्तक जैसे सुगम्य प्रारूपों का रूपांतरण शामिल है। यह पहल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए शैक्षिक पहुंच बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

ट) दिव्यांगजनों के लिए क्षेत्र कौशल परिषद (एससीपीडब्ल्यूडी) द्वारा दिव्यांगता संवेदीकरण के लिए प्रशिक्षकों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण (टीओटी) आयोजित किया गया था। कुल 04 मौजूदा संकायों को प्रशिक्षित किया गया। संकायों का मूल्यांकन एससीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया गया था।

ठ) 5 सितंबर, 2023 को 'शिक्षक दिवस' के अवसर पर, श्री देवी लाल, ओरिएंटेशन और मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर को उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (आर) गुरमीत सिंह द्वारा सामाजिक प्रभाव पैदा करने और दृष्टि बाधितों को सशक्त बनाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

माननीय राज्यपाल उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल (आर) गुरमीत सिंह ने संस्थान के ओरिएंटेशन और मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर श्री देवी लाल को सम्मानित किया।

ड) संस्थान के नैदानिक और पुनर्वास मनोविज्ञान और अनुसंधान विभाग को देश के ऐसे पहले संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है जो दृष्टिबाधित छात्रों को नैदानिक मनोविज्ञान में एम.फिल करने का अवसर प्रदान करता है। सुश्री तमरीना मट्टा और श्री गोपी, दृष्टि बाधित छात्र, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने पर विशेष रूप से उत्साहित हैं। इस पहल से भारत में वैश्विक पेशेवर मनोविज्ञान प्रशिक्षण परिदृश्य पर काफी प्रभाव पडने की उम्मीद है।

ढ) माननीय डॉ. वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय मंत्री, एमएसजेई, भारत सरकार द्वारा 21 फरवरी, 2024 को, सीआरसी–गोरखपुर के नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया गया था। इस समारोह में भारत सरकार की राज्यमंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक, गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र के सांसद माननीय श्री रवि किशन शुक्ला, श्री राजेश अग्रवाल, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजेई, श्री राजेश यादव, संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजेई और अन्य विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। यह महत्वपूर्ण अवसर दिव्यांगजनों के पुनर्वास में उत्कृष्टता की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है।

ण) संस्थान ने कर्मचारी चयन आयोग/रेलवे भर्ती बोर्ड/बैंकिंग/बीमा/पीएसयू द्वारा दृष्टिबाधित और

लोको–मोटर दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु एक निःशुल्क कोचिंग योजना शुरू की। 15 फरवरी, 2024 को कोचिंग कक्षाओं के पहले बैच का शुभारंभ माननीय अध्यक्षा श्रीमती रितु खंडूरी भूषण, उत्तराखंड विधानसभा द्वारा किया गया। पहला बैच देश भर के 18 छात्रों के साथ शुरू हुआ।

त) 23 फरवरी 2024 को, संस्थान ने एमएसजेई, भारत सरकार दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए "डाटा एंट्री ऑपरेटर" में कौशल विकास पाठ्यक्रम के पहले बैच का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री टी. रागुलान, संयुक्त निदेशक, नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टिट्यूट, डी.जी.टी., कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। पहला बैच देश भर के 18 प्रशिक्षुओं के साथ शुरू हुआ। पाठ्यक्रम का उद्देश्य रोजगार के अवसर पैदा करना, दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण में सहायता करना और उन्हें समाज की मुख्यधारा से एकीकृत करने में सहायता करना है। इसके अतिरिक्त, 26 फरवरी, 2024 को 10 प्रशिक्षुओं के साथ 'बागवानी' पर एक कौशल विकास पाठ्यक्रम का भी उद्घाटन किया गया।

थ) हरियाणा सरकार ने एनआईईपीवीडी, देहरादून के सहयोग से 'विशेष जरूरतों वाले बच्चों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए शैक्षणिक, कानूनी और सामाजिक हस्तक्षेप' विषय पर सेवारत विशेष शिक्षकों के लिए चार दिवसीय अवधि वाले दो आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। कुल 377 विशेष शिक्षकों ने दोनों कार्यक्रमों में भाग लिया और दिव्यांगता क्षेत्र की लगभग 40 प्रतिष्ठित हस्तियों ने व्याख्यान दिए और प्रतिभागियों के साथ अपने अनुभव साझा किए।

द) 18 मार्च 2024 को, भारत का पहला रेडियो जॉकी कोर्स शुरू किया गया, जो दिव्यांगजनों के लिए कौशल परिषद (एससीपीडब्ल्यूडी) के साथ संरेखित किया गया था। इस कोर्स का उद्देश्य रेडियो उद्योग में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए विशेष प्रशिक्षण और समान अवसर प्रदान करके प्रसारण के क्षेत्र में समावेशिता को बढ़ावा देना है। पहला बैच 10 प्रशिक्षुओं के साथ देश के विभिन्न हिस्सों से शुरू हुआ।

7.6 अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुम्बई

अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी)(डी), मुम्बई की स्थापना 9 अगस्त, 1983 को मुख्य रूप से देश में वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन के पुनर्वास के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए की गई थी। संस्थान के कोलकाता, सिकंदराबाद, जानला और नोएडा में स्थित चार क्षेत्रीय चैप्टर (शाखाएं) हैं और भोपाल, अहमदाबाद, नागपुर और छतरपुर में दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण (सीआरसी) के लिए तीन समेकित क्षेत्रीय केंद्र भी हैं। वर्ष 2023–24 (1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च 2024) के दौरान एवाईजेएनआईएसएचडी(डी) और इसके क्षेत्रीय केन्द्रों ने 29757 नए मामले, 90353 अनुवर्ती मामले और 387000 सहायता सेवाएं प्रदान कीं। एडिप योजना के तहत संस्थान ने श्रवण बाधित 5159 व्यक्तियों को 8456 श्रवण यंत्र वितरित किए। इस योजना के तहत कॉक्लियर इम्प्लांटेशन के अन्तर्गत कुल 1389 कॉक्लियर सर्जरी की गई। सर्जरी कराने वाले सभी बच्चे अपने निवास स्थान के पास सूचीबद्ध पुनर्वास केंद्रों में पोस्ट सीआई इंटरवेंशन में भाग ले रहे हैं।

7.6.1 उद्देश्य और लक्ष्य :

(i) श्रवणबाधित व्यक्तियों की शिक्षा और पुनर्वास के सभी पहलुओं में अनुसंधान करना, उस पर सब्सिडी देना, उसे प्रायोजित करना, समन्वय करना

(ii) जैव चिकित्सा इंजीनियरिंग में अनुसंधान का संचालन, प्रायोजन, समन्वय करना या अनुसंधान के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना ताकि सहायक यंत्रों/उपकरणों या उपयुक्त शल्य चिकित्सा या चिकित्सीय प्रक्रियाओं या नए सहायक यंत्रों/उपकरणों का प्रभावी मूल्यांकन किया जा सके।

(iii) प्रशिक्षुओं, शिक्षकों, रोजगार अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों, व्यावसायिक काउंसलरों और ऐसे अन्य कर्मियों का प्रशिक्षण आयोजित करना या प्रायोजित करना, जिसे संस्थान द्वारा श्रवणबाधिता वाले व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त समझा जाता हो।

(iv) श्रवणबाधिता व्यक्तियों के लिए शिक्षा, पुनर्वास और चिकित्सा के किसी भी पहलू को बढ़ावा देने के लिए प्रोटोटाइप विनिर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, वितरण या प्रोत्साहन और डिजाइन किए गए किसी भी अथवा सभी सहायक यंत्रों का वितरण करना।

7.6.2 प्रदत्त सेवाएं:

(i) श्रवण, वाक् और भाषाबाधिता का मूल्यांकन और निदान

(ii) श्रवण यंत्रों और ईयर मोल्ड्स का चयन और फिटिंग

(iii) मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन

(iv) शैक्षिक मूल्यांकन सेवाएं

(v) मनोचिकित्सा और व्यवहारगत चिकित्सा

(vi) अभिभावक मार्ग निर्देशन और काउंसलिंग

(vii) प्री–स्कूल तथा जल्द प्रारंभिक उपचार (इंटरवेंशन)

(viii) एनआईओएस के माध्यम से निरंतर शिक्षा

(ix) आउटरीच और विस्तार सेवाएं

(x) अभिभावक सशक्तिकरण कार्यक्रम

(xi) व्यावसायिक प्रशिक्षण और प्लेसमेंट

(xii) वाक् और भाषा थेरेपी

(xiii) कॉकलियर इंप्लांट के लिए सहायता

(xiv) टोल फ्री दिव्यांगता सूचना लाईन

7.6.3 नई पहल और कार्यक्रम:

क) माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने श्री राजेश अग्रवाल, सचिव (डीईपीडब्ल्यूडी) के साथ 8 अप्रैल, 2023 को सीआरसी, छतरपुर, मध्य प्रदेश का उद्घाटन किया। यह केंद्र एवाईजेएनआईएसएचडी, मुंबई के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा।

माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने सीआरसी छत्तरपुर का उद्घाटन किया।

ख) डॉ. वीरेंद्र कुमार, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, ने 13.08.2023 को समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी), अहमदाबाद के नए भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर श्री ए. नारायणस्वामी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, श्री विनोद चावड़ा माननीय सांसद, कच्छ, गुजरात और श्री राजेश अग्रवाल सचिव डीईपीडब्ल्यूडी ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों के बीच शोभा बढ़ाई।

ग) 6 अक्टूबर, 2023 को एक महत्वपूर्ण अवसर पर सीआरसी, छतरपुर, मध्य प्रदेश का शिलान्यास डॉ. वीरेंद्र कुमार केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एमएसजेएंडई द्वारा किया गया।

घ) दिव्यांगजनों के लिए कौशल प्रशिक्षण – दिव्यांगजनों के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स का उद्घाटन 15 फरवरी, 2024 को मुख्यालय, मुंबई में किया गया। इस कोर्स के लिए पीएम – दक्ष डीईपीडब्ल्यूडी पोर्टल के माध्यम से कुल 16 दिव्यांगजनों को पंजीकृत किया गया। यह कोर्स पांच महीने की अवधि का है और दिव्यांगजनों के लिए कौशल परिषद द्वारा प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

ङ) संस्थान ने मंत्रालय के मार्गदर्शन के अनुसार गोवा में विस्तार सेवा केंद्र (एक्सटेंशन सर्विस सेंटर) शुरू करने की पहल की है।

च) 8 जनवरी, 2024 को माननीय केंद्रीय राज्यमंत्री श्री रामदास आठवले, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने दिव्यांगजन राज्य आयुक्त, गोवा, समाज कल्याण निदेशालय, गोवा सरकार और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट, गोवा–2024 में संस्थान द्वारा विकसित क्रांतिकारी उन्नत क्लाउड आधारित इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) आधारित दिव्यांगता सूचना लाइन (डीआईएल) को लॉन्च किया।

छ) संस्थान ने 8 जनवरी से 13 जनवरी, 2024 तक दिव्यांगजन राज्य आयुक्त, गोवा, समाज कल्याण निदेशालय, गोवा सरकार और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट, गोवा–2024 में भाग लिया। इस संस्थान ने चार स्टॉल लगाए थे– संस्थान सूचना स्टाल, चुनौतियों का मुकाबला करने वाली गतिविधि आधारित संवेदीकरण कार्यक्रम स्टाल, श्रवण जांच शिविर और लघु सीडीईआईसी तैयार करना। लगभग 150 लोगों को विभिन्न योजनाओं, सेवाओं, पीडब्ल्यूएसएचआई के सामने आने वाली चुनौतियों आदि से अवगत कराया गया। इस कार्यक्रम के लिए आरसी और सीआरसी के कर्मचारियों को भी प्रतिनियुक्त किया गया था।

7.6.4 क्षेत्रीय केंद्र और समेकित क्षेत्रीय केंद्र

संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता (1984), नोएडा (1986) सिकंदराबाद (1986), जानला, ओडिशा (1986) और वयस्क बधिर प्रशिक्षण केंद्र, हैदराबाद (1986) में स्थापित किए गए हैं। भोपाल, अहमदाबाद, नागपुर और छतरपुर में दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए समेकित क्षेत्रीय केंद्र क्रमशः वर्ष 2006, 2011, 2020 और 2023 से एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्यात्मक हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य जनशक्ति विकास और सेवाओं के संदर्भ में स्थानीय और क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा करना है ।

7.7 राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी)

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी, दिव्यांगजन) भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत स्वायत्तशासी निकाय के रूप में वर्ष 1984 से स्थापित एक पंजीकृत सोसायटी है। यह संस्थान एक शीर्ष निकाय है जिसके देश में बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान और सेवाओं के त्रिपक्षीय कार्य हैं। 40 वर्षों से, संस्थान बौद्धिक दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए क्षमताओं के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है।

7.7.1 उद्देश्य

- बौद्धिक दिव्यांगजनों के लिए सेवाएं प्रदान करने हेतु जनशक्ति का सृजन और मानव संसाधनों का विकास करना।
- देश में बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में दिव्यांगता की पहचान करना, शोध संचालित करना और समन्वयन करना।
- भारतीय संस्कृति के अनुरूप बौद्धिक दिव्यांगजनों की देखभाल और आवास पुनर्वास के उपयुक्त मॉडल विकसित करना।
- बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों को परामर्श सेवाएं प्रदान करना।
- बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में प्रलेखीकरण और सूचना केन्द्र के रूप में सेवा करना।
- ग्रामीण और कम आय वाली जरूरतमंद जनता के लिए समुदाय–आधारित पुनर्वास सेवाओं का विकास करना।
- बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में विस्तार और आउटरीच कार्यक्रमों का संचालन करना।

7.7.2 आईडी वाले व्यक्तियों के लिए एनआईईपीआईडी और क्षेत्रीय केंद्रों में दी जाने वाली सेवाएं:

चिकित्सा सेवाएं	विशेष शिक्षा	मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन
प्रारंभिक इंटरवेंशन सेवाएं	पीएमआर यूनिट	व्यवहारगत परिवर्तन
फिजियोथेरेपी/आर्थोपेडिक्स	राहत देखभाल	माता–पिता की काउंसलिंग
जैव–रसायनिकी	ऑटिज्म	व्यावसायिक मूल्यांकन
वाक और ऑडियोलॉजी सेवाएं	बहु–संवेदी	व्यावसायिक मार्गदर्शन और सूचना
इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम (ईईजी)	कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेश (सीएआई)	व्यावसायिक मार्गदर्शन और काउंसलिंग
बहु दिव्यांगता	समूह गतिविधि	वर्कस्टेशन (व्यावसायिक प्रशिक्षण)
पोषण	मोबाइल सेवाएं	ओक्यूपेशनल चिकित्सा
हाइड्रोथेरेपी	योग	सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम
न्यूरोलॉजी / डेंटल	राहत देखभाल सेवाएं	पूर्वोत्तर की गतिविधियां
होमियोपैथी	पारिवारिक कुटीर सेवाएं	टीएलएम का वितरण
नेत्र विज्ञान	डेंटल	

7.7.3 दिव्यांगजनों के लिए समेकित क्षेत्रीय केंद्रों में प्रदान की जाने वाली सेवाएं:

मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन	विशेष शिक्षा	ओक्यूपेशनल चिकित्सा
अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण	ऑर्थोटिक और प्रोस्थेटिक सेवाएं	कौशल विकास कार्यक्रम
फिजियोथेरेपी / सेवाएँ	व्यावसायिक प्रशिक्षण	जागरूकता कार्यक्रम
पुनर्वास सेवाएं	चिकित्सा सेवाएं	
वाक तथा ऑडियोलोजी सेवाएँ	माता–पिता प्रशिक्षण कार्यक्रम	

7.7.4 क्षेत्रीय केंद्र और समेकित क्षेत्रीय केंद्र

तीन क्षेत्रीय केंद्र हैं इनमें से नई दिल्ली/नोएडा, कोलकाता और नवी मुंबई में प्रत्येक में एक–एक क्षेत्रीय केंद्र हैं। एनआईईपीआईडी का नई दिल्ली और नोएडा में एक मॉडल विशेष शिक्षा केंद्र है। दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए तीन समेकित क्षेत्रीय केंद्र नेल्लोर, राजनंदगांव और देवांगेरे में स्थित हैं जो एनआईईपीआईडी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यात्मक हैं।

7.7.5 प्रमुख उपलब्धियां:

क) **एनआईईपीआईडी इंडियन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस विकसित किया:** संस्थान ने एनआईईपीआईडी इंडियन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस विकसित किया है जो व्यक्तियों में आईक्यू के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए पूरे देश में इस प्रकार का पहला है। यह टेस्ट माननीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार एमएसजेएंडई, द्वारा 11.12.2023 को नई दिल्ली में जारी और राष्ट्र को समर्पित किया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा स्वीकृत, एक शोध परियोजना के तहत विकसित इस स्वदेशी परीक्षण का 12 राज्यों में 6 एनएसएसओ क्षेत्रों को शामिल करते हुए देश भर में 3–18 वर्ष की आयु सीमा के 4070 बच्चों पर क्षेत्र परीक्षण किया गया था। परीक्षण अब इसके उपयोग पर आवश्यक प्रशिक्षण लेने के बाद मनोवैज्ञानिकों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए तैयार है। एनआईईपीआईडी इंडियन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस पर आरसीआई पंजीकृत मनोवैज्ञानिकों के लिए एनआईईपीआईडी ने 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का काम पहले ही पूरा कर लिया है।

एनआईईपीआईडी इंडियन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस विकसित किया गया और माननीय मंत्री द्वारा 11.12.2023 को नई दिल्ली में राष्ट्र को समर्पित किया गया।

ख) **अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस–2023 का आयोजन डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजेई द्वारा एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद के समन्वय से किया गया** : इतिहास में पहली बार, देश भर में विभिन्न दिव्यांगों के साथ 2500 दिव्यांगजनों ने 21 जून, 2023 को तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के कान्हा गांव के कान्हा वेलनेस सेंटर में एनआईईपीआईडी के समन्वय में डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम में भाग लिया। माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने दिव्यांगजनों द्वारा इस सामूहिक योग प्रदर्शन में "मुख्य अतिथि" के रूप में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम के दौरान विभाग की एडिप योजना के तहत 200 लाभार्थियों को टीएलएम किट और सहायक उपकरण मुफ्त दिए गए। 21 जून 2023 को पूरे भारत से दिव्यांगजन द्वारा इस सामूहिक योग प्रदर्शन ने पहली बार इतिहास रचा और विभाग ने सामूहिक योग करने वाले दिव्यांगजनों की अधिकतम संख्या के तीन रिकॉर्ड अर्थात इंटरनेशनल वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हासिल किए।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस–2023 का आयोजन डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजेई द्वारा एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद के समन्वय से कान्हा वेलनेस सेंटर, कान्हा (गांव), रंगारेड्डी (जिला), तेलंगाना में किया गया।

7.7.6 प्रमुख गतिविधियां :

क) **दिव्यांगता पुनर्वास में परिवर्तनकारी समाधान और नवाचारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन (एनसीटीएसआईडीआर) – 2023:** 20–21 अप्रैल 2023 तक एनआईईपीआईडी सिकंदराबाद में दो दिवसीय एनसीटीएसआईडीआर – 2023 आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 200 से अधिक पेशेवरों/छात्रों/अभिभावकों/दिव्यांगजनों और अन्य हितधारकों ने भाग लिया। देश के विभिन्न हिस्सों से पेशेवरों/शिक्षाविदों/युवा शोधकर्ताओं/छात्र प्रशिक्षुओं द्वारा कुल 48 तकनीकी पत्र और पोस्टर प्रस्तुत किए गए।

दिव्यांगता पुनर्वास में परिवर्तनकारी समाधान और नवाचार पर राष्ट्रीय सम्मेलन एनसीटीएसआईडीआर – 2023 20–21 अप्रैल 2023 को एनआईईपीआईडी सिकंदराबाद में आयोजित किया गया।

ख) **विशेष जरूरतमंद वाले बच्चों के पुनर्वास में तकनीकी–शैक्षणिक दृष्टिकोण पर राष्ट्रीय सम्मेलन, "पुनर्वास 2.0":** एनआईईपीआईडी ने 24 और 25 नवंबर, 2023 को एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद में विशेष जरूरतमंद वाले बच्चों के पुनर्वास में तकनीकी–शैक्षणिक दृष्टिकोण पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन, "पुनर्वास 2.0" का आयोजन किया। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री राजेश अग्रवाल, सचिव (डीईपीडब्ल्यूडी) ने किया। इस सम्मेलन को डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय कोष के तहत वित्त पोषित किया गया था। 10 विभिन्न राज्यों (उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, केरल) और विविध क्षेत्रों के लगभग 250 पुनर्वास पेशेवर और अन्य हितधारक अपने शोध पर और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल के विकास और शैक्षणिक दृष्टिकोण में इसके उपयोग के बारे में दस्तावेज साझा करने, चर्चा करने और प्रस्तुत करने के लिए शामिल हुए हैं।

24 और 25 नवंबर, 2023 को एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद में विशेष जरूरतमंद वाले बच्चों के पुनर्वास में तकनीकी–शैक्षणिक दृष्टिकोण पर राष्ट्रीय सम्मेलन, "पुनर्वास 2.0"

ग) **ऑटिज्म के मूल्यांकन के लिए भारतीय पैमाना पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला (आईएसएए):** एनआईईपीआईडी ने 11–12 दिसंबर, 2023 को डीएआईसी, नई दिल्ली में ऑटिज्म के मूल्यांकन के लिए भारतीय पैमाने पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला (आईएसएए) का आयोजन किया। आईएसएए एनआईईपीआईडी द्वारा विकसित किया गया है, आईएसएए एक रेटिंग स्केल है जिसमें 40 परीक्षण आइटम शामिल हैं क्योंकि ऑटिज्म के संवेदनशील संकेतकों को 6 क्षेत्रों के तहत वर्गीकृत किया गया है अर्थात् सामाजिक संबंध और पारस्परिकता, भावनात्मक जवाबदेही, वाक, भाषा और संचार, व्यवहार पैटर्न, संवेदी पहलू और संज्ञानात्मक घटक। इस परीक्षण में अच्छे साइकोमेट्रिक गुण हैं और इसका उपयोग भारत में ऑटिज्म वाले व्यक्तियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 26 अप्रैल 2016 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार किया जा रहा है। आईएसएए का उपयोग इंटरवेंशन की प्लानिंग के लिए भी किया जा सकता है।

11–12 दिसंबर, 2023 को डीएआईसी, नई दिल्ली में आईएसएए पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला।

घ) **92वीं क्षेत्रीय अभिभावकों की बैठक:** सन फाउंडेशन द्वारा नेशनल फेडरेशन ऑफ पैरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सागर और एनआईईपीआईडी के संयुक्त सहयोग से सागर, मध्य प्रदेश में 2 और 3 सितंबर 2023 को दो दिवसीय क्षेत्रीय अभिभावक बैठक/प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन माननीय सांसद राज बहादुर सिंह ने किया। इस कार्यशाला में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूआईडी के कुल 154 अभिभावकों ने भाग लिया। 2 और 3 सितंबर 2023 को सागर, एमपी में क्षेत्रीय अभिभावक बैठक/प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

ड.) **93वीं क्षेत्रीय अभिभावकों की बैठक:** नेशनल फेडरेशन ऑफ पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जयपुर और एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद के संयुक्त सहयोग से एप्रोच ऑटिज्म सोसाइटी द्वारा जयपुर, राजस्थान में 30.09.2023 और 01.10.2023 को दो दिवसीय क्षेत्रीय अभिभावक बैठक/प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन माननीय न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय, श्री पंकज भंडारी और कमांडर श्री रंग एन बिजूर ने किया। कार्यशाला के दौरान लगभग 150 से अधिक अभिभावकों/प्रतिभागियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। विषय विशेषज्ञों द्वारा बौद्धिक दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और पुनर्वास से संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारी दी गई।

च) **उत्तराखंड के हल्द्वानी में आयोजित 94वीं क्षेत्रीय अभिभावक बैठक:** परिवार, एनसीपीओ की 94वीं क्षेत्रीय अभिभावक बैठक का आयोजन एनआईईपीआईडी के सहयोग से 7–8 अक्टूबर, 2023 को रोशनी सोसाइटी हल्द्वानी, उत्तराखंड के सहयोग से किया गया था। उद्घाटन सत्र में समाज कल्याण विभाग, हल्द्वानी और शिक्षा विभाग, हल्द्वानी के अधिकारियों ने उद्घाटन के दौरान स्वयं अधिवक्ताओं के साथ बातचीत की। कार्यक्रम में कुल 175 अभिभावकों ने भाग लिया।

7.7.7 सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद का अध्ययन दौरा : श्रीमती रमा देवी, माननीय सांसद, लोकसभा की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति ने 11 जुलाई, 2023 को एनआईईपीआईडी में अध्ययन दौरा किया था। समिति में 4 सरकारी अधिकारियों के साथ 12 माननीय सांसद शामिल थे। समिति ने सीडीईआईसी, विशेष शिक्षा केंद्र, डीएआईएल और सामान्य सेवाओं का दौरा किया। उन्होंने एनआईईपीआईडी के शिक्षकों और स्टाफ सदस्यों द्वारा प्रदान किए जा रहे कार्यों और सेवाओं की गुणवत्ता की सराहना की। टीम ने माता–पिता और दिव्यांग लाभार्थियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने सुझाव दिया:

- बौद्धिक दिव्यांगताओं के कारणों और रोकथाम में जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ाना, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में,
- प्रसवपूर्व देखभाल और आनुवंशिक परामर्श पर जागरूकता कार्यक्रम और
- मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों को बढ़ाना ताकि हमारे पास प्रशिक्षित पेशेवर हों।

100 से अधिक बौद्धिक दिव्यांगों को 10 लाख रुपये मूल्य की टीएलएम किट दी गई।

11.07.2023 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद का अध्ययन दौरा।

7.7.8 एनआईईपीआईडी और हंस फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई सहयोगात्मक परियोजना (टीएचएफ): समुदाय आधारित मोबाइल पुनर्वास सेवाएं – एनआईईपीआईडी और टीएचएफ द्वारा शुरू की गई सहयोगात्मक परियोजना। टीएचएफ ने अत्याधुनिक मोबाइल थेरेपी बस की शुरुआत की है, जो दिव्यांगजनों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों और संबंधित स्थितियों के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करती है। मोबाइल थेरेप्यूटिक विशेषज्ञ डोरस्टेप केयर प्रदान करते हैं, जिसमें प्रारंभिक पहचान, चिकित्सा सहायता, चिकित्सा, शिक्षा और परामर्श शामिल है।

समुदाय आधारित मोबाइल पुनर्वास सेवाएं – एनआईईपीआईडी और हंस फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई सहयोगात्मक परियोजना

7.7.9 "एनआईईपीआईडी इंडियन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीआरई) : "एनआईईपीआईडी इंडियन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस" पर सीआरई प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहला बैच 17–22 सितंबर 2023 तक एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का उद्घाटन श्री राजेश अग्रवाल, सचिव (डीईपीडब्ल्यूडी) ने किया। उन्होंने घोषणा की कि परीक्षण डीजीएचएस द्वारा अनुमोदित है और दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ऐड–ऑन टेस्ट के रूप में शामिल किया जाएगा। यह भी घोषणा की गई कि कार्यशालाओं की अगली श्रृंखला एनआई, डीडीआरसी, सीडीईआईसी और जिला मेडिकल बोर्ड के प्रशिक्षण कर्मचारियों पर ध्यान केंद्रित करेगी ताकि आरसीआई पंजीकृत पुनर्वास / नैदानिक मनोवैज्ञानिकों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए इस परीक्षण का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। यह भी घोषणा की गई थी कि एनआईईपीआईडी इंडियन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस को पेटेंट कराया जाएगा और पेशेवरों पर बोझ को कम करने के लिए एक ओपन स्रोत के रूप में रखा जाएगा क्योंकि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय उपकरणों की अत्यधिक लागत है।

"एनआईईपीआईडी इंडियन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस" पर सीआरई प्रशिक्षण कार्यक्रम 17 से 22 सितंबर 2023 तक एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद में आयोजित किया गया था।

7.7.10 पूर्वोत्तर गतिविधियाँ – प्रधान सचिव, असम सरकार के साथ बैठक : एनआईईपीआईडी अधिकारियों की एक टीम ने 04 से 06 सितंबर, 2023 तक गुवाहाटी, असम का दौरा किया। श्री बी. वी. राम कुमार, निदेशक (कार्यवाहक), एनआईईपीआईडी ने बैठक के दौरान एनआईईपीआईडी गतिविधियों, कार्यक्रमों, सहयोग और उपलब्धियों पर एक प्रस्तुति दी। एनआईईपीआईडी टीम ने संसाधन केंद्र, समग्र शिक्षा, गुवाहाटी का दौरा किया और सभी संसाधन शिक्षकों के साथ बातचीत की और संसाधन कक्ष के उन्नयन, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की आवश्यकता और महत्व, विभिन्न नैदानिक मूल्यांकन उपकरणों, सीआरई कार्यक्रमों, योजनाओं के बारे में जागरूकता और पीडब्ल्यूआईडी के लिए लाभों के बारे में जानकारी प्रदान की और सभी संसाधन व्यक्तियों को संबोधित किया।

7.7.11 एनआईईपीआईडी और द हंस फाउंडेशन (टीएचएफ) की समझौता ज्ञापन में प्रविष्टि : 12.10.2023 को, एनआईईपीआईडी और टीएचएफ ने एनआईईपीआईडी सिकंदराबाद में एक अत्याधुनिक हाइड्रोथेरेपी पूल के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एनआईईपीआईडी, टीएचएफ के सहयोग से, बौद्धिक दिव्यांगजनों (पीडब्यूआईडी), प्रमस्तिष्क अंगघात (सेरेब्रल पाल्सी) और अन्य विकासात्मक दिव्यांगजनों को हाइड्रोथेरेपी सेवाएं प्रदान करेगा। इस परियोजना को लागू करने की कुल लागत 5.97 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। मोबाइल समुदाय पुनर्वास सेवाओं का विस्तार करने के लिए भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिन्हें वर्तमान में एनआईईपीआईडी नोएडा से कोलकाता, मुंबई और गाजियाबाद में लागू किया जा रहा है। यह परियोजना विभिन्न स्थानों में एनआईईपीआईडी आरसी द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। इस अनूठी परियोजना का उद्देश्य चयनित स्थानों में प्रति वर्ष 20,000 से अधिक दिव्यांगजनों को छूना है, जो समुदाय में जा रहे हैं जो आवश्यक सेवाएं प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

3 वर्ष की अवधि के लिए प्रोजेक्ट मोबाइल सामुदायिक पुनर्वास सेवाओं को लागू करने के लिए अनुमानित लागत 4.3 करोड़ रुपये है।

7.7.12 डॉ. वीरेंद्र कुमार, माननीय केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता का दौराः डॉ. वीरेंद्र कुमार, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने 20.04.2023 को एनआईईपीआईडी मुख्यालय, सिकंदराबाद का दौरा किया। माननीय मंत्री ने सीडीईआईसी का दौरा किया और सीडीईआईसी के सभी संकाय और कर्मचारियों के साथ बातचीत की और ग्राहकों को प्रदान की गई चिकित्सा/पुनर्वास सेवाओं की सराहना की और माननीय कैबिनेट मंत्री ने सीडीईआईसी, एवाईजेएनआईएचएच, मुंबई से सर्वोत्तम कार्य प्रथाओं का पालन करने का सुझाव दिया। उन्होंने एनआईईपीआईडी मुख्यालय, सिकंदराबाद में विशेष शिक्षा केंद्र का भी दौरा किया और देश भर में बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को एनआईईपीआईडी द्वारा दिए गए डिजिटल क्लास रूम और सीएआई सॉफ्टवेयर पैकेजों की सराहना की। माननीय कैबिनेट मंत्री ने बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए एनआईईपीआईडी में उपलब्ध कर्मचारियों और सेवाओं की सराहना की।

डॉ. वीरेंद्र कुमार, माननीय केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, भारत सरकार ने 20.04.2023 को एनआईईपीआईडी मुख्यालय, सिकंदराबाद का दौरा किया।

7.7.13 कुमारी प्रतिमा भौमिक, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री का दौरा : माननीय राज्यमंत्री, कुमारी प्रतिमा भौमिक ने 28 अप्रैल 2023 को एनआईईपीआईडी का दौरा किया। उन्होंने पीडब्ल्यूआईडी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए एनआईईपीआईडी के शिक्षकों, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली समर्पित सेवाओं की सराहना की। माननीय राज्य मंत्री ने ई–मार्केटिंग के माध्यम से उत्पादों की बिक्री शुरू करने का सुझाव दिया। माननीय मंत्री जी के साथ श्रीमती जयश्री, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता प्रकृति एनजीओ ने एडिप योजना के तहत लगभग 200 पात्र लाभार्थियों को टीएलएम किट और व्हील चेयर वितरित किए।

प्रतिमा भौमिक, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, भारत सरकार ने 28.04.2023 को एनआईईपीआईडी मुख्यालय, सिकंदराबाद का दौरा किया।

7.7.14 कुमारी प्रतिमा भौमिक, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री का दौरा : एसजेएंडई की माननीय राज्य मंत्री, कुमारी प्रतिमा भौमिक ने 06 अक्टूबर 2023 को विश्व प्रमस्तिष्क घात (सेरेब्रल पाल्सी) दिवस के अवसर पर एनआईईपीआईडी का दौरा किया। माननीय राज्य मंत्री ने 7–12 अक्टूबर के दौरान मनाए गए विश्व मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह का उद्घाटन किया। माननीय मंत्री ने एडिप योजना के तहत लगभग 200 पात्र लाभार्थियों को टीएलएम किट, सीपी चेयर और व्हीलचेयर वितरित किए थे। इस संस्थान की यह उनकी दूसरी यात्रा थी, और माननीय राज्य मंत्री ने संस्थान के विशेष बच्चों द्वारा की गई हर गतिविधियों का आनंद लिया और एनआईईपीआईडी के संकाय और कर्मचारियों की सराहना की।

06 अक्टूबर 2023 को माननीय एमओएस, एमएसजेएंडई, कुमारी प्रतिमा भौमिक ने एनआईईपीआईडी का दौरा किया।

7.7.15 एनआईईपीआईडी इंडियन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस पर तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला: एनआईईपीआईडी आरसी, नोएडा में 'एनआईईपीआईडी भारतीय बौद्धिक परीक्षण' पर 29 से 31 जनवरी 2024 तक तीन दिवसीय कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सीआरई कार्यशाला का आयोजन किया गया। श्री बी.वी. राम कुमार, निदेशक, एनआईईपीआईडी ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और एनआईईपीआईडी भारतीय बौद्धिक परीक्षण पर तीन दिवसीय कार्यशाला में एनआईईपीआईडी के उद्देश्यों और कार्यों को साझा किया। पूरे भारत से जैसे एम्स दिल्ली, आईआईटी रुडकी, एआईआईएसएच, मैसूर, एनआईएमएचआर सीहोर, सीआरसी कोझीकोड, सीआरसी गुवाहाटी, केजीएमसी लखनऊ, और छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, लुधियाना, नागपुर, चंडीगढ़, करनाल, देहरादून, अहमदाबाद, बैंगलोर, मुंबई, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा और दिल्ली (15 राज्यों) के कुल 81 प्रतिभागी जो आरसीआई पंजीकृत मनोवैज्ञानिक और अन्य पुनर्वास पेशेवर थे, ने भाग लिया और एनआईईपीआईडी बौद्धिक परीक्षण में प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रतिभागियों के पास अनुभवात्मक शिक्षा, परीक्षण को प्रशासित करने और स्कोर करने के लिए अनुभव था। परीक्षण व्याख्या और रिपोर्ट लेखन पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का समापन कार्यक्रम समन्वयक डॉ. सुनीता द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया और प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए और कार्यशाला में उनके अनुभव और सीखने के बारे में फीडबैक लिया गया।

7.7.16 एनआईईपीआईडी ने अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट–गोवा में भाग लिया: एनआईईपीआईडी ने 8 से 13 जनवरी 2024 तक कला अकादमी, गोवा में डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजेई, भारत सरकार के साथ साझेदारी में गोवा सरकार द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट में भाग लिया। श्री सुभाष फल देसाई, माननीय मंत्री, समाज कल्याण, नदी नौवहन, अभिलेखागार और पुरातत्व मंत्री, गोवा सरकार, डीईपीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और डीईपीडब्ल्यूडी के तहत एनआई के निदेशकों और अन्य अधिकारियों ने एनआईईपीआईडी स्टाल का दौरा किया और एनआईईपीआईडी के निदेशक मेजर बी. वी. राम कुमार और एनआईईपीआईडी के छात्रों के साथ संवाद किया। यह संवाद उत्साह, गतिविधियों और परिचर्चाओं से भरा था। वे एनआईईपीआईडी द्वारा बनाए गए अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्ट बैज को देखकर भी बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने 100 बैज का ऑर्डर दिया।

7.7.17 एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद द्वारा दिव्य कला शक्ति का आयोजन: 10 फरवरी, 2024 को हैदराबाद–सिकंदराबाद ट्विन सिटी बौद्धिक दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान द्वारा आयोजित असाधारण सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगों की असाधारण प्रतिभाओं का गवाह बनी। समावेशिता के उद्देश्य वाले इस अनूठे मंच ने रचनात्मकता की दुनिया का अनावरण किया जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पांच दक्षिणी राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के श्रवण बाधित, बौद्धिक दिव्यांगता, दृष्टि बाधित, ऑटिज्म, थैलेसीमिया, निम्न दृष्टि, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, डाउन सिंड्रोम और लोकोमोटर दिव्यांगता से पीडित कुल 105 प्रतिभागियों ने यादगार प्रस्तुति दी जिसमें सामूहिक नृत्य, एकल नृत्य, संगीत तथा स्टॉलों पर उद्देश्य अनुकूल कला का विस्मयकारी प्रदर्शन शामिल था। यह कार्यक्रम दिव्यांगजनों की असाधारण क्षमताओं के लिए एक साक्षी के रूप में रहा है।

तेलंगाना के माननीय राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल, डॉ. तमिलिसाई सौंदर्यराजन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम को उत्सुकता से देखा और सभी प्रतिभागियों की सराहना की और उन्हें प्रेरित किया। अपने संबोधन में, राज्यपाल ने दिव्यांगजनों के लिए एक मंच बनाने के लिए एनआईईपीआईडी और उसके कर्मचारियों द्वारा किए गए अनुकरणीय प्रयासों की सराहना की। उन्होंने

कहा कि दिव्यांगजनों को सहानुभूति की नहीं सराहना की जरूरत है। उन्होंने स्वदेशी बौद्धिक परीक्षण विकसित करने के लिए एनआईईपीडी की सराहना की, जो व्यक्तियों में आईक्यू परीक्षण के लिए अपनी तरह का पहला प्रयास है।

उन्होंने कहा कि हमें आर्थिक स्वतंत्रता, समावेशिता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए अपना प्रयास करना चाहिए और यह यात्रा हम सभी को बाधाओं को तोड़ने, विविधता को अपनाने और अधिक संवेदनशील और समावेशी समाज का निर्माण करने के लिए प्रेरित करती है।

श्री बी.वी.राम कुमार, निदेशक, एनआईईपीआईडी, संकाय, स्टाफ और एनआईईपीआईडी के दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और कार्यक्रम के कलाकारों को प्रोत्साहित किया।

7.7.18 एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद में आयोजित 29 वीं राष्ट्रीय विशेष कर्मचारी बैठक: 29वीं राष्ट्रीय विशेष कर्मचारी बैठक 8 से 9 फरवरी 2024 तक एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद में आयोजित की गई थी। श्री एन.वी.एस.रेड्डी, आईएएस, सीएमडी, मेट्रो रेल को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था और श्री एम.एस. सुब्रह्मण्यम, आईएएएस, महानिदेशक, महालेखाकार कार्यालय, सम्मानित अतिथि और श्री प्रभाकर राव, संयोजक, अखिल भारतीय लघु और मध्यम उद्योग मंच को कार्यक्रम के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। एनआईईपीआईडी के जीसी सदस्य कमांडर बिजूर और अखिल भारतीय दिव्यांग अधिकार मंच के अध्यक्ष श्री कोल्ली नागेश्वर राव ने भी अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

आयोजन के दौरान, 15 राज्यों के विशेष कर्मचारियों ने भाग लिया और कौशल प्रतियोगिता, अपना पक्ष रखने और सफलता की कहानियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, मजेदार खेलों, कार्य में सहायक यंत्रों और उपकरणों के प्रदर्शन, अनुकूली उपकरणों पर अपनी क्षमताओं और कार्य–निष्पादन को प्रदर्शित किया। कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं और महिला उद्यमिता कार्यक्रमों के लिए ग्राहक पंजीकरण भी किया

गया। इस आयोजन के हिस्से के रूप में, प्रिंटोग्राफी, रानीगंज, डोमिनोज पिज्जा, कापरा, अनंत आदित्य फाउंडेशन, बेगमपेट, करिश्मा स्पोर्ट्स, एसबी मार्केटिंग, निर्माण फाउंडेशन, एनसीएससी (वीआरसी), रत्नदीप सुपर मार्केट, घनश्याम सुपर मार्केट, बोवेनपल्ली, स्टार बाजार (जुडियो), बोवेनपल्ली, लायंस क्लब – जुबली हिल्स चैप्टर, सिंडिकेट टेक्नोलॉजिस, विजया हेल्थ केयर, कंप्यूटर बाजार, चेनॉय ट्रेड सेंटर, एमएसएन लेबोरेटरी, कोमाप्लाई, लियोनार्डो चेशायर, जुबली हिल्स और अमेजन प्लेसमेंट, हैदराबाद, विनिर्माण फर्मों/एजेंसियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और पीएसयू जैसी विभिन्न कंपनियों के नियोक्ता,ने भाग लिया और दिव्यांगजनों की विशेष प्रतिभाओं का अवलोकन किया।

देश के विभिन्न हिस्सों से स्व–नियोजित व्यक्तियों सहित विभिन्न संगठनों के 200 से अधिक विशेष कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने भी इस बैठक में भाग लिया। उन्होंने विभिन्न व्यवसायों में अपने कार्य कौशल का प्रदर्शन किया और जागरूकता सृजन करने और आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से अपनी क्षमताओं और अपने द्वारा बनाए गए उत्पादों का प्रदर्शन किया। तेलंगाना सरकार के डब्ल्यूई हब द्वारा महिला उद्यमिता पर एक विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने भाग लिया।

1000 से अधिक स्कूली छात्रों, विशेष स्कूलों के प्रतिनिधियों, पेशेवरों और मीडिया ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और पूरे दिन क्षमता मेला और कौशल प्रतियोगिता का अवलोकन किया।

कार्यक्रम का अंत एक समापन सत्र के साथ हुआ। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को एनआईईपीआईडी के निदेशक श्री बी. वी. राम कुमार द्वारा प्रमाणपत्र वितरित किए गए। 'मैक एनवायरो टेक्नोलॉजीज' की प्लेसमेंट एजेंसियों ने दो व्यक्तियों के प्लेसमेंट की पेशकश की और 'डीसीएल बल्क टेक्नोलॉजिस' ने डीएआईएल प्रशिक्षु को एक प्लेसमेंट की पेशकश की जो एनआईईपीआईडी के लिए गर्व का क्षण और उपलब्धि है क्योंकि यह दिव्यांगजनों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण लाता है।

7.7.19 डॉ. वीरेंद्र कुमार, माननीय केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एमएसजेएंडई, भारत सरकार द्वारा हाइड्रोथेरेपी यूनिट की आधारशिला रखी गईः डॉ. वीरेंद्र कुमार, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार ने 21 फरवरी, 2024 को वर्चुअल माध्यम से हाइड्रोथेरेपी यूनिट की आधारशिला रखी। दिव्यांगजनों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले चिकित्सीय हस्तक्षेप को बढ़ावा देने के प्रयास में, हंस फाउंडेशन के सहयोग से एनआईईपीआईडी मनोविकास नगर, सिकंदराबाद में एनआईईपीआईडी परिसर में एक हाइड्रोथेरेपी यूनिट स्थापित कर रहा है। एनआईईपीआईडी बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में तृतीय प्रमुख केंद्र होने के नाते, उन्नत हाइड्रोथेरेपी पूल अन्य क्षेत्रीय केंद्रों, डीडीआरसी, डीईआईसी, एनजीओ, स्वैच्छिक संगठनों आदि के लिए एक संसाधन मॉडल हो सकता है। हंस फाउंडेशन 5,19,00,389/– रुपये की अनुमानित लागत पर हाइड्रोथेरेपी पूल, अवसंरचना/उपकरण के निर्माण के लिए योगदान देगा और एनआईईपीआईडी निर्माण की देखरेख और मॉनिटरिंग करेगा, परिचालन लागत, कर्मचारियों के वेतन और 78,47,700/– रुपये के अन्य आवर्ती व्यय को वहन करेगा। प्रस्तावित हाइड्रोथेरेपी पूल उन्नत उपकरणों के साथ सबसे बड़े चिकित्सीय–थेराप्यूटिक पूलों में से एक होगा और विशेष रूप से दिव्यांगजनों के उपयोग के लिए होगा। इस अवसर पर एनआईईपीआईडी के निदेशक श्री बी.वी. राम कुमार, एनआईईपीआईडी, डीओटी विभागाध्यक्ष श्री यतीन्द्र कुमार, श्री कोल्ली नागेश्वर रॉव, अध्यक्ष, डिसेबिलिटी राईट्स फोरम, एनआईईपीडी के संकाय सदस्य, कर्मचारी तथा पीडब्ल्यूआईडी उपस्थित थे।

7.7.20 डॉ. वीरेंद्र कुमार, माननीय केंद्रीय केबिनेट मंत्री एमएसजेई, भारत सरकार द्वारा सीआरसी, दावणगेरे के नए भवन का उद्घाटनः 21 फरवरी 2024 को, सीआरसी, दावणगेरे के नए भवन का उद्घाटन माननीय मंत्री एमएसजेई, भारत सरकार द्वारा माननीय एसजेई राज्यमंत्री जीओआई श्री

नारायणस्वामी, कुमारी प्रतिमा भौमिक और श्री रामदास आठवले की गरिमामयी उपस्थिति में वर्चुअल रूप से किया गया था। इस अवसर पर माननीय संसद सदस्य, श्री के. जी.एम. सिद्धेश्वर, दावणगेरे निर्वाचन क्षेत्र और माननीय पूर्व विधायक प्रो. लिंगन्ना व्यक्तिगत रूप से इस अवसर पर उपस्थित थे।

श्री राजेश अग्रवाल, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजेई, भारत सरकार, श्री राजेश कुमार यादव, संयुक्त सचिव, श्री. राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव, श्री. बी.वी. राम कुमार, निदेशक एनआईईपीआईडी ने वर्चुअल रूप से भाग लिया। उप महापौर, पूर्व–महापौर, ग्राम पंचायत अध्यक्ष और होन्नुरु ग्राम पंचायत के अतिरिक्त उपायुक्त, अध्यक्ष सहित जिले के प्रमुख सरकारी अधिकारी उपस्थित थे।

श्रीमती मीनाक्षी, निदेशक, सीआरसी, दावणगेरे आगंतुकों के साथ रहीं और उन्हें 21 प्रकार की दिव्यांगताओं से ग्रसित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए नए भवन में उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। उद्घाटन के तुरंत बाद, मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, हियरिंग एड, स्मार्ट फोन, केन, बैसाखी और सीपी चेयर सहित 252 सहायक उपकरण वितरित किए गए। इस उद्घाटन समारोह में लगभग 1000 व्यक्तियों ने भाग लिया।

7.7.21 डॉ. वीरेंद्र कुमार, माननीय केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एमएसजेई, भारत सरकार द्वारा सीआरसी, राजनंदगांव के नए भवन का वर्चुअल रूप से उद्घाटनः डॉ. वीरेंद्र कुमार, माननीय केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने 21.02.2024 को ठाकुरटोला, राजनंदगांव में दिव्यांगजनों के लिए समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास, सशक्तिकरण केंद्र के नए भवन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में राजनंदगांव के माननीय सांसद–श्री संतोष पांडेय; जिला पंचायत अध्यक्ष–सुश्री गीता साहू; पूर्व कैबिनेट मंत्री–श्री खुबचंद पारक; प्रदेश के महामंत्री–श्री भरत वर्मा; श्री संजय अग्रवाल, आईएएस; जिला मजिस्ट्रेट–श्री बीएल ठाकुर; उप निदेशक, जिला समाज कल्याण अधिकारी ने मुख्य अतिथियों और सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया। उद्घाटन के दौरान, माननीय सांसद ने सभी पात्र लाभार्थियों को सहायक उपकरण वितरित किए। साथ ही मुख्य अतिथि और सम्मानित अतिथियों ने केंद्र में सेवा इकाइयों, उत्पादों की प्रदर्शनी और प्रकाशनों का अवलोकन किया।

7.7.22 एनआईईपीआईडी ने टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए: एनआईईपीआईडी ने 26.02.2024 को टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट (टीपीसीडीटी) के साथ "इंडिया न्यूरोडायवर्सिटी प्लेटफॉर्म" के लिए राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो जल्द प्रारंभिक हस्तक्षेप और होम केयर के लिए एक एग्रीगेटर फिजिकल प्लेटफॉर्म है। डीईपीडब्ल्यूडी के सचिव श्री राजेश अग्रवाल, डीईपीडब्ल्यूडी के संयुक्त सचिव श्री राजेश यादव और श्री राजीव शर्मा तथा एनआईईपीआईडी के निदेशक मेजर बी. वी. राम कुमार और टाटा पावर के अधिकारियों ने इस परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन का आदान–प्रदान किया। इस साझेदारी का उद्देश्य माता–पिता/देखभाल करने वालों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों को प्राथमिक थैरेपिस्ट बनने के लिए सशक्त बनाना और विभिन्न न्यूरो विकासात्मक दिव्यांगताओं वाले उनके बच्चों को जल्द प्रारंभिक हस्तक्षेप प्रदान करना और उन्हें पेशेवरों द्वारा शुरुआती हस्तक्षेप किए जाने के लिए भेजना है।

इस मंच का मुख्य विजन और उद्देश्य सभी क्षेत्रों में समाज के बड़े क्रॉस–सेक्शन तक गहरी और व्यापक पहुंच को सक्षम बनाने के लिए एक फिजिकल न्यूरोडाइवर्सिटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रारंभिक निदान और देखभाल को बदलना, सरकारी सहायता सेवाओं के प्रभाव को बढ़ाना और साथ ही इस क्षेत्र में संयुक्त रूप से नई प्रथाओं और वैश्विक इंटरफेस को बढ़ावा देना।

7.7.23 एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद में आयोजित 29 वीं राष्ट्रीय अभिभावक बैठक: एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद ने 02 से 03 मार्च, 2024 तक परिवार एनसीपीओ के सहयोग से 29वीं राष्ट्रीय अभिभावक बैठक का आयोजन किया। श्री राजेश अग्रवाल, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजेई, भारत सरकार ने ऑनलाइन मोड के माध्यम से इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और पूरे देश के विभिन्न राज्यों से इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले अभिभावकों, गैर सरकारी संगठनों और विशेष जरूरतमंद बच्चों को संबोधित किया। सचिव डीईपीडब्ल्यूडी ने बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों और परिवारों को सशक्त बनाने के लिए डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा की गई विभिन्न पहलों और उपायों के बारे में बताया।

एनआईईपीआईडी के निदेशक श्री मेजर बी वी राम कुमार ने एनआईईपीआईडी सिकंदराबाद द्वारा सुगम्य माइंड सेट, सामाजिक समावेश और परिवारों को सशक्त बनाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों और

पहलों के संबंध में अभिभावकों और गैर–सरकारी संगठनों को बताया।

सुश्री पूनम नटराजन, पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास और परिवार अध्यक्ष श्री पंकज मारू ने भी अभिभावकों और एनजीओ को संबोधित किया। देश भर के 300 सौ से अधिक अभिभावकों और विशेष जरूरतमंद बच्चों ने इस 29 वें राष्ट्रीय अभिभावक सम्मेलन में भाग लिया।

देश के विभिन्न हिस्सों के प्रख्यात संसाधन व्यक्तियों द्वारा बौद्धिक दिव्यांगजनों के लिए सफल आजीविका मॉडल, समुदाय में बौद्धिक दिव्यांगजनों के लिए सहायता प्रणाली और वित्तीय एवं विरासत योजना (लीगेसी प्लानिंग) और पीडब्ल्यूआईडीएस के लिए विभिन्न योजनाओं और लाभों पर विभिन्न तकनीकी सत्र और पैनल चर्चा की गई।

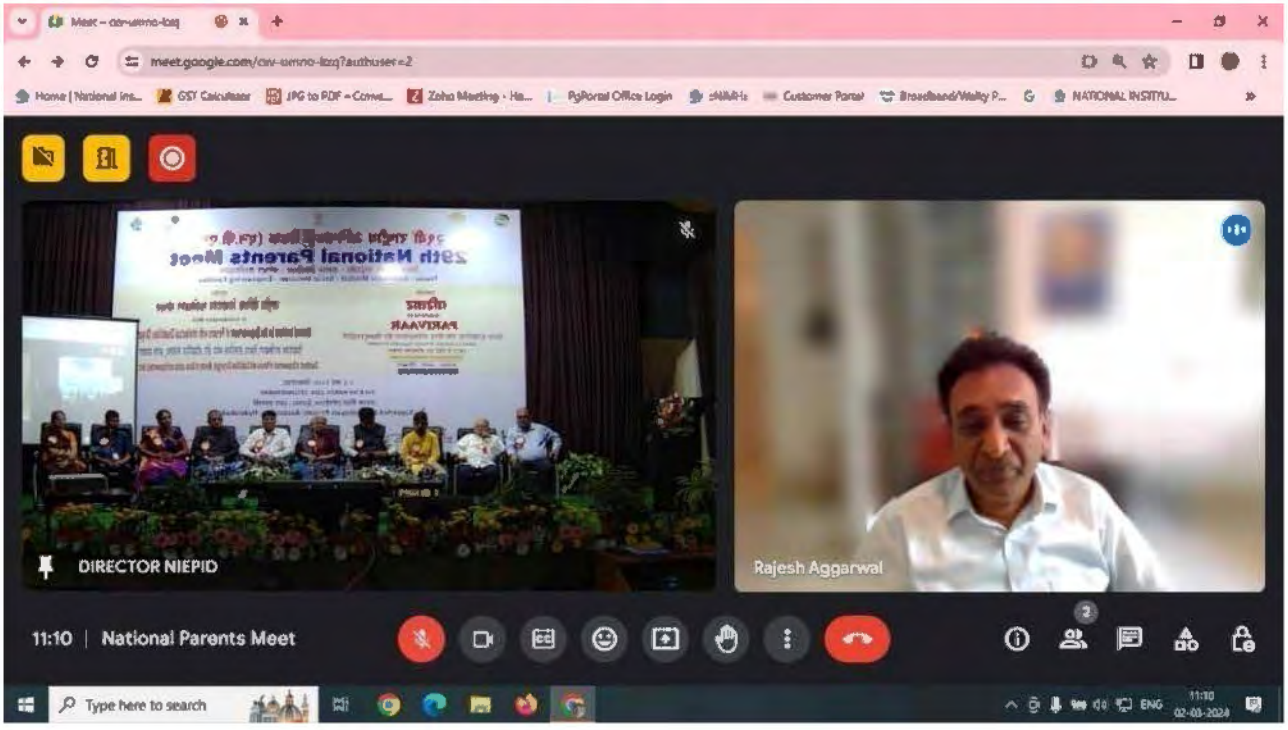

7.7.24 एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय न्यास बोर्ड की बैठकः राष्ट्रीय न्यास बोर्ड की बैठक एनआईईपीआईडी सम्मेलन कक्ष में दिनांक 06.03.2024 को आयोजित की गई। श्री राजेश अग्रवाल, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने बैठक के सत्र की अध्यक्षता की। श्री के आर वैद्येश्वरन, सीएसएस, संयुक्त सचिव और सीईओ, राष्ट्रीय न्यास; श्री नवनीत कुमार, कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास; श्री गुरइकबाल सिंह बेदी, बोर्ड सदस्य,

राष्ट्रीय न्यास; डॉ आशीष कुमार, बोर्ड सदस्य, राष्ट्रीय न्यास; सुश्री रूबी सिंह, बोर्ड सदस्य, राष्ट्रीय न्यास; श्री पुष्पपाल सिंह, बोर्ड सदस्य, राष्ट्रीय न्यास; श्री पीपी मोहंती, निदेशक, एसवीएनआईआरटीएआर; श्री नचिकेता राउत, निदेशक, एनआईईपीएमडी, श्री बी.वी. राम कुमार एनआईईपीआईडी, श्री संदीप ताम्बे, उप निदेशक, आरसीआई, डॉ श्रवण रेड्डी, डॉ यतेंद्र, श्री गणेश शेरेगर और श्री जी श्रीनिवासुलु – संकाय एनआईईपीआईडी ने बैठक में भाग लिया।

7.7.25 भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) और एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद के बीच समझौता ज्ञापनः दिनांक 06.03.2024 को, डीएआईएल प्रशिक्षुओं के लिए व्यावसायिक कौशल विकास मशीनरी की खरीद के लिए एनआईईपीआईडी को 40 लाख की सीएसआर निधि के संबंध में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) और एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद के बीच समझौता ज्ञापन का आदान–प्रदान हुआ। **श्री राजेश अग्रवाल, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, भारत सरकार, श्री बी. वी. राम कुमार, निदेशक, एनआईईपीआईडी और राश्ट्रीय न्यास के सदस्य भी बैठक में उपस्थित थे।**

बैठक के दौरान एसवीआर अनंत आदित्य फाउंडेशन द्वारा 12 प्रशिक्षुओं के नियोजन (प्लेसमेंट) के लिए डीएआईएल प्रशिक्षुओं को जॉब ऑफर लेटर वितरित किए गए। उन्होंने हैदराबाद, सिकंदराबाद और ट्विन सिटी के आसपास के जिलों में विभिन्न व्यापार क्षेत्रों में 50 से अधिक प्लेसमेंट की पेशकश की।

7.7.26 अन्य गतिविधियाँ और कार्यक्रम :

- एनआईईपीआईडी मुख्यालयों, क्षेत्रीय केंद्रों और समेकित क्षेत्रीय केंद्रों ने 02 अप्रैल, 2023 को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस का आयोजन किया।

- एनआईईपीआईडी ने रेनबो हॉस्पिटल्स और तेलंगाना मेडिकल काउंसिल के साथ साझेदारी में 16 अप्रैल, 2023 को रेडिसन ब्लू प्लाजा होटल में ऑटिज्म पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। 160 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें से 58 सीआरई प्रमाणपत्र के लिए पात्र थे।

- एनआईईपीआईडी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) के सहयोग से 25–27 अप्रैल 2023 तक एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद में "बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के लिए स्थायी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंटरवेंशनों का अध्ययन करने के माध्यम से नीति के पक्षधर" पर तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

- वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस (जीएएडी) के अवसर पर, डीईपीडब्ल्यूडी और एनआईईपीआईडी ने 18 मई 2023 को राष्ट्रीय स्तर पर वेबिनार का आयोजन किया। श्री राजेश अग्रवाल, सचिव डीईपीडब्ल्यूडी ने वर्चुअल तरीके से सत्र का उद्घाटन किया। कुल 2367 ग्राहकों (छात्रों, अभिभावकों, प्रशिक्षुओं, पेशेवरों और दिव्यांगता पुनर्वास के अन्य हितधारकों) ने पंजीकरण कराया, जिनमें से कुल 238 प्रतिभागी ऑनलाइन मोड के माध्यम से शामिल हुए।

- विश्व सिज़ोफ्रेनिया दिवस के अवसर पर, डीईपीडब्ल्यूडी और एनआईईपीआईडी ने 24 मई 2023 को "सिज़ोफ्रेनिया की समझ और प्रबंधन" पर राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन सुबह के सत्र में हिंदी में और दोपहर में अंग्रेजी में किया।

- हंस फाउंडेशन के सहयोग से एनआईईपीआईडी के द्वारा मोबाइल कम्युनिटी थेरेपी सेवाओं के स्टाफ सदस्यों के लिए 22 से 26 मई, 2023 तक 5 दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन एक संयुक्त परियोजना के लिए किया गया था।

- एनआईईपीआईडी ने 27 मई 2023 को वाराणसी में दिव्य कला मेला प्रदर्शनी में भाग लिया। एनआईईपीआईडी ने 17 से 23 जून 2023 तक आयोजित दिव्य कला मेला, इंदौर 2023 के दौरान एक स्टाल भी लगाया। इंदौर में मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉ. वीरेंद्र कुमार, माननीय मंत्री, एमएसजेई ने किया। एनआईईपीआईडी ने 29.06.2023 से 05.07.2023 तक जयपुर, राजस्थान में डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा आयोजित दिव्य कला मेला प्रदर्शनी में भी भाग लिया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सहयोग से एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद द्वारा दिव्यांग बच्चों और युवाओं द्वारा आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम दिव्य कला शक्ति का आयोजन 19.01.2024 को किया गया था।

- एनआईईपीआईडी आरसी नवी मुंबई – दीर्घकालिक पाठ्यक्रम (लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स) के उन 21 छात्रों को विभिन्न संस्थानों से ऑफर लेटर प्राप्त हुए, जिन्होंने पहले राउंड कैंपस प्लेसमेंट इंटरव्यू 2023 में भाग लिया था।
- "वर्ल्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अवेयरनेस डे 2023" के अवसर पर, एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद द्वारा 07.09.2023 को "ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी" पर राष्ट्रीय स्तर का वेबिनार आयोजित किया गया था।
- "विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 2023" के अवसर पर, 8 सितंबर 2023 को एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद द्वारा "लोकोमोटर चुनौतियों वाले बच्चों पर जलीय चिकित्सा (एक्वेटिक थेरेपी) का प्रभाव" विषय पर राष्ट्रीय स्तर का वेबिनार आयोजित किया गया था।
- दिनांक 29.09.2023 को श्री राजेश अग्रवाल, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी ने एनआईईपीआईडी आरसी नवी मुंबई का दौरा किया। उन्होंने एनआईईपीआईडी और टाटा प्रोजेक्ट्स द्वारा आयोजित समावेशी फन फेयर नृत्य और संगीत कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक गैर सरकारी संगठन – प्रथम के सहयोग से एनआईईपीआईडी द्वारा विकसित एडीएल वीडियो जारी किया गया।
- 30 अक्टूबर, 2023 से 04 नवंबर, 2023 तक असम के सोनितपुर जिले के तेजपुर में एनआईईपीआईडी द्वारा असम राज्य सरकार के सहयोग से बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों/बच्चों को 1218 टीएलएम किट का वितरण किया गया।
- एनआईईपीआईडी ने दक्षिण सलमारा जिला प्रशासन, असम के सहयोग से 14–25 नवंबर 2023 तक असम के दक्षिण सलमारा जिले के विभिन्न ब्लॉकों में पीडब्ल्यूआईडी, अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, छात्र जागरूकता कार्यक्रम और जन जागरूकता कार्यक्रमों के लिए आईक्यूर मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया। कुल 4878 लाभार्थियों ने भाग लिया।
- एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद ने 18 से 21 नवंबर 2023 तक मेघालय में टीएलएम वितरण शिविर आयोजित किए और पीडब्ल्यूआईडी के लिए अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए। पीडब्ल्यूआईडी को कुल 150 टीएलएम किट वितरित किए गए।
- सीएसआर सहायता के लिए 14.12.2023 को एनटीपीसी और एनआईईपीआईडी के बीच एमओए (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किये। उन्होंने एनआईईपीआईडी में पीडब्ल्यूआईडी के उपयोग के लिए डिजिटल इंटरएक्टिव बोर्ड, टीएलएम किट और ओपन जिम सामग्री के लिए सीएसआर सहायता के रूप में निधि प्रदान की।
- एनआईईपीआईडी ने 7 से 10 जनवरी 2024 तक फेकामारी, टुमनी, दक्षिण सलमारा, जंगल ब्लॉक, मनकाचर ब्लॉक, सर्किट हाउस, हटसिंघमारी, असम में टीएलएम किट वितरण शिविर आयोजित किए। इसमें कुल 690 लाभार्थियों ने भाग लिया।
- एनआईईपीआईडी ने दिनांक 02.01.2024 को एनआईईपीआईडी के सम्मेलन कक्ष में तेलंगाना जिला न्यायाधीशों के लिए एक संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया। श्री बी.वी.राम कुमार, निदेशक, एनआईईपीआईडी ने सत्र का उद्घाटन किया और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के प्रावधानों के बारे में बताया। कार्यक्रम के दौरान बौद्धिक दिव्यांगता, दृष्टि बाधिता, श्रवण बाधिता, सरकारी अधिनियमों और प्रावधानों, योजनाओं और लाभ पर अभिविन्यास (ऑरिएन्टेशन) सत्र कवर किए गए तेलंगाना राज्य के कुल 12 जिला न्यायाधीशों ने भाग लिया।
- एनआईईपीआईडी सिकंदराबाद में 4 जनवरी 2024 को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। दृष्टिबाधितों के लिए संचार विधि के रूप में ब्रेल द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विश्व ब्रेल जागरूकता दिवस के

दौरान अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। आयोजित कार्यक्रमों का उद्देश्य सार्वजनिक पेशेवर छात्रों / अभिभावकों में जागरूकता पैदा करना था।

- श्री विनीत सिंहल, निदेशक, डीईपीडब्ल्यूडी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और मेजर बीवी राम कुमार, निदेशक (स्थानापन्न), एनआईईपीडी, सिकंदराबाद ने सीआरसी, दावणगेरे की प्रगति की मॉनिटरिंग के लिए दिनांक 12.01.2024 को सीआरसी, दावणगेरे का दौरा किया था। अधिकारियों ने सीपीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ निर्माण स्थल की स्थिति की मॉनिटरिंग करने के लिए निर्माण स्थल का दौरा किया है।

- सीआरसी दावणगेरे ने दिनांक 12.01.2024 को सीआरसी दावणगेरे में स्वामी विवेकानंद की जयंती की पूर्व संध्या पर "राष्ट्रीय युवा दिवस" समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन श्री विनीत सिंहल, निदेशक–एनआई, श्री बीवी राम कुमार निदेशक (स्थानापन्न) एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद और श्रीमती मीनाक्षी, निदेशक, दावणगेरे ने किया। कार्यक्रम के दौरान श्री विनीत सिंहल, निदेशक–एनआई, मेजर बी वी राम कुमार, निदेशक, एनआईईपीआईडी ने एनआईईपीआईडी गतिविधियों के महत्व के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस के कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में कुल 121 लाभार्थी उपस्थित हुए और उसमें आयोजित गतिविधियों में भाग लिया।

- 26 जनवरी 2024 को एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद में 75वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। श्री बी.वी.राम कुमार, निदेशक (स्थानापन्न), एनआईईपीआईडी ने राष्ट्रगान के साथ ध्वजारोहण किया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत की। विशेष शिक्षा केंद्र के छात्रों, डीएआईएल प्रशिक्षुओं, दीर्घकालिक पाठ्यक्रम के छात्रों और अभिभावकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया।

- एनआईईपीआईडी ने "परीक्षा पे चर्चा 2024" का सीधा प्रसारण देखा और उसमें भाग लिया। माननीय प्रधानमंत्री ने 29 जनवरी, 2024 को छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत की। माननीय प्रधानमंत्री के प्रयासों से प्रेरित यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और समाज को एक साथ लाने के लिए है ताकि ऐसे वातावरण को बढ़ावा दिया जा सके जहां प्रत्येक बच्चे के अनूठे व्यक्तित्व का जश्न मनाया जाए, उसे प्रोत्साहित किया जाए और उसे स्वयं को पूरी तरह से व्यक्त करने दिया जाए।

- 30 जनवरी 2024 को, एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद ने तेलंगाना के मंचेरियल जिले में "दिव्यांगजनों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप और पुनर्वास सेवाओं पर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम" आयोजित किया। इस कार्यक्रम के दौरान कुल 108 जमीनी स्तर के कार्यकर्ता (आंगनबाड़ी, आशा, एसएसए आईईडी शिक्षक) शामिल हुए।

- एनआईईपीआईडी के क्षेत्रीय केंद्र नवी मुंबई ने 4 जनवरी 2024 को संघ राज्य क्षेत्र दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव के समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम पर कार्यशाला आयोजित की। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी शिक्षकों, विशेष शिक्षा शिक्षकों और आशा कार्यकर्ताओं सहित कुल 112 जमीनी स्तर के कार्यकर्ता शामिल हुए।

- एनआईईपीआईडी के क्षेत्रीय केंद्र नवी मुंबई को सीएसआर के तहत मेसर्स पॉलीबॉन्ड इंसुलेशन प्राइवेट लिमिटेड से बौद्धिक दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण के लिए 1,00,000 रुपये की 1 फोटोस्टेट मशीन प्राप्त हुई।

- एनआईईपीआईडी एमएसईसी नोएडा के 08 छात्रों ने 15 जनवरी 2024 को विशेष ओलंपिक भारत द्वारा आयोजित बोक्के खेल में भाग लिया। एनआईईपीआईडी एमएसईसी नोएडा के 10 छात्रों ने वाईएमसीए

निजामुद्दीन द्वारा 31 जनवरी 2024 को रंगोली बनाने, चित्रकला प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता, "बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट", नृत्य प्रतियोगिता में आयोजित एबिलिटी उत्सव में भाग लिया। रंगोली मेकिंग एंड पेंटिंग प्रतियोगिता में 3 विद्यार्थियों को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सभी छात्रों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और सहभागिता के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त किए।

- एनआईईपीआईडी मुख्यालय और आरसी ने 22 फरवरी, 2024 को अपना 40वां वार्षिक दिवस मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत भाषण और निदेशक श्री बीवी राम कुमार के स्वागत भाषण और विशेष बच्चों द्वारा दीयों की रोशनी के साथ हुई। यह एक महत्वपूर्ण अवसर था जो बौद्धिक दिव्यांगजनों, अभिभावकों, छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों और व्यापक समुदाय को एक साथ लाता है।

- पर्पल फेस्ट दिल्ली का आयोजन दिनांक 26 फरवरी, 2024 को राष्ट्रपति भवन के मैदान में किया गया था। एनआईईपीआईडी के निदेशक श्री मेजर बी वी राम कुमार के कुशल मार्गदर्शन में, एनआईईपीआईडी एमएसईसी ने सीडब्ल्यूआईडी, अभिभावक और एनआईईपीआईडी मुख्यालय के संकाय सदस्यों के सहयोग से उत्पादों, सामग्रियों और जागरूकता उपकरणों के कैनवास को प्रदर्शित करते हुए एक स्टाल का आयोजन किया। चित्रकला के रूप में लाइव कला प्रदर्शन हमारे प्रिय आदित्य, तनय और दीक्षा द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इन प्रयासों की डीईपीडब्ल्यूडी के सचिव श्री राजेश अग्रवाल और डीईपीडब्ल्यूडी के संयुक्त सचिव, श्री राजेश यादव एवं श्री राजीव शर्मा ने बहुत सराहना की।

- ब्रिटिश एयरवेज और भारतीय विमानन प्राधिकरण (एएआई) की एक टीम ने 29 फरवरी 2024 को एनआईईपीआईडी सिकंदराबाद का दौरा किया। श्री बी वी राम कुमार, निदेशक, एनआईईपीआईडी ने न्यूरोडेवलपमेंट दिव्यांगता के बारे में चर्चा की और समझाया ताकि हवाई अड्डों और हवाई यात्रा को दिव्यांगजनों के लिए अधिक सुगम्य और एप्रोचएबल बनाया जा सके।

- दिनांक 12 फरवरी, 2024 को, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के अवसर पर, एनआईईपीआईडी सिकंदराबाद ने मिर्गी रोग पर जागरूकता और संवेदीकरण सृजित करने के लिए अभिभावकों, देखभाल करने वालों, आम जनता, छात्रों और कर्मचारियों के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। श्री बी वी राम कुमार, निदेशक एनआईईपीआईडी ने मिर्गी रोग पर जागरूकता के महत्व के बारे में छात्रों और अभिभावकों को संबोधित किया और एनआईईपीआईडी के कर्मचारियों और छात्रों की सराहना की।

- पीएम श्री योजना के तहत, एनआईईपीआईडी ने केंद्रीय विद्यालय, गोलकुंडा में तमन्ना एप्टीट्यूड और साइकोमेट्रिक (आईक्यू) परीक्षण आयोजित किया।

- एनआईईपीआईडी के क्षेत्रीय केंद्र नवी मुंबई ने दिनांक 19 फरवरी 2024 को दमन दीव के दीव में प्रारंभिक हस्तक्षेप पुनर्वास सेवाओं पर जमीनी स्तर के श्रमिकों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती भानु प्रभा (आईएएस) जिला मजिस्ट्रेट, दीव, संघ राज्य क्षेत्र थीं। निम्नलिखित अतिथि–डॉ कासिम सुल्तान (स्वास्थ्य अधिकारी, दीव), सुश्री मैत्रेयी भट, (जिला बाल संरक्षण अधिकारी, दीव) भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में कुल 100 जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं (आंगनवाड़ी, आशा, पूर्व–प्राथमिक शिक्षक, एएनएम, विशेष शिक्षक) ने भाग लिया।

- एमएसईसी के छात्रों ने विशेष ओलंपिक भारत दिल्ली राज्य फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया, एक छात्र शिवम गौतम को दिल्ली राज्य फुटबॉल टीम के लिए चुना गया और दिनांक 15/02/2024 को रजत पदक हासिल किया।

- सीआरसी, राजनंदगांव ने लोकोमोटर दिव्यांगता के 10 छात्रों के लिए पीएम दक्ष कौशल प्रशिक्षण में सिलाई मशीन ऑपरेटर प्रशिक्षण शुरू किया है।

- एनआईईपीआईडी के अधिकारियों ने 13 मार्च, 2024 को करीमनगर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, करीमनगर, तेलंगाना में पीएम सूरज पोर्टल के उद्घाटन में भाग लिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से "सूरज पोर्टल" का उद्घाटन किया और राष्ट्र को समर्पित किया एवं समाज के वंचित वर्गों को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान माननीय सांसद श्री बंदी संजय, श्रीमती पामेला सत्पथी, आईएएस जिला कलेक्टर, राष्ट्रीयकृत बैंक के प्रतिनिधि और अन्य जिला प्रशासनिक कर्मचारी उपस्थित थे।

- "ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर – द ऑटिज्म ओडिसी" पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल द्वारा एनआईईपीआईडी और मरहम रेजोनेटिंग रेजिलिएंस (एनजीओ), हैदराबाद के सहयोग से 16 और 17 मार्च 2024 को ऑडेटोरियम, चौथी मंजिल, रेनबो हार्ट इंस्टीट्यूट, रोड नंबर 10, बंजारा हिल्स, हैदराबाद में आयोजित किया गया।

- अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस 2024 दिनांक 1 मार्च 2024 को एनआईईपीआईडी सिकंदराबाद में मनाया गया। मोबिलिटी इंडिया के सहयोग से विभिन्न प्रकार के व्हीलचेयर के व्यावहारिक प्रदर्शन पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सत्र में व्हील चेयर के उपयोग, आदर्श व्हील चेयर चुनने पर प्रस्तुतियों और लाइव प्रदर्शनों को कवर किया गया। लगभग 100 पुनर्वास पेशेवरों, दिव्यांगजनों के अभिभावक कार्यक्रम में भाग लेने से लाभान्वित हुए हैं।

- सीआईआई ग्लोबल यंग इंडियंस ऑर्गनाइजेशन ने एनआईईपीआईडी के सहयोग से दिनांक 1 मार्च 2024 को हैदराबाद के ट्विन सिटी में स्थित आईडी (बौद्धिक दिव्यांगता) वाले बच्चों के विशेष स्कूलों के लिए एनआईईपीआईडी स्पोर्ट्स ग्राउंड में खेल कार्यक्रम आयोजित किए गए। एनआईईपीआईडी के निदेशक श्री बी वी राम कुमार ने सीआईआई ग्लोबल यंग इंडियंस के अधिकारियों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। लगभग 500 छात्रों ने 17 कार्यक्रमों में भाग लिया, जिसमें एनआईईपीआईडी के एसईसी और डीएआईएल के छात्र शामिल थे।

- विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के अवसर पर, एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद ने दिनांक 21.03.2024 को अभिभावक, आम जनता, कर्मचारियों और छात्रों के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता सृजित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। निदेशक, एनआईईपीआईडी मेजर बी.वी. राम कुमार ने विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के महत्व के बारे में अभिभावकों, छात्रों और कर्मचारियों को संबोधित किया एवं डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों की प्रारंभिक पहचान में छात्रों और अभिभावकों को विभिन्न इनपुट दिए तथा प्रारंभिक हस्तक्षेप के महत्व को समझाया।

7.8 राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी), चेन्नई

बहु–दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए एक राष्ट्रीय संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2005 में मुत्तुकाडु, चेन्नई, तमिलनाडु में राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी) की स्थापना की गई थी।

7.8.1 उद्देश्य :

(i) अत्याधुनिक पुनर्वास, हस्तक्षेप (इंटरवेंशन) अर्थात् शैक्षिक, चिकित्सीय, व्यावसायिक, रोजगार, अवकाश और सामाजिक गतिविधियों, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पूर्ण भागीदारी के साथ–साथ सामुदायिक पुनर्वास, परियोजना प्रबंधन और गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) का क्षमता निर्माण सहित विभिन्न दृष्टिकोणों को विकसित करने के माध्यम से बहु–दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए अंतर–विषयात्मक, बहु–विषयात्मक और ट्रांसडिसिप्लिनरी गतिविधियों को शामिल करते हुए विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास विकसित करना है।

(ii) इस समाज के द्वारा इसे आगे "संस्थान" या गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से संदर्भित गया है, बहु दिव्यांगता से संबंधित सभी क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना और संचालित करना और बहु दिव्यांगताग्रस्त व्यक्तियों के विभिन्न समूहों की विभिन्न कार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामाजिक पुनर्वास हेतु ट्रांस–डिसिप्लिनरी मॉडल और कार्यनीतियों को विकसित करना।

(iii) संस्थान द्वारा या गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से बहु दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों की शिक्षा, पुनर्वास, क्षमता निर्माण, स्वतंत्र जीवन यापन के सभी पहलुओं में अनुसंधान का संचालन, प्रायोजन, समन्वय करना या सब्सिडी देना।

(iv) प्रारंभिक हस्तक्षेप, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, विशेष शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार, स्वतंत्र जीवन यापन, सामुदायिक पुनर्वास और परियोजना प्रबंधन, चिकित्सक और ऐसे अन्य कर्मियों के प्रशिक्षण के क्षत्र में प्रशिक्षकों और पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण शुरू करना और / या प्रायोजित करना जिसे संस्थान द्वारा बहु दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों को सशक्त बनाने में आवश्यक समझा जा सकता है।

(v) बहु दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों की शिक्षा, चिकित्सा और पुनर्वास के किसी भी पहलू को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए किसी भी या सभी सहायक यंत्रों के विनिर्माण, निर्माण, अनुकूलन या प्रचार या प्रोटोटाइप के निर्माण को सब्सिडी देना और उनका वितरण करना।

प्रदत्त सेवाएं

चिकित्सा	शैक्षणिक	पुनर्वास
❖ चिकित्सा उपचार और रेफरल ❖ सुपर स्पेशियलिटी क्लीनिकल सेवाएं जैसे 1. न्यूरोलोजी 2. न्यूरोसर्जरी 3. मनोचिकित्सा 4. नेत्र विज्ञान 5. डेंटल 6. ईएनटी 7. होम्योपैथी ❖ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन ❖ बाह्य रोगी होम्योपैथी क्लिनिक	❖ विशेष स्कूल (बहु दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए मॉडल स्कूल) इसमें शामिल हैं 1. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की यूनिट 2. सेरेब्रल पाल्सी की इकाई 3. बधिरों की इकाई 4. प्रारंभिक बाल्यावस्था की इकाई 5. गंभीर बहु दिव्यांगता की इकाई 6. ट्रांजिशन सेल की इकाई और 7. प्ले स्कूल ❖ ऐसे दिव्यांग बच्चों, जो मॉडल स्कूल में नहीं जा सकते, के माता पिता को परामर्श द्वारा विशेष शिक्षा सेवाएं प्रदान करना ❖ अभिभावक सशक्तिकरण	❖ प्रारंभिक उपचार सेवाएं ❖ फिजियोथेरापी ❖ ऑक्यूपेशनल थेरेपी ❖ संवेदी एकीकरण थेरेपी ❖ प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स ❖ ऑडियोलॉजिकल मूल्यांकन ❖ वाक् और भाषा उपचार ❖ मनोवैज्ञानिक उपचार ❖ मार्गदर्शन और परामर्श ❖ वयस्क स्वतंत्र जीवन ❖ मोबाइल सेवाएं ❖ डे केयर सेंटर ❖ समुदाय/आउट रीच प्रोग्राम ❖ सहायक यंत्रों और उपकरणों का वितरण ❖ परिवार कुटीर सेवाएं ❖ प्रलेखन और प्रसार सेवाएं ❖ राहत देखभाल सेवाएं ❖ टोल फ्री हेल्पलाइन

7.8.2 क्षेत्रीय केंद्र और समेकित क्षेत्रीय केंद्र

कोझिकोड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप और मदुरै में दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए तीन समेकित क्षेत्रीय केंद्र एनआईईपीएमडी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं।

7.8.3 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की तस्वीरें :

एमओबीआईएस इंडिया फाउंडेशन, चेन्नई की सीएसआर पहल के तहत एनआईईपीएमडी ने 3 अप्रैल 2023 को तिरुवन्नामलाई जिले में बौद्धिक दिव्यांगजनों को शिक्षण अधिगम सामग्री का वितरण शिविर आयोजित किया।

एनआईईपीएमडी और सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स, भारतीदासन विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर 17 अप्रैल 2023 को भारतीदासन विश्वविद्यालय, त्रिचिरापल्ली में किए गए थे।

यूनिवर्सल एक्सेसिबल एटीएम (इंडियन बैंक) का उद्घाटन 26 मार्च 2023 को किया गया था

"सुयोग 2023" – एनआईईपीएमडी, चेन्नई में 11–12 मई 2023 के दौरान एनआईईपीएमडी द्वारा बौद्धिक दिव्यांगता/ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर/विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता/मानसिक रूग्णता/बहु दिव्यांगजनों के लिए नौकरी में 4 प्रतिशत आरक्षण के प्रभावी कार्यान्वयन पर सर्वोत्तम प्रचलित कार्य प्रणाली विषय पर कार्यक्रम का आयोजन।"

एनआईईपीएमडी द्वारा 18 मई 2023 को वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस का आयोजन

श्री ए. नारायणस्वामी, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री द्वारा 28 अगस्त 2023 को एनआईईपीएमडी का दौरा

एनआईईपीएमडी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, चेन्नई के सहयोग से कॉन्फ्रेंस हॉल, चेन्नई एयरपोर्ट, चेन्नई में 17 अक्टूबर 2023 को "दिव्यांगजनों को सेवा प्रदान करने संबंधी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग" पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया

कुमारी प्रतिमा भौमिक, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री 17 नवंबर 2023 को एनआईईपीएमडी का दौरा।

4 जनवरी 2024 को विश्व ब्रेल दिवस मनाया।

दिव्य कला शक्तिः एनआईईपीएमडी द्वारा डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजे एंड ई, भारत सरकार के सहयोग से 6 जनवरी 2024 को रवींद्र कला क्षेत्र, बेंगलुरु में आयोजित दिव्यांगों में क्षमताओं का साक्षी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया

गोवा सरकार और डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजेएंडई, भारत सरकार द्वारा गोवा में 8 से 13 जनवरी 2024 तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2024 में एनआईईपीएमडी स्टॉल।

8 से 9 फरवरी 2024 तक सिकंदराबाद में एनआईईपीआईडी द्वारा आयोजित 29वीं राष्ट्रीय विशेष कर्मचारी मीट 2024 की भागीदारी।

एडिप पहचान और स्क्रीनिंग शिविर 9–15 फरवरी 2024 के दौरान दक्षिण अंडमान, उत्तर और मध्य अंडमान में आयोजित किया गया

3 मार्च 2024 को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है

21 मार्च 2024 को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस समारोह मनाया गया।

7.8.4 नई गतिविधियां

क) **डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट इंडिपेंडेट लिविंग (डीएआईएल) में कार्यालय स्वचालन और सहायक प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा की शुरुआत (डीएआईएल)** : डीएआईएल ने एक सुगम्य शैक्षिक और उन्नत कौशल विकास मंच सुनिश्चित करने के लिए पीडब्ल्यूएमडी के लिए विशेष रूप से ऑफिस ऑटोमेशन एंड

असिस्टिव टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा नामक एक पाठ्यक्रम बनाया है। इस पहल के संबंध में पाठ्यक्रम तैयार के सभी क्षेत्रों में निदेशक और प्रबंधन से मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्राप्त किया जैसे कि पाठ्यक्रम निर्धारित करना, भारतीदासन विश्वविद्यालय के साथ संबद्धता के लिए समय–समय पर सम्पर्क करना, पात्रता मानदंड तैयार करना, आवश्यक न्यूनतम कौशल और क्षमताएं आदि।

निदेशक और भारतीदासन विश्वविद्यालय के अधिकारियों के तत्वावधान में, डीएआईएल भारतीदासन विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रम के लिए संबद्धता प्राप्त कर सकता है। जबकि एनआईईपीएमडी ने रैंप, लिफ्ट, सुगम्य कक्षा सहित पूरी तरह से सुगम्य परिसर सुनिश्चित किया है, डीएआईएल ने पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अन्य उपकरणों के साथ अवसंरचना, अनुकूली तकनीक के साथ कंप्यूटर लैब, स्क्रीन रीडर, ब्रेल डिस्प्ले की व्यवस्था की है। इसके अलावा, सामाजिक प्लेटफार्मों के माध्यम से व्यापक प्रचार किया गया था ताकि कई दिव्यांगताओं वाले पात्र वयस्कों को अवसर का उपयोग करने में सुविधा प्रदान की जा सके। इसने भारतीदासन विश्वविद्यालय के निर्धारित ऑनलाइन प्रारूप में अपने विवरण अपलोड करने में सभी बहु–दिव्यांगजनों को सहयोग दिया। प्राप्त 30 आवेदनों में से इष्टतम 10 को 28.07.2023 को प्रारंभिक मूल्यांकन और व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, जहां बाहरी विशेषज्ञ ने विशेष रूप से डीएआईएल द्वारा तैयार किए गए संबंधित मॉड्यूल के साथ मूल्यांकन का कार्य संभाला है। सभी 10 छात्रों ने अपने माता–पिता के साथ 09.08.2023 को आयोजित एक अभिविन्यास और परामर्श कार्यक्रम में भाग लिया है, जिसके दौरान सभी छात्रों को पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण पहलुओं, माता–पिता की जिम्मेदारियों, डीएआईएल की भूमिका और समर्थन आदि के बारे में जानकारी दी गई। 28.08.2023 को श्री ए. नारायणस्वामी, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री की उपस्थिति में कार्यालय स्वचालन और सहायक प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा के शुभारंभ पर, एक उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया।

माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा पाठ्यक्रम का उद्घाटन

7.9 भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी)

भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तत्वावधान में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI, के तहत 28 सितंबर, 2015 को स्थापित और पंजीकृत एक स्वायत्त संगठन है।

7.9.1 केंद्र के लक्ष्य और उद्देश्य–

संस्थान के बहिर्नियम के अनुसार संस्थान के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(i) द्विभाषिता (यानी सांकेतिक भाषा + लेखन) सहित भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) का प्रयोग, शिक्षण और इसमें अनुसंधान करने के लिए जनशक्ति विकसित करना।

(ii) प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तर पर श्रवण बाधित छात्रों के लिए एक शैक्षिक मोड के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा के उपयोग को बढ़ावा देना। यह केंद्र शिक्षा मंत्रालय (भारत सरकार) और राज्य शिक्षा विभागों के साथ तौर–तरीकों पर काम करेगा।

(iii) भारत और विदेशों में विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थानों के सहयोग से अनुसंधान करना और भारतीय सांकेतिक भाषा कोष (शब्दावली) के निर्माण सहित आईएसएल के भाषा विज्ञान का रिकॉर्ड तैयार करना/विश्लेषण करना।

(iv) भारतीय सांकेतिक भाषा को समझने और इसका उपयोग करने के लिए विभिन्न समूहों यानी सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों, शिक्षकों, पेशेवरों, समुदाय के नेताओं और बड़े पैमाने पर जनता को इसकी ओर उन्मुख करना और इसके लिए प्रशिक्षण देना।

(v) भारतीय सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए दिव्यांगता के क्षेत्र में बधिर संगठनों और अन्य संस्थानों के साथ सहयोग करना।

7.9.2 लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आईएसएलआरटीसी शैक्षणिक गतिविधियों, दुभाषिया सेवाओं, संसाधन विकास एवं प्रसार, प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और जागरूकता सत्रों आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करता है। वर्ष 2023–24 के दौरान आईएसएलआरटीसी की प्रमुख गतिविधियों का सारांश नीचे दिया गया है :

(i) आईएसएलआरटीसी दो पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है: डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन (डीआईएसएलआई) और डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज (डीटीआईएसएल)। आईएसएलआरटीसी ने डीआईएसएलआई 2022–2024 और 2023–25 सत्र में (42 + 74) छात्रों को प्रवेश दिया है और डीटीआईएसएल में (43 + 44) छात्रों को 2022–24 और 2023–25 सत्रों में प्रवेश दिया है।

(ii) एनबीईआर–आरसीआई के तहत जांच निकाय होने के नाते आईएसएलआरटीसी ने सत्र 2023–24 में अप्रैल–मई, अगस्त और नवम्बर–दिसंबर 2023 में डीआईएसएलआई/डीटीआईएसएल की परीक्षाएं आयोजित कीं।

(iii) आईएसएलआरटीसी ने भारत सरकार के विभिन्न विभागों और विभिन्न संगठनों जैसे ईसीआई, दूरदर्शन, एनएचआरसी सर्वोच्च न्यायालय आदि को इंटरप्रिटेशन सेवाएं प्रदान कीं।

(iv) 23 सितंबर 2023 को सांकेतिक भाषा दिवस के अवसर पर माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री, कुमारी प्रतिमा भौमिक द्वारा निम्नलिखित का शुभारंभ किया गया :

- **भारतीय सांकेतिक भाषा में बुनियादी संचार कौशल, एक ऑनलाइन स्वयं शिक्षण पाठ्यक्रम** : इस पाठ्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय सांकेतिक भाषा में बुनियादी संचार कौशल को बढ़ावा देना है। यह बधिर बच्चों, भाई–बहनों, शिक्षकों और भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) का बुनियादी ज्ञान प्राप्त करने में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के माता–पिता के लिए तैयार किया गया है। पाठ्यक्रम में 10 मॉड्यूल शामिल हैं, जिसमें 30 आवश्यक विषयों को शामिल किया गया है, जो बुनियादी आईएसएल संचार की व्यापक समझ सुनिश्चित करता है।

- **भारतीय सांकेतिक भाषा में वित्तीय शब्दावली के 260 संकेत** : आईएसएलआरटीसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित, सोसाइटी जेनरल और V–शेष को लॉन्च किया गया था। वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में काम करने वाले बधिर और सुनने वाले लोगों के बीच संचार की सुविधा के लिए वित्तीय शब्दावली के लिए संकेत विकसित किए गए हैं। यह परियोजना नौकरी चाहने वाले बधिर युवाओं की रोजगार पाने की संभावनाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगी।
- वेबसाइट पर **10,000 आईएसएल शब्दकोश** शब्द लॉन्च किए गए थे।
- श्रवण बाधित **विशेष स्कूलों में आईएसएल पाठ्यक्रम** शुरू किया गया था।
- **व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से बधिर समुदाय के लिए वीडियो रिले सेवा शुरू की गई** : एक वीडियो दूरसंचार सेवा जो बधिर लोगों को वीडियो संचार के माध्यम से जुड़े दूरस्थ सांकेतिक भाषा दुभाषिये के माध्यम से सुनने वाले लोगों के साथ संवाद करने में सक्षम बनाती है। इस सेवा का व्यापक रूप से अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बैंक, कार्यस्थल, साक्षात्कार, पुलिस स्टेशन और अदालत आदि में उपयोग किया जा सकता है। यह सेवा **व्हाट्सएप नंबर: 8929667579** के माध्यम से निशुल्क प्रदान की जाती है।

(v) आईएसएलआरटीसी ने 18 से 24 सितंबर 2023 तक बधिर लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह (डब्ल्यूएफडी) का आयोजन किया। उत्सव के एक भाग के रूप में, आईएसएलआरटीसी इंटर्नशिप छात्रों ने निम्नलिखित डब्ल्यूएफडी विषयों पर विभिन्न स्कूलों और संगठनों में जागरूकता सत्र आयोजित किया :

दिनांक	विषय
18.09.2023	बधिर बच्चों के अधिकारों पर घोषणा
19.09.2023	दुनिया भर में क्षमता निर्माण
20.09.2023	हमारे बिना कुछ भी नहीं
21.09.2023	बधिरों को एजेंडे में लाना
22.09.2023	सभी के लिए सांकेतिक भाषा अधिकार प्राप्त करना
23.09.2023	एक ऐसी दुनिया जहां हर जगह बधिर लोग कहीं भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं
24.09.2023	समावेशी बधिर समुदायों का निर्माण

(vi) आईएसएलआरटीसी लाइब्रेरी विभिन्न सेवाएं प्रदान करती है जैसे परिसंचरण सेवा, संदर्भ सेवा, वर्तमान जागरूकता सेवा, प्रश्न पत्र सेवा, वीडियो प्रदर्शन, आदि।

(vii) 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, आईएसएलआरटीसी ने श्रवण बाधित व्यक्तियों के लाभ के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा में सुगम्य सामान्य योग प्रोटोकॉल विकसित किया है, जिसे सोशल मीडिया और केंद्र के आधिकारिक यूट्यूब चैनल https://www.youtube.com/watch?v=RQ08Q3zRFgk पर साझा किया गया।

7.9.3 23 सितंबर, 2023 को सांकेतिक भाषा दिवस 2023 मनाया गया : भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी) ने 23 सितंबर 2023 को भीम हॉल, डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में "एक ऐसी दुनिया जहां हर जगह बधिर लोग कहीं भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं!" विषय के साथ 'सांकेतिक भाषा दिवस' मनाया।

7.9.4 बधिर छात्रों और दुभाषियों के लिए आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता, 6 वीं भारतीय सांकेतिक भाषा प्रतियोगिता, 2023 का आयोजन : केंद्र ने 6 वीं भारतीय सांकेतिक भाषा प्रतियोगिता, 2023 का आयोजन किया गया, जो बधिर छात्रों और दुभाषियों के लिए अपने आईएसएल कौशल, रचनात्मकता और ज्ञान का प्रदर्शन करने हेतु आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता के लिए, भारतीय सांकेतिक भाषा में चुटकुले, कहानियों और निबंधों पर प्रविष्टियां आमंत्रित की गई थीं। सांकेतिक भाषा दिवस कार्यक्रम के दौरान, 6 वीं आईएसएल प्रतियोगिता के सभी विजेताओं को माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, सुश्री प्रतिमा भौमिक द्वारा ट्रॉफी और प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

7.9.5 आईएसएलआरटीसी की नई गतिविधियां / तथ्य

क) आईएसएलआरटीसी ने विभिन्न विषयों पर लगभग 10,000 शब्दों जैसे रोजमर्रा की शब्दावली, शैक्षणिक शब्दावली, कानूनी और प्रशासनिक शब्दावली, चिकित्सा शब्दावली आदि के साथ भारतीय सांकेतिक भाषा का एक शब्दकोश विकसित किया था। अब, शब्दकोश को सभी उपयोगकर्ताओं के लिए आसानी से सुगम्य बनाने के लिए, शब्दकोश की एक वेबसाइट https://divyangjan.depwd.gov.in/islrtc/ तैयार कर प्रारंभ की गई है जिसमें बधिर बच्चों के साथ रोजमर्रा के संचार के लिए लोगों को संकेत सीखने में मदद करने के लिए बुनियादी 200 संकेतों के ट्यूटोरियल वीडियो भी शामिल हैं। लगभग 260 संकेतों के साथ वित्त और बैंकिंग शब्दावली की एक नई श्रेणी भी जोड़ी गई है।

ख) आईएसएलआरटीसी ने समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी), लखनऊ (उत्तरी क्षेत्र) में 26 से 30 अक्टूबर, 2023 तक एक अत्यधिक सफल 5–दिवसीय सतत पुनर्वास शिक्षा (सीआरई) कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला

का उद्देश्य भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) और द्विभाषी शिक्षण पद्धतियों में बधिरों के लिए सेवारत विशेष शिक्षकों के कौशल को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के 18 बधिर स्कूलों के 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया और इसे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राष्ट्रीय कोष द्वारा वित्त पोषित किया गया। यही कार्यशाला चार क्षेत्रों (दक्षिण, पश्चिम, पूर्व और उत्तर–पूर्व) के कम से कम एक संस्थान में आयोजित की जानी है।

ग) आईएसएलआरटीसी ने भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) में बुनियादी संचार कौशल पर एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम विकसित किया है जिसे स्व–शिक्षण मोड के लिए तैयार किया गया है। इस महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम को औपचारिक रूप से माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा 23 सितंबर 2023 को सांकेतिक भाषा दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। पाठ्यक्रम बधिर बच्चों, भाई–बहनों, शिक्षकों और भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) में बुनियादी संचार कौशल प्राप्त करने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के माता–पिता के लिए तैयार किया गया है। पाठ्यक्रम को हमारे आधिकारिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से निम्नलिखित लिंक के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है :https://www.youtube.com/playlist?list=PLFjydPMg4DapfRTBMokl09Ht-fhMOAYf6

घ) आईएसएलआरटीसी ने भारतीय सांकेतिक भाषा पर एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है। राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक 22 और 23 जनवरी 2024 को श्री सुनील सहस्रबुद्धे, आईएसएल विशेषज्ञ/अध्यक्ष, एआईएफडी की अध्यक्षता में सह–अध्यक्ष श्री विनीत सिंहल, निदेशक, डीईपीडब्ल्यूडी के साथ आयोजित की गई थी।

ड.) आईएसएलआरटीसी ने भारतीय सांकेतिक भाषा पर जागरूकता सृजित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों में स्टॉल लगाए थे जैसे कि 8 से 13 जनवरी, 2024 तक इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट, गोवा, 25 से 27 जनवरी, 2024 तक कोलकाता के धोनो धन्यो ऑडिटोरियम में 8वां राष्ट्रीय बधिर सम्मेलन, 03 से 05 फरवरी, 2024 तक गोरखपुर में इंद्रधनुष महोत्सव और प्रगति मैदान, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2024, 10 से 18 फरवरी 2024 तक। स्टालों में आईएसएलआरटीसी ने केंद्र के कार्यों के बारे में जानकारी दी, आईएसएल गतिविधियों का संचालन किया और आगंतुकों के लिए आईएसएल जागरूकता सामग्री प्रदर्शित की।

च) आईएसएलआरटीसी ने सीआरसी नागपुर में 6–10 फरवरी, 2024 तक 5–दिवसीय सीआरई कार्यशाला का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य बधिरों के सेवारत विशेष शिक्षकों के लिए आईएसएल ज्ञान और कौशल को बढ़ाना है। कार्यशाला में नागपुर (महाराष्ट्र) और इसके पड़ोसी जिलों के विशेष शिक्षकों, जिला समन्वयकों और प्रधानाचार्यों सहित कुल 49 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

छ) पीएम दक्ष – राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत आईएसएलआरटीसी ने 15 फरवरी, 2024 से "भारतीय सांकेतिक भाषा में बुनियादी संचार" पर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। प्रशिक्षण में 15 श्रवण बाधित छात्रों को प्रवेश दिया गया है। यह प्रशिक्षण श्रवण बाधित प्रशिक्षुओं को भारतीय सांकेतिक भाषा में बुनियादी ज्ञान, कौशल और दक्षता प्राप्त करने और उनके सांकेतिक भाषा कौशल को बढ़ाने में सक्षम बनाता है।

ज) आईएसएलआरटीसी ने विश्व ब्रेल दिवस, साइबर जागरूकता दिवस, विश्व कुष्ठ दिवस, विश्व हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस, विश्व श्रवण दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस और विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया।

झ) आईएसएलआरटीसी ने 5 मार्च 2024 को बधिर व्यक्तियों के अभिभावकों, शिक्षकों, परिवार के सदस्यों और मित्रों के लिए ऑनलाइन बेसिक इंडियन साइन लैंग्वेज (आईएसएल) पाठ्यक्रम पर ऑनलाइन वेबिनार

आयोजित किया। वेबिनार में 350 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

ञ) आईएसएलआरटीसी के डीआईएसएलआई और डीटीआईएसएल छात्रों ने 16 मार्च 2024 को करनैल सिंह स्टेडियम, नई दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित भारतीय बधिर क्रिकेट संघ (आईडीसीए) बनाम दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के बीच क्रिकेट मैच स्थल पर राष्ट्रगान का प्रदर्शन किया है।

7.10 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर), सीहोर, मध्य प्रदेश

एनआईएमएचआर को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत एक केंद्रीय स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है। यह एमपी सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के तहत 28 मई, 2019 को पंजीकृत सोसायटी है। यह भारत में विशेष मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास सेवाओं की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए है। न्यूरोसाइकिएट्रिक विकारों के बढ़ते बोझ को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने 2005 के नेशनल कमीशन ऑन मैक्रोइकॉनॉमिक एंड हेल्थ रिपोर्ट के अनुरूप, उपचार से परे मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को स्वीकार किया। हालांकि कई संस्थान विभिन्न दिव्यांगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, लेकिन विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए समर्पित संस्थान का अभाव था।

एनआईएमएचआर को एनआईएमएचएएनएस, आईएचबीएएस, और सीआईपी जैसी मौजूदा संस्थाओं से अलग, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए 2018 में, कैबिनेट की मंजूरी के साथ शुरू किया गया था। इसके प्राथमिक उद्देश्यों में मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास में एकीकृत बहु–विषयक दृष्टिकोण, क्षमता निर्माण, अनुसंधान और नीति निर्माण को बढ़ावा देना शामिल है।

7.10.1 संस्थान के प्रमुख उद्देश्य :

- एक एकीकृत बहु–विषयक दृष्टिकोण का उपयोग करके मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास को बढ़ावा देना।
- क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना और उसे शुरू करना और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षित पेशेवरों को तैयार करना।
- मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में अनुसंधान और विकास और नीति निर्धारण में संलग्न होना

संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ प्रमुख नैदानिक सेवाएं मनो–नैदानिक मूल्यांकन परीक्षण, तंत्रिका मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, मनोशिक्षा, मार्गदर्शन और परामर्श, विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए मनो–चिकित्सीय हस्तक्षेप, अन्य आउटरीच और जागरूकता सेवाएं हैं।

7.10.2 विभाग

संस्थान में भविष्य में निम्नलिखित विभाग शामिल होंगे अर्थात मनोचिकित्सा विभाग, नैदानिक मनोविज्ञान विभाग, मनोरोग सामाजिक कार्य विभाग, मनोरोग नर्सिंग विभाग, वाक और श्रवण विभाग, पेशेवर चिकित्सा, फिजियोथेरेपी और योग विज्ञान केंद्र, शिक्षा केंद्र, व्यावसायिक प्रशिक्षण और ललित कला, कानूनी सहायता सैल और कंप्यूटर विभाग।

7.10.3 प्रमुख गतिविधियाँ और कार्यक्रमः

- 18 मई को "ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे (वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस): के अवसर पर वेबिनार का आयोजन किया।

- एनआईएमएचआर ने 22 मई, 2023 को सीहोर में सरदार बल्लभ भाई पटेल स्कूल सीहोर के साथ जागरूकता शिविर "मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान" में भाग लिया।
- 24 मई को विश्व स्ज़िोफ्रेनिया दिवस "कलंक और गलत धारणाओं से निपटने के लिए" मनाया गया।
- 24 मई को सीआरसी, लखनऊ, यूपी के सहयोग से "विश्व स्ज़िोफ्रेनिया दिवस" के अवसर पर वेबिनार का आयोजन किया गया।
- एनआईएमएचआर ने मालवा मानसिक स्वास्थ्य संगठन (एमएमएचओ), इंदौर, म.प्र. के साथ मिलकर 22 जून 2023 को "योग मानवता के लिए मानसिक और शारीरिक कल्याण को प्रोत्साहित करने" संबंधी विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया।
- एनआईएमएचआर टीम ने 17–23 जून, 2023 तक मानसिक स्वास्थ्य के साथ–साथ एनआईएमएचआर सेवाओं, एमएचएचआर किरण के पाठ्यक्रमों और प्रचार के बारे में जागरूकता के लिए दिव्य कला मेला इंदौर में भाग लिया।
- 27 जून, 2023 को "हेलेन केलर दिवस" कार्यक्रम मनाया। इस अवसर पर विभिन्न गतिविधियाँ जैसे प्रस्तुतियाँ, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएँ और जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की गईं।
- एनआईएमएचआर ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि जैसे विभिन्न स्थानों पर 'स्वच्छता पखवाड़ा' मनाया। साथ ही एनआईएमएचआर के कर्मचारियों ने छात्रों के साथ एनआईएमएचआर परिसर और आसपास के स्थानों पर पौधे लगाए।
- एनआईएमएचआर ने 15 अगस्त, 2023 को भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के हिस्से के रूप में "आजादी का अमृत महोत्सव" मनाया। इस महत्वपूर्ण अवसर का विषय "राष्ट्र प्रथम, हमेशा प्रथम" था। इस अवसर पर छात्रों और कर्मचारियों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों पर प्रस्तुतियाँ दी गईं।
- एनआईएमएचआर ने 13 सितंबर, 2023 को "विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस" मनाया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर छात्रों और कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का विषय "क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन" था।
- एनआईएमएचआर ने 14 सितंबर, 2023 को "पोषण पखवाड़ा" मनाया।
- 'स्वच्छता पखवाड़ा' के तहत एनआईएमएचआर ने 20 सितंबर, 2023 को "स्वच्छता ही सेवा" के बारे में शपथ ली।
- एनआईएमएचआर ने 1 से 31 अक्टूबर 2023 तक कई जागरूकता गतिविधियों के साथ "यूनिकली यू" की थीम के साथ "डिस्लेक्सिया जागरूकता माह" मनाया।
- एनआईएमएचआर ने 7 से 12 अक्टूबर 2023 तक "मानसिक स्वास्थ्य सार्वभौमिक मानव अधिकार है" विषय के साथ "मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह" मनाया।
- हालांकि एक प्रस्तुति के माध्यम से एनआईएमएचआर ने 29 अक्टूबर, 2023 को "विश्व स्ट्रोक दिवस" मनाया। इस महत्वपूर्ण अवसर की थीम थी "टूगेदर वी कैन बी ग्रेटर दैन स्मोक"।
- एनआईएमएचआर ने 3 दिसंबर 2023 को "अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस" दिव्यांगजनों के द्वारा प्रस्तुति, प्रश्नोत्तरी, पोस्टर मेकिंग और वृक्षारोपण के माध्यम से "दिव्यांगजनों के साथ और उनके द्वारा एसडीजी को बचाने और प्राप्त करने के लिए कार्रवाई में एकजुट" विषय के साथ मनाया।

- एनआईएमएचआर ने 5 दिसंबर 2023 को एफएसीईएमआई इंडिया के सहयोग से एक वेबिनार का आयोजन किया। इस संबंध में विषय "गृह आधारित पुनर्वास के लिए परिवारों की क्षमता निर्माण" और "मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति का जीवन कौशल" थे, जो एपीसीपी और पीएसडब्ल्यू द्वारा कवर किये गये।

- एनआईएमएचआर ने 4 जनवरी 2023 को प्रस्तुतिकरण और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से "दिव्यांगजनों के लिए, उनके साथ और उनके द्वारा एसडीजी को बचाने और प्राप्त करने के लिए कार्रवाई में एकजुट" संबंधी विषय पर **"अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस"** मनाया।

- 26 जनवरी, 2024 को 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एनआईएमएचआर में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

- एनआईएमएचआर ने 31 जनवरी 2024 को प्रस्तुतिकरण और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से **"कुष्ठ रोग हटाओ"** के विषय पर **"अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ दिवस"** मनाया।

- दिनांक 12.02.2024 को प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और प्रस्तुति के साथ **अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस** मनाया।

- **अंतर्राष्ट्रीय एस्पर्जर्स दिवस** : दिनांक 18.02.2024 को स्वीकार्यता को बढ़ावा देने पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और प्रस्तुतिकरण के साथ मनाया।

- विश्व सामाजिक न्याय दिवस : दिनांक 20.02.2024 को समानता को बढ़ावा देने पर प्रस्तुतिकरण और इंटरएक्टिव सत्र के साथ मनाया गया।

- अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस : 1 मार्च को, व्हील चेयर रेस और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मनाया गया।

- डीवीआर–आईडी के छात्र 03/03/2024 से 10/03/2024 तक शैक्षिक दौरे पर चेन्नई गए थे। वहां उन्होंने स्वाभिमान ट्रस्ट 'ए होलिस्टिक सॉल्यूशंस फॉर एएसडी', पलवक्कम चेन्नई, एनआईईपीएमडी मुत्तुकाडु, चेन्नई, विजय ह्यूमन सर्विसेज, रायपेथा, चेन्नई, नवज्योति ट्रस्ट, चेन्नई और स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया (विद्यासागर) चेन्नई का दौरा किया। उपर्युक्त संस्थान के दौरे के दौरान सभी विद्यार्थियों ने व्यावसायिक प्रशिक्षण, शैक्षिक सेवाएं, मनोवैज्ञानिक सेवाएं, चिकित्सा सेवाएं और चिकित्सीय हस्तक्षेप आदि देखे।

- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस : दिनांक 08.03.2024 यह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, वन स्टॉप सेंटर और एसएचजी के लिए जागरूकता संवाद और कार्यशाला के माध्यम से इंस्पायर समावेशन के विषय पर मनाया गया।

- सेकदाखेड़ी सीहोर में स्थायी परिसर में नए सेवा भवन का उद्घाटन।

- अंतर्राष्ट्रीय एस्पर्जर्स दिवस : दिनांक 18.02.2024 स्वीकार्यता को बढ़ावा देने पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और प्रस्तुतिकरण के साथ मनाया गया।

- विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस : दिनांक 21.03.2024 यह 'एंड द स्टीरियोटाइप' विषय पर एक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से मनाया गया।

- 22 मार्च को एनआईएमएचआर टीम अहिलिया आश्रम इंदौर द्वारा निरीक्षण किया गया।

विभिन्न कार्यकलापों की तस्वीरें

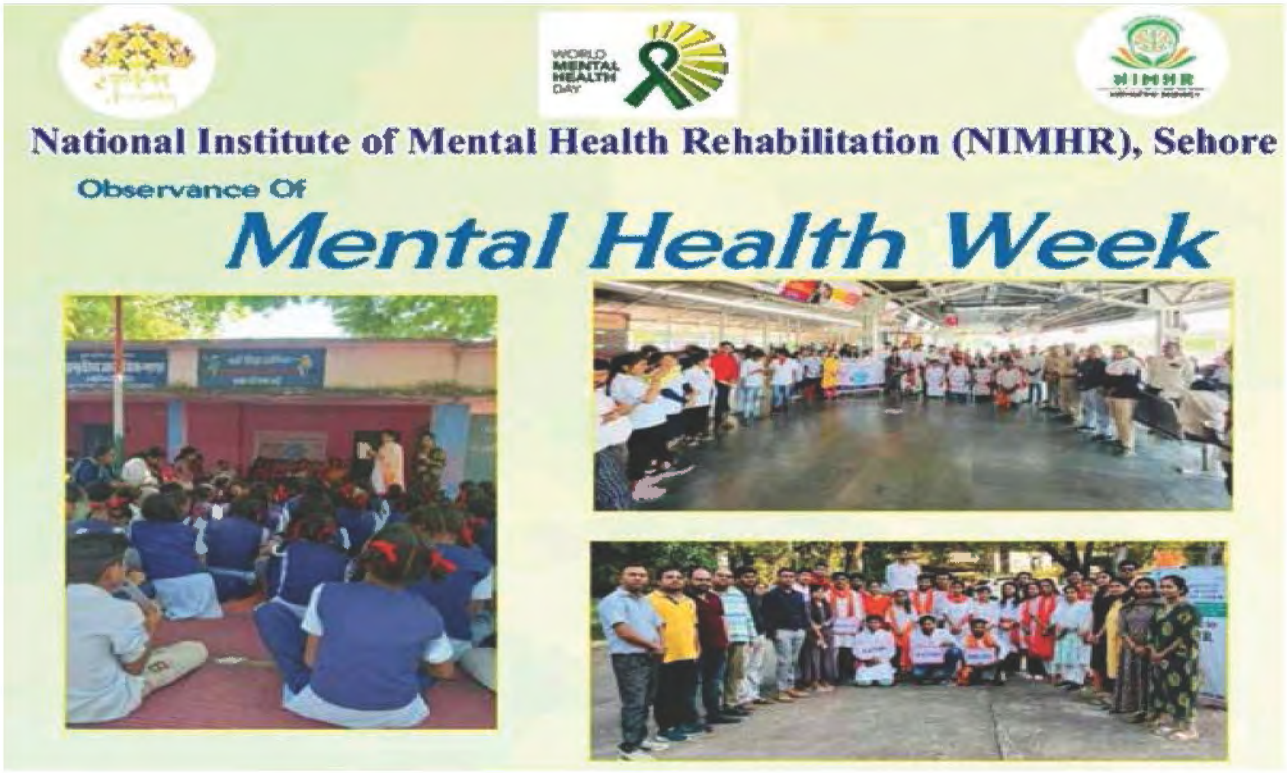

मानसिक स्वास्थ्य दिवस का आयोजन (10.10.2023)

श्री राजेश कुमार यादव, संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी और डॉ. होन्नारेड्डी एन., निदेशक एनआईएमएचआर ने एनआईएमएचआर निर्माण स्थल का दौरा किया

विभिन्न स्थानों पर सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम

एनआईएमएचआर में थ्योरी क्लासेस

अध्याय 8
विभाग की योजनाएं

अवलोकन

विभाग दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और पुनर्वास के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रहा है। योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों के जीवन स्तर को बढ़ाना तथा साथ ही उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने में समर्थ बनाने के लिए भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पुनर्वास को प्रोत्साहन देना तथा विकास करना है। दिव्यांगजनों के पुनर्वास की प्रमुख योजनाएं हैं:

8.1 दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस):

8.1.1 उद्देश्य

क) डीडीआरएस (दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना) विभाग की एक ऐसी केन्द्रीय क्षेत्रक योजना है जिसका उद्देश्य गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) को दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित ऐसी परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान प्रदान करना है जिनका लक्ष्य दिव्यांगजनों को उनके इष्टतम, शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक अथवा सामाजिक कार्यात्मक स्तरों तक पहुंचना और उन्हें बनाए रखना है।

ख) दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए समर्थकारी वातावरण तैयार करना।

ग) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक कार्यवाई को प्रोत्साहित करना।

8.1.2 डीडीआरएस के अंतर्गत अनुदान के लिए स्वीकार्य गतिविधियां/घटक

(i) कर्मचारियों को मानदेय

(ii) लाभार्थियों को परिवहन

(iii) लाभार्थियों के लिए स्टाइपेंड/हॉस्टल मेन्टिनेन्स

(iv) कच्ची सामग्री की लागत

(v) कार्यालय व्यय, बिजली, पानी शुल्क एवं किराए के लिए आकस्मिक राशि देना

8.1.3 डीडीआरएस के तहत अनुदान के लिए पात्रता शर्तें

(क) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या सार्वजनिक न्यास अधिनियम के तहत पंजीकृत संगठन या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत गैर–लाभकारी कंपनी।

(ख) न्यूनतम दो साल की अवधि से अस्तित्व हो,

(ग) निःशक्तजन अधिनियम, 1995 / दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत पंजीकृत हो,

(घ) नीति आयोग पोर्टल के दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत हो,

(ङ) उचित रूप से गठित प्रबंध निकाय हो,

(च) परियोजना शुरू करने के लिए सुविधाएं और अनुभव होना चाहिए।

(छ) किसी व्यक्ति या व्यक्ति के निकाय के लाभ के लिए संचालित नहीं हो।

8.1.4 योजना की निगरानी की प्रक्रिया

(i) किसी संगठन को दिए गए पिछले अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र होने पर ही अनुदान जारी किया गया।

(ii) संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन योजना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों की मॉनीटरिंग और निरीक्षण करते हैं।

(iii) विभाग अपने राष्ट्रीय संस्थानों और विभाग के अधिकारियों के माध्यम से योजना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने वाले गैर–सरकारी संगठनों का समय–समय पर निरीक्षण भी करता है।

(iv) इस योजना के तहत गैर–सरकारी संगठनों द्वारा सभी आवेदन मंत्रालय के ई–अनुदान पोर्टल के माध्यम से आनलाइन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

(v) विभाग ने एक केन्द्रीय कार्यक्रम मॉनिटरिंग इकाई (सीपीएमयू) की स्थापना की है, जो मुख्य रूप से योजना की परियोजनाओं के निरीक्षण और गहन मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई है। पीएमयू टीम/सदस्य पीआईए का औचक निरीक्षण करेंगे और पीआईए द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के कार्य निष्पादन और गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करेंगे।

8.1.5 डीडीआरएस योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में वित्तीय तथा वास्तविक उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	वित्तीय आउटले /उपलब्धियां (करोड़ रूपये में)			वास्तविक उपलब्धियां	
	बीई (करोड़ रूपये में)	आरई (करोड़ रूपये में)	वास्तविक व्यय (करोड़ रूपये में)	सहायता प्रदत्त एनजीओ की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
2021-22	125.00	105.00	100.89	318	30082
2022-23	125.00	105.00	114.69	389	35349
2023-24	130.00	130.00	129.97	335	30589

8.1.6 संशोधित योजना के प्रावधान

01 अप्रैल 2022 से संशोधित दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) कार्यान्वित की जा रही है। संशोधित डीडीआरएस योजना के तहत मॉडल परियोजनाओं की सूची 9 से घटाकर 8 कर दी गई है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

क) पात्र परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां (एनजीओ), सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी परियोजना अनुमोदित होने के बाद, इस संशोधित योजना के तहत निर्धारित लागत–मानदंडों के आधार पर आकलित 90% राशि की हकदार होंगी। विशेष क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं के मामले में संशोधित लागत मानदंडों के आधार पर आकलित राशि का 100% अनुमत होगा।

"विशेष क्षेत्र" निम्नानुसार हैं:

i. 8 पूर्वोतर राज्य

ii. हिमालय क्षेत्र राज्य (जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश)

iii. वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले (समय–समय पर गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित)

iv. अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जिले ।

ख) शहरी क्षेत्रों में भी सहायता अनुदान की कोई टैपरिंग नहीं होगी।

ग) आरपीडब्ल्यूडी, अधिनियम, 2016 के अनुसार सभी 21 दिव्यांगताओं को कवर करने के लिए मॉडल परियोजनाओं की अवधारणा की गई है।

घ) दो नई मॉडल परियोजनाओं को छोड़कर सभी परियोजनाओं में गृह आधारित पुनर्वास (एचबीआर) और समुदाय आधारित पुनर्वास का प्रावधान रखा गया है।

ङ) आईडी लाभार्थियों की अधिकतम आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी गई है।

च) फंडिंग पैटर्न : 01.04.2023 से, सहायता अनुदान अग्रिम/प्रतिपूर्ति के आधार पर जारी किया जाता है।

छ) समावेशी शिक्षा जारी रखने के लिए विशिष्ट अधिगम दिव्यांग बच्चों के लिए प्रारंभिक/उपचार केंद्र के लिए नई परियोजना रखी गई है।

ज) सभी प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए एक अन्य नई परियोजना क्रॉस–डिसेबिलिटी थेरेपी एंड काउंसलिंग सेंटर का प्रावधान किया गया है।

झ) संगठन को मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल (ई–अनुदान) पर सहायता अनुदान के लिए आवेदन करना होगा और जिला समाज कल्याण अधिकारी को पूरा प्रस्ताव अग्रेषित करना होगा। ऑनलाइन निरीक्षण रिपोर्ट के निरीक्षण और प्रस्तुत करने पर, जिला समाज कल्याण अधिकारी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और भारत सरकार को प्रस्ताव अग्रेषित करेगा।

ट) डीडीआरएस के तहत मॉडल परियोजनाएं इस प्रकार हैं:–

I. गृह आधारित पुनर्वास एवं समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के प्रावधान के साथ क्रास–डिसेबिलिटी प्री–स्कूल एवं प्रारंभिक उपाय की परियोजना –

II. गृह आधारित पुनर्वास/समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के साथ श्रवण दिव्यांगता ग्रस्त बच्चों के लिए विशेष स्कूल।

III. गृह आधारित पुनर्वास/समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के साथ श्रवण दिव्यांगता ग्रस्त बच्चों (बधिर –दृष्टिहीनता सहित) के लिए विशेष स्कूल।

IV. गृह आधारित पुनर्वास/समुदाय आधारित पुनर्वास के विकल्प के साथ अन्य दिव्यांगताओं वाले बच्चों के लिए विशेष स्कूल (बौद्धिक दिव्यांगता, प्रमस्तिष्क घात, आटिस्म स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर, बहु दिव्यांगता, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बधिर–दृष्टिहीनता आदि)।

V. गृह आधारित पुनर्वास और समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के साथ कुष्ठरोग उपचारित व्यक्तियों (एलसीपी) का पुनर्वास।

VI. गृह आधारित पुनर्वास और समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के साथ उपचारित एवं नियंत्रित मानसिक बीमारी में ग्रसित व्यक्तियों के मनो–सामाजिक पुनर्वास के लिए हाफ वे होम परियोजना।

VII. समावेशी शिक्षा परियोजना को जारी रखने के लिए विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक /उपचार केंद्र।

VIII. क्रॉस–डिसेबिलिटी थेरेपी और परामर्श केंद्र।

विवरण जिसमें (i) 2020–21 से 2023–24 के दौरान डीडीआरएस के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार जारी की गई निधि, (ii) 2020–21 से 2023–24 के दौरान डीडीआरएस के तहत लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार संख्या। (iii) वर्ष 2023–24 के दौरान डीडीआरएस के तहत गैर–सरकारी संगठन को जारी सहायता अनुदान का ब्यौरा, क्रमशः **अनुबंध–4क, अनुबंध–4ख, अनुबंध–4ग** में दिया गया है।

8.2 जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी)

8.2.1 उद्देश्यों –

(i) प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप (इंटरवेंशन)।

(ii) जागरूकता सृजन।

(iii) सहायक उपकरणों की आवश्यकता/प्रावधान/फिटमेंट का आकलन।

(iv) चिकित्सीय सेवाएं जैसे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी आदि।

(v) रेफरल और सर्जिकल सुधार की व्यवस्था।

(vi) छात्रवृत्ति प्रदान करने में सहायता।

(vii) कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार के लिए ऋण।

(viii) शिविर दृष्टिकोण के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों का सर्वेक्षण और पहचान।

(ix) विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) जारी करने में सहायता करना

(x) स्वरोजगार के लिए ऋण की व्यवस्था

(xi) राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए आउटरीच केंद्र के रूप में कार्य करना

(xii) बाधा मुक्त वातावरण को बढ़ावा देना।

8.2.2 डीडीआरसी की स्थिति

(i) डीडीआरसी की स्थापना के लिए अनुमोदित जिलों की संख्या– देश के हर जिले में एक डीडीआरसी

(ii) कार्यरत और नियमित अनुदान प्राप्त कर रहे डीडीआरसी की संख्या : 85-90

8.2.3 डीडीआरसी के तहत अनुदान के लिए स्वीकार्य गतिविधियाँ/घटकें

मदें	दरें (रूपये लाख में)
कुल मानदेय	27.63
कार्यालय व्यय/आकस्मिक व्यय	5.25
उपकरण (स्थापना हेतु केवल पहले वर्ष के लिए)	20.00

[विशेष क्षेत्रों/राज्यों में डीडीआरसी के लिए मानदेय की 20% अधिक राशि निम्नानुसार अनुमेय है]

i. पूर्वोत्तर राज्य,

ii. हिमालयी क्षेत्र के राज्य (जम्मू–कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश),

iii. वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले (गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित) और

iv. अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे जिले।

डीडीआरसी की कार्यान्वयन एजेंसियां

- एक रेड क्रॉस सोसाइटी /
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार का कोई भी स्वायत्त /
- एक अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ एक प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठन हो सकती हैं।

संशोधित डीडीआरसी योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं: –

- संशोधित डीडीआरसी योजना 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी है ।
- इस योजना में चार नए पद सृजित किए गए और एक पद समाप्त कर दिया गया।
- डीडीआरसी का स्थानः अधिमान्यतः जिला अस्पताल/ डीईआईसी या उसके अधिक निकट में स्थापित किया जाएगा।
- दिव्यांगजनों के प्रभावी पुनर्वास के लिए कम से कम 4 चिकित्सा और पुनर्वास पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- सहायता अनुदान 1 अप्रैल 2024 से प्रतिपूर्ति आधार पर जारी की जाएगी।

डीडीआरसी के तहत अनुदान के लिए स्वीकार्य पद **अनुबंध–5क** पर हैं, सहायता प्राप्त डीडीआरसी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार संख्या, वर्ष 2020–21 से 2023–24 के दौरान जारी राशि **अनुबंध–5ख** में है, **वर्ष 2023–24 के दौरान डीडीआरसी को जारी सहायता अनुदान का विवरण अनुबंध–5ग** में दिया गया है।

8.3 सहायक यंत्रों/सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप) योजनाः

योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों (राष्ट्रीय संस्थाओं/समेकित क्षेत्रीय केंद्रों/भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को)/जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र/राज्य दिव्यांगजन विकास निगम/अन्य स्थानीय निकाय/एनजीओ) को सहायता अनुदान प्रदान करना है ताकि दिव्यांगजनों की अक्षमताओं के प्रभाव को घटाने तथा उसी वक्त उनकी आर्थिक क्षमताओं को बढ़ाने के माध्यम से उनकी भौतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को प्रोत्साहित करने के लिए टिकाऊ, परिष्कृत तथा वैज्ञानिक रूप से विनिर्मित, आधुनिक, मानक साधनों तथा उपकरणों को प्राप्त करने में जरूरतमंद दिव्यांगजनों की सहायता करने की स्थिति में हो सके। दिव्यांगजनों को उनके स्वतंत्र कार्य करने में सुधार करने और अक्षमता को रोकने तथा सेकेंडरी अक्षमता होने से रोकने के उद्देश्य से उन्हें सहायक उपकरण दिए जाते हैं। योजना के अंतर्गत दिए गए यंत्र तथा उपकरण का विधिवत प्रमाणन होना चाहिए। योजना में जब कभी आवश्यक हो, सहायक उपकरण देने से पूर्व सुधारात्मक सर्जरी के आयोजन की भी परिकल्पना की गई है। दिनांक 01.04.2024 से इस योजना में परिशोधित/संशोधित किया गया है।

8.3.1 लाभार्थी के लिए पात्रता मानदंड :

(i) दिव्यांगता प्रमाणपत्र (बेंचमार्क दिव्यांगता यानी 40% और अधिक) के साथ यूडीआईडी कार्ड या यूडीआईडी

नामांकन संख्या होनी चाहिए।

(ii) आईडी प्रूफ के साथ आधार कार्ड या आधार नामांकन संख्या होनी चाहिए।

(iii) सभी स्रोतों से मासिक आय 100 प्रतिशत रियायत के लिए 22,500/– रू0 प्रतिमाह और 50 प्रतिशत रियायत के लिए 22,501/– से 30,000/– रू0 प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

8.3.2 सहायक यंत्र/उपकरण की अधिकतम लागत सीमा:

(i) सहायक यंत्र एवं उपकरण **15000/– रू0** से अधिक की लागत के नहीं होने चाहिए।

(ii) बहु दिव्यांगता के मामले में, एक से अधिक सहायक यंत्र/उपकरण की आवश्यकता होने के मामले में सीमा, व्यक्तिगत मद पर अलग से, लागू होगी।

(iii) **कोक्लियर इम्प्लांट और मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल को छोड़कर 30,001/– रुपये** से अधिक की महंगी वस्तुएं, जो आय सीमा के अध्यधीन योजना के तहत सहायता के लिए पात्र हैं, को सूचीबद्ध किया जाएगा। समिति द्वारा इस प्रकार सूचीबद्ध इन मदों की लागत का 50 प्रतिशत भारत सरकार वहन करेगी और शेष का योगदान या तो राज्य सरकार या गैर सरकारी संगठन या किसी अन्य एजेंसी द्वारा या मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के अधीन संबंधित लाभार्थी द्वारा किया जाएगा।

8.3.3 गतिविधियों का प्रकार–एडिप योजना के तहत धन निर्धारित किया गया है और निम्नलिखित गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है:

(i) एडिप–एसएसए शिविर : 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) की समग्र सर्वशिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत स्कूल जाने वाले बच्चों को सहायक यंत्र एवं उपकरण वितरित किए जाते हैं। एचआरडी मंत्रालय के साथ करार के अनुसार, एलिम्कों, कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी को एमएचआरडी द्वारा व्यय का 40 प्रतिशत तथा एडिप योजना के अंतर्गत अनुदान के माध्यम से विभाग द्वारा व्यय का शेष 60 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाती है।

(ii) शिविर गतिविधियों के लिए : योजना के तहत, जिलेवार दिव्यांगता शिविरों का आयोजन किया जाता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को शिविरों के आयोजन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रस्तावों की सिफारिश करते हुए दुर्गम और असेवित क्षेत्रों के कवरेज पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। समय–समय पर उभरती जरूरतों के अनुसार शिविरों का आयोजन भी किया जाता है।

माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 14.01.2023 को झाबुआ में आयोजित एक वितरण शिविर में एडिप योजना के तहत दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र और सहायक उपकरण वितरित किए। तस्वीर में झाबुआ के माननीय सांसद और डीईपीडब्ल्यूडी के सचिव भी दिखाई दे रहे हैं।

(iii) मुख्यालय गतिविधियों के लिए

(क) राष्ट्रीय संस्थान/सीआरसी/एलिम्को उन पात्र लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए एडिप अनुदान का उपयोग करते हैं जो इन संस्थानों अथवा उनके संबंधित क्षेत्रीय केंद्रों से संपर्क करते हैं।

(ख) कुछ प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठनों के केंद्र/उप–केंद्र हैं जो दिव्यांगजनों के लिए ओपीडी क्रियाकलाप निष्पादित करते हैं तथा सुधारात्मक सर्जिकल संबंधी आप्रेशन करते हैं। बहुत से दिव्यांगजन सहायक यंत्रों एवं सहायक उपकरणों के लिए अपने केंद्रों/उपकेंद्रों में जाते हैं। अतः, एडिप अनुदान उनके संबंधित मुख्यालय क्रियाकलापों के लिए जारी किए जाते हैं।

(iv) कोकलियर इंप्लांट सर्जरियां

क) 1 से 5 वर्ष की आयु के बीच प्री–लिंगवल श्रवण हानि वाले बच्चों के मामले में 7.00 लाख रुपये प्रति यूनिट (सरकार द्वारा वहन की जानी है) की सीमा के साथ श्रवण बाधित बच्चों के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट और पोस्ट ऑपरेटिव थेरेपी और पुनर्वास का प्रावधान है और 5 से 18 वर्ष के बीच अधिग्रहित श्रवण हानि वाले बच्चों के मामले में यह 6.00 लाख रुपये है। वित्तीय सहायता दोनों मामलों में इम्प्लांट, सर्जरी, थेरेपी, मैपिंग, यात्रा और प्री–इम्प्लांट मूल्यांकन की लागत को कवर करेगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से, श्रवण और वाक् बाधित बच्चे सफलतापूर्वक सुनने और बोलने की क्षमता को पुनः प्राप्त करने में सक्षम हैं।

ख) अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण बाधित संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुम्बई कोकलियर इंप्लांट सर्जरी के लिए नोडल एजेंसी है। सर्जरी इस विभाग द्वारा पैनलबद्ध अस्पतालों में की जाएगी। कोकलियर इंप्लांट यंत्र कोर समिति द्वारा सिफारिश किए गए विनिर्देशों के अनुसार भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को) द्वारा खरीदा जाएगा। संस्थान समाचार पत्रों (अखिल भारत संस्करण) में विज्ञापन जारी करने और अपनी वेबसाइट – www.adipcochlearimplant.in के माध्यम से भी आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदकों को एवाईजेएनआईएसएचडी, मुम्बई के वेबसाइट पर विज्ञापन/ब्यौरे के आधार पर आवेदन करना पड़ता है।

(v) मोटरयुक्त तिपहिया तथा व्हीलचेयर का वितरण

एडिप योजना के अंतर्गत, गंभीर लोकोमोटर दिव्यांगता, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, हेमिपेलिगिया और इसी तरह की स्थिति वाले किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए मोटरचालित तिपहिया और मोटर चालित व्हीलचेयर का प्रावधान है, जहां या तो तीन/चार अंग या शरीर का आधा हिस्सा गंभीर रूप से बाधित हुआ है। 80 प्रतिशत और उससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन मोटर चालित तिपहिया और मोटर चालित व्हीलचेयर के लिए सहायता के लिए पात्र होंगे। सब्सिडी की सीमा 50,000/– रुपये होगी। यह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को, पांच साल में एक बार, प्रदान किया जाएगा। मानसिक रूप से बाधित 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के गंभीर दिव्यांगता वाले व्यक्ति मोटर चालित तिपहिया साइकिल और व्हील चेयर के लिए पात्र नहीं होंगे क्योंकि इससे उन्हें गंभीर दुर्घटना / शारीरिक नुकसान का खतरा होता है।

25.11.23 को माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने साबरकांठा, गुजरात में आयोजित एक शिविर में एडिप योजना के तहत दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र और सहायक उपकरण वितरित किए गए।

(vi) उच्च अंत कृत्रिम अंग:– कम से कम 80% दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों के लिए उच्च अंत कृत्रिम अंग जिसकी आर्थिक सहायता की सीमा 30,000/– रुपये होगी।

8.3.4 इस योजना के तहत पिछले तीन वर्षों की वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियां इस प्रकार है:–

(रू. करोड़ में)

वर्ष	बीई आबंटन	संशोधित अनुमान	जारी की गई राशि	लाभार्थियों की संख्या
2019-20	230.00	222.50	213.83	3,51,629
2020-21	230.00	195.00	189.13	2,58,749
2021-22	220.00	180.00	198.69	2,43,387
2022-23	235.00	230.00	242.29	2,89,987
2023-24	245.00	305.00	290.60	3,46,864

8.3.5 एडिप योजना के तहत विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा विगत चार वर्षों के दौरान विभिन्न गतिविधियों के तहत आयोजित शिविरों, उपयोग की गई निधियां और शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या का

राज्यवार विवरण **अनुबंध–6क** पर है। वर्ष 2023–24 के दौरान राष्ट्रीय संस्थान/एलिम्को/सीआरसी एवं गैर–सरकारी संगठनों को जारी सहायता अनुदान का विवरण **अनुबंध–6ख** पर है। 2023–24 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मांग पर आयोजित विशेष शिविरों/आयोजित शिविरों का विवरण **अनुबंध–6ग** पर है। विगत चार वर्षों के दौरान गैर–सरकारी संगठनों/वीओ/राज्य निगम/डीडीआरसी आदि को जारी किए गए सहायता अनुदान का विवरण **अनुबंध–6घ** पर है। 2023-24 के दौरान दस लाख रुपये से लेकर पचास लाख रुपये से कम रुपये तक आवर्ती/गैर–आवर्ती सहायता अनुदान प्राप्त निजी और स्वैच्छिक संगठन का विवरण **अनुबंध–6 ड.** में दिया गया है।

8.3.6 पिछले दस वर्ष के दौरान सहायक यंत्रों एवं सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता योजना (एडिप) के अंतर्गत विशेष उपलब्धियां:

(i) एडिप योजना के तहत, पिछले दस वर्षों के दौरान 2031.36 करोड़ रुपये के सहायता अनुदान का उपयोग किया गया जिससे 15904 शिविरों के माध्यम से लगभग 28.65 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

(ii) 15904 शिविरों में से, 1212 मेगा शिविरों/विशेष शिविरों का आयोजन किया गया जिसमें 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए एडिप योजना के तहत सहायक यंत्रों एवं सहायक उपकरणों के वितरण के लिए लगभग 965.84 करोड़ रुपये की लागत से 10.19 लाख दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया।

(iii) इन मेगा शिविरों में से ग्वालियर में एक शिविर में माननीय राष्ट्रपति ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इसकी शोभा बढ़ाई और वाराणसी, नवसारी, वडोदरा, राजकोट और प्रयागराज में पांच शिविरों में माननीय प्रधानमंत्री उपस्थित थे।

(iv) देश भर के स्कूलों में एडिप–समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत 8639 शिविरों के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले 9.54 लाख दिव्यांग बच्चों को लगभग 351.19 करोड़ रुपये की लागत वाले सहायक यंत्र और सहायक उपकरण प्रदान किए गए।

(v) 17.09.2022 को 72 शिविर आयोजित किए गए जिसमें 29,750 दिव्यांगजनों को 28.95 करोड़ रुपये की लागत वाले सहायक यंत्र और सहायक उपकरण प्रदान किए गए।

(vi) 14.01.2023 को 65 शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें 50,000 से अधिक दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र और सहायक उपकरण वितरित किए गए।

(vii) 25.03.2023 को 17 शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें 13500 से अधिक दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरण वितरित किए गए।

(viii) 24.09.2023 को 72 शिविरों का आयोजन किया गया जहां 35,000 से अधिक दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरण वितरित किए गए।

(ix) 25.11.2023 को 20 शिविरों का आयोजन किया गया जहां 54,000 से अधिक दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरण वितरित किए गए।

(x) देश में 6764 (एडिप योजना के तहत 5960 और सीएसआर के तहत 804) कॉकलियर इंप्लांट सर्जरियाँ सफलतापूर्वक की गई है।

(xi) पात्र दिव्यांगजनों को 64713 मोटरचालित ट्राईसाइकिल वितरित की गई हैं।

8.3.7 मॉनिटरिंग तंत्र

योजना के कार्यान्वयन की मानिटरिंग के लिए निम्नलिखित तंत्र की व्यवस्था की गई है :

(i) यह योजना डीबीटी भारत पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।

(ii) मंत्रालय की दिव्यांगता संबंधी योजनाओं के तहत अनुदान प्राप्त संगठनों का निरीक्षण, निगरानी और मार्गदर्शन के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और राष्ट्रीय संस्थानों के अधिकारियों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का आवंटन किया गया है।

(iii) **विभाग द्वारा निरीक्षण, गुणवत्ता मापदंडों की मानिटरिंग और रिपोर्ट तैयार करने, डाटा विश्लेषण के लिए केंद्रीय परियोजना मानिटरिंग इकाई (सीपीएमयू) सृजित की गई।**

(iv) एडिप योजना के तहत, किसी विशेष कार्यान्वयन एजेंसी के संबंध में निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित राज्य सरकार की सिफारिशों पर अनुदान जारी किए जाते हैं। अनुशंसित प्राधिकरण संगठन को पिछले अनुदान से सहायता प्राप्त लाभार्थियों की 15 प्रतिशत (10 लाख रूपये तक की जीआईए के मामले में) और 10 प्रतिशत (10.00 लाख रूपये से अधिक जीआईए के मामले में) जांच/नमूना जांच का आयोजन भी करता है।

(v) संगठनों को उन्हें जारी पिछले अनुदान के संबंध में लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक है ।

(vi) कार्यान्वयन एजेंसी को यूडीआईडी कार्ड या यूडीआईडी कार्ड नंबर के नामांकन के साथ 'अर्जुन (एडिप–एमआईएस पोर्टल)' पर लाभार्थियों का विवरण अपलोड करना चाहिए।

(vii) एडिप योजना के तहत, कार्यान्वयन एजेंसियों को एक वेबसाइट भी रखनी चाहिए और प्राप्त अनुदानों, उपयोग किए गए और लाभार्थियों की सूची का विवरण अपलोड करना चाहिए।

(viii) ई–अनुदान पोर्टल पर गैर–सरकारी संगठनों के प्रस्तावों को ऑन लाइन प्रस्तुत करना और प्रोसेस करना।

(ix) नीति आयोग पोर्टल (एनजीओ दर्पण) पर एनजीओ का अनिवार्य पंजीकरण।

8.3.8 एडिप योजना के अंतर्गत, विभाग ने दिव्यांगजनों के लिए समकालीन सहायक यंत्र और उपकरणों की दिव्यांगता वार सूची अधिसूचित की है जो विभाग की वेबसाइट (depwd.gov.in) पर उपलब्ध है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, दिव्यांगता की संख्या 7 से बढाकर 21 कर दी गई है। विभाग सभी प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए उपयुक्त सहायक यंत्र और सहायक उपकरणों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया में है।

8.4 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा)

8.4.1 सिंहावलोकन

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (सिपडा) के कार्यान्वयन के लिए योजना एक अंब्रेला "केंद्रीय क्षेत्रक योजना" है जिसमें 11.08.2021 को आयोजित व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक के दौरान संशोधन के बाद 10 उप–योजनाएं शामिल हैं। सिपडा योजना को 2021–22 से 2025–26 तक संशोधन और जारी रखने के लिए ईएफसी (व्यय वित्त समिति) की सिफारिशों के अनुरूप माननीय वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है। निम्नलिखित 10 उप–योजनाएं/घटक सिपडा योजना के अंतर्गत हैं:

i. दिव्यांगजनों के लिए बाधामुक्त वातावरण का सृजन।

ii. सुगम्य भारत अभियान (एआईसी)

iii. निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन योजना के साथ दिव्यांगजनों के कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी)

iv. विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) परियोजना

v. केंद्र और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य प्रदाताओं के मुख्य कार्यकर्ताओं का सेवाकालीन प्रशिक्षण और संवेदनशील सहित जागरूकता सृजन और प्रचार (एजीपी)

vi. दिव्यांगता क्षेत्र के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर अध्ययन और अनुसंधान के लिए और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए उपयुक्त उत्पाद, सहायक यंत्रों और उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता,

vii. स्पाइनल इंजुरी केंद्रों के लिए सहायता, राज्य स्पाइनल इंजुरी केंद्र (एसएसआईसी) और भारतीय स्पाइनल इंजुरी केंद्र (आईएसआईसी) उप–योजनाओं के विलय के बाद नया नाम,

viii. क्रास डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर (सीडीईआईसी)

ix. 'सिपडा के तहत' 'परियोजनाओं के रूप में उप योजना'–

(क) एनआईईपीवीडी, देहरादून के माध्यम से परियोजना के रूप में ब्रेल प्रेस योजना जारी रखी गई है जिसका नाम बदलकर ''सुगम्य शिक्षण सामग्री के विकास के लिए वित्तीय सहायता पर परियोजना'' किया गया है।

(ख) एवाईजेएनआईएसएचडी मुंबई के माध्यम से परियोजना के रूप में देश के पांच क्षेत्रों में मौजूदा बधिर कॉलेजों के लिए वित्तीय सहायता जारी रखी गई है।

x. केंद्रीय परियोजना मॉनिटरिंग यूनिट (सीपीएमयू) सह डाटा कार्यनीति यूनिट (डीएसयू)।

8.4.1.1 पिछले चार वर्षों के दौरान बजट आवंटन और व्यय का ब्यौरा:

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	बीई आवंटन	आरई आबंटन	जारी की गई राशि
1	2020-21	251.50	122.89	103.43
2	2021-22	209.77	147.31	108.44
3	2022-23	240.39	100.00	65.55
4	2023-24	150.00	67.00	76.79

8.4.1.2 2023–24 के दौरान सिपडा योजना के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए विभिन्न संस्थानों/संगठनों को जारी सहायता अनुदान **अनुबंध–7** में इस प्रकार है :–

क) वर्ष 2023–24 के दौरान सिपडा योजना के तहत बाधामुक्त वातावरण के निर्माण के लिए जारी की गई सहायता अनुदान

ख) वर्ष 2023–24 के दौरान सिपडा योजना के तहत सुगम्य भारत अभियान के लिए जारी की गई सहायता अनुदान

ग) वर्ष 2023–24 के दौरान सिपडा योजना के तहत दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के लिए जारी की गई सहायता अनुदान

घ) वर्ष 2023–24 के दौरान सिपडा योजना के तहत विशिष्ट दिव्यांगता पहचान परियोजना के लिए जारी की गई सहायता अनुदान

ङ) वर्ष 2023–24 के दौरान सिपडा योजना के तहत जागरूकता सृजन और प्रचार–प्रसार के लिए जारी की गई सहायता अनुदान

च) 2023–24 में दिव्यांगता से सम्बन्धित प्रोद्योगिकी, उत्पाद, सिपडा योजना के तहत के मामलों पर रिसर्च के लिए जारी उनुदान

छ) वर्ष 2023–24 के दौरान सिपडा योजना के तहत स्पाइनल इंजरी सेंटरों को सहायता के लिए जारी की गई सहायता अनुदान

ज) वर्ष 2023–24 के दौरान सिपडा योजना के तहत ब्रेल प्रेस की स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता वृद्धि के लिए सहायता परियोजना के लिए जारी की गई सहायता अनुदान

झ) 2023–24 के दौरान सिपडा योजना के तहत क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर को सहायता अनुदान जारी किया गया

ञ) वर्ष 2023–24 के दौरान सिपडा योजना के तहत सीपीएमयू सह डीएसयू के लिए जारी की गई सहायता अनुदान

8.4.2 दिव्यांगजनों के लिए बाधामुक्त वातावरण का सृजनः

दिव्यांगजनों हेतु बाधामुक्त वातावरण प्रदान करना, जिसमें स्कूल, कालेज, शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण संस्थान, कार्यालय तथा सरकारी भवन, मनोरंजनात्मक क्षेत्र, स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल आदि में निर्मित वातावरण तक पहुंच शामिल हैं। इसमें रैंपस, रेल्स, लिफ्टस, व्हीलचेअर प्रयोगकर्त्ताओं के लिए सुगम्य शौचालय, ब्रैल संकेतक (साइनेजिज) तथा आडिटरी सिग्नल, टेक्टाइल फलोरिंग, व्हील चेअर प्रयोगकत्ताओं की सुगम पहुँच हेतु, पेवमैंट पर ढलान बनाना, दृष्टिहीन अथवा अल्प दृष्टि वाले व्यक्तियों हेतु जैबरा क्रासिंग की सतह पर उत्कीर्णन करना, दृष्टिहीनों अथवा अल्प दृष्टि वाले व्यक्तियों हेतु रेलवे प्लेटफार्मो पर उत्कीर्णन करना तथा दिव्यांगता के उचित चिन्हों की डिवाइसिंग करना आदि शामिल है।

भारतीय सरकारी वैबसाइट हेतु एनआईसी और प्रशासनिक सुधार तथा जन शिकायत विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, दिव्यांगजनों के लिए केन्द्रीय/राज्य तथा जिला स्तर पर सरकारी वेबसाइटों को सुगम्य बनाना, जो उनकी वेबसाइट http://darpg.nic.in पर उपलब्ध है।

8.4.3 सिपडा के तहत दिव्यांगजन कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी)

8.4.3.1 सिंहावलोकन :

सिपडा के तहत दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना विभाग द्वारा 21 मार्च 2015 को शुरू की गई थी। विभाग ने हाल ही में 11.09.2023 को पीएम–दक्ष पोर्टल–डीईपीडब्यूडी शुरू किया है, जो कौशल और रोजगार की आवश्यकता वाले दिव्यांगजनों के लिए और दिव्यांगजनों हेतु प्रशिक्षण संगठनों और नियोक्ताओं/नौकरी एग्रीगेटर्स के लिए। वन–स्टॉप डिजिटल डेस्टिनेशन है। दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान करने के लिए पीएम दक्ष– डीईपीडब्यूडी पोर्टल पर निम्नलिखित 2 मॉड्यूल हैं: –

क. **दिव्यांगजन कौशल विकासः** दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी–एसडीपी) को पूरी तरह से पीएम दक्ष– डीईपीडब्यूडी पोर्टल के माध्यम से लागू किया जा रहा है। यह पोर्टल कौशल प्रशिक्षण में रुचि रखने वाले दिव्यांगजनों के लिए शुरू से अंत तक सुविधाएं प्रदान करता है। इन सुविधाओं में विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) आधारित निर्बाध पंजीकरण, 250+पाठ्यक्रमों की सूची में से कौशल प्रशिक्षण में नामांकन, ई–लर्निंग डिजिटल संसाधन, कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अपने

राज्य/जिले में ईटीपी की खोज करना, अध्ययन सामग्री तक पहुंच के साथ–साथ प्रशिक्षकों / ईटीपी पर विस्तृत जानकारी शामिल है।

ख. **दिव्यांगजन रोजगार सेतु** : दिव्यांगजनों के रोजगार के लिए, विभाग ने दिव्यांगजन रोजगार सेतु विकसित किया है, जो विभिन्न संगठनों में दिव्यांगजनों के लिए रिक्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए समर्पित एक अनूठा डिजिटल मंच है। इस मंच का उद्देश्य दिव्यांगजनों और दिव्यांगजनों को काम पर रखने वाले नियोक्ताओं के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना है। यह प्लेटफॉर्म निजी कंपनियों के भीतर रोजगार/आय अर्जन के अवसरों के साथ–साथ पूरे भारत के दिव्यांगजनों के बारे में जियो–टैग आधारित जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा, विभाग ने दिव्यांगजनों के रोजगार के लिए विभिन्न कंपनियों में से कंपनियां जैसे अमेज़ॅन, यूथ4जॉब्स, एटिपिकल एडवांटेज के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए है। वर्तमान में विभिन्न दिव्यांगताओं में पोर्टल पर 2000 से अधिक रिक्तियां हैं और पूरे भारत से दिव्यांगजन अपनी रुचि के अनुसार रिक्तियों के लिए आवेदन www.pmdaksh.depwd.gov.in पर कर सकते हैं।

8.4.3.2 उद्देश्य और कार्यक्षेत्र

क) दिव्यांगजनों के कौशल को बढ़ाने के लिए; दिव्यांगजनों को लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।

ख) दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर, समाज के उपयोगी और योगदान सदस्य बनने तथा अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम बनाना।

ग) दिशानिर्देश उन दिव्यांगजनों को कवर करते हैं जो न्यूनतम 40% दिव्यांगताग्रस्त हैं और जिनके पास यूडीआईडी कार्ड या यूडीआईडी नामांकन संख्या और किसी सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र है।

8.4.3.3 अन्य कौशल पहलों के लिए समर्थन :

क) पूर्व अधिगम की मान्यता (आरपीएल) – विभाग बिना किसी औपचारिक शिक्षा या कौशल के असंगठित क्षेत्र में नियोजित दिव्यांग कार्यबल के औपचारिक प्रमाणन की जरूरतों को पूरा करने के लिए एनएपी के तहत आरपीएल को भी लागू करता है। इसके अलावा, आरपीएल के तहत नियोजित दिव्यांगजनों का कौशल बढ़ाया जा सकता है/क्षमता निर्माण भी किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए, प्रशिक्षण भागीदार को विभाग के साथ पैनल में शामिल होने के बाद, निर्धारित प्रोफार्मा में एक ऑनलाइन आरपीएल प्रस्ताव प्रस्तुत करना अपेक्षित है जो विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

ख) विशेष परियोजनाएं – विशेष परियोजनाओं का उद्देश्य आकर्षक प्लेसमेंट और/या उद्यमिता के अवसर प्रदान करने वाले प्रतिष्ठित उद्योग निकायों/सलाहकारों के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए परियोजना–आधारित कौशल हस्तक्षेप करना है। इसमें प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के भर्ती–प्रशिक्षण–तैनाती मॉडल के साथ–साथ उद्यमिता, रोजगार परकता/जीवन कौशल प्रशिक्षण के लिए मेंटरशिप–आधारित प्रशिक्षण परियोजनाएं शामिल होंगी। इन परियोजनाओं को अनौपचारिक क्षेत्रों और गैर–एनसीवीईटी नौकरी भूमिकाओं में भी किया जा सकता है। एक प्रस्तावकर्ता हितधारक केंद्र या राज्य सरकार (सरकारों) के संस्थान, एक स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय या किसी अन्य समकक्ष निकाय या एक निगम / कंपनी या एक गैर सरकारी संगठन या विशेषज्ञ / संरक्षक हो सकते हैं जो दिव्यांगजनों को प्रशिक्षण और प्लेसमेंट/स्वरोजगार प्रदान कराना चाहते हैं। ऐसे प्रस्तावों के लिए वित्त पोषण एकीकृत वित्त प्रभाग के परामर्श से प्रशासनिक अनुमोदन के लिए संबंधित प्रत्यायोजित शक्तियों वाले सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन

से स्वीकृत राशि के अनुसार एनएपी–एसडीपी के तहत सहायता अनुदान के माध्यम से मामला–दर–मामला आधार पर प्रदान किया जाएगा।

ग) **क्षमता निर्माण पहल** – विभिन्न क्षमता निर्माण गतिविधियाँ जो दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं, इस योजना के तहत की जाएंगी। इसमें दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक मानव संसाधन (प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आदि) विकसित करना, सुगम्य पाठ्यक्रम सामग्री (डिजिटल/फिजिकल) विकसित करना, नियोक्ताओं, प्रशिक्षण संगठनों, दिव्यांगजनों आदि के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना शामिल होगा। इस प्रकार की सभी पहलों/गतिविधियों को योजना के तहत सहायता अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा।

8.4.3.4 प्रशिक्षुओं की पात्रता की शर्तें :

(क) भारतीय नागरिकता,

(ख) बेंचमार्क दिव्यांगताग्रस्त व्यक्ति जिसे 40% से अधिक दिव्यांगता हो एवं जिनके पास इस आशय हेतु सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र हो, [दिव्यांगता को आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(आर) जिसे, ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम; 1999 की धारा 2 (जे) और/या किसी भी प्रासंगिक कानून जो लागू हो, के साथ पढ़ा जाए, के तहत परिभाषित किया गया है]

- यूडीआईडी कार्ड या यूडीआईडी नामांकन संख्या और दिव्यांगता प्रमाण पत्र (ईटीपी यूडीआईडी पोर्टल "www.swavlambancard.gov.in" पर ऐसे सभी प्रशिक्षुओं का पंजीकरण सुनिश्चित करेगा जिनके पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है।
- आधार नंबर या आधार नामांकन संख्या।

ग) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/बैच के प्रारम्भ की अंतिम तिथि पर आयु कम से कम 15 वर्ष और 59 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए

घ) आवेदक को आवेदन पाठ्यक्रम के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान विभाग के दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत प्रायोजित किसी अन्य कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से नहीं गुजरना चाहिए।

ड.) पाठ्यक्रम एनसीवीईटी अनुमोदित पाठ्यक्रम होंगे जैसा कि nqr.gov.in पर उपलब्ध है। क्यूपी फाइल में पाठ्यक्रम के तहत कवर की गई आयु, योग्यता और दिव्यांगता के प्रकार का पूरी तरह से पालन किया जाएगा।

8.4.3.5 कार्यान्वयन एजेंसियों (प्रशिक्षण भागीदारी) की योग्यता:

इस योजना को संगठनों/ संस्थानों के माध्यम से लागू किया जाता है, जिन्हें इसके बाद से "सूचीबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों" के नाम से संदर्भित किया जाएगा। निम्न श्रेणियों के संगठनों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सहायता अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

क) राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्रों के विभाग, या

ख) केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों सहित केंद्रीय/राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा स्थापित स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या

ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थान/ सीआरसी/डीडीआरसी/ आरसी/आउटरीच केंद्र, या

घ) केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों या उनके अधीनस्थ निकायों द्वारा कौशल प्रशिक्षण के लिए मान्यता प्राप्त संगठन, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 या कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत हैं।

(ड.) संगठन के पास कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन का कम से कम तीन साल का अनुभव हो।

(च) मैट्रिक (10वीं कक्षा) पास करने वाले दिव्यांग छात्रों के अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले विशेष स्कूलों / समावेशी स्कूलों को कौशल प्रशिक्षण परियोजनाएं संचालित करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

(छ) गैर–सरकारी संगठनों के मामले में, वे नीति आयोग की एनजीओ–भागीदारी (एनजीओ–पीएस) के साथ पंजीकृत होंगे और उन्हें एक विशिष्ट आईडी प्राप्त होनी चाहिए। गैर–सरकारी संगठन द्वारा अनुदान के लिए आवेदन करते समय विशिष्ट आईडी अनिवार्य रूप से उद्धृत की जानी चाहिए।

8.4.3.6 आवेदन और चयन की प्रक्रिया:

चरण – I

क. इस योजना के तहत दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु "प्रशिक्षण भागीदार" के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र संगठनों से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाएगी। इस योजना के तहत विभाग के सूचीबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों (ईटीपी) के रूप में पंजीकरण करने के इच्छुक संगठनों को पीएम दक्ष–डीईपीडब्ल्यूडी पोर्टल पर "रूचि की अभिव्यक्ति" (ईओआई) और परियोजन विशिष्ट प्रस्ताव" (पीएसपी) फॉर्म भरना आवश्यक है। आवेदन प्रक्रिया के विवरण के साथ एक उपयोगकर्ता पुस्तिका विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रशिक्षण भागीदारों के रूप में पैनलबद्ध होने के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी और चयन समिति के समक्ष रखी जाएगी जो पिछले अनुभव, विशेषज्ञता, अवसंरचना और उपलब्ध जनशक्ति और अन्य समान प्रासंगिक विचारों के मानदंडों के आधार पर चयन करेंगे। चयन समिति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं–

ख. एनडीएफडीसी योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है और चयन समिति द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां एनडीएफडीसी के माध्यम से जारी की जाती हैं।

चरण–II

(क) प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षण भागीदार (ईटीपी) के रूप में सूचीबद्ध संगठन, ईटीपी को एससीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से केंद्र को मान्य कराना होगा। केंद्र के सफल सत्यापन, एनडीएफडीसी समीक्षा और अनुमोदन के बाद, ईटीपी को एक प्रारंभ पत्र जारी किया जाएगा।

(ख) छात्र पीएम दक्ष–डीईपीडब्ल्यूडी पोर्टल के माध्यम से एक विशेष केंद्र में अपना नामांकन करते हैं। जैसे ही दिव्यांगजनों की आबंटित संख्या पूरी हो जाएगी, ईटीपी को एनडीएफडीसी के अनुमोदन के बाद प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। 7 दिनों के प्रशिक्षण के बाद, पहली किस्त को आधार सक्षम उपस्थिति के आधार पर दिव्यांगजनों के डीबीटी के साथ संसाधित किया जाएगा।

8.4.3.7 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और मूल्यांकन :

(क) एमएसडीई ने दिव्यांगजनों के लिए एक क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी) का गठन किया है जिसे दिव्यांगजनों के लिए कौशल परिषद (एससीपीडब्ल्यूडी) के नाम से भी जाना जाता है।

(ख) एससीपीडब्ल्यूडी दिव्यांगजनों की उपयुक्तता के अनुसार अन्य एसएससी द्वारा विकसित नौकरी भूमिकाओं को विकसित या अनुकूलित करता है।

(ग) एनएसक्यूएफ के अनुरूप पाठ्यक्रमों में एनएपी–एसडीपी के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है

(घ) विशिष्ट कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन के आधार पर भर्ती–प्रशिक्षण–तैनाती (आरटीडी) मॉडल के बाद विशेष पाठ्यक्रम विकसित किए जा सकते हैं। पाठ्यक्रम सामग्री को उस कंपनी की प्रशिक्षण आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित किया जा सकता है जिसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ड.) पाठ्यक्रम के मॉड्यूल राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस) के आधार पर विकसित किए जाते हैं। एनओएस के आधार पर मूल्यांकन और प्रमाणन भी किया जाना चाहिए।

(च) एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित रोजगार कौशल (ईएस) पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं और डोमेन कौशल पाठ्यक्रम से पहले पढ़ाया जाना चाहिए।

(छ) ईटीपी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशिक्षक एनसीवीईटी द्वारा पाठ्यक्रम के योग्यता पैक में यथा निर्धारित न्यूनतम शिक्षा योग्यता मानदंड / अनुभव को पूरा करें। ईटीपी यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रशिक्षकों को संबंधित क्षेत्र कौशल परिषद के साथ–साथ दिव्यांगजनों के लिए क्षेत्र कौशल परिषद द्वारा प्रमाणित किया जाए।

(ज) मूल्यांकन एससीपीडब्ल्यूडी या विभाग द्वारा अधिकृत अन्य एजेंसी द्वारा किया जाता है।

8.4.3.8 निधियन मानदंड : कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या एच–22011/2/2014–एसडीई–I दिनांक 15 जुलाई, 2015 के माध्यम से अधिसूचित कौशल विकास योजनाओं के लिए सामान्य मानदंड, समय–समय पर यथा संशोधित, प्रशिक्षण लागत, भोजन और आवास लागत, परिवहन/संवहन लागत, तृतीय पक्ष प्रमाणन लागत, पोस्ट प्लेसमेंट समर्थन आदि सहित संपूर्ण वित्त पोषण मानदंडों के संबंध में यथोचित परिवर्तन लागू होंगे। प्रशिक्षण भागीदारों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा परिणाम आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(i) वर्तमान में, ईटीपी को वित्तीय सहायता तीन किस्तों में जारी की जाती है:

(क) पहली किस्त – प्रशिक्षण शुरू होने पर 30%,

(ख) दूसरी किस्त– प्रशिक्षण और मूल्यांकन पूरा होने के बाद 40%

(ग) तीसरी किस्त– उत्तीर्ण उम्मीदवारों के 70% के प्लेसमेंट के बाद 30%

(ii) प्रशिक्षण भागीदारों को विभिन्न प्रकार के दिव्यांग के प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण लागत की दर से 10 से 25% और नौकरी पहुंच गतिविधियों के लिए 5000/- रुपये प्रति दिव्यांग प्रशिक्षु प्रदान किए जाते हैं।

(iii) व्यक्तिगत सहायक यंत्र के लिए लागत : 5000/- रुपये प्रति दिव्यांग प्रशिक्षु दो किस्तों में अर्थात सभी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण शुरू करने पर 4000/- रुपये और सफल प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 1000/- रुपये।

(iv) उसी जिले के दिव्यांग प्रशिक्षुओं के लिए मासिक रु. 1000/- और जिले के बाहरी प्रशिक्षुओं के लिए रु. 1500/- की परिवहन लागत।

8.4.3.9 निगरानी और निरीक्षण : एनडीएफडीसी, विभाग के सीपीएमयू के साथ समन्वय में, प्रशिक्षण भागीदारों द्वारा_प्रदान किए जा रहे प्रशिक्षण की निगरानी करेगा। प्रशिक्षण भागीदारों द्वारा प्रदान किए जा रहे

प्रशिक्षण की गुणवत्ता की निगरानी के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा विकसित कोई भी तंत्र सभी प्रशिक्षण भागीदारों के लिए बाध्यकारी होगा। विभाग को यह अधिकार सुरक्षित है कि जब भी वह आवश्यक समझे प्रशिक्षण भागीदारों के परिसर का निरीक्षण कर सकता है। ये निरीक्षण या तो सीपीएमयू सहित विभाग के अधिकारियों, मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन संगठनों और संस्थानों के माध्यम से या किसी स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से किए जा सकते हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि न्यूनतम 2% प्रशिक्षणार्थियों का भौतिक निरीक्षण किया जाए।

8.4.3.10 अन्य कौशल विकास योजनाओं के साथ अभिसरण : कौशल विकास के घटक का कौशल विकास के लिए सामान्य मानदण्डों का अनुपालन करने वाले एमएसडीई सहित अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा चलाई जा रही अन्य कौशल विकास योजनाओं के साथ अभिसरण होगा।

8.4.3.11 समीक्षा और निगरानी : दिशा–निर्देशों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा योजना के लिए गठित चयन समिति द्वारा की जाएगी।

8.4.3.12 दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति।

(i) पीएम–दक्ष–डीईपीडब्ल्यूडी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है और अब यह कार्यात्मक है। निगरानी प्रयोजन के लिए आधार सक्षम बायो–मीट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) को भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसे पोर्टल पर दिखाया गया है।

(ii) केंद्र के दिशानिर्देश : गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के लिए केंद्रों में पर्याप्त बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने के लिए, विभाग ने हाल ही में सीसीटीवी, वीसी, आधार सक्षम बायो–मीट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस), नौकरी की भूमिका विशिष्ट प्रयोगशालाओं, उपकरण और प्रशिक्षित शिक्षक, प्रशिक्षण केंद्र की अनिवार्य विशेषताओं के रूप में पहुंच के साथ केंद्र दिशानिर्देश शुरू किए हैं। केंद्र के दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी केंद्र में प्रशिक्षण की अनुमति देने से पहले भौतिक निरीक्षण द्वारा केंद्र की लेखा परीक्षा – या तो विभाग के अधिकारियों या तीसरे पक्ष की एजेंसी द्वारा – अनिवार्य कर दी गई है।

8.4.3.13 एनएपी के तहत प्रशिक्षण भागीदार : विभिन्न राज्यों में नेशनल दिव्यांगजन फाईनैन्स एंड डिवैलप्मेंट कॉर्पोरेशन (एनडीएफडीसी), राष्ट्रीय संस्थान (एनआई) और उनके समेकित क्षेत्रीय केन्द्र (सीआरसी) स्थापित किए गए हैं। विभाग दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उनके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके क्षेत्र कौशल परिषदों और राज्य कौशल विकास मिशनों के सहयोग से प्रशिक्षण आधार का विस्तार कर रहा है। श्रम और रोजगार मंत्रालय से 24 वीआरसी का स्थानांतरण भी प्रक्रियाधीन है जिससे गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु विभाग की क्षमता में और वृद्धि होगी।

8.4.3.14 **दिव्यांगजनों के लिए कौशल परिषद् (एससीपीडब्ल्यूडी):** दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा एक अलग क्रॉस कटिंग क्षेत्र कौशल परिषद बनाया गया है जिसका निजी क्षेत्र से एक अध्यक्ष एवं एक पूर्णकालिक सीईओ है। परिषद में दिव्यांगजनों के लिए कार्य करने वाले सरकारी और निजी क्षेत्र तथा गैर सरकारी संगठन के स्टेकहोल्डरों का प्रतिनिधित्व करने वाले विविध सदस्य हैं। विभाग, क्षेत्र कौशल परिषद तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों से परामर्श से समरूप पाठ्यक्रम, प्रमाणीकरण तन्त्र, दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त रोजगार की पहचान, अतिरिक्त प्रशिक्षण घण्टों की अपेक्षा आदि के सृजन के लिए कार्य कर रहा है।

वित्त वर्ष–2023–24 के दौरान अम्ब्रेला योजना सिपडा के तहत दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के लिए जारी अनुदान सहायता का विवरण

(i) प्रतिपूर्ति मोड पर डीबीटी के माध्यम से सीधे संबंधित ईटीपी के प्रशिक्षुओं (पीडब्ल्यूडी) को जारी निधि।

क्र. सं.	संगठन का नाम	लक्ष्य	जारी कुल राशि (लाख रुपए में)
1	सत्यम शिवम बिल्डविजन प्राइवेट लिमिटेड	1079 दिव्यांगजनों के संबंध में व्यक्तिगत सहायक यंत्र के लिए डीबीटी भुगतान and conveyance cost for 355 PwDs	38.14
2	उदाराह स्किल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	240 दिव्यांगजनों के संबंध में व्यक्तिगत सहायक यंत्र के लिए डीबीटी भुगतान	9.60
3	केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	19 दिव्यांगजनों के संबंध में व्यक्तिगत सहायक यंत्र के लिए डीबीटी भुगतान	0.76
4	वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड	97 दिव्यांगजनों के संबंध में वाहन के लिए डीबीटी भुगतान	3.23
5	एनआईएसीई फाउंडेशन	207 दिव्यांगजनों के संबंध में व्यक्तिगत सहायक यंत्र और वाहन के लिए डीबीटी भुगतान	9.92
6	***एनडीएफडीसी, दिल्ली**	**दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण के लिए ईटीपी को आगे हस्तांतरित करने के लिए सीएनए को जारी**	832.44
7	दिव्यांगजनों के लिए कौशल परिषद (एससीपीडब्ल्यूडी), नई दिल्ली	5628 दिव्यांगजनों के लिए मूल्यांकन और प्रमाणन शुल्क का भुगतान	56.28
8	नवज्योति ग्लोबल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड	147 दिव्यांगजनों के संबंध में व्यक्तिगत सहायक यंत्र के लिए डीबीटी भुगतान	5.87
9	दिव्यांग कौशल (डीएसडीसी)	132 दिव्यांगजनों के संबंध में व्यक्तिगत सहायक यंत्र के लिए डीबीटी भुगतान	1.32
10	प्रोवाईडर्स स्किल एकेडेमी प्राईवेट लिमिटेड	269 दिव्यांगजनों के संबंध में व्यक्तिगत सहायक यंत्र के लिए डीबीटी भुगतान	6.80
11	आई पी एच, नई दिल्ली	1188 दिव्यांगजनों के लिए यातायात भुगतान एवं 108 दिव्यांगजनों के संबंध में व्यक्तिगत सहायक यंत्र के लिए डीबीटी भुगतान	32.41
12	रविशंकर शिक्षा समाज कल्याण समिति	27 दिव्यांगजनों के लिए यातायात भुगतान एवं 27 दिव्यांगजनों के संबंध में व्यक्तिगत सहायक यंत्र के लिए डीबीटी भुगतान	2.05
13	सनसईड सर्विसिस प्राईवेट लिमिटिड वाराणसी	121 दिव्यांगजनों के लिए यातायात भुगतान एवं 190 दिव्यांगजनों के संबंध में व्यक्तिगत सहायक यंत्र के लिए डीबीटी भुगतान	4.79
14	कनियप्पा एजुकेशन मैमोरियल ट्रस्ट, तमिलनाडु	300 दिव्यांगजनों के संबंध में व्यक्तिगत सहायक यंत्र के लिए डीबीटी भुगतान	15.00

क्र. सं.	संगठन का नाम	लक्ष्य	जारी कुल राशि (लाख रुपए में)
15	राष्ट्रीय बंजारा शिक्षा सोसायटी, कर्नाटक	63 दिव्यांगजनों के संबंध में व्यक्तिगत सहायक सहायता के लिए डीबीटी भुगतान	0.75
		कुल	**1019.36**

(ii) **दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के माध्यम से ईटीपी को जारी की गई निधि :**

क्र.सं.	संगठन का नाम	प्रयोजन	जारी कुल राशि (लाख रुपए में)
1	सत्यम शिवम बिल्डविजन प्रा. लिमिटेड	1047 प्रशिक्षुओं के लिए कौशल विकास ट्रैनिंग कार्यक्रम के लिए पहली और दूसरी किस्त का भुगतान	172.09
2	नवज्योति ग्लोबल सोल्यूशन प्रा. लिमिटेड	90 प्रशिक्षुओं और 149 प्रशिक्षुओं के लिए कौशल विकास ट्रैनिंग कार्यक्रम के लिए पहली और दूसरी किस्त (आंशिक राशि) का भुगतान	42.67
3	उदाराह स्किल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	240 प्रशिक्षुओं के लिए कौशल विकास ट्रैनिंग कार्यक्रम के लिए पहली किस्त का भुगतान	18.69
4	राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, (दिव्यांगजन)	30 प्रशिक्षुओं के लिए कौशल विकास ट्रैनिंग कार्यक्रम के लिए पहली किस्त का भुगतान	1.49
5	दिव्य ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट	30 प्रशिक्षुओं के लिए कौशल विकास ट्रैनिंग कार्यक्रम के लिए तीसरी किस्त का भुगतान	0.80
6	रवि शिक्षा समाज कल्याण समिति	कौशल विकास ट्रैनिंग कार्यक्रम के लिए 122 प्रशिक्षुओं के लिए दूसरी और तीसरी किस्त का भुगतान	3.46
7	केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	19 प्रशिक्षुओं के लिए कौशल विकास ट्रैनिंग कार्यक्रम के लिए पहली किस्त का भुगतान	1.11
8	एनआईएसीई फाउंडेशन	242 प्रशिक्षुओं के लिए कौशल विकास ट्रैनिंग कार्यक्रम के लिए दूसरी किस्त का भुगतान	32.13
9	बांकुड़ा स्कूल होटल मैनेजमेंट,	135 प्रशिक्षुओं के लिए कौशल विकास ट्रैनिंग कार्यक्रम के लिए दूसरी किस्त का भुगतान	12.43
10	प्रोवाइडर्स स्किल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड	286 प्रशिक्षुओं के लिए कौशल विकास ट्रैनिंग कार्यक्रम के लिए दूसरी किस्त का भुगतान	26.73
11	मणींद्रनाथ बनर्जी मेमोरियल सोसाइटी	908 प्रशिक्षुओं के लिए कौशल विकास ट्रैनिंग कार्यक्रम के लिए तीसरी किस्त का भुगतान	3.25
12	सनसाइड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, वाराणसी	180 प्रशिक्षुओं के लिए कौशल विकास ट्रैनिंग कार्यक्रम के लिए दूसरी किस्त का भुगतान	19.37
13	कनियप्पा एजुकेशन मेमोरियल ट्रस्ट, तमिलनाडु	300 प्रशिक्षुओं हेतु कौशल विकास टैनिंग कार्यक्रम हेतु प्रथम किस्त का भुगतान	22.55
14	दिव्यांग कौशल (डीएसडीसी)	132 प्रशिक्षणार्थियों हेतु कौशल विकास चर्मशोधन कार्यक्रम हेतु द्वितीय किस्त का भुगतान	5.75

क्र.सं.	संगठन का नाम	प्रयोजन	जारी कुल राशि (लाख रुपए में)
15	महिला मंडल बाड़मेर आगोर	22 प्रशिक्षुओं हेतु कौशल विकास चर्मशोधन कार्यक्रम हेतु द्वितीय किस्त का भुगतान	4.41
16	राष्ट्रीय बंजारा शिक्षा सोसायटी, कर्नाटक	47 प्रशिक्षुओं के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु द्वितीय किस्त का भुगतान	12.78
		कुल	**379.71**

8.4.4 सुगम्य भारत अभियान

8.4.4.1 अवलोकन

निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ निर्मित वातावरण (भवन), परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पारिस्थितिकी तंत्र में दिव्यांगजनों को सार्वभौमिक सुगम्यता हासिल करने के लिए 3 दिसंबर, 2015 को सुगम्य भारत अभियान (एआईसी) नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया था:–

- सुगम्य सरकारी भवनों के अनुपात को बढ़ाना।
- सुगम्य परिवहन प्रणाली [एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक परिवहन वाहक (बस)], के अनुपात को बढ़ाना।
- सुगम्य सरकारी वेबसाइटों, सांकेतिक भाषा के दुभाषियों का पूल, सार्वजनिक टेलीविजन समाचार कार्यक्रमों की कैप्शनिंग और सांकेतिक भाषा की व्याख्या के अंश को बढ़ाना ।

उपरोक्त एआईसी के सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 24 जून, 2024 को आयोजित बैठक के दौरान केंद्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा जो दिव्यांगता क्षेत्र में निर्णय लेने वाला उच्चतम निकाय है, उसके द्वारा जून, 2022 की समय सीमा को संशोधित करके मार्च 2024 कर दिया गया था। विभिन्न संबंधित नोडल केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा इस विभाग द्वारा किए गए प्रयासों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, दिनांक 29.02.2024 तक सुगम्य भारत अभियान के तहत ब्यौरे निम्नानुसार हैः

(i) सुगम्य सरकारी भवनों के अनुपात को बढ़ाने का लक्ष्यः

लक्ष्य 1.1: 50 शहरों में कम से कम 25–50 सबसे महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों की सुगम्यता ऑडिट को पूरा करना और उन्हें पूरी तरह सुगम्य बनाना।

लक्ष्य 1.2: राष्ट्रीय राजधानी और सभी राज्यों की राजधानियों के सभी सरकारी भवनों के 50 % भवनों को पूरी तरह से सुगम्य बनाना।

लक्ष्य 1.3: 50 प्रतिशत सरकारी भवनों की सुगम्यता ऑडिट को पूरा करना और लक्ष्य (1.1) और (1.2) के तहत शामिल न किए गए राज्यों के 10 सबसे महत्वपूर्ण शहरों/कस्बों में उन्हें पूरी तरह से सुगम्य बनाना।

स्थिति

- राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों में, लेखा परीक्षकों द्वारा 48 शहरों में 1662 भवनों का सुगम्यता लेखा परीक्षा पूरा किया गया। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल अधिकारियों को 1662 सुगम्यता लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

- अब तक 1484 भवनों के रेट्रोफिटिंग के वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, विभाग द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक 1314 भवनों के संबंध में 563.85 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी जारी की गई है।
- इसके अलावा, 20 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों, ने 623 भवनों में रेट्रोफिटिंग कार्य पूरा करने की सूचना दी है। 7 राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि लक्ष्य/चरण (1.2) और (1.3) के लिए अपने स्वयं की निधि से 2839 राज्य सरकार के भवनों को सुगम्य बनाने के लिए चयन किया गया है।
- केंद्र सरकार में, सीपीडब्ल्यूडी ने सुगम्य भारत अभियान के तहत लक्षित चयनित 1100 केंद्र सरकार के भवनों में से 1100 में रेट्रोफिटिंग के पूरा होने की सूचना दी है।

(i) **सुगम्य परिवहन तंत्र [हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक परिवहन वाहक (बसें)] का अनुपात बढ़ाने का लक्ष्य**

(ii.क) लक्ष्य 2.1 और 2.2 – हवाई अड्डों : सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और घरेलू हवाई अड्डों को पूरी तरह से सुगम्य बनाया जाना है।

स्थितिः

- सभी 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और 69 घरेलू हवाई अड्डों में से 55 में सुगम्यता सुविधाएँ (रैंप, सुगम्य शौचालय, हेल्पडेस्क तथा ब्रेल और श्रवण सूचना प्रणाली वाली लिफ्ट) प्रदान की गई हैं। इसके अलावा, सूचना दी गई है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय/कस्टम हवाई अड्डों पर एरोब्रिजेज उपलब्ध कराए गए हैं।
- अधिकांश हवाई अड्डों पर स्पर्श पथ प्रदान किया गया है जबकि 41 हवाई अड्डों को एयरोब्रिज से सुसज्जित किया गया है और 12 हवाई अड्डों पर एम्बूलिफ्ट उपलब्ध हैं और अन्य हवाई अड्डों के लिए इसकी खरीद की जा रही है।
- नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने हवाई अड्डों पर दिव्यांगजन की निर्बाध स्क्रीनिंग करने की एडवाइजरी भी जारी की है। इस संबंध में, सीआईएसएफ ने अपने एसओपी को भी संशोधित किया है, जिसमें बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए सॉफ्ट स्किल्स में सुधार की जरूरत पर जोर दिया गया है।
- नागर विमानन मंत्रालय के लिए सुगम्यता मानकों और दिशानिर्देशों को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है और आरपीडब्ल्यूडी नियमावली, 2017 के तहत अधिसूचित किया गया है।

(ii.ख) लक्ष्य 3.1 और 3.2–रेलवे : ए1, ए और बी श्रेणी के रेलवे स्टेशनों को पूरी तरह से सुगम्य बनाया जाना है; सभी रेलवे स्टेशनों के 50% को पूरी तरह से सुगम्य बनाया जाना है।

स्थिति

- सभी 709 ए1, ए और बी श्रेणी के रेलवे स्टेशनों पर रेल मंत्रालय द्वारा चिन्हित सात (07) अल्पकालिक सुविधाएं अर्थात, रैंप, दिव्यांगजन के लिए दो पार्किंग स्थल, पार्किंग से स्टेशन बिल्डिंग तक फिसलन रहित पैदल पथ, साइनेज, पीने का पानी का कम से कम एक नल, एक सुगम्य शौचालय और "क्या हम आपकी सहायता कर सकते हैं" बूथ उपलब्ध कराया गया हैं।
- रेल मंत्रालय ने सुगम्य भारतीय रेल, जिसमें बाधा मुक्त आईसीटी सेवाएं, स्टेशनों की इमारतें, कोच के साथ–साथ यात्रा सेवाएं शामिल हैं, के लिए दिशा–निर्देशों को तैयार कर रही है। भारतीय रेलवे में सुगम्यता प्राप्त करने के लिए रेलवे ने सुगम्यता दिशा–निर्देश जारी किया है जिसे जोनल रेलवे द्वारा लागू किया जाना है।

(ii.ग) लक्ष्य 4.1 –बसें : सरकारी स्वामित्व वाली सार्वजनिक परिवहन वाहक का 25% पूरी तरह से सुगम्य बनाया जाना है:

स्थिति

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि 1,47,747 बसों में से 42348 (29.05%) बसें आंशिक रूप से सुगम्य हैं और 8695 (5.96%) बसें पूरी तरह से सुगम्य हैं।
- बस बॉडी कोड को यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य बनाया गया है कि सभी नई सिटी बसें दिव्यांगजनों के अनुकूल हों।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बस टर्मिनलों और बस स्टॉप के लिए सुगम्यता। दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

(ii) सुगम्य सरकारी वेबसाइटों; सांकेतिक भाषा के दुभाषियों का पूल; सार्वजनिक टेलीविजन समाचार कार्यक्रमों की कैप्शनिंग और सांकेतिक भाषा की व्याख्या के अंश को बढ़ाने का लक्ष्य:

(iii.क)लक्ष्य 5.1 और 5.2 – वेबसाइट : केंद्र और राज्य सरकार की कम से कम 50% वेबसाइटें में सुगम्यता मानकों को पूरा करना है।

स्थिति

- विभाग ने 917 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की वेबसाइटों को सुगम्य बनाने के लिए ईआरएनईटी इंडिया को 26.19 करोड़ रूपए मंजूर किए हैं, जिनमें से 23.52 करोड़ रूपए संवितरित कर दिए गए हैं। कुल 676 राज्य सरकारों की वेबसाइटों को सुगम्य बनाया गया है, जिसमें से 476 वेबसाइटों को लाइव बनाया गया है।
- सामग्री प्रबंधन ढांचे के तहत केंद्र सरकार के मंत्रालयों/ विभागों की 95 वेबसाइटें इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सुगम्य बनाई गई हैं।

8.4.4.2 इसके अलावा, सुगम्य भारत अभियान के तहत संबंधित मंत्रालयों/ विभागों के सहयोग से इस विभाग द्वारा निम्नलिखित पहल की गई हैं :

I. **वास्तुकला परिषद के साथ समझौता ज्ञापन:** विभाग औपचारिक शिक्षा निकायों को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना करता है ताकि वे सार्वभौमिक सुगम्यण और इस उद्देश्य के लिए तैयार किए गए मानकों/ दिशा–निर्देशों के अनिवार्य अध्ययन से संबंधित मौजूदा पाठ्यचर्या में वास्तुकला स्नातक में पाठ्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित करें और अधिदेशित करें। डीईपीडब्ल्यूडी और सीओए ने बी.आर्क कोर्स में दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक सुगम्य, सुगम्य सुविधाओं और आउटरीच आदि से संबंधित अन्य संबंधित मामलों से संबंधित अनिवार्य क्रेडिट/मॉड्यूल आदि को शामिल करने के लिए हाथ मिलाया है।

II. **एजेंसियों/गैर–सरकारी संगठनों/सोसायटियों आदि का पैनलबद्ध करना (निर्मित वातावरण में सुगम्य लेखा परीक्षक के रूप में):** सुगम्यता लेखा परीक्षक की पैनलबद्धता का मुख्य उद्देश्य सभी और विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए एक समावेशी, सुरक्षित और आरामदायक अनुभव की बढ़ती मांग को पूरा करना है। रूचि की अभिव्यक्ति को जारी इस उद्देश्य के साथ किया गया है कि देश में इस मामले पर व्यावसायिक अनुभव और शैक्षिक पृष्ठभूमि दोनों के संदर्भ में उपलब्ध व्यावसायिक विशेषज्ञता प्राप्त की जाए और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार किए गए सुगम्यता मानकों/दिशा–निर्देशों का अनुपालन

सुनिश्चित किया जाए। 5 वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार के साथ पेशेवरों को पैनलबद्ध करने के लिए ईओआई जारी किया गया है।

III. **दिव्यांगजनों के लिए 75 तीर्थ स्थलों को सुगम्य बनानाः** इस विभाग की एक पहल स्वतंत्रता के 75 वर्ष और अपने लोगों के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों का जश्न मनाना और स्मरण करना है। इसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्षम सुविधाएँ प्रदान करके तीर्थयात्री/धार्मिक स्थानों को सुगम्य बनाना है। संबंधित स्थानों पर दिव्यांगजनों (बधिर और दृष्टिहीनों सहित) के लिए एक व्यापक अनुभव की भी परिकल्पना की गई है। इस प्रयोजनार्थ, दिव्यांगजनों के लिए पहचान किए गए स्थलों को सुगम्य बनाने हेतु प्रस्तावों को प्रस्तुत करने हेतु संबंधित मुख्य मंत्रालयों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को पत्र जारी किए गए हैं। इसके प्रत्युत्तर में, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और सिक्किम जैसे राज्यों ने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं जिनकी विभाग द्वारा जांच की जा रही है। सिक्किम के नामची में सोलोफेक चारधाम को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाने के लिए 416.50 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई है।

IV. **निर्मित वातावरण में सार्वभौमिक सुगम्यता के लिए राज्य अधिकारियों का प्रशिक्षणः** दिव्यांगजनों के लिए एक समावेशी, सुरक्षित और आरामदायक अनुभव की बढ़ती मांग को देखते हुए, निर्मित वातावरण में सुगम्य सुविधाओं को शामिल करना सुनिश्चित करना, समय की आवश्यकता है और इसके लिए, सार्वभौमिक सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों की धारणा में मूल रूप से सुगम्यता प्रदान करना आवश्यक है। उपर्युक्त संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, इस विभाग ने राष्ट्रीय सीपीडब्ल्यूडी प्रशिक्षण अकादमी के सहयोग से निर्मित पर्यावरण में सुगम्यता पर राज्य लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के लिए 03 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है। प्रशिक्षण 28–31 अगस्त 2023 के दौरान आयोजित किया गया जिसमें 14 राज्यों अर्थात् दिल्ली, मध्य प्रदेश, मिजोरम, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मेघालय, चंडीगढ़, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, लद्दाख, अंडमान और निकोबार तथा सिक्किम ने भाग लिया जिसमें संबंधित विभागों के लगभग 21 अधिकारी शामिल थे।

V. **आईआईटी–खड़गपुर के सहयोग से बी.टेक और बी.प्लान पाठ्यक्रमों में अनिवार्य मॉड्यूल को शामिल करनाः** वास्तुकला परिषद के साथ इसी प्रकार की सहभागिता की तर्ज पर विभाग व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करते समय संस्थागत ज्ञान प्रदान करने के लिए योजना एवं प्रौद्योगिकी स्नातक (सिविल इंजीनियरिंग) में अनिवार्य पाठ्यक्रम मॉड्यूलों को शामिल करने के लिए वर्तमान में आईआईटी, खड़गपुर के सहयोग से कार्य कर रहा है। आईआईटी ने एआईसीटीई से संबद्ध सभी कॉलेजों को लक्षित करने के एजेंडे के साथ दोनों पाठ्यक्रमों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और आईआईटी खड़गपुर को दिनांक 22.02.2024 का कार्य आदेश जारी किया गया है।

VI. **एनआईसी के सहयोग से वेब सुगम्यता प्रशिक्षणः** एनआईसी के सहयोग से, विभाग वेब सुगम्यता पर एक प्रमाणित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित करने और देश भर में लगभग 10,000 वेब डेवलपर्स / वेब कोडर्स को प्रशिक्षित करने की कल्पना कर रहा है। इस प्रस्ताव का प्राथमिक उद्देश्य सरकारी विभागों को अपनी वेबसाइटों और वेब आधारित अनुप्रयोगों में वेब सुगम्यता दिशा–निर्देशों के कार्यान्वयन के बारे में संवेदनशील बनाना है। प्रस्ताव एनआईसी द्वारा प्रस्तुत किया गया है और वर्तमान में डीईपीडब्ल्यूडी के साथ स्क्रीनिंग में है।

सुगम्यता के क्षेत्र विशिष्ट मानकों का निर्माण – सचिवों की समिति की सिफारिशों के अनुसार, सुगम्यता के क्षेत्र विशिष्ट मानकों को तैयार करने का काम संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सौंपा गया है ताकि इन्हें आरपीडब्ल्यूडी नियमावली, 2017 के तहत अधिसूचित किया जा सके।

आरपीडब्ल्यूडी नियमों के नियम 15 के तहत अधिसूचित दिशानिर्देशों वाले मंत्रालय/विभाग		
क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	दिशा–निर्देशों का नाम
1	आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	भारत में सार्वभौमिक सुगम्यता के लिए सुसंगत दिशानिर्देश और स्थान मानक–2021
2	भारतीय मानक ब्यूरो (उपभोक्ता मामले विभाग)	आईसीटी उत्पादों और सेवाओं के लिए सुगम्यता (भाग I और II)
3	संस्कृति मंत्रालय	संस्कृति क्षेत्र विशिष्ट सुसंगत पहुंच मानक
4	खेल विभाग	दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए सुगम्य खेल परिसर और आवासीय सुविधाओं पर दिशानिर्देश
5	नागर विमानन मंत्रालय	नागर विमानन के लिए सुगम्यता मानक और दिशानिर्देश 2022
6	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	स्वास्थ्य देखभाल के लिए सुगम्यता मानक
7	ग्रामीण विकास मंत्रालय	ग्रामीण क्षेत्र विशिष्ट सुसंगत सुगम्यता मानक/दिशानिर्देश
8	पेयजल और स्वच्छता विभाग	दिव्यांगजनों और पहुंच चुनौतियों वाले अन्य जनसंख्या समूहों के लिए सुगम्य और समावेशी पाइप से पानी की आपूर्ति पर दिशानिर्देश
		ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालयों के लिए सुगम्यता मानक
9	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा पत्तन क्षेत्र में सुगम्यता मानक
10	रेल मंत्रालय	दिव्यांग व्यक्तियों और कम गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे स्टेशनों की पहुंच और स्टेशनों पर सुविधाओं पर दिशानिर्देश
ऐसे मंत्रालय/विभाग जिन्होंने आरपीडब्ल्यूडी नियमावली के नियम 15 के अंतर्गत अधिसूचित अन्य मंत्रालयों/विभागों के दिशानिर्देशों/मानकों को अपनाया है।		
11	दूरसंचार विभाग	बीआईएस मानक आईसीटी उत्पादों और सेवाओं के लिए सुगम्यता (भाग I और II) को अपनाया गया।
12	विधि और न्याय विभाग	एमओएचयूए के सुसंगत दिशानिर्देश 2021 और आईसीटी उत्पादों और सेवाओं के लिए और बीआईएस मानक सुगम्यता (भाग I और II) को अपनाया गया
13	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई)	आईसीटी उत्पादों और सेवाओं के लिए बीआईएस मानक सुगम्यता (भाग I और II) अपनाया गया।
आरपीडब्ल्यूडी नियमों (मसौदा/अंतिम) में अधिसूचना के तहत दिशानिर्देश और सार्वजनिक हितधारकों की टिप्पणियां मांगी गई हैं		
14	गृह मंत्रालय	पुलिस स्टेशनों, जेलों और आपदा न्यूनीकरण केंद्रों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा विशिष्ट निर्मित बुनियादी ढांचे और संबद्ध सेवाओं के लिए पहुंच संबंधी दिशानिर्देश।

15	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	शैक्षणिक संस्थानों के लिए अभिगम्यता कोड
16	उच्चतर शिक्षा विभाग	उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए पहुंच संबंधी दिशानिर्देश और मानक
विभिन्न चरणों में मंत्रालय के दिशानिर्देश		
17	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	बस टर्मिनलों और बस स्टॉप के लिए पहुंच संबंधी दिशानिर्देश
18	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	प्रसारण सेवाएँ (विनियमन) विधेयक, 2023
19	पर्यटन मंत्रालय	भारत के लिए सुलभ पर्यटन दिशानिर्देश 2022
20	वित्तीय सेवायें विभाग	बैंकिंग क्षेत्र के लिए सुगम्यता दिशानिर्देश पेंशन क्षेत्र के लिए सुगम्यता दिशानिर्देश बीमा के लिए सुगम्यता दिशानिर्देश वित्तीय संस्थानों के लिए सुगम्यता दिशानिर्देश

पर्यटन, सड़क परिवहन और राजमार्ग, पत्तन और पोत परिवहन, रेलवे, गृह, स्कूली शिक्षा और साक्षरता, उच्च शिक्षा, वित्तीय सेवाएं तथा सूचना और प्रसारण सहित अन्य मंत्रालय/विभाग आरपीडब्ल्यूडी नियमावली, 2017 के तहत अधिसूचना तैयार करने और उन्हें अधिसूचित करने के विभिन्न चरणों में हैं।

8.4.5 ब्रेल प्रेसों की स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता संवर्धन हेतु सहायता की परियोजना

8.4.5.1 योजना का उद्देश्य

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 2014–15 में ब्रेल प्रेसों की स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता संवर्धन के लिए सहायता योजना की शुरुआत की। योजना का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न स्कूलों में पढ़ने वाले दृष्टि बाधित बच्चों को ब्रेल पाठ्य पुस्तक के निःशुल्क वितरण के लिए इसके उत्पादन में सुविधा प्रदान करना है। वर्ष 2020–21 से ब्रेल प्रेस योजना का विलय सिपडा के साथ उसके घटकों में से एक घटक के रूप में किया गया है और वित्त वर्ष 22–23 से इसे एक परियोजना के रूप में जारी रखा जा रहा है।

8.4.5.2 नोडल एजेंसी

इस परियोजना के संचालन के लिए राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून नोडल एजेंसी है। इस नोडल एजेंसी को प्रस्ताव आमंत्रित करने, जांच, निरीक्षण, मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी और सहायता अनुदान (जीआईए) प्रदान करने के लिए उपयुक्त प्रस्तावों को स्क्रीनिंग समिति के समक्ष रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि उस पर विचार, सिफारिश और मंजूरी दी जा सके।

8.4.5.3 कार्यान्वयन एजेंसियां

इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसियां पांच साल से अधिक समय से ब्रेल प्रेस चला रही राज्य सरकारें, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और स्वैच्छिक संगठन अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा ब्रेल प्रेस चलाने के लिए निर्दिष्ट कोई अन्य प्रतिष्ठान हैं। नवंबर 2023 से ब्रेल के अलावा बड़े प्रिंट, टॉकिंग बुक, ई पब आदि के उत्पादन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों का भी प्रावधान किया गया है।

8.4.5.4 सहायता अनुदान के घटक

नोडल एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियां को सहायता अनुदान (जीआईए) के निम्नलिखित घटक प्रदान किए गए है–

i. नई ब्रेल प्रेसों की स्थापना, ब्रेल प्रेसों के आधुनिकीकरण तथा ब्रेल की क्षमता वृद्धि

ii. ब्रेल में पाठ्य पुस्तकों के उत्पादन और आपूर्ति के लिए कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किए गए व्यय के लिए आवर्ती जीआईए।

8.4.5.5 वर्तमान स्थिति

अब तक, 28 ब्रेल प्रेसों को कुल वित्तीय सहायता के रूप में 45.75 करोड़ रूपये के साथ इस योजना के तहत सहायता दी गई है।

8.4.6 जागरूकता सृजन और प्रचार योजना (एजी एंड पी स्कीम) और सेवाकालीन प्रशिक्षण योजना

यह योजना, सितंबर, 2014 में शुरू की गई और वित्त वर्ष 2014–15 से चालू है। वित्त वर्ष 2021–22 में योजना को संशोधित किया गया है और सेवाकालीन प्रशिक्षण योजना को एजीपी योजना में विलय किया गया है। इस एजीपी योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के कल्याण के लिए सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में सामान्य जागरूकता सृजन करना और सेवाकालीन प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों के प्रमुख पदाधिकारियों को प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाना है। आवेदन का विवरण और प्रक्रिया वेबसाइट पर उपलब्ध है, यूआरएल इस प्रकार है https://depwd.gov.in/awareness-generation-in-service-training/.

8.4.6.1 जागरूकता सृजन और प्रचार योजना (एजीपी योजना)

इस योजना के तहत सहायता के लिए स्वीकार्य घटकों में हेल्पलाइन / हेल्प डेस्क, सामग्री विकास, प्रकाशन और न्यू मीडिया; राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन; वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और नियोक्ताओं को संवेदनशील बनाने के लिए स्वयंसेवी सेवा/पहुंच कार्यक्रम; सामुदायिक रेडियो/टीवी चैनलों में भागीदारी; प्रेस/मीडिया दौरों और अन्य मीडिया विशिष्ट कार्यकलापों तथा ब्रांड एम्बेसडर आदि शामिल हैं।

8.4.6.2 एजीपी योजना के तहत वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां:

क्र. सं.	वर्ष	नोशनल आबंटन (सिपडा योजना के अंतर्गत) रू.करोड़ में			वास्तविक उपलब्धियां (कार्यक्रमों की संख्या)
		बी.ई.	आर.ई.	व्यय	
1.	2019-20	3.00	2.00	2.12	16
2.	2020-21	2.50	1.00	1.17	11
3.	2021-22	2.50	2.50	2.24	11
4.	2022-23	2.80	5.38	5.38	16
5.	2023-24	20.00	12.64	10.63	27

8.4.6.3 सेवाकालीन प्रशिक्षण योजना : इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों की क्षमताओं के बारे में कर्मचारियों और सहकर्मी समूहों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर की कार्यशालाओं के माध्यम से दिव्यांगता संबंधी मामलों पर नियमित आधार पर केंद्र और राज्य सरकार और स्थानीय निकायों तथा अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख पदाधिकारियों को प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाना है। योजना के कुछ उद्देश्य दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए प्रबुद्ध, कुशल और प्रतिबद्ध प्रमुख कार्यकर्ताओं को सुनिश्चित करना, दिव्यांगता से संबंधित कानून, विकास कार्यक्रमों,

योजनाओं और दिव्यांगजनों के लिए कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करना है; दिव्यांगजनों की रोकथाम, शीघ्र पहचान, हस्तक्षेप, पुनर्वास और मुख्य धारा के प्रति जागरूकता पैदा करने और संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न स्टेकहोल्डरों के बीच पुनर्वास और रैफरल सेवाएं। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत कोई सहायता अनुदान जारी नहीं किया गया है।

8.4.6.9 वर्ष 2023 में एजीपी योजना के तहत उपलब्धियां :

(i) दिव्य कला मेला: दिव्यांगजनों को अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर प्रदान करने और उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए, विभाग "दिव्य कला मेला" नामक एक प्रदर्शनी–सह–मेला आयोजित करता है। मेले में देश भर के दिव्यांग कारीगर, कलाकार और उद्यमी अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करते हैं। घर की सजावट और जीवन शैली, कपड़े, स्टेशनरी और पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद, खाद्य और जैविक उत्पाद, खिलौने और उपहार, व्यक्तिगत सामान – आभूषण आदि मेले के मुख्य आकर्षण हैं। वित्त वर्ष 2023–24 में अब तक 12 दिव्य कला मेलों का आयोजन किया जा चुका है। विवरण इस प्रकार हैं:

दिव्य कला मेला			
क्र. सं.	राज्य	कार्यक्रम–स्थल	दिनांक
1.	असम	मणिराम दीवान ट्रेड सेंटर, गुवाहाटी	11–17 मई, 2023
2.	मध्य प्रदेश	ग्रामीण हाट बाजार, इंदौर	17–23 जून 2023
3.	राजस्थान	जवाहर कला केंद्र, जयपुर	29 जून से 05 जुलाई 2023
4.	उत्तर प्रदेश	टाउन हॉल, वाराणसी	15–24 सितंबर 2023
5.	तेलंगाना	सिकंदराबाद छावनी बोर्ड, सिकंदराबाद	6–15 अक्टूबर, 2023
6.	कर्नाटक	एचएमटी ग्राउंड, बेंगलुरु	27 अक्टूबर से 5 नवंबर, 2023
7.	तमिलनाडु	द्वीप ग्राउंड चेन्नई	17 नवंबर से 26 नवंबर, 2023
8.	बिहार	गांधी मैदान, पटना	08 दिसंबर से 17 दिसंबर, 2023
9.	गुजरात	एसएमसी पार्टी प्लॉट 1 और 2 अठवा लाइन्स, सूरत	29 दिसंबर 2023 से 7 जनवरी 2024 तक
10.	महाराष्ट्र	रेशमबाग ग्राउंड–3, नागपुर	12 से 21 जनवरी, 2024
11.	गुजरात	साबरमती रिवर फ्रंट, अहमदाबाद	16–25 फरवरी, 2024
12.	त्रिपुरा	चिल्ड्रेन पार्क, स्मार्ट सिटी, अगरतला	06–11 फरवरी, 2024

(29 दिसंबर, 2023 से 07 जनवरी, 2024 तक सूरत, गुजरात में आयोजित दिव्य कला मेला)

(नागपुर, महाराष्ट्र में 12–21 जनवरी, 2024 तक दिव्य कला मेले का आयोजन)

(ii) **दिव्य कला शक्तिः** दिव्यांग कलाकारों की असाधारण प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए, विभाग हर साल "दिव्य कला शक्ति–दिव्यांगों में योग्यताओं की साक्षी" नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करता है। विभिन्न राज्यों से विभिन्न दिव्यांगताओं से संबंधित सांस्कृतिक समाजों, संस्थानों, सिविल सोसायटियों के दिव्यांग कलाकार अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। वित्त वर्ष 2023–24 में अब तक 05 दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:

दिव्य कला शक्ति		
क्र.सं.	स्थान / राज्य	दिनांक
1	वाराणसी, उत्तर प्रदेश	27 मई, 2023
2	अहमदाबाद, गुजरात	1 जनवरी, 2024
3	इंदौर, मध्य प्रदेश	5 जनवरी, 2024
4	बेंगलुरु, कर्नाटक	6 जनवरी, 2024
5.	हैदराबाद, तेलंगाना	10 फरवरी, 2024

(दिव्य कला शक्ति का आयोजन 06.01.2024 को बेंगलुरु, कर्नाटक में किया गया)

8.4.7 दिव्यांगजन संबंधित प्रौद्योगिकी, उत्पाद और मुद्दों पर अनुसंधान

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने जनवरी, 2015 में "दिव्यांगजन संबंधित प्रौद्योगिकी, उत्पादों और मुद्दों पर अनुसंधान" नामक एक केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की। 2021–22 से अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए इस योजना को जारी करने हेतु विचार करते समय, इस योजना के उद्देश्यों को पुनः दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप बनाया गया है और संशोधित उप–योजना दिशानिर्देश दिनांक 04.05. 2022 को जारी किए गए हैं।

8.4.7.1 उद्देश्य

(क) दिव्यांगता क्षेत्र के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से संबंधित साक्ष्य आधारित नीतिगत निर्णय को सुविधाजनक बनाने के लिए अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देना और समर्थन करना;

(ख) दिव्यांगता के प्रसार और इसकी रोकथाम के उपायों से संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देना;

(ग) सुविधा और पुनर्वास को बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना और समर्थन करना तथा ऐसे अन्य मुद्दे जो दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक हैं;

(घ) दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए स्वदेशी उत्पादों, सहायक यंत्रों और उपकरणों के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।

8.4.7.2 वर्तमान स्थिति:

अब तक इस योजना के तहत 31 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई है, जिसके लिए कुल वित्तीय सहायता के रूप में विभिन्न किस्तों में 2.80 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वर्ष 2023–24 के दौरान, अनुसंधान अनुभाग को निम्नलिखित 03 संस्थानों से अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हुए हैः–

क्र. सं.	संगठन	परियोजना विवरण	31.12.2023 तक जारी बजट
01	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मुंबई	सूचना और एक क्लिक (दिव्यांगता के लिए एक ऑनलाइन सूचना पोर्टल)	रु. 12.96 लाख
02	रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	माध्यमिक स्तर पर विज्ञान सीखने और दृष्टि बाधित वाले छात्रों में कौशल में सुधार के लिए अनुकूलित विज्ञान परीक्षण का विकास।	रु. 4.42 लाख
03	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर	ऊपरी अंगों के लिये मानवमिमेटिक सहायक विद्युत यांत्रिक उपकरणों का विकास (एएईडीयू)	रु. 12.74 लाख

8.4.8 विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) परियोजना

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय डेटा बेस तैयार करने और उन्हें विशिष्ट पहचान पत्र कार्ड भी जारी करने के विचार से विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र यूडीआईडी परियोजना को लागू कर रहा है। इस परियोजना के लिए एक एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर भी विकसित किया गया है और एनआईसी क्लाउड पर मई 2016 से उपलब्ध है। यह एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर दिव्यांगता प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए भी एक ऑनलाइन मंच प्रदान करता है। यह डेटाबेस ग्राम, ब्लॉक, जिला, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर से कार्यान्वयन के अनुक्रम के सभी स्तरों पर लाभ के प्रदान करने की वास्तविक और वित्तीय प्रगति का पता लगाने में मदद प्रदान करेगा। यह दिव्यांगजनों को सरकारी लाभ देने में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम्यता को प्रोत्साहित करेगा। यह डेटाबेस व्यक्तिगत विवरण, पहचान विवरण, दिव्यांगता का विवरण (दिव्यांगता का प्रकार, दिव्यांगता का प्रतिशत आदि), शिक्षा की स्थिति, रोजगार का विवरण, आय स्तर (बीपीएल/एपीएल, आदि, योजना संबंधित विवरण आदि का रिकार्ड रखेगा।

2. दिनांक 11.03.2024 की स्थिति के अनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जिलों में से 1,08,49,866 ई–यूडीआईडी कार्ड सृजित किए गए हैं। यूडीआईडी कार्ड के सृजन की राज्य–वार स्थिति **अनुबंध–8** में दी गई है। विभाग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उच्चतम स्तर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आवधिक पत्राचार के माध्यम से परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति की लगातार मॉनीटर करता है।

3. विभाग इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता हैः–

(क) प्रचार और जागरूकता हेतु सहायता–20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले के लिए 2.5 लाख रूपये, 10 लाख से अधिक और 20 लाख से कम जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले के लिए 2.0 लाख रूपये और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले के लिए 1.5 लाख रूपये।

(ख) तकनीकी सहायता–आईटी अवसंरचना–एक कम्प्यूटर डेस्कटॉप, आधार प्रमाणीकरण के लिए चार बॉयोमेट्रिक सिंगल फिंगर स्कैनर, स्कैनर सहित एक साधारण प्रिंटर और एक वेब कैमरा जैसी आईटी अवसंरचना की खरीद के लिए प्रति जिला/चिकित्सा प्राधिकरण को 1.00 लाख रूपये तक।

(ग) जनशक्ति समर्थन–यूडीआईडी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य समन्वयक की नियुक्ति के लिए प्रति माह 50,000 रूपये की दर से।

(घ) पुराने मैनुअल प्रमाण पत्र का डिजिटलीकरण–3.61 रूपये प्रति प्रमाण पत्र की दर से।

दिनांक 31.03.2024 तक 2023–24 के दौरान 13.35 करोड़ रूपये सहित उपरोक्त उद्देश्यों के लिए विभाग ने सन 2016 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यूडीआईडी प्रोजेक्ट के लिए 50.51 करोड़ रूपये जारी किए हैं।

4. यूडीआईडी डेटाबेस को डेटा सुरक्षा के लिए इलैक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिलॉकर एप्लिकेशन के साथ लिंक किया गया है। रेल मंत्रालय से रेल द्वारा रियायती यात्रा के लाभ को बढ़ाने के उद्देश्य हेतु यूडीआईडी परियोजना के तहत जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र को मान्य करने का अनुरोध किया गया है।

5. दिव्यांगता आकलन के लिए 12 मार्च, 2024 के संशोधित दिशानिर्देश 14 मार्च, 2024 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए गए हैं।

8.4.9 देश के पांच क्षेत्रों में मौजूदा बधिर कॉलेजों के लिए वित्तीय सहायता हेतु योजना (बधिर कॉलेज योजना)

उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य देश के पूर्वोत्तर सहित निम्नलिखित पांच क्षेत्रों में मौजूदा बधिर कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है:

(i)	भारत के उत्तरी क्षेत्र में बधिर के लिए ग्रामीण विकास और प्रबंधन कॉलेज (आरडीएमसी);
(ii)	पश्चिम क्षेत्र में बधिरों के लिए कॉलेज;
(iii)	दक्षिण क्षेत्र में बधिरों के लिए कॉलेज;
(iv)	मध्य क्षेत्र में बधिरों के लिए कॉलेज;
(v)	पूर्वी क्षेत्र में बधिरों के लिए कॉलेज;

8.4.9.1 इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है :

इस योजना को मूल रूप से 29.01.2015 को मंजूरी दी गई थी, और संशोधित योजना 1 अगस्त, 2018 को अधिसूचित की गई थी। हाल ही में व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के कार्य के दौरान, योजना के एक संशोधित संस्करण को अम्ब्रेला स्कीम – सिपडा के तहत एक परियोजना के रूप में जारी रखने का प्रस्ताव किया गया है। अनुमोदित परियोजना का विवरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही अपलोड किया जाना है: https://depwd.gov.in इस योजना में मौजूदा कॉलेज के बुनियादी ढांचे के विस्तार, सहायक यंत्र/उपकरण, कार्यालय उपकरण, कंप्यूटर, फर्नीचर और फिक्सचर आदि की खरीद के लिए देश के पांच क्षेत्रों में से प्रत्येक में यूजीसी द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय से संबद्ध एक कॉलेज को वित्तीय सहायता देने और कॉलेज संकाय, कर्मचारियों और सांकेतिक भाषा दुभाषिए के लिए वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए कॉलेज द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देने की परिकल्पना की गई है। यदि योजनाओं के तहत सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने वाले उपयुक्त कॉलेज नहीं पाए जाते हैं, तो विभाग को इस परियोजना के तहत सहायता अनुदान जारी करने के लिए अपेक्षित मानदंडों को पूरा करते हुए एक क्षेत्र में दो बधिर कॉलेजों की पहचान करने की छूट होगी। विगत पाँच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस परियोजना के तहत कोई सहायता–अनुदान जारी नहीं किया गया है।

8.4.10 स्पाइनल इंजरी सेंटर को वित्तीय सहायता के लिए योजना (एएसआईसी योजना)

8.4.10.1 उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य देश भर में पूर्व में ही चिन्हित स्पाइनल इंजरी सेंटर को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि स्पाइनल इंजरी वाले रोगी अपनी भरपूर क्षमताओं के साथ अपना जीवन जीने में सक्षम हो सके।

8.4.10.2 घटक 1: इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर (आईएसआईसी), नई दिल्ली को सहायता

i. इस योजना की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के दिनांक 28.03.1989 के निर्णयों और 15.12.1997 के संशोधन के माध्यम से इंडियन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी (एससीआई) ग्रस्त गरीब रोगियों को इनडोर उपचार प्रदान करने के लिए की गई थी

ii. यह स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और संबंधित बीमारियों वाले रोगियों को व्यापक पुनर्वास प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है

iii. घटक में पुनर्सुधारात्मक सर्जरी, स्थिरीकरण ऑप्टेशन, शारीरिक पुनर्वास, मनो–सामाजिक पुनर्वास और व्यावसायिक पुनर्वास सेवाओं के रूप में विभिन्न हस्तक्षेप शामिल हैं

iv. लाभार्थियों की पात्रता – स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले भारतीय नागरिक जिनकी पारिवारिक आय 3,00,000 रुपये (तीन लाख रुपये) प्रति वर्ष से अधिक नहीं है

v. प्रदान की गई सहायता

   क. विभाग एससीआई गरीब रोगियों के इलाज के लिए प्रतिदिन 25 निःशुल्क बेड प्रदान करने के लिए आईएसआईसी को रू. 7000 /बेड/दिन की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

   ख. इसके अलावा, आईएसआईसी केंद्र गरीब एससीआई रोगियों को 5 निःशुल्क बेड प्रदान करेगा।

vi. निधियों का संवितरण योजना घटक के अंतर्गत केवल आईएसआईसी, दिल्ली तक ही सीमित है।

vii. योजना प्रावधानों के अनुसार आईएसआईसी को जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वित्त वर्ष	राशि (करोड़ में)
1.	2020-21	3.99
2.	2021-22	2.52
3.	2022-23	3.37
4.	2023-24	0.00

8.4.10.3 घटक 2 : राज्य स्पाइनल इंजरी सेंटर (एसएसआईसी) की स्थापना के लिए योजना

इस योजना की कुछ विशेषताएं हैं:

i. राज्य स्पाइनल इंजरी सेंटर (एसएसआईसी) के लिए स्थापित यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है और 2015–16 से लागू की जा रही है।

ii. सभी राज्यों की राजधानियों/संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों के संबद्ध में व्यापक पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की परिकल्पना करना।

iii. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के संबंध में स्पाइनल इंजुरी के उपचार, पुनर्वास और प्रबंधन हेतु समर्पित 12 बेड उपलब्ध कराते हैं।

iv. गैर–आवर्ती सहायता

- चिकित्सा उपकरणों, चिकित्सा/सर्जिकल यंत्रों (ओटी), पुनर्वास उपकरण (क) ओटी और पीटी (ख) ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स तथा सहायक प्रौद्योगिकी पर व्यय के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे 2.33 करोड़ रुपये तक का गैर–आवर्ती सहायता अनुदान।

- 12 बिस्तर वाले समर्पित वार्ड की स्थापना के लिए 56.00 लाख रूपये तक गैर–आवर्ती सहायता अनुदान।

v. आवर्ती सहायता

- प्रतिदिन प्रति बिस्तर के लिए 1000/– रूपये के दर से वार्षिक आधार पर 10 बेड के रखरखाव लागत की प्रतिपूर्ति (अधिकतम 36,00,000/– रूपये)।
- राज्य सरकार/कार्यान्वयन अस्पताल द्वारा 2 बेड के संबंध में आवर्ती व्यय देयता वहन की की जाएगी बशर्ते कि शर्तों को पूरा किया गया हो।

vi. विगत चार वर्षों और चालू के दौरान योजना के प्रावधानों के अनुसार एसएसआईसी को जारी की गई निधियों का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं	वित्तीय वर्ष	सेंटर का नाम	राशि (करोड़ रूपये में)
1	2020-21	एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर, राजस्थान	0.31
2	2021-22	–	-
3	2022-23	एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर, राजस्थान	0.09
4	2023-24	1. एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर, राजस्थान 2. जे.एल.एन. में राज्य स्पाइनल इंजरी सेंटर की स्थापना। मेडिकल कॉलेज, अजमेर 3. जिला चिकित्सालय, सागर में राज्य स्पाइनल इंजुरी सेंटर की स्थापना	5.52

8.4.11 क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर (सीडीईआईसी):

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 17.06.2021 को 0–6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों (एनआई) और समग्र क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी) में सिंगल–विंडो, क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर (सीडीईआईसी) लॉन्च किए हैं। ये सीडीईआईसी दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत कवर की गई सभी 21 श्रेणियों की दिव्यांगताओं के संबंध में जांच और इंटरवेंशन करने के लिए सक्षम हैं और (i) बच्चों की जांच और जोखिम वाले मामलों की पहचान के लिए सुविधाएं, (ii) चिकित्सीय सेवाएं प्रदान करते हैं। स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, आदि के रूप में, (iii) माता–पिता और साथियों की परामर्श और (iv) दिव्यांग बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने के लिए प्रारंभिक स्कूल की सुविधाएं। विभाग कर्मचारियों के पारिश्रमिक, आकस्मिक व्यय और रुपये तक के एकमुश्त खर्चों को पूरा करने के लिए सीडीईआईसी की स्थापना के लिए एनआई तथा सीआरसी को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 20 लाख। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान एनआई और सीआरसी में सीडीईआईसी चलाने के लिए 2.72 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

राष्ट्रीय संस्थानों और समग्र क्षेत्रीय केंद्र में 22 सीडीईआईसी को मंजूरी दी गई है। इन सीडीईआईसी का विवरण इस प्रकार है–

- स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक
- राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी), कोलकाता
- पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी), दिल्ली
- राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांगजन संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद, तेलंगाना
- राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण सांस्थान (एनआईईपीएमडी), चेन्नई
- राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून

- अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण बाधित दिव्यांगजन संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं पुनर्वास संस्थान, सीहोर (एनआईएमएचआर)
- समग्र क्षेत्रीय केंद्र, गुवाहाटी
- समग्र क्षेत्रीय केंद्र, बोलांगीर
- समग्र क्षेत्रीय केंद्र, रांची
- समग्र क्षेत्रीय केंद्र, पटना
- समग्र क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ
- समग्र क्षेत्रीय केंद्र, श्रीनगर
- समग्र क्षेत्रीय केंद्र, नेल्लोर
- समग्र क्षेत्रीय केंद्र, राजनांदगांव
- समग्र क्षेत्रीय केंद्र, दावणगेरे
- समग्र क्षेत्रीय केंद्र, कोझिकोड
- समग्र क्षेत्रीय केंद्र, सुंदरनगर
- समग्र क्षेत्रीय केंद्र, भोपाल
- समग्र क्षेत्रीय केंद्र, अहमदाबाद
- समग्र क्षेत्रीय केंद्र, गोरखपुर

8.5 छात्रवृत्ति योजनाएं

दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां

8.5.1 सिंहावलोकन :

(क) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 31 (1) एवं (2) यह अधिदेशित करती है कि 6 से 18 वर्ष तक की बैंचमार्क दिव्यांगता वाले प्रत्येक बच्चे को उनकी इच्छा के निकटतम विद्यालय अथवा किसी विशेष विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा तथा उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारी जब तक दिव्यांग बच्चे 18 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक उपयुक्त वातावरण में उनकी निःशुल्क शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करेंगे।

(ख) इस अधिदेश को पूरा करने के लिए, यह विभाग एक अम्ब्रेला योजना 'दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना' लागू कर रहा है जिसके छह घटक हैं अर्थातः प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति, उच्च श्रेणी शिक्षा, राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति, दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप एवं निःशुल्क कोचिंग योजना।

(ग) अम्ब्रेला छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग छात्रों को अपनी आजीविका उपार्जन के लिए आगे की पढ़ाई करने हेतु और समाज में एक सम्मानजनक स्थान पाने के लिए सशक्त बनाना है, क्योंकि वे अध्ययन कार्य और गरिमापूर्ण जीवन जीने में शारीरिक, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक बाधाओं का सामना करते हैं।

(घ) 2017–18 तक, इन छह छात्रवृत्ति योजनाओं को अलग–अलग बजट वाली स्टैंड–अलोन योजनाओं के रूप

में लागू किया गया था। दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप 1 अप्रैल, 2012 को शुरू की गई थी। दिव्यांग छात्रों के लिए प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक और राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना 1 अप्रैल 2014 को शुरू की गई थी। उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 1 अप्रैल 2015 से शुरू हुई थी। दिव्यांग छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग छात्रवृत्ति योजना 1 अप्रैल, 2017 को आरम्भ किया गया था।

(ङ) 1 अप्रैल, 2018 से, सभी छह छात्रवृत्ति योजनाएं अर्थात प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक, उच्च श्रेणी शिक्षा, राष्ट्रीय फेलोशिप, राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति और निःशुल्क कोचिंग को एक स्कीम नामतः 'दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना' नामक एक अम्ब्रेला योजना में विलय कर दिया गया है, ताकि बजट आवंटन की मांग–आपूर्ति असंतुलन को दूर किया जा सके और कार्यान्वयन प्रक्रिया को कारगर बनाया जा सके। अम्ब्रेला योजना में, यदि एक खंड में अधिशेष निधि उपलब्ध है, तो उस अधिशेष का उपयोग दूसरे खंड में किया जा सकता है।

(च) प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक और उच्च श्रेणी शिक्षा में हर वर्ष उपलब्ध कुल छात्रवृत्ति स्लॉट का 50% और राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति स्लॉट का 30% महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। तथापि, यदि योजना के नियमों और शर्तों के अनुसार पर्याप्त संख्या में महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं या योग्य नहीं हैं, तो उपयुक्त पुरुष उम्मीदवारों का चयन करके अनुपयुक्त स्लॉट का उपयोग किया जा रहा है।

8.5.2 योजना की मुख्य विशेषताएं:

(i) प्री–मैट्रिक (कक्षा IX और X के लिए)

1	माता–पिता/अभिभावक की आय की अधिकतम सीमा	माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय की अधिकतम सीमा रू. 2.50 लाख प्रति वर्ष है।
2	रखरखाव भत्ता	12 महीने के लिए हॉस्टलर्स के लिए रु. 800/– प्रति माह और डे–स्कॉलर्स के लिए रु. 500/– प्रति माह
3	दिव्यांगता भत्ता	दिव्यांगता भत्ता रु. 2000 से रु. 4000/– प्रति वर्ष
4	पुस्तक भत्ता	रू. 1000/– प्रति वर्ष

(ii) पोस्ट–मैट्रिक (कक्षा XI से स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा के लिए)

I	**माता–पिता/अभिभावक की आय की अधिकतम सीमा**	**माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय की अधिकतम सीमा रू. 2.50 लाख प्रति वर्ष है।**
II	**रखरखाव भत्ता**	

समूह	**रखरखाव भत्ते की दर (प्रति माह)**	
	होस्टलर	**डे स्कॉलर**
समूह I मेडिसन/इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी, प्लानिंग/वास्तुकला, फैशन प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, बिजनेस/ वित्त प्रशासन, कम्प्यूटर विज्ञान/ अनुप्रयोग, कृषि, पशु चिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान में सभी स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम। किसी भी विषय में यूजीसी/एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त सभी स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम।	1600	750

	समूह II फार्मेसी (बी फॉर्मा), एलएलबी, बीएफएस, पुनर्वास, नैदानिक आदि जैसी अन्य पैरा–मेडिकल ब्रांच, जनसंचार, होटल प्रबंधन एवं कैटरिंग, ट्रैवल/पर्यटन/ होस्पिटेलिटी प्रबंधन, आंतरिक साज–सज्जा, पोषण एवं आहार विज्ञान, वाणिज्यिक कला, वित्तीय सेवाएं (अर्थात बैंकिंग, बीमा, कराधान आदि) जैसे क्षेत्र में डिग्री/ डिप्लोमा, सर्टिफिकेट वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रम।	1100	700
	समूह III स्नातक डिग्री वाले सभी अन्य पाठ्यक्रम जो समूह I तथा II के अंतर्गत नहीं आते अर्थात बीए/ बीएससी/बी.कॉम आदि ।	950	650
	समूह IV समस्त पोस्ट–मैट्रिक स्तरीय गैर–डिग्री पाठ्यक्रम, जिसके लिए प्रवेश अर्हता हाईस्कूल (कक्षा X) अर्थात वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाणपत्र (कक्षा XI तथा XII); सामान्य और व्यावसायिक स्ट्रीम, आईटीआई पाठ्यक्रम, पोलिटेक्निक में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम आदि है।	900	550
III	**दिव्यांगता भत्ता**	दिव्यांगता भत्तों की सीमा रु. 2000/–से रु. 4000/– प्रति वर्ष है।	
IV	**पुस्तक भत्ता**	रू. 1500/–प्रति वर्ष	
V	**अनिवार्य गैर–वापसी योग्य शुल्क**	प्रति वर्ष रू. 1.50 लाख की अधिकतम सीमा के अधीन है।	

(iii) उच्च श्रेणी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (शिक्षा में उत्कृष्टता के अधिसूचित संस्थानों में स्नातक डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रमों के लिए)

I	**माता–पिता/अभिभावक की आय की अधिकतम सीमा**	माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय की अधिकतम सीमा रू. 8 लाख प्रति वर्ष है।
II	**रखरखाव भत्ता**	रू. 3000/– प्रति माह की दर से होस्टलर के लिए और डे स्कॉलर के लिए रु. 1500/– प्रति माह की दर से दिया जाता है।
III	**दिव्यांगता भत्ता**	रू. 2000/– प्रति माह।
IV	**पुस्तक एवं लेखन सामग्री**	रू. 5000/– प्रति वर्ष।
V	**ट्यूशन शुल्क और गैर–वापसी योग्य शुल्क**	रू. 2.00 लाख प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा तक स्कॉलर द्वारा संस्थान को देय है।
VI	**कंप्यूटर, एक्सेसरीज़/ सहायक यंत्र और सहायक उपकरण**	पूरे पाठ्यक्रम के लिए एक्सेसरीज सहित कम्प्यूटर की खरीद के लिए 45,000/–रु. तथा सहायक यंत्र और सहायक उपकरण के लिए रु. 30,000/–एकबारगी अनुदान।

(iv) दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (विदेशी विश्वविद्यालयों से स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री और पीएचडी के लिए)

I	**माता–पिता/अभिभावक की आय की अधिकतम सीमा**	माता–पिता/अभिभावकों की आय सीमा 8 लाख रुपये प्रति वर्ष है
II	**ट्यूशन शुल्क**	भुगतान की गई वास्तविक राशि के अनुसार ट्यूशन शुल्क।
III	**रखरखाव भत्ता**	सिवाय यू.के. के संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के लिए – 15400/– अमरीकी डालर प्रतिवर्ष जहां जीबीपी 9900/– प्रति वर्ष है।

IV	वार्षिक आकस्मिक व्यय भत्ता	यू.के. को छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के लिए 1,500 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष, जहां यह जीबीपी 1,100/– प्रति वर्ष है
V	आकस्मिक यात्रा भत्ता	20 अमरीकी डालर या भारतीय रूपये में इसके समान। – एक बार
VI	उपकरण भत्ता	20 अमरीकी डालर या भारतीय रूपये में इसके समान। – एक बार
VII	वीज़ा शुल्क	वास्तविक अनुसार
VIII	चिकित्सा बीमा प्रीमियम	वास्तविक यथा प्रभारित स्वीकार्य है
IX	वायु मार्ग की लागत	वास्तविक अनुसार

(v) दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप (भारतीय विश्वविद्यालयों में एम.फिल/पीएचडी के लिए)।

I	माता–पिता/अभिभावक की आयः	माता–पिता/अभिभावक की कोई आय सीमा नहीं है।
फेलोशिप की दरें : जेआरएफ और एसआरएफ के लिए फेलोशिप की दरें यूजीसी फेलोशिप के बराबर होंगी। वर्तमान में ये दरें इस प्रकार हैं:		
II	फेलोशिप	रू. 37,000/- प्रतिमाह प्रारंभिक दो वर्षों के लिए (जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ), रु. 42,000/- प्रतिमाह शेष कार्यकाल के लिए (सीनियर रिसर्च फेलोशिप (एसआरएफ)
III	मानविकी और सामाजिक विज्ञान (कला/ललित कला सहित) के लिए आकस्मिक व्यय	रू. 10,000/- प्रतिवर्ष की दर से प्रारंभिक दो वर्षों के लिए रू. 20,500/- प्रतिवर्ष की दर से शेष कार्यकाल के लिए
IV	विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के लिए आकस्मिक व्यय	रू. 12,000/- प्रतिवर्ष की दर से प्रारंभिक दो वर्षों के लिए रू. 25,000/- प्रतिवर्ष की दर से शेष कार्यकाल के लिए
V	विभागीय सहायता (सभी विषय)	रू. 3,000/- प्रति वर्ष प्रति छात्र की दर से मेजबान (होस्ट) संस्थान को अवसंरचना प्रदान करने के लिए
VI	एस्कॉर्ट/रीडर सहायता (सभी विषय)	रू. 2,000/- प्रतिमाह की दर से यदि उम्मीदवार शारीरिक और दृष्टि दिव्यांगताग्रस्त है।
VI	मकान किराया भत्ता (एचआरए)	9%, 18% और 27% की दर से उन छात्रों को जिन्हें अनुसंधान फेलोज में यथा लागू भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार छात्रावास आवास प्रदान नहीं किया जाता है।
VII	स्लॉट	प्रत्येक वर्ष 200 स्लॉट।

(vi) सरकारी नौकरियों और व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षाओं हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग

I	माता–पिता/अभिभावक की आय की अधिकतम सीमा	माता–पिता/अभिभावक आय की अधिकतम सीमा प्रति वर्ष 8 लाख रू. है।
II	कोचिंग शुल्क रू.	40000/– से 75000/– (6 से 12 महीने तक)
III	स्टाईपेंड	रु. 4000/– प्रति माह

IV	विशेष भत्ता/ दिव्यांगता भत्ता	रु. 2000/– प्रति माह
	पुस्तक भत्ता	रु. 5000 प्रति पाठ्यक्रम (एक बार)
	स्लॉट्स	1000 स्लॉट्स (प्रतियोगी परीक्षा के लिए 600 और विभिन्न व्यवसाय पाठ्यक्रम में भर्ती की प्रवेश परीक्षा के लिए 400)

8.5.3 दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए पात्रता की शर्तें

(i) केवल भारतीय नागरिकों के लिए है।

(ii) 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग छात्र (राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित) छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं।

(iii) दिव्यांगता दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में परिभाषित अनुसार हो।

8.5.4 कार्यान्वयन की विधिः छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की विधि निम्नलिखित हैः

(i) दिव्यांग छात्रों के लिए पहली तीन छात्रवृत्ति योजनाएँ, अर्थात प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक और उर्च्च श्रेणी शिक्षा को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (www.scholarships.gov.in) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और छात्रवृत्ति राशि को पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों को सीधे प्रेषित किया जाता है।

(ii) दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप योजना के तहत : इस योजना में प्रत्येक वर्ष 200 फेलोस को फैलोशिप प्रदान करने का प्रावधान है। दिव्यांग छात्रों के लिए उपलब्ध कुल 200 स्लॉट्स में से 75% विद्वानों (यानी 150) का चयन यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा–जूनियर रिसर्च फेलोशिप (नेट–जेआरएफ) के आधार पर किया जाएगा और शेष 25% विद्वानों (यानी 50) का चयन यूजीसी–काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (यूजीसी–सीएसआईआर) नेट–जेआरएफ संयुक्त परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। तथापि, यदि एक श्रेणी में पर्याप्त संख्या में पात्र विद्वान उपलब्ध नहीं हैं तो स्लॉट की कुल संख्या की सीमा तक यूजीसी–नेट और सीएसआईआर–नेट के बीच स्थानांतरणीय है।

(iii) दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति के अंतर्गत उम्मीदवार द्वारा किए गए छात्रवृत्ति राशि/विविध खर्चों की प्रतिपूर्ति आदि का संवितरण विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा विदेश स्थित भारतीय मिशन के माध्यम से किया जाता है।

(iv) निःशुल्क कोचिंग योजनाः यह योजना विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैः

i. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन (डीएएफ) द्वारा कार्यान्वित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की निशुल्क कोचिंग योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध केन्द्रीय विश्वविद्यालय/संस्थान।

ii. विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय संस्थान/ समेकित क्षेत्रीय केंद्र।

8.5.5 प्रचार और जागरूकता : जनता के बीच जागरूकता पैदा करने और छात्रवृत्ति योजनाओं का प्रचार करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय समाचार पत्रों (दैनिक समाचार पत्रों) में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञापन जारी किए जाते हैं। छात्रवृत्ति योजनाओं के लाभ रेडियो चैनलों, सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्मों पर प्रसारित कार्यक्रमों में प्रचार–प्रसार किए जाते हैं।

8.5.6 मॉनीटरिंग तंत्रः राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर कार्यान्वित योजनाओं (प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक और उच्च श्रेणी शिक्षा) का मॉनीटरिंग तंत्र निम्नलिखित हैः–

I. उम्मीदवार एनएसपी वेब–पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन करते हैं, जिसे राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र द्वारा डिज़ाईन और अनुरक्षित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख कैबिनेट सचिवालय, डीबीटी मिशन द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से तय की जाती है।

II. संबंधित संस्थानों को राज्य नोडल अधिकारी को आवेदन सत्यापित करना और अग्रेषित करना होता है।

III. राज्य नोडल अधिकारी को संबंधित संस्थान की विधिवत सहित आवश्यक जांच करनी अपेक्षित है और राज्य सरकारों की सिफारिश के साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को आवेदन अग्रेषित करना होगा।

IV. अंतिम चयन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा राज्य सरकार की सिफारिशों, अन्य बातों के साथ, उस विशेष राज्य के लिए उपलब्ध स्लॉट के आधार पर किया जाता है,

V. यदि उम्मीदवार किसी राज्य का स्थायी निवासी है लेकिन किसी अन्य राज्य में पढ़ रहा है, तो उसके आवेदन को उसके गृह राज्य के स्लॉट के तहत माना जाएगा और उसके आवेदन को उस राज्य की सिफारिश की आवश्यकता है जिसका वह स्थायी निवासी है।

VI. राष्ट्रीय फैलोशिप कार्यक्रम की मॉनिटरिंग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया जाता है। उम्मीदवार द्वारा शोध कार्य में प्रदर्शन के उचित मूल्यांकन के बाद एसआरएफ/जेआरएफ प्रदान किया जाता है।

VII. राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना के तहत वार्षिक अनुरक्षण, ट्यूशन शुल्क और अन्य भत्तों को जारी करने से पहले भारतीय दूतावास/उच्चायोग के माध्यम से संबंधित कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय से छात्र की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जाती है।

8.5.7 छात्रवृत्ति योजनाओं के संबंध में 2015–16 से 2023–24 के दौरान लाभार्थियों की संख्या और जारी की गई राशि अनुबंध–9 में है।

8.6 दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि

विभाग ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 86 के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि का गठन किया। दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के नियम 41 और 42 निधि के उपयोग के तरीके और उद्देश्य से संबंधित हैं। केन्द्र सरकार ने प्रारंभ में डीईपीडब्ल्यूडी के सचिव की अध्यक्षता में शासी निकाय का गठन किया था, जो उक्त निधि के समग्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। शासी निकाय का पुनर्गठन 13.10.2022 को किया गया है। 15.01.2024 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय निधि के तहत निधि की स्थिति निम्नानुसार है: –

- सावधि जमा – 301.34 करोड़ रुपये
- बचत खाता (शुद्ध राशि) – 43.59 करोड़ रुपये
- दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार 2023–24 के दौरान व्यय – 9.73 करोड़ रुपये।

8.6.1 राष्ट्रीय निधि के तहत दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना में निम्नलिखित घटक हैं: –

(i) पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए गए चित्रों, हस्तशिल्प आदि सहित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनियां / कार्यशालाओं का आयोजन

(ii) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए राज्य स्तर पर खेल या ललित कला/संगीत/नृत्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बेंचमार्क दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) का समर्थन करना। एक ही कार्यक्रम के लिए निधि से सहायता केवल एक बार पीडब्ल्यूडी को दी जा सकती है; और

(iii) मामला–दर–मामला के आधार पर विशिष्ट सिफारिश पर राज्य मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुशंसित उच्च समर्थन आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों की कुछ अनन्य आवश्यकताओं का समर्थन करना।

(iv) बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों / सेमिनार / संगोष्ठियों / कार्यशालाओं में शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए अकादमिक और तकनीकी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

(v) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता

(vi) कक्षा XI, XII के लिए विशेष रूप से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) और सीबीएसई/आईसीएसई और अन्य केंद्रीय/राज्य स्कूल बोर्डों के तहत दृष्टिहीन/बधिर/आईडी स्कूलों के लिए एसटीईएम प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण।

(vii) दिव्यांगता खेल केंद्र द्वारा आयोजित खेल आयोजनों में भागीदारी के लिए एथलीटों, कोचों और एस्कॉर्ट्स की यात्रा, बोर्डिंग और लॉजिंग।

8.6.2 विभाग में प्राप्त प्रस्तावों को दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि के शासी निकाय के समक्ष रखा गया था। शासी निकाय के विधिवत अनुमोदन के बाद, राष्ट्रीय निधि के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित संगठनों/व्यक्तियों पर विचार किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान संगठनों/व्यक्तियों को जारी की गई निधि का विवरण **अनुबंध 10** में दिया गया है।

8.7 अटल बिहारी वाजपेयी ट्रेनिंग सेंटर फॉर डिसएबिलिटी स्पोर्ट्स, ग्वालियर

मंत्रिमण्डल ने दिनांक 28.02.2019 को आयोजित अपनी बैठक में ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की। केंद्र को एमपी सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के तहत दिनांक 22.09.2021 को एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है, जिसमें प्राधिकरणों के रूप में शासी निकाय और कार्यकारी समितियां केंद्र की गतिविधियों की निगरानी करती हैं।

अटल बिहारी वाजपेयी ट्रेनिंग सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स (एबीवी–टीसीडीएस), ग्वालियर का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली किया गया है।

8.7.1 अटल बिहारी वाजपेयी ट्रेनिंग सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स की गतिविधियां

एबीवी–टीसीडीएस दिव्यांगजनों को दुनिया के साथ नवीनतम सुविधाओं के साथ खेल प्रशिक्षण प्रदान करेगा ताकि उन्हें पैरालंपिक, डेफलम्पिक, विशेष ओलंपिक और दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने और पदक जीतने में सक्षम बनाया जा सके। तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल और टेनिस जैसी बाहरी गतिविधियों और बैडमिंटन, व्हीलचेयर बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, सिटिंग वॉलीबॉल, जूडो, तायक्वोंडो, व्हीलचेयर फेंसिंग, व्हीलचेयर रग्बी, बोस्किया, गोलबॉल, फुटबॉल 5–ए–साइड, पैरा डांस स्पोर्ट और पैरा पावरलिफ्टिंग जैसी इनडोर गतिविधियों के साथ–साथ एक छात्रावास सहित खेल सुविधाएं उपलब्ध हैं।

8.7.2 लक्ष्य और उद्देश्यः–

1. मानदंडों के अनुसार पूर्ण सुगम्यता के साथ दिव्यांग खिलाड़ियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए खेलों के लिए एक अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना।
2. विशेष खेल अवसंरचना का सृजन करना ताकि पैरा–खिलाड़ी केंद्र में कठोर और विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।
3. अधिक संख्या में खेल गतिविधियों में दिव्यांगजनों की भागीदारी सुनिश्चित करना और उन्हें अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाना।
4. समाज में उनके एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए दिव्यांगजन में आत्मविश्वास पैदा करने और अपनेपन की भावना विकसित करने में मदद करना।

8.7.3 एबीवी–टीसीडीएस में उद्घाटन के बाद आयोजित गतिविधियां तस्वीरों सहित

1. केंद्र में पैरा–एथलीटों के लिए दिन का प्रशिक्षण शुरू किया गया है।

2. "अमर ज्योति स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन" के छात्रों और संकायों ने केंद्र का दौरा किया और खेल गतिविधियों का संचालन किया।
3. दिव्यांगजनों के विभिन्न संस्थानों के खिलाड़ियों को एथलेटिक आयोजनों (1100 मीटर, 200 मीटर, लंबी कूद, भाला फेंक और शॉट पुट) के लिए विभिन्न श्रेणियों यानी बौद्धिक दिव्यांगता, श्रवण बाधित, सेरेब्रल पाल्सी और ऑटिज्म में आमंत्रित किया गया था।

4. पैरा–खिलाड़ियों के लिए टेबल टेनिस इवेंट का आयोजन 06 नवंबर 2023 को किया गया था। इस आयोजन में कुल 16 लोगों ने भाग लिया। एथलीटों ने 03 विभिन्न श्रेणियों में भाग लिया अर्थात् श्रवण बाधित, सेरेब्रल पाल्सी और व्हीलचेयर वर्ग।

5 एबीवी–टीसीडीएस,ग्वालियर में आयोजित बॉक्सिया कार्यक्रम मे कुल 33 लोगों ने भाग लिया। एथलीटों ने 03 विभिन्न श्रेणियों यानी बौद्धिक दिव्यांगता, सेरेब्रल पाल्सी और व्हीलचेयर वर्ग में भाग लिया।

6. 3 दिसंबर, 2023 को म.प्र. राज्य दिव्यांगजन विभाग के सहयोग से एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न संगठनों के लगभग 100 पैरा–खिलाड़ियों ने भाग लिया।

7. 29 और 30 दिसंबर 2023 को XIII–एमपी स्टेट पैरा–एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। 13.01.2024 को पर्पल फेस्ट, गोवा में 80 खिलाड़ियों ने विभिन्न श्रेणियों और आयोजनों के तहत भाग लिया और आयोजित सीनियर पैरा एथलेटिक्स राष्ट्रीय चौंपियनशिप के लिए 11 प्रतिभागियों का चयन किया गया।

8. बीओसीसीआईए नेशनल सब–जूनियर, जूनियर और सीनियर (पुरुष और महिला) चौंपियनशिप 07 से 12 फरवरी 2024 तक बीओसीसीआईए स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित की गई थी। इस आयोजन में देशभर से 100 एथलीटों ने हिस्सा लिया है।

9. 23वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चौंपियनशिप, 2023–24 (पुरुष और महिला) का आयोजन 29 से 31 मार्च 2024 तक पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया (पीसीआई) द्वारा किया गया था। इस आयोजन में देशभर से 456 पैरा तैराकों ने हिस्सा लिया।

*****

अध्याय–9
दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

9.1 सिंहावलोकन

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए व्यक्तियों/संस्थाओं/राज्यों/जिलों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इन पुरस्कारों की शुरुआत दिव्यांगजनों से संबंधित मुद्दों पर जनता का ध्यान केंद्रित करने और उनको समाज की मुख्यधारा में शामिल करने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। यह पुरस्कार हर वर्ष 'अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस' के अवसर पर अर्थात 3 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं :–

9.2 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार दिव्यांगताओं की अधिक श्रेणियों का समावेशनः

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के दिनांक 19 अप्रैल, 2017 से प्रभाव में आने से नवीन अधिनियम के अंतर्गत विशिष्ट दिव्यांगताओं की संख्या 7 से बढ़कर 21 हो गयी है। तदनुसार सभी 21 दिव्यांगताओं को दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिशा–निदेश, 2018 में शामिल कर लिया गया है, जिसे भारत के असाधारण राजपत्र में 02.08.2018 को अधिसूचित किया गया। बाद में, 14.07.2022 के भारत के असाधारण राजपत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेणी को बदल दिया गया। अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए आवेदन गृह मंत्रालय के पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किए गए थे। आवेदन निम्नलिखित 15 श्रेणियों के लिए आमंत्रित किए गए थे :

I. व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

- सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन
- श्रेष्ठ दिव्यांगजन
- श्रेष्ठ दिव्यांग बाल/बालिका (18 वर्ष की आयु तक के दिव्यांग बच्चे)
- दिव्यांगजनो के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति
- दिव्यांगता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुनर्वस पेशेवर
- दिव्यांगता के श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान/नवप्रवर्तन/उत्पाद विकास

II. दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए कार्यरत संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

- दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु सर्वश्रेष्ठ संस्थान। (निजी संगठन, एनजीओ)
- दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता (सरकारी संगठन/पीएसई/स्वायत्त निकाय/निजी क्षेत्र)
- दिव्यांगों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट एजेंसी – सरकारी /राज्य सरकार /स्थानीय निकायों को छोड़कर
- सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन /बाधामुक्त वातावरण के सृजन में सर्वश्रेष्ठ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला।
- सर्वश्रेष्ठ सुगम्य यातायात के साधन /सूचना एवं संचार प्रोद्यौगिकी ।

- दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम/यूडीआईडी एवं दिव्यांग सशक्तिकरण की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला।
- दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम के अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राज्य दिव्यांगजन आयुक्त।
- पुनर्वास सेवाओं के लिए पेशेवर तैयार करने वाली सर्वश्रेष्ठ संस्थान।

9.3 राष्ट्रीय पुरस्कार, 2023 के लिए, एमएचए पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से सभी 21 निर्दिष्ट दिव्यांगताओं से संबंधित व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करने वाला एक विज्ञापन 14 जून, 2023 को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था, जिसमें आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 थी जिसे बाद में बढ़ा दिया गया था और आवेदन 15 अगस्त, 2023 तक प्राप्त हुए थे। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से भी विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए नामांकन भेजने और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कारों का व्यापक प्रचार करने का अनुरोध किया गया था। राष्ट्रीय पुरस्कारों की विस्तृत योजना के साथ–साथ पुरस्कार पोर्टल (www.awards.gov.in) पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। भौतिक आवेदन स्वीकार नहीं किए गए थे।

9.4 वर्ष 2023 के लिए कुल 1723 (व्यक्ति) और 151 (संस्थान) आवेदन ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्राप्त हुए थे। इन आवेदनों को इस प्रयोजनार्थ गठित चार जांच समितियों द्वारा योग्यता के आधार पर छांटा गया था। वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं के चयन के लिए माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, कुमारी प्रतिमा भौमिक की अध्यक्षता में राष्ट्रीय चयन समिति द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदनों पर विचार किया गया।

9.5 वर्ष 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की सूची **अनुबंध 11** में दी गई है।

अनुबंध–1

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को आवंटित कार्य

भारत सरकार नियमावली के अनुसार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को आवंटित विषय (कार्य आवंटन), इस प्रकार हैं:–

1. निम्नलिखित विषय जो संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची–I के अंतर्गत – संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची में आते है:

   दान में दी गई राहत वस्तुओं/आपूर्तियों के कर–मुक्त आयात हेतु भारत–यू.एस., भारत–यू.के, भारत–जर्मन, भारत–स्वीडन तथा भारत–स्वीट्जरलैंड की आपूर्तियों के वितरण से संबंधित मामले।

2. निम्नलिखित विषय जो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–III की समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं (केवल विधान के संबंध में):

   "सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, किसी अन्य विभाग को आवंटित विषयों को छोड़कर"

3. संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, निम्नलिखित विषय जो संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची–II समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं–राज्य सूची अथवा सूची–III–जहां तक ऐसे क्षेत्रों के संबंध में वे विद्यमान हैं:

   "दिव्यांगजनों को रोजगार हेतु सहायता; सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, किसी अन्य विभाग को आवंटित विषयों को छोड़कर"।

4. दिव्यांगता और दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों के संबंध में नोडल विभाग की भांति कार्य करना:

   {**टिप्पणी**: दिव्यांगजनों से संबंधित कार्यक्रमों की समग्र नीति, आयोजन तथा समन्वय के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग नोडल विभाग होगा। तथापि, इस समूह के संबंध में क्षेत्रीय कार्यक्रमों के समग्र प्रबंधन और निगरानी आदि का उत्तरदायित्व संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का होगा। प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय अथवा विभाग अपने क्षेत्र से संबंधित नोडल उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा।}

5. दिव्यांगजनों के पुनर्वास तथा सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लक्षित विशेष योजनाएं, जैसे सहायक यंत्रों और उपकरणों की आपूर्ति, छात्रवृत्तियां, आवासीय विद्यालय, कौशल प्रशिक्षण, रियायती ऋण और स्वरोजगार के लिए सब्सिडी आदि।

6. पुनर्वास व्यावसायिकों की शिक्षा और प्रशिक्षण।

7. विभाग से संबंधित मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और करार, जैसे संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन अधिकार सम्मेलन।

8. विभाग को आवंटित विषयों के संबंध में जागरूकता सृजन, अनुसंधान, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण।

9. विभाग को आवंटित विषयों के संबंध में चैरिटेबल और धर्मार्थ अनुदान तथा स्वैच्छिक प्रयासों का संवर्धन और विकास।

10. अधिनियम/विधान/नीतियां

    (i) भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (1992 का 34);

(ii) स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता एवं बहु–दिव्यांगताग्रस्त जनों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44);

(iii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49)।

11. सांविधिक निकाय

(i) भारतीय पुनर्वास परिषद।

(ii) दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त।

(iii) स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता एंव बहु–दिव्यांगताग्रस्तजनों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास।

12. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम / स्वायत निकाय

(i) नेशनल दिव्यांगजन फाइनैंस एण्ड डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनडीएफडीसी) है जो पहले नैशनल हैंडिकैप्ड फाइनैंस एण्ड डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएचएफडीसी) था – कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तदनुरूपी प्रावधान) के अंतर्गत दिनांक 24.01.1997 को लाभ न कमाने वाली कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया।

(ii) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम(एलिम्को), कानपुर।

13. राष्ट्रीय संस्थान

(i) पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी), नई दिल्ली।

(ii) स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक

(iii) राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी), कोलकाता।

(iv) राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांगजन संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून।

(v) अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् और श्रवण बाधित दिव्यांगजन संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई

(vi) राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद।

(vii) राष्ट्रीय बहु–दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी), चेन्नई।

(viii) भारतीय सांकेकित भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (आईएसएलआरटीसी), नई दिल्ली।

(ix) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, सिहोर (एनआईएमएचआर), मध्य प्रदेश

अनुबंध–2

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिव्यांगजनों की राज्यवार जनसंख्या

क्र. स.	राज्य	वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिव्यांगजनों की कुल जनसंख्या
1	आंध्र प्रदेश	12,19,785
2	अरूणाचल प्रदेश	26,734
3	असम	4,80,065
4	बिहार	23,31,009
5	छत्तीसगढ़	6,24,937
6	दिल्ली	2,34,882
7	गोवा	33,012
8	गुजरात	10,92,302
9	हरियाणा	5,46,374
10	हिमाचल प्रदेश	1,55,316
11	जम्मू और कश्मीर	3,61,153
12	झारखंड	7,69,980
13	कर्नाटक	13,24,205
14	केरल	7,61,843
15	मध्य प्रदेश	15,51,931
16	महाराष्ट्र	29,63,392
17	मणिपुर	58,547
18	मिजोरम	15,160
19	मेघालय	44,317
20	नागालैंड	29,631
21	ओडिशा	12,44,402
22	पंजाब	6,54,063
23	राजस्थान	15,63,694
24	सिक्किम	18,187
25	तमिलनाडु	11,79,963
26	तेलंगाना	10,46,822
27	त्रिपुरा	64,346
28	उत्तर प्रदेश	41,57,514
29	उत्तराखंड	1,85,272
30	पश्चिम बंगाल	20,17,406
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6,660
32	चंडीगढ़	14,796
33	दमन और द्वीप	2,196
34	दादर और नगर हवेली	3,294
35	लक्षद्वीप	1,615
36	पुडुचेरी	30,189
	कुल	**2,68,14,994**

अनुबंध–3

राष्ट्रीय संस्थानों/समेकित क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा संचालित दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों (एक या एक वर्ष से अधिक अवधि) का विवरण

पीडीयूएनआईपीपीडी, नई दिल्ली

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1.	बैचलर इन फिजियोथेरेपी (बीपीटी)	4½ वर्ष	68
2.	बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी (बीओटी)	4½ वर्ष	68
3.	बैचलर इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स (बीपीओ)	4½ वर्ष	39
4.	मास्टर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स (एमपीओ)	2 वर्ष	11
5.	सर्टिफिकेट कोर्स इन बेंच स्किल्स	1 वर्ष	20

सीआरसी, लखनऊ

1.	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (आईडीडी)	2 वर्ष	35
2.	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (वीआई)	2 वर्ष	35

सीआरसी, श्रीनगर

1.	बी.एड स्पेशल एजुकेशन (बौद्धिक दिव्यांगता)	2 वर्ष	30
2.	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकलॉजी	1 वर्ष	20

एसवीएनआईआरटीएआर, कटक

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
01	बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी	4½ वर्ष	62
02	बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी	4½ वर्ष	62
03	बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स	4½ वर्ष	46
04	मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी	2 वर्ष	15
05	मास्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी	2 वर्ष	15
06	मास्टर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स	2 वर्ष	10
07	डीएनबी	2 वर्ष डिप्लोमा और 3 वर्ष पोस्ट एमबीबीएस	01+01
08	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ओर्थोपेडिक नर्सिंग	1 वर्ष	10
09	बीएएसएलपी	4 वर्ष	10
10	सीबीएस	1 वर्ष	20

सीआरसी, गुवाहाटी

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1	डिप्लोमा इन हियरिंग, लेंग्वेज एंड स्पीच (डीएचएलएस)	1 वर्ष	30
2	बैचलर इन ऑडियोलॉजी और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी	4 वर्ष	25

एनआईएलडी, कोलकाता

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1.	बैचलर इन फिजियोथेरेपी	4½ वर्ष	57
2.	बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी	4½ वर्ष	56
3.	बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स	4½ वर्ष	27
4.	मास्टर इन फिजियोथेरेपी (ओर्थोपेडिक्स)	2 वर्ष	7
5.	मास्टर इन फिजियोथेरेपी (न्यूरोलोजी)	2 वर्ष	3
6.	मास्टर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी (ओर्थोपेडिक्स)	2 वर्ष	7
7.	मास्टर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स	2 वर्ष	7
8.	एम.एससी. इन नर्सिंग (ओर्थोपेडिक्स एवं रिहैबिलिटेशन नर्सिंग)	2 वर्ष	11
9.	पोस्ट ग्रेजुऐट डिप्लोमा इन डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन मैनेजमेंट	1 वर्ष	17
10.	सर्टिफिकेट कोर्स इन बेंच स्किल्स	1 वर्ष	20
11.	सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन कम्युनिटी बेस्ड इनक्लूसिव डेवलपमेंट	6 माह	40

सीआरसी, पटना

1.	डिप्लोमा इन हियरिंग, लेंग्वेज एंड स्पीच (डीएचएलएस)	1 वर्ष	35
2.	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (वीआई)	2 वर्ष	35
3.	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट (डी.एड एसई–वीआई)	2 वर्ष	35
4.	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज़ (डी.एड–एसई–आईडीडी)	2 वर्ष	35

सीआरसी, त्रिपुरा

1.	डिप्लोमा इन इंडियन साइन लेंग्वेज इंटरप्रिटेशन (डीआईएसएलआई)	2 वर्ष	30

एनआईईपीवीडी, देहरादून

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	सीटों की संख्या
	एचआरडी प्रशिक्षण कार्यक्रम		
1.	एम.फिल इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी	2 वर्ष	11
2.	एम.फिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी	2 वर्ष	07
3.	एम.एड स्पेशल एजुकेशन (वी.आई)	2 वर्ष	15
4.	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकलॉजी	1 वर्ष	16
5.	इंटीग्रेटेड एम.एससी. एप्लाइड साइकोलॉजी	5 वर्ष	40
6.	बी.एड स्पेशल एजुकेशन (वी.आई)	2 वर्ष	30

7.	बी.एड स्पेशल एजुकेशन (एम.डी)	2 वर्ष	30
8.	बी.एड स्पेशल एजुकेशन (डी.बी)	2 वर्ष	30
9.	डी.एड स्पेशल एजुकेशन (वी.आई)	2 वर्ष	35
	कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम		
1.	कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	1 वर्ष	21
2.	ब्रेल शॉर्टहैंड (हिंदी)	1 वर्ष	16
3.	ट्रेनिंग कोर्स इन ब्रेल स्टेनोग्राफी और सेक्रेटेरियल असिस्टेंस	1 वर्ष	15

सीआरसी, सुंदरनगर :

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	सीटों की संख्या
1.	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (दृष्टि बाधिता)	2 वर्ष	35
2.	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (श्रवण बाधिता)	2 वर्ष	35
3.	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (बौद्धिक दिव्यांगता)	2 वर्ष	35
4.	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (बहु दिव्यांगता)	2 वर्ष	35

सीआरसी, गोरखपुर :

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	सीटों की संख्या
1.	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (बहु दिव्यांगता)	2 वर्ष	30
2.	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (बौद्धिक दिव्यांगता)	2 वर्ष	30
3.	सर्टिफिकेट इन चाइल्ड केयर गिवर	1 वर्ष	25

एवाईजेएनआईएसएचडी, मुंबई

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	स्वीकृत सीटों की संख्या
01	पीएचडी (एसपी और एचजी)	3 + वर्ष	20
02	पीएचडी (स्पे. एजु.)	3 + वर्ष	20
03	मास्टर ऑफ साइंस (ऑडियोलॉजी)	2 वर्ष	15
04	मास्टर ऑफ एजुकेशन – स्पेशल एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयरमेंट)	2 वर्ष	23
05	बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी और स्पीच–लेंग्वेज पैथोलॉजी	4 वर्ष	43
06	बैचलर ऑफ एजुकेशन – स्पेशल एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयरमेंट)	2 वर्ष	30
07	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऑडिटरी वर्बल थेरेपी	1 वर्ष	25
08	डिप्लोमा इन साइन लेंग्वेज इंटरप्रेटिंग	2 वर्ष	15
09	सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए)	1 वर्ष	25

क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	स्वीकृत सीटों की संख्या
01	मास्टर ऑफ साइंस (स्पीच – लेंग्वेज पैथोलॉजी	2 वर्ष	15
02	बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच – लेंग्वेज पैथोलॉजी	4 वर्ष	33
03	बैचलर ऑफ एजुकेशन – स्पेशल एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयरमेंट)	2 वर्ष	23
04	बैचलर ऑफ एजुकेशन – स्पेशल एजुकेशन– डिस्टेंस एजुकेशन (एचआई)	2ण्5 वर्ष	50
05	डिप्लोमा इन एजुकेशन – स्पेशल एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयरमेंट)	2 वर्ष	31
06	डिप्लोमा इन साइन लेंग्वेज इंटरप्रेटर	2 वर्ष	15
07	डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लिकेशन	1 वर्ष	20

क्षेत्रीय केंद्र, सिकंदराबाद

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	स्वीकृत सीटों की संख्या
01	मास्टर ऑफ साइंस (ऑडियोलॉजी)	2 वर्ष	13
02	बैचलर ऑफ साइंस (ऑडियोलॉजी, स्पीच – लेंग्वेज पैथोलॉजी	4 वर्ष	34
03	बैचलर ऑफ एजुकेशन – स्पेशल एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयरमेंट)	2 वर्ष	31
04	डिप्लोमा इन एजुकेशन – स्पेशल एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयरमेंट)	2 वर्ष	31

क्षेत्रीय केंद्र, नोएडा

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	स्वीकृत सीटों की संख्या
01	बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी, स्पीच–लेंग्वेज पैथोलॉजी	4 वर्ष	25
02	बैचलर इन एजुकेशन– स्पेशल एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयरमेंट)	2 वर्ष	38
03	डिप्लोमा इन हियरिंग, लेंग्वेज एंड स्पीच	1 वर्ष	30
04	सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लिकेशन फॉर पर्सन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट	1 वर्ष	20

क्षेत्रीय केंद्र, जनला, ओड़िशा

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	स्वीकृत सीटों की संख्या
01	बैचलर इन एजुकेशन– स्पेशल एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयरमेंट)	2 वर्ष	30
02	डिप्लोमा इन एजुकेशन– स्पेशल एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयरमेंट)	2 वर्ष	36
03	डिप्लोमा इन हियरिंग, लेंग्वेज एंड स्पीच	1 वर्ष	30

एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1	एम.फिल इन रिहैबिलिटेशन साइकलॉजी (आईडी)	2 वर्ष	14+1(ईडब्ल्यूएस)
2	एम.एड. इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2 वर्ष	25+2(ईडब्ल्यूएस)
3	पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन अर्ली इंटरवेंशन	1 वर्ष	20+2(ईडब्ल्यूएस)
4	बी.एड. इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2 वर्ष	30+3(ईडब्ल्यूएस)
5	डिप्लोमा इन अर्ली चाइलडहुड स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	1 वर्ष	30+3(ईडब्ल्यूएस)
6	डी.एड. इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2 वर्ष	35+3(ईडब्ल्यूएस)
7	डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन (आईडी)	1 वर्ष	30+3(ईडब्ल्यूएस)
8	समुदाय आधारित समावेशी विकास (सीबीआईडी)	6 माह	40

क्षेत्रीय केंद्र, नोएडा

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1	एम.एड इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2 वर्ष	15+3(ईडब्ल्यूएस)
2	बी.एड इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2 वर्ष	30+3(ईडब्ल्यूएस)
3	डी.एड इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2 वर्ष	35+3(ईडब्ल्यूएस)

क्षेत्रीय केंद्र, नवी मुंबई

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1	एम.एड इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2 वर्ष	15+1(ईडब्ल्यूएस)
2	बी.एड इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2 वर्ष	20+2(ईडब्ल्यूएस)
3	डी.एड इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2 वर्ष	35+3(ईडब्ल्यूएस)
4	डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	1 वर्ष	30+3(ईडब्ल्यूएस)
5	डिप्लोमा इन वोकशनल रिहैबीलिटेशन (आईडी)	1 वर्ष	25+2(ईडब्ल्यूएस)

क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1	एम.एड इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2 वर्ष	12+1(ईडब्ल्यूएस)
2	बी.एड इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2 वर्ष	30+3(ईडब्ल्यूएस)
3	डी.एड इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2 वर्ष	30+3(ईडब्ल्यूएस)
4	डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबीलिटेशन (आईडी)	1 वर्ष	30+3(ईडब्ल्यूएस)
5	बी.एड इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी) – ओडीएल	2 वर्ष	50

समेकित क्षेत्रीय केंद्र, नेल्लोर

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1	डी.एड इन स्पेशल एजुकेशन (एचआई)	2 वर्ष	35+3(ईडब्ल्यूएस)

समेकित क्षेत्रीय केंद्र, देवांगेरे

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1	डी.एड. इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2 वर्ष	35+3(ईडब्ल्यूएस)
2	डी.एड. इन स्पेशल एजुकेशन (एचआई)	2 वर्ष	35+3(ईडब्ल्यूएस)

समेकित क्षेत्रीय केंद्र, राजनंदगाँव

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1	डी.एड. इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2 वर्ष	35+3(ईडब्ल्यूएस)

एनआईईपीएमडी, चेन्नई

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1	एम.फिल (क्लिनिकल साइकोलॉजी)	2 वर्ष	13
2	एम.एड. स्पेशल एजुकेशन (बहु दिव्यांगता)	2 वर्ष	20
3	बी.एड स्पेशल एजुकेशन (बहु दिव्यांगता)	2 वर्ष	30
4	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्ली इंटरवेंशन(पीजीडीईआई)	1 वर्ष	15
5	डी.एड स्पेशल एजुकेशन (बहु दिव्यांगता)	2 वर्ष	35
6	बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी (बीएएसएलपी)	4 वर्ष	27
7	बैचलर ऑफ ओक्यूपेशनल थेरेपी (बीओटी.)	4) वर्ष	28
8	बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बीपीटी)	4) वर्ष	28
9	बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स और ओर्थोटिक्स (बीपीओ)	4) वर्ष	20

समेकित क्षेत्रीय केंद्र, कोझिकोड

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1	डी.एड स्पेशल एजुकेशन (आईडीडी)	2 वर्ष	35
2	डी.एड स्पेशल एजुकेशन (एमडी)	2 वर्ष	35
3	बी.एड इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2 वर्ष	30

आईएसएलआरटीसी, नई दिल्ली

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1	डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन (डीआईएसएलआई)	2 वर्ष	90
2	डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज (डीटीआईएसएल)	2 वर्ष	44

एनआईएमएचआर, सिहोर

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1.	डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन – बौद्धिक दिव्यांगता (डीवीआर–आईडी)	1 वर्ष	30
2.	डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेषन (डीसीबीआर)	1 वर्ष	30
3.	सर्टिफिकेट कोर्स इन केयर गिविंग – मानसिक स्वास्थ्य (सीसीसीजी)	1 वर्ष	30

अनुबंध–4क

डीडीआरएस के तहत वर्ष 2020–21 से 2023–24 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार जारी की गई निधियां

(लाख रू. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	1605.02	1723.42	2612.45	2705.53
2	असम	62.02	139.06	162.76	121.83
3	बिहार	0	41.89	33.54	68.65
4	छत्तीसगढ	1.63	47.58	0	0
5	दिल्ली	247.67	162.74	185.51	166.89
6	गुजरात	23.32	96.17	70.93	74.22
7	हरियाणा	140.19	101.99	128.93	174.61
8	हिमाचल प्रदेश	55.32	67.15	48.77	61.14
10	कर्नाटक	81.30	135.60	139.92	73.73
11	केरल	628.30	725.30	762.41	455.20
12	मध्य प्रदेश	214.85	259.59	316.82	332.28
13	महाराष्ट्र	154.33	43.95	350.27	194.87
14	मणिपुर	530.09	691.62	1001.86	854.45
15	मेघालय	105.37	29.64	101.76	87.86
16	मिजोरम	11.73	0	29.22	17.26
17	नागालैंड	26.32	0	30.36	37.61
18	ओडिशा	742.04	1436.38	899.17	1276.43
19	पंजाब	98.92	131.90	158.68	186.56
20	राजस्थान	144.01	241.13	203.46	285.14
21	तमिलनाडु	208.25	137.06	184.70	312.15
22	त्रिपुरा	0	0	15.57	0
23	उत्तर प्रदेश	1161.31	1254.21	991.44	1509.97
24	उत्तराखंड	29.37	37.44	84.88	33.07
25	पश्चिम बंगाल	311.66	553.35	800.48	748.18
26	तेलंगाना	1141.09	1439.72	1510.45	2096.09
27	पुदुचेरी	18.48	35.89	85.27	80.65
कुल		7742.59	9532.76	10909.61	**11954.37**

अनुबंध–4ख

डीडीआरएस के तहत वर्ष 2020–21 से 2023–24 के दौरान लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	5620	4620	5605	4604
2	असम	248	488	753	327
3	बिहार	0	55	69	111
4	छत्तीसगढ़	110	110	0	0
5	दिल्ली	685	615	937	688
6	गुजरात	378	447	437	187
7	हरियाणा	505	292	444	377
8	हिमाचल प्रदेश	212	144	89	119
10	कर्नाटक	373	389	685	104
11	केरल	1656	1883	2081	1549
12	मध्य प्रदेश	822	682	803	764
13	महाराष्ट्र	2049	1677	523	1354
14	मणिपुर	1523	1478	2681	1942
15	मेघालय	322	84	361	352
16	मिजोरम	20	0	61	60
17	नागालैंड	47	0	60	48
18	ओडिशा	5953	5306	4776	2067
19	पंजाब	272	505	682	697
20	राजस्थान	370	528	546	513
21	तमिलनाडु	706	1267	1320	1052
22	त्रिपुरा	0	0	44	0
23	उत्तर प्रदेश	3580	3604	3249	3017
24	उत्तराखंड	144	142	125	62
25	पश्चिम बंगाल	1935	1389	4424	7162
26	तेलंगाना	3932	4397	4389	3271
27	पुदुचेरी	80	71	205	162
कुल		31542	30173	35349	30589

अनुबंध–4ग

वर्ष 2023–24 के दौरान डीडीआरएस के तहत गैर–सरकारी संगठन को जारी सहायता अनुदान का विवरण

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) का नाम और स्थान	जीआईए जारी की गई (लाख रुपये में)
1	आदि आंध्र एजुकेशनल सोसायटी, प्रकाशम, आंध्र प्रदेश	39.08
2	आदित्य एजुकेशनल सोसायटी, एलुरु, आंध्र प्रदेश	68.82
3	अल शिफा माइनॉरिटी इंस्टिट्यूट फॉर एमआर एंड ओल्ड ऐज, कडप्पा, आंध्र प्रदेश	39.90
4	अन्जली इन्सटीटयूट रीसर्च एंड रीहैबलीटेशन फार मैन्टली हैन्डीकैप्ड वैस्ट गोदावरी आन्ध्र प्रदेश	49.91
5	सेंटर फॉर डिसेबिलिटी चिल्ड्रन इंटिग्रेटेड हाई स्कूल, गुंटूर, आंध्र प्रदेश	53.68
6	चैतन्य इंस्टिट्यूट फॉर द लर्निंग डिसेबल्ड, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश	28.25
7	चैतन्य महिला मंडली, बापटला, आंध्र प्रदेश	31.23
8	दर्शिनी हैडिकेप्ड वेलफेयर सोसायटी, कडप्पा, आंध्र प्रदेश	19.93
9	हेलेन केलर्स मेमोरियल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश	11.78
10	हेलेन केलर्स स्कूल फॉर द डेफ, कुडप्पा, आंध्र प्रदेश	46.06
11	होली क्रॉस सोशल सर्विस सोसाइटी, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	41.90
12	इमैक्यूलेट हार्ट आफ मैरी सोसाईटी एनटीआर आंध्र प्रदेश	59.00
13	इमैक्यूलेट हार्ट आफ मैरी सोसाईटी फार वैल्फेयर आफ डिसएबल्ड एनटीआर आंध्र प्रदेश	32.25
14	इन्डियन रैड क्रास सोसाईटी काकीनाडा आंध्र प्रदेश	22.93
15	इन्डियन रैड क्रास सोसाईटी एम.एस.आर. सपैस्टिक सैन्टर नैलोर आंध्र प्रदेश	24.75
16	कला सोशल वैल्फेयर सोसाईटी गुनटूर आंध्र प्रदेश	38.01
17	कल्याणी रूरल रिहैबिलिटेशन एंड एजुकेशनल सोसाइटीए वेस्ट गोदावरीए आंध्र प्रदेश	18.94
18	क्रांति एजुकेशन सोसायटी, कुरनूल, आंध्र प्रदेश	38.33
19	लैबनशिलफ विशाखापटनम, आंध्र प्रदेश	114.48
20	लुईस ब्रेल ब्लाइंड वेलफेयर एसोसिएशन, नंदयाला, आंध्र प्रदेश	36.24
21	महश्रृषि सम्मूरथी इन्सटीटयूट आफ सोशल डवैलपमैन्ट स्टडीस, काकीनाडा आंध्र प्रदेश	18.29
22	मनसिका विकास केंद्रमए एनटीआरए आंध्र प्रदेश	23.40
23	नेहरू युवाजन सेवा संगम, तिरूपति, आंध्र प्रदेश	60.29
24	परिवर्तन इन्टैगरेड रूरल पीपल सोसाईटी, एलैरू, आंध्र प्रदेश	48.01
25	पवानी सोसाईटी फार मलटीपल हैन्डीकैप्ड एंड स्पास्टिक, विशाखापटनम, आंध्र प्रदेश	29.30
26	पीपलस एक्शन फार सोशल सर्विस, तिरूपति, आंध्र प्रदेश	27.91

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) का नाम और स्थान	जीआईए जारी की गई (लाख रुपये में)
27	प्रगति चैरिटीज़, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश	7.43
28	प्रगति चैरिटीज़, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश	38.17
29	प्रगति चैरिटीज़, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश	89.25
30	राष्ट्रीय सेवा समिति, कडप्पा, आंध्र प्रदेश	24.76
31	राष्ट्रीय सेवा समिति, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	59.79
32	राष्ट्रीय सेवा समिति, चित्तूर, आंध्र प्रदेश	59.90
33	राष्ट्रीय सेवा समिति, कडप्पा, आंध्र प्रदेश	47.11
34	रूरल इन्डिया मैडिकल एंड रीलीफ सोसाईटी, चित्तौर, आंध्र प्रदेश	57.92
35	एसकेआर पुपिल्स वेलफेयर सोसायटी, प्रकाशम, आंध्र प्रदेश	49.26
36	सकेआर पुपिल्स वेलफेयर सोसायटी, प्रकाशम, आंध्र प्रदेश	28.57
37	शांतिवर्धन मिनिसट्रीस, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश	86.13
38	सरोजनी देवी मैमोरियल सोसाईटी गुनटूर, आंध्र प्रदेश	14.46
39	सत्य इन्टैगरेटिड रूरल एजूकेशन एंड इकनामिक डवैलपमैन्ट सोसाईटी, चित्तौर, आंध्र प्रदेश	64.03
40	सिरी एजुकेशनल सोसायटी, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश	66.25
41	सिरीशा रीहैबलीटेशन सैन्टर, कृष्णा, आंध्र प्रदेश	39.79
42	सोसाइटी ऑफ हिडन स्प्राउट्स स्पेशल स्कूल फॉर एमएच, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश	39.90
43	स्पुरथी वेलफेयर सोसायटी, प्रकाशम, आंध्र प्रदेश	8.83
44	स्पुरथी वेलफेयर सोसायटी, प्रकाशम, आंध्र प्रदेश	47.20
45	श्री विवेकानन्द एजुकेशन सोसायटी डा अम्बेडकर कोनासीमा, आंध्र प्रदेश	67.49
46	श्री दक्शीन्या भावा समिति गुनटूर, आंध्र प्रदेश	9.08
47	श्री दक्शीन्या भावा समिति गुनटूर, आंध्र प्रदेश	38.00
48	श्रीमती मेरला रामामा मैमोरियल ट्रस्ट, कृष्णा, आंध्र प्रदेश	42.55
49	सैन्ट अनस सोशल सर्विस सोसाईटी, गन्टूर, आंध्र प्रदेश	80.49
50	सैन्ट अनस सोशल सर्विस सोसाईटी, गन्टूर, आंध्र प्रदेश	90.33
51	सनलाइट एजुकेशनल सोसायटी, श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश	68.39
52	सूर्य किरण पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ एमएच, गुंटूर, आंध्र प्रदेश	26.40
53	सूर्य किरण पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ एमएच, गुंटूर, आंध्र प्रदेश	23.49
54	सूर्य किरण पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ एमएच, पालनाडु, आंध्र प्रदेश	57.24
55	स्वर्ण स्वयंकृषि ऑफ सोसायटी, प्रकाशम, आंध्र प्रदेश	58.49
56	द रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	28.02
57	यू.एम.ए (UMA) एजुकेशनल एंड टेक्निकल सोसायटी काकीनाडा, प्रकाशम, आंध्र प्रदेश	10.10

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) का नाम और स्थान	जीआईए जारी की गई (लाख रुपये में)
58	यू.एम.ए (UMA) एजुकेशनल एंड टेक्निकल सोसायटी काकीनाडा, प्रकाशम, आंध्र प्रदेश	26.90
59	यू.एम.ए (UMA) एजुकेशनल एंड टेक्निकल सोसायटी काकीनाडा, प्रकाशम, आंध्र प्रदेश	28.98
60	वैल्यू चित्तौर आंध्र प्रदेश	48.68
61	विक्टरी इन्डिया चैरीटेबल टैन्ट आफ रैस्कयू याच, चित्तौर आंध्र प्रदेश	23.71
62	वॉलेन्टरी आरगेनाईजेशन फार रूरल डवैल्पमैन्ट, सोसाईटी, नन्दयाल, आंध्र प्रदेश	66.10
63	वूमैन एंड चाईल्ड वैल्फेयर सैन्टर, विजयानगरम,	17.07
64	डिकरोंग वैली इंवायरमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, लखीमपुर, असम	15.02
65	कचाजुली फिजिकल हैडिकेप्ड स्कूल एंड ट्रेनिंग सेंटर, लखीमपुर, असम	54.85
66	नार्थ इस्ट वालैन्टरी एसोसिएशन रूरल डवैल्पमैन्ट, कमरूप असम	27.32
67	प्रेरोना प्रतीबन्धी शिशू विकास केन्द्र, जोरहट, असम	24.64
68	बाबा गरीबनाथ विक्लांग सह जन सेवा संस्थान, मुज्जफरपुर, बिहार	41.64
69	कोशी क्षर्तिय बिंकलाग बिधवा, बिरिद कल्याण समिति, साहरसा बिहार	16.16
70	शुभम, मुज्जफरपुर, बिहार	10.86
71	अक्षय प्रतिषठान, दक्षिण पश्चिम, दिल्ली	23.65
72	अमर ज्योति चैरीटेबल ट्रस्ट ईस्ट दिल्ली	45.89
73	चन्द्र भुषण सिंह मैमोरियल बाल एवं शरवन, ईस्ट दिल्ली	13.73
74	इन्सटीटयूशन फार द बलाईन्ड, पन्चकुला रोड, दिल्ली	10.35
75	इन्सटीटयूशन फॉर द ब्लाइंड, नई दिल्ली, दिल्ली	16.67
76	जनता आदर्श अन्ध विद्यालय साउथ दिल्ली	24.73
77	नैशनल एसोसिशन फार द बलाईन्ड साउथ वैस्ट दिल्ली	9.83
78	नैशनल एसोसिशन फार द बलाईन्ड साउथ वैस्ट दिल्ली	8.14
79	नैशनल एसोसिशन फार द बलाईन्ड साउथ वैस्ट दिल्ली	7.71
80	अक्षर ट्रस्ट, वडोदरा, गुजरात	18.48
81	खोडियार एजुकेशन ट्रस्ट, महेसाणा, गुजरात	4.79
82	संप्रत एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, जूनागढ़, गुजरात	4.75
83	विकलांग सर्वांगी विकास ट्रस्ट, दाहोब, गुजरात	46.21
84	अमर ज्योति फाउंडेशन, जिंद, हरियाणा	21.86
85	अमर ज्योति फाउंडेशन, जिंद, हरियाणा	33.55
86	आर्मी वाईफस वैल्फेयर ऐसोसिएशन पन्चकुला हरियाणा	15.79
87	आशा स्कूल अम्बाला, हरियाणा	8.10
88	आशा स्कूल (आर्मी वाईफ वैल्फेयर एसोसिएशन आशा स्कूल) हिसार, हरियाणा	11.79
89	एसोसिएशन फार वैल्फेयर आफ हैन्डीकैप्ड, फरीदाबाद, हरियाणा	28.22
90	डॉट आर्मी वाईफ वैल्फेयर एसोसिएशन आशा स्कूल, हिसार, हरियाणा	14.10

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) का नाम और स्थान	जीआईए जारी की गई (लाख रुपये में)
91	इन्डियन रैड क्रास सोसाईटी, हिसार, हरियाणा	2.72
92	इन्डियन रैड क्रास सोसाईटी, हिसार, हरियाणा	4.06
93	इन्डियन रैड क्रास सोसाईटी, हिसार, हरियाणा	3.17
94	खुशबु वैलफेयर सोसाईटी, गुरूगराम, हरियाणा	5.14
95	नैशनल एसोसिएशन फार इन्टैगरेटिड एंड रीहैबलीटेशन आफ हैन्डीकैप्ड, फरीदाबाद, हरियाणा	26.12
96	चेतना, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश	18.39
97	चेतना, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश	19.93
98	नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड एचपी स्टेट ब्रांच, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	7.26
99	पैराडाइज़ चिल्ड्रन केयर सेंटर, चंबा, हिमाचल प्रदेश	15.56
100	श्री रमण महर्षि अकादमी फॉर द ब्लाइंड, बेंगलुरु अर्बन, कर्नाटक	73.73
101	आशाकिरण एसोसिएशन फॉर मेंटली रिटार्डेड पर्सन, कोझिकोड, केरल	13.31
102	आशानीलयाम सोशल सर्विस सैन्टर, कोटयाम, केरल	3.02
103	कार्मेल ज्योति चैरिटेबल सोसायटी, इडुक्की, केरल	27.76
104	चैरीटेबल सोसाईटी फार वैल्फेयर आफ द डिस्एबल्ड, अरनाकुलम केरल	12.60
105	चावरा सपैशल स्कूल फार मैन्टली रीटार्डिड, अरनाकुलम, केरल	32.01
106	दीपथी सैन्टर अरूविथूरा, कोटयम केरल	14.20
107	इमायूस विला रेसिडैन्टस स्कूल फार मैन्टली रीटार्डिड, वयानन्द केरल	22.69
108	फेथ इंडिया, पलक्कड़, केरल	32.20
109	जेसी सोसाईटी फार रीहैबलीटेशन आफ द हैन्डीकैप्ड, कुन्नुर, केरल	10.17
110	करुणा चैरिटेबल सोसायटी, कोल्लम, केरल	18.03
111	मेडोना चैरिटेबल सोसायटी, थ्रिसूल केरल	10.05
112	मनोविकास, कोलम, केरल	31.86
113	मरीन सर्विस सोसाईटी, पलकड, केरल	17.37
114	प्रतीक्षा भवन स्कूल फार मैन्टली रीटार्डिड चिल्डरन, टीडीपी, इडूकी, केरल	22.37
115	प्रतीक्षा चैरिटेबल सोसायटी, त्रिचूर, केरल	13.66
116	रक्षा सोसायटी फॉर द केयर ऑफ चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीडस, एर्नाकुलम, केरल	19.02
117	सन्थीनिलयाम फार हैन्डीकैप्ड चिल्ड्रन कोटयम, केरल	20.69
118	सेवानिकेतन कोटयम, केरल	14.96
119	स्नेहराम चैरीटेबल सोसाईटी, थ्रिसूर, केरल	16.64
120	सोशल वैलफेयर सैन्टर, थ्रिसूर, केरल	22.90
121	सोसाईटी फार रिहैब्लिटेशन आफ मैन्टली डैफिशिएन्ट चिल्ड्रन, कन्नूर, केरल	7.46
122	सैन्ट जोसफ मैन्टल हैल्थ केयर होम, पुल्लाजी थ्रिसूर, केरल	10.70
123	स्वासरया, थ्रिसूर, केरल	8.27
124	विकास सोशल सर्विस सोसायटी, कन्नूर, केरल	24.36

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) का नाम और स्थान	जीआईए जारी की गई (लाख रुपये में)
125	विमला महीला समाजम, इरनाकूलम, केरल	28.89
126	आसा अवा केन्द्र, जबलपुर मध्य प्रदेश	12.55
127	एहसास, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	29.12
128	जस्टिस टन्खा मैमोरियल रोटरी इन्सटीटयूट, जबलपुर मध्य प्रदेश	22.76
129	महाकोशल नव ज्योति सोसायटी, जबलपुर, मध्य प्रदेश	21.54
130	नागदा जेनिथ सोशल वेलफेयर सोसायटी, उज्जैन, मध्य प्रदेश	51.06
131	निर्मल माता सोसायटी (शालोम), भोपाल, मध्य प्रदेश	33.47
132	राजुल विकलांग पलक अभिभावक उत्थान समिति, विदीशा, मध्य प्रदेश	24.13
133	रमन शिक्षा समिति, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	35.08
134	श्री श्री उत्कर्ष समिति, इन्दोर, मध्य प्रदेश	14.08
135	स्नेह शिक्षण एवं मानव सेवा संस्थान, रीवा, मध्य प्रदेश	28.94
136	वन्दन पुनर्वास एवं अनुसाधन, संस्थान जबलपुर, मध्य प्रदेश	29.13
137	विकलांग सेवा भारती, जबलपुर, मध्य प्रदेश	30.48
138	अहिल्यादेवी होल्कर शिक्षण प्रसारक मंडल, लातूर, महाराष्ट्र	13.88
139	अयोध्या चैरिटेबल ट्रस्ट, पुणे, महाराष्ट्र	46.96
140	अयोध्या चैरिटेबल ट्रस्ट, पुणे, महाराष्ट्र	5.27
141	हरिसुंदर महिला बहुद्देशीय शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर, लातूर, महाराष्ट्र	19.94
142	महाशक्ति शिक्षण अरोग्या व करीदा प्रासरक, बीयू, संस्था ओल्ड सिटी महाराष्ट्र	24.42
143	मानव विकास संस्था शेलपुरी, बीड, महाराष्ट्र	26.35
144	मानव विकास संस्था शेलपुरी, बीड, महाराष्ट्र	15.30
145	मनुदेवी फाउंडेशन नंदुरबार, नंदुरबार, महाराष्ट्र	42.74
146	अचीवमेंट ऑफ राइजिंग मेडेन, जिरीबाम, मणिपुर	62.69
147	सेंटर फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज सीडीएसी, थोबल, मणिपुर	15.07
148	सेंटर फॉर मेंटल हाइजीन, इंफाल पश्चिम, मणिपुर	13.37
149	काउंसिल फॉर डेवलपमेंट ऑफ पूअर एंड लैबरेर, इम्फाल पश्चिम, मणिपुर	11.57
150	काउंसिल फॉर डेवलपमेंट ऑफ पूअर एंड लैबरेर, इम्फाल पश्चिम, मणिपुर	72.40
151	काउंसिल फॉर डेवलपमेंट ऑफ पूअर एंड लैबरेर, इम्फाल पश्चिम, मणिपुर	13.46
152	एजुकेशनल एंड रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेंशन, थोबल, मणिपुर	14.44
153	एजुकेशनल एंड रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेंशन, थोबल, मणिपुर	30.76
154	इम्फाल गार्जियन सोसायटी, इम्फाल ईस्ट, मणिपुर	3.17
155	इम्फाल गार्जियन सोसायटी, इम्फाल ईस्ट, मणिपुर	43.92
156	कांगचुप एरिया त्रिबल वूमन सोसायटी, कांगपोकपी, मणिपुर	63.04
157	मणिपुर गाइडलाइन सेंटर (एमएजीसी), बिष्णुपुर, मणिपुर	46.59
158	पीपल एडवांस इन सोशल सर्विसेज, चुराचांदपुर, मणिपुर	75.73

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) का नाम और स्थान	जीआईए जारी की गई (लाख रुपये में)
159	पायनर डवेल्पमैन्ट एसोसिएशन, ककचिंग, मणिपुर	27.32
160	रिक्रिएशन, इंफाल पश्चिम, मणिपुर	41.93
161	रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, थोबल कांगपोकपी, मणिपुर	15.62
162	सोशल ह्यूमन एक्शन फॉर रूरल एम्पावरमेंट सोसाइटी, चुराचांदपुर, मणिपुर	30.65
163	सोसाईटी फार एम्पावरमैन्ट आफ द डिसएबल्ड, बिशनूपुर, मणिपुर	49.04
164	द सोशल एंड हेल्थ डेवलपमेंट ऑर्गेनाईजेशन, इंफाल पूर्व, मणिपुर	35.89
165	द सोशल एंड हेल्थ डेवलपमेंट ऑर्गेनाईजेशन, इंफाल पूर्व, मणिपुर	78.10
166	टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूशन एंड रूरल डेवलपमेंट सर्विस (टीडब्यूआईआरडीएस), कांगपोकपी, मणिपुर	16.48
167	टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूशन एंड रूरल डेवलपमेंट सर्विस (टीडब्यूआईआरडीएस), कांगपोकपी, मणिपुर	86.23
168	वूमैन इक्नामिक डेवलपमेंट सोसाईटी, इंफाल पूर्व, मणिपुर	6.97
169	आशा रिहैबलीटेशन सैन्टर, ईस्ट खासी हिल्स मेघालय	11.03
170	बेथानी सोसाईटी, ईस्ट खासी हिल्स मेघालय	12.56
171	द्वार जिंगकिरमन, ईस्ट खासी हिल्स मेघालय	6.81
172	मोंटफोर्ट सेंटर फॉर एजुकेशन, वेस्ट गारो हिल्स, मेघालय	43.06
173	द सोसाईटी फार द वैल्फेयर आफ द डिस्एबल्ड, ईस्ट खासी हिल्स मेघालय	14.40
174	स्पास्टिक सोसाईटी आफ मिजोरम इसवाल, मिजोरम	17.26
175	तबीथा इनेबलिंग सोसाइटी, कोहिमा, नागालैंड	37.61
176	एसोसिएशन फॉर सोशल हेल्प इन रूरल एरिया (एएसएचआरए), बलांगीर, ओडिशा	32.46
177	एसोसिएशन फॉर सोशल रीकन्सट्रक्टिव एक्टीविटीज, जगतसिंहपुर, ओडिसा	94.78
178	एसोसिएशन फॉर सोशल वर्क एंड सोशल रिसर्च, बौध, ओडिशा	25.76
179	एसोसिएशन फॉर वोलंटरी एक्शन, पुरी, ओडिशा	13.84
180	एसोसिएशन फॉर वोलंटरी एक्शन, पुरी, ओडिशा	47.34
181	एसोसिएशन फॉर वोलंटरी एक्शन, पुरी, ओडिशा	30.95
182	भैरवी क्लब, खोरधा, ओडिसा	7.26
183	भैरवी क्लब, खोरधा, ओडिसा	18.17
184	सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन सर्विस एंड रिसर्च, भद्रक, ओडिशा	48.75
185	डिस्ट्रिक्टि डिसेबल्ड स्कूल, झारसुगुड़ा, ओडिशा	66.25
186	गांधीयन इंस्टीबट्यूट ऑफ टेक्निकल एडवांसमेंट, केंद्रपाड़ा, ओडिशा	25.16
187	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी सहया, कटक, ओडिशा	35.99
188	कबी नरसिंह मठ ब्लाइंड एंड डेफ स्कूल, गंजम, ओडिशा	94.41
189	मनोविकास जीईएमएमएआईडब्यूलसी (आल इंडिया वूमन कांफ्रेस), गंजम, ओडिशा	51.21
190	एम.के.सी.जी. स्कूल फार ब्लांन्ड एन्ड डैफ, गजापति, उडिसा	37.83
191	नेशनल रीसोर्सिस सैन्टर फार वुमैन डवलैप्मैन्ट, सम्भलपुर, उडिसा	28.12

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) का नाम और स्थान	जीआईए जारी की गई (लाख रुपये में)
192	नेशनल रूरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनआरडीसी), सुबरनापुर, ओडिशा	16.57
193	नेशनल रूरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनआरडीसी), सुबरनापुर, ओडिशा	17.47
194	नेशनल रूरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनआरडीसी), सुबरनापुर, ओडिशा	35.56
195	नेहरू सेवा संघ, करोधा, उडिसा	11.78
196	ओपन लर्निंग सिस्टम, करोधा, उडिसा	35.23
197	रिजनल रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर, सुंदरगढ़, ओडिशा	60.75
198	रिजनल रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर, सुंदरगढ़, ओडिशा	79.88
199	शहीद युवा संघ, नयागढ़, ओडिशा	18.74
200	सोसायटी फॉर इंवायरमेंट डेवलपमेंट एंड वोलंटरी एक्शन, नयागढ़, ओडिशा	65.07
201	द इन्सटीटयूट फार हैल्पिंग द डिस्ऐबल्ड, खोरदा उडीसा	42.40
202	युनीयन फार लर्निंग ट्रेनिंग एंड रीफारमेटिव एक्टीविटीस, खोरदा उडीसा	51.56
203	विजया, भद्रक, ओडिशा	55.28
204	वोलन्टरी ऑग्रेनाइजेशन फॉर रूरल इंप्रुवमेंट, केंदुझार, ओडिशा	53.00
205	वुमैन कम्यूनिटी मैनेजमैन्ट ग्रुप, खोरदा उडीसा	74.90
206	सत्या स्पेशल स्कूल, पुडुचेरी, पुडुचेरी	20.26
207	श्री पैचेप्पेन सोसायटी फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द हियरिंग इंपेयर्ड, पुडुचेरी, पुडुचेरी	20.41
208	उमा एजूकेशन एंड टैक्नीकल सोसाईटी, यानम, पुडूचेरी	39.98
209	अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन, रूपनगर, पंजाब	50.10
210	आशा दीप वेलफेयर सोसायटी, होशियारपुर, पंजाब	39.09
211	इन्डियन रैड क्रास सोसाईटी, जलंधर पंजाब	12.33
212	नवजीवनी, पटियाला, पंजाब	10.11
213	सोसाईटी फार वैल्वेयर आफ द हैन्डीकैप्ड, पटियाला पंजाब	2.85
214	टेक चंद सूद चैरिटेबल ट्रस्ट, होशियारपुर, पंजाब	19.48
215	वोकेशनल रिहैबिलिटेशन ट्रैनिंग सेंटर फॉर ब्लाइंड, लुधियाना, पंजाब	52.61
216	दिशाः ए रिसोर्स सेंटर फॉर डिसेबल्ड (दिशा फाउंडेशन), जयपुर, राजस्थान	42.95
217	ग्रामीण उत्थान मानव संस्थान, बिकानेर, राजस्थान	32.46
218	गुरुकुल स्पास्टिक सोसायटी, जयपुर, राजस्थान	55.32
219	महिला बाल विकास ग्रामोद्योग शिक्षा समिति, भरतपुर, राजस्थान	15.30
220	नव चेतना मानसिक एवं मूक बधिर विद्यालय, जयपुर, राजस्थान	24.74
221	संबल समिति जयपुर, जयपुर, राजस्थान	27.91
222	संभव स्कूल फॉर ऑटिज्म एवं मल्टीपल डिसेबिलिटी, जयपुर, राजस्थान	23.63
223	शिखर सोसाईटी फार द वैल्फेयर आफ मैन्टली हैंडिकेप्ड, कोटा, राजस्थान	22.71
224	सोसायटी फॉर वेलफेयर ऑफ मेंटली हैंडिकेप्ड, जयपुर, राजस्थान	35.04
225	तपोवन मनोविकास विद्यालय गंगानगर, राजस्थान	5.07

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) का नाम और स्थान	जीआईए जारी की गई (लाख रुपये में)
226	बालाविद्यालय ट्रस्ट : द स्कूल फार यंग डैफ चिल्ड्रन, चेन्नइ तमिलनाडू	10.60
227	कार्मल सैन्टर फार मैन्टली रीटार्डेड, तिरूवल्लूर, तमिलनाडू	48.99
228	क्रिश्चियन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु	22.93
229	डेवलपमेंट एजुकेशन सेंटर, तिरुवल्लुर, तमिलनाडु	27.64
230	फलोरैन्स सवेनसन एच आर सेकेन्डरी स्कूल फार द डैफ, तिरूनवली, तमिल नाडू	10.53
231	कांगू अरिवलयम, चेन्नइ तमिलनाडू	24.48
232	लाइफ एड सेंटर फॉर द डिसेबल्ड,, तिरुवल्लुर, तमिलनाडु	23.16
233	मधुरम नारायण सेंटर फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, चेन्नई, तमिलनाडु	15.04
234	मनसा स्कूल फार द स्पेशल चिल्ड्रन सोसाईटी, तिरुवल्लुर, तमिलनाडु	7.33
235	पाथवे सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन एंड एजुकेशन फॉर मेंटली रिटार्डेड ए यूनिट ऑफ डॉ. डीएमसी ट्रस्ट, चेन्नई, तमिलनाडु	79.38
236	राष्ट्रीय सेवा समिति, तिरुवल्लुर, तमिलनाडु	28.61
237	सप्तगिरी रिहैबिलिटेशन ट्रस्ट, विरुधुनगर, तमिलनाडु	13.46
238	आशा ज्योति वेलफयर एसोसिएशन फॉर डिसेबल्डल, नलगोंडा, तेलंगाना	44.31
239	अत्मिय मानसिक विकास केंद्रम, हैदराबाद, तेलंगाना	96.74
240	आंध्र महिला सभा (डीडीवीटीआरसी), हैदराबाद, तेलंगाना	132.02
241	आंध्र प्रदेश स्टेट फोरम फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, निज़ामाबाद, तेलंगाना	52.64
242	अनुराग ह्यूमन सर्विसेज, हैदराबाद, तेलंगाना	56.35
243	आश्रय आकृति, हैदराबाद, तेलंगाना	44.76
244	बालविकास एजुकेशनल सोसायटी फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, मेडचला और मल्काजगिरी, तेलंगाना	43.25
245	बीआरईएसएच (भद्राचलम एजेंसी फॉर रूरल डेव. रिहै. एंड एजु. सो. हैंडि.), भद्राद्रि कोथागुडेम, तेलंगाना	50.72
246	चाइल्ड गाइडलाइन सेंटर, मेडचला और मल्काजगिरी, तेलंगाना	92.67
247	डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एसोसिएशन आफ द ब्लांईड, नलगोंडा, तेलंगाना	37.35
248	देवनार फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, हैदराबाद, तेलंगाना	162.75
249	इकोक्लब, महबूबनगर, तेलंगाना	57.72
250	ग्रेसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट सर्विसेज, निज़ामाबाद, तेलंगाना	35.18
251	जीयर एजूकेशनल ट्रस्ट, रंगारेडी, तेलंगाना	42.43
252	किरनाम आरगेनाईजेशन फॉर वेलफेयर ऑफ डिसएबल्ड, रंगारेडी, तेलंगाना	37.22
253	लक्ष्यसाधना सोसायटी फॉर द मेंटली हैंडिकेप्ड, मेडचला और मल्काजगिरी, तेलंगाना	38.83
254	मनोचेतना, सिदीपी, तेलंगाना	2.98
255	मेफी रीहैबलीटेशन सैन्टर फार द मैन्टली रीटार्डिड, खम्मम, तेलंगाना	5.81
256	न्यू डोनबोस्को एजुकेशनल सोसाइटी, हैदराबाद, तेलंगाना	31.37

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) का नाम और स्थान	जीआईए जारी की गई (लाख रुपये में)
257	न्यू डोनबोस्को एजुकेशनल सोसाइटी, हैदराबाद, तेलंगाना	37.39
258	पामेनकेप (पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर द मेंटली हैंडिकेप्ड पर्सन), सिकंदराबाद, तेलंगाना	40.54
259	पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर द मेंटली हैंडिकेप्ड पर्सन (पामेनकेप गोदावरीखानी), पेद्दापल्ली, तेलंगाना	44.54
260	पामेनकेप (पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ मेंटली हैंडिकेप्ड पर्सन), हैदराबाद, तेलंगाना	7.78
261	पामेनकेप (पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ मेंटली हैंडिकेप्ड पर्सन), हैदराबाद, तेलंगाना	110.35
262	पीपल विद हियरिंग इंपेयर्ड नेटवर्क, हैदराबाद, तेलंगाना	65.02
263	पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर द मेंटली हैंडिकेप्ड पर्सन, करीमनगर, तेलंगाना	18.29
264	राधा ईन्सटीटयूट फार मेंटली रीटार्डिड, रंगारेडी, तेलंगाना	29.39
265	रेसिडेंशियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड, गडवाल, तेलंगाना	43.38
266	सबिता एजुकेशनल सोसायटी, संगारेड्डी, तेलंगाना	48.13
267	साधना सोसायटी फॉर द मेंटली हैंडिकेप्ड, हैदराबाद, तेलंगाना, मेडचला और मल्काजगिरी, तेलंगाना	72.98
268	साधना सोसायटी फॉर द मेंटली हैंडिकेप्ड, हैदराबाद, तेलंगाना, मेडचला और मल्काजगिरी, तेलंगाना	56.38
269	समारक्षण वेलफेयर सोसायटी फॉर इंटेल्लेक्टयूएल डिसेबल्ड चिल्ड्रन, आदिलाबाद, तेलंगाना	40.21
270	शांतिनिकेतन, रंगारेड्डी, तेलंगाना	26.46
271	शांतिनिकेतन, रंगारेड्डी, तेलंगाना	63.38
272	स्नेहा सोसायटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन, निज़ामाबाद, तेलंगाना	96.21
273	स्नेहा सोसायटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन, निज़ामाबाद, तेलंगाना	67.61
274	श्री विद्यास सेंटर फॉर द स्पेशल चिल्ड्रन, हैदराबाद, तेलंगाना	44.81
275	स्वयंकृषि, मेडचला और मल्काजगिरी, तेलंगाना	20.54
276	ठाकुर हरी प्रसाद इन्सटीटयूट आफ रीसर्च एंड रीहैबलीटेशन फार एम एच, रंगारेडी, तेलंगाना	3.71
277	ठाकुर हरी प्रसाद इन्सटीटयूट आफ रीसर्च एंड रीहैबलीटेशन फार एम एच, रंगारेडी, तेलंगाना	26.94
278	द करीमनगर डिस्ट्रिक्ट फ्रिडम फाइटर ट्रस्ट, करीमनगर, तेलंगाना	24.38
279	द सोसायटी फॉर एजुकेशनल एंड रीहैबलीटेशन आफ द डिसएबल्ड, सूर्यापेट, तेलंगाना	42.16
280	आदर्श मूक बधिर विद्यालय, खीरी, उत्तर प्रदेश	45.59
281	अखिल भारतीय विकलांग कल्याण समिति, अयोध्या, उत्तर प्रदेश	56.26

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) का नाम और स्थान	जीआईए जारी की गई (लाख रुपये में)
282	आनंद ट्रेनिंग चैरिटेबल सोसाइटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	55.86
283	आर्य सुगंध संस्थान, बिजनौर, उत्तर प्रदेश	24.43
284	भागीरथ सेवा संस्थान, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	71.77
285	भारतीय चौहान समिति, आज़मगढ़, उत्तर प्रदेश	36.57
286	बिमल चंद्र घोष स्कूल (बनारस डेफ एंड डंब स्कूल एसोसिएशन), वाराणसी, उत्तर प्रदेश	36.73
287	चेतना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	26.39
288	चेतना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	27.19
289	दिशा समिति, बरेली, उत्तर प्रदेश	22.15
290	फ्रेंड्स ऑफ हैंडिकेप्ड इंडिया, मेरठ, उत्तर प्रदेश	94.33
291	ग्रामोदय जनसेवा संस्थान, कोशाम्बी, उत्तर प्रदेश	56.71
292	हैंडिकेप्ड डेवलपमेंट काउंसिल आगरा, उत्तर प्रदेश	76.27
293	इन्टेगरेटिड इन्सटीटयूट फार द डिस्एबल्ड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	31.50
294	जोनंसन एकेडमिक इंस्टीट्यूट, उन्नाव, उत्तर प्रदेश	15.83
295	केएसजे हाई स्कूल, संभल, उत्तर प्रदेश	32.33
296	कल्याणं करोति, मथुरा, उत्तर प्रदेश	12.30
297	माँ सरस्वती सेवा समिति कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश	17.96
298	मूक वधिर विद्यालय (मूक एंड डंब स्कूल), मेरठ, उत्तर प्रदेश	60.82
299	पवहारी स्मृति परिषद्, गाज़ीपुर, उत्तर प्रदेश	17.11
300	पवहारी समिति परिषद, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश	13.10
301	प्रग्ननारायण मूक बधिर विद्यालय, अलीगढ, उत्तर प्रदेश	24.42
302	राजेशवरी सेवा संस्थान, ओरईया, उत्तर प्रदेश	28.71
303	रावत शिक्षा समिति, हाथरस, उत्तर प्रदेश	17.26
304	सामाजिक उत्थान समिति, बलिया, उत्तर प्रदेश	47.20
305	समर्पण संस्थान, गाजीपुर, उतर प्रदेश	27.74
306	सन्चित विकास संस्थान, बस्ती, उतर प्रदेश	11.89
307	संत रविदास समाज कल्याण शिक्षा समिति, ईटावा, उतर प्रदेश	18.07
308	सीमा सेवा संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	35.47
309	श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	26.28
310	श्री कृष्ण आदर्श विद्या मंदिर, फ़तेहपुर, उत्तर प्रदेश	38.20
311	सोसाईटी फार इन्सटीटयूट आफ साईको रिसर्च एंड हैल्थ, अमरोहा, उत्तर प्रदेश	41.16
312	सेंट फ्रांसिस स्कूल फॉर द हियरिंग इंपेयर्ड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	105.78
313	द सोसायटी ऑफ ख्रीस्त ज्योति, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	72.95
314	उत्तर प्रदेश मूक बधिर विद्यालय, प्रयागराज उत्तर प्रदेश	85.34
315	विकलांग समेकित पुनर्वास केंद्र, आगरा, उत्तर प्रदेश	29.92

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) का नाम और स्थान	जीआईए जारी की गई (लाख रुपये में)
316	वृन्दावन शिक्षा एवं जनकल्याण समिति, कौशांबी, उत्तर प्रदेश	58.37
317	विकलांग मंद बुद्धि कल्याण समिति, नैनीताल, उत्तराखंड	33.07
318	अलकेन्दु बोध निकेतन रसिडेशल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	36.22
319	अलकेन्दु बोध निकेतन रसिडेशल, मुरशीदाबाद, पश्चिम बंगाल	44.86
320	आसनसोल आनंदम, पश्चिम बर्धमान, पश्चिम बंगाल	18.64
321	आशा भवन सैन्टर, हावडा, वैस्ट बंगाल	27.76
322	बरजोरा अशर अलो, बांकुरा, पश्चिम बंगाल	27.40
323	बिकाशयन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	26.01
324	बलाईन्ड परसनस एसोसिएशन, नादिया, वैस्ट बंगाल	35.93
325	चितरंजन स्मृति प्रतिबंधी सेवा केन्द्र, नोर्थ 24 परगना, वेस्ट बंगाल	8.90
326	होप सोसाइटी फॉर हैंडीकैप्ड ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड एजुकेशन, पश्चिम बर्धमान, पश्चिम बंगाल	91.95
327	इंस्टिट्यूट फॉर द हैंडिकेप्ड ऑरिएंटेशन प्रोग्राम एंड एजुकेशन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	65.43
328	जलपाईगुड़ी वेलफेयर ऑर्गेनाईजेशन, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल	47.39
329	कोराक प्रतिबंदी कल्याण केन्द्र, नोर्थ 24 परगना, वेस्ट बंगाल	18.54
330	नोर्थ बंगाल हैंडिकेप्ड रिहैबिलिटेशन सोसायटी, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल	123.71
331	रामकृष्ण मिशन आश्रम नरेंद्रपुर, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल	16.34
332	रामकृष्ण मिशन आश्रम नरेंद्रपुर, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल	77.10
333	रामकृष्ण मिशन आश्रम नरेंद्रपुर, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल	3.05
334	शैल्टर, हुगली, पश्चिम बंगाल	69.29
335	द भारत स्काउट एंड गाईड, नोर्थ 24 परगना, वेस्ट बंगाल	9.38
	कुल	11948.26

अनुबंध–5क

डीडीआरसी के तहत अनुदान हेतु स्वीकार्य पद

क्र. सं	पद और योग्यताएं	मानदेय (रुपये में)
1	**क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट / रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट** **क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट :** क. एम. फिल. क्लिनिकल साइकोलॉजी ख. क्लिनिकल साइकोलॉजी में प्रोफेशनल डिप्लोमा **रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट** क. एम.फिल. रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट ख. रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआरपी)	20500/850 (प्रति विजिट)
2	**सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट / ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट** **फिजियोथेरेपिस्ट** : 01 अनिवार्य योग्यता : बीपीटी **ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट** : 01 अनिवार्य योग्यता : बीओटी **औचित्यः** पीटी और ओटी दोनों धाराएं पूरी तरह से 2 अलग–अलग विषय हैं और दिव्यांगता पुनर्वास में इनका बहुत महत्वपूर्ण और अलग–अलग भूमिकाएं हैं।	20500/850 (प्रति विजिट)
3	**वरिष्ठ प्रोस्थेटिस्ट /ऑर्थोटिस्ट (ओएच श्रेणी)** **योग्यताः** आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स (बीपीओ) में स्नातक	20500/850 (प्रति विजिट)
4	**प्रोस्थेटिस्ट /ऑर्थोटिस्ट तकनीशियन** **योग्यताः** 3 वर्ष के अनुभव के साथ पी एंड ओ में डिप्लोमा या पी एंड ओ में सर्टिफिकेट	14500
5	**ऑडियोलॉजिस्ट और वरिष्ठ सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट** पात्रताः ऑडियोलॉजी और वाक् और भाषा पैथोलॉजी (बीएएसएलपी) में स्नातक या वाक् और श्रवण में बी.एस.सी	20500/850 (प्रति विजिट)
6	**हियरिंग असिस्टेंट / जूनियर स्पीच थेरेपिस्ट** हियरिंग एड रिपेयर / ईयर–मोल्ड मेकिंग के ज्ञान के साथ वाक् एवं श्रवण में डिप्लोमा **भाषा और श्रवण (स्पीच और हियरिंग) तकनीशियन** **पात्रताः** श्रवण भाषा और वाक् में डिप्लोमा (डीएचएलएस) **ईयर–मोल्ड तकनीशियन** **योग्यताः** हियरिंग एड रिपेयर एंड ईयर मोल्ड टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा (डीएचएआरईएमटी)	14500
7.	**मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर** मोबिलिटी में मैट्रिक और सर्टिफिकेट /डिप्लोमा **पात्रताः** प्राथमिकता : बैचलर इन मोबिलिटी साइंस (बीएमएससी.) या श्रवण बाधिता (विजुअल इम्पेयरमेंट) में डी.एड.विशेष शिक्षा/बी.एड.विशेष शिक्षा	14500
8.	**मल्टी–पर्पज रिहैबिटिलेशन वर्कर** **पात्रताः** सामुदायिक आधारित पुनर्वास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीसीबीआर)/सामुदायिक आधारित पुनर्वास में डिप्लोमा (डीसीबीआर)/सामुदायिक आधारित समावेशी विकास (सीबीआईडी)/एमआरडब्ल्यू	14500

9.	**एकाउंटेंट कम क्लर्क कम स्टोर कीपर** बी.कॉम/एसएएस के साथ 2 वर्ष का अनुभव	14500
10	**अटेंडेंस कम पीओन कम मैसेंजर** कक्षा 8 पास	9500
11	**वोकेशनल काउंसलर कम कंप्यूटर असिस्टेंट** **पात्रताः** वोकेशनल रिहैबिलिटेशन (डीवीआर) में डिप्लोमा /एडवांस्ड डिप्लोमा इन चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग (एडीसीजीसी) /बैचलर ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस (बीआरएससी)	14500
12	**अर्ली इंटरवेंशन थेरेपिस्ट** **योग्यताः** पीजीडीडीटी /पीजीडीईआई /बीएमआर /बीआरएससी /बीआरटी /एमआरएससी /एमएससी–ईआई	14500
13	**ट्रांस–डिसिप्लिनरी स्पेशल एजुकेटर (02 सं.)** **दोनों पदों के लिए पात्रता** 1. श्रवण बाधिता (हियरिंग इम्पेयरमेंट) में डीएडएसई / बीएडएसई 2. वीआई /आईडी /सीपी /एएसडी /एमडी /डीबी /एसएलडी में डीएडडीएसई /बीएडएसई	14500
14	**केयरगिवर** **पात्रताः** सीसीसीजी–आरसीआई/सीसीसीजी–राष्ट्रीय न्यास या आठवीं कक्षा उत्तीर्ण सहित पीडब्ल्यूडी की देखभाल करने का 3 वर्ष का अनुभव	6250

अनुबंध–5ख

सहायता प्राप्त डीडीआरसी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार संख्या, 2020–21 से 2023–24 के दौरान जारी की गई राशि

क्र. सं	राज्य का नाम	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
		राशि (रुपये में)	डीडीआरसी की संख्या	राशि (रुपये में)	डीडीआरसी की संख्या	राशि (रुपये में)	डीडीआरसी की संख्या	राशि (रुपये में)	डीडीआरसी की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	3486017	2	5647299	2	3596391	2	14602792	10
2	असम	2868072	1	2870357	1	9858009	3	1503900	2
3	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	2096791	2
4	गुजरात	2000484	2	2449389	2	184333	1	2299109	1
5	हिमाचल प्रदेश	1388059	1	0	0	2028167	1	0	0
6	झारखंड	0	0	0	0	2609250	1	43750	1
7	मध्य प्रदेश	3346234	3	6598598	2	6589228	5	15227373	22
8	महाराष्ट्र	2578000	1	2751455	1	3360138	3	11631834	5
9	मणिपुर	6614500	3	4992300	2	1443392	2	9202300	3
10	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	922500	1
11	ओडिशा	4712250	2	2120410	1	3062525	2	10565546	8
12	पंजाब	0	0	1737811	2	938028	1	2511404	2
13	राजस्थान	657400	1	4512742	2	3582301	2	3491557	2
14	तेलंगाना	2716250	1	0	0	1702859	1	2517000	1
15	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	5167400	4
16	उत्तर प्रदेश	17393261	9	13514896	7	15630949	10	14355424	8
17	उत्तराखंड	7331201	1	3122565	1	241494	1	4740691	1
18	पश्चिम बंगाल	2464669	1	5353946	1	1118810	1	3460493	1
	कुल	**57556397**	**28**	**55671768**	**24**	**55945874**	**36**	**104339864**	**74**

अनुबंध–5ग

वर्ष 2023–24 के दौरान डीडीआरसी को जारी सहायता अनुदान का विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	डीडीआरसी का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी	किस्त	साल के लिए	जीआईए जारी (रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	डीडीआरसी अनकापल्ली	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी	पहली किस्त	2023-24	1460150
2	आंध्र प्रदेश	डीडीआरसी पूर्वी गोदावरी	उमा एजुकेशनल एंड टेक्निकल सोसायटी	पहली किस्त	2023-24	1322000
3	आंध्र प्रदेश	डीडीआरसी एलूरू	उमा एजुकेशनल एंड टेक्निकल सोसायटी	पूर्ण एवं अंतिम किस्त	2022-23	1802032
4	आंध्र प्रदेश	डीडीआरसी काकीनाडा	उमा एजुकेशनल एंड टेक्निकल सोसायटी	पूर्ण एवं अंतिम किस्त	2022-23	3364860
5	आंध्र प्रदेश	डीडीआरसी कोनासीमा	उमा एजुकेशनल एंड टेक्निकल सोसायटी	पहली किस्त	2023-24	1322000
6	आंध्र प्रदेश	डीडीआरसी कुरनूल	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी	पहली किस्त	2023-24	1322000
7	आंध्र प्रदेश	डीडीआरसी नंदयाला	आरएसएस जनकल्याण समिति	पहली किस्त	2023-24	1322000
8	आंध्र प्रदेश	डीडीआरसी पालनाडु	सेंटर फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन	पहली किस्त	2023-24	1322000
9	आंध्र प्रदेश	डीडीआरसी विजीआनाग्राम	गुरूदेवा चैरीटेबल ट्रस्ट	पहली किस्त	2023-24	43750
10	आंध्र प्रदेश	डीडीआरसी वाईएसआर	दर्शिनी हैंडिकेप्ड वेलफेयर सोसायटी	पहली किस्त	2023-24	1322000
11	असम	डीडीआरसी ढुबरी	केयर इन्डिया फाउन्डेशन	पहली किस्त	2023-24	43750
12	असम	डीडीआरसी उदलगिरी	रूरल ऑर्गेनाईजेशन फॉर सोशल सर्विस	पहली किस्त	2023-24	1460150
13	गुजरात	डीडीआरसी अहमदाबाद	डिस्ट्रिकट मैनेजमैन्ट टीम	पूर्ण एवं अंतिम किस्त	2022-23	1500048
14	गुजरात	डीडीआरसी अहमदाबाद	डिस्ट्रिकट मैनेजमैन्ट टीम	पहली किस्त	2023-24	480750
15	गुजरात	डीडीआरसी वडोदरा	डिस्ट्रिकट मैनेजमैन्ट टीम	दूसरी व अंतिम किस्त	2021-22	115993
16	हिमाचल	डीडीआरसी कुल्लू	इन्डियन रैड क्रास सोसाईटी	पूर्ण एवं अंतिम किस्त	2022-23	1641684
17	हिमाचल	डीडीआरसी कुल्लू	इन्डियन रैड क्रास सोसाईटी	पहली किस्त	2023-24	657425

क्र. सं.	राज्य का नाम	डीडीआरसी का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी	किस्त	साल के लिए	जीआईए जारी (रुपये में)
18	लदाख	डीडीआरसी करगिल	डिस्ट्रिक्टि मेनेजमेंट टीम	पहली किस्त	2023-24	43750
19	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी अशोक नगर	जिला निशकत कल्याण एवं विकास समिति	पहली किस्त	2023-24	306750
20	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी बालाघाट	दीनदयाल अंत्योदय मिशन समिति	पूर्ण एवं अंतिम किस्त	2022-23	1000186
21	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी बालाघाट	दीनदयाल अंत्योदय मिशन समिति	पहली किस्त	2023-24	706050
22	मध्य प्रदेश h	डीडीआरसी बरवानी	आशाग्राम ट्रस्ट बरवानी	पहली किस्त	2023-24	165750
23	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी भिंड	श्री गौरीशंकर आधुनिक शिक्षा प्रसार समिति	पहली किस्त	2023-24	957500
24	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी बुरहानपुर	डिस्ट्रिक्टि मेनेजमेंट टीम	पहली किस्त	2023-24	443250
25	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी छतरपुर	प्रगतिशील विकलांग संसार	पहली किस्त	2023-24	1111250
26	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी दमोह	इन्डियन रैड क्रास सोसाईटी	पूर्ण एवं अंतिम किस्त	2021-22	62528
27	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी दतिया	जिला विंकलाग कल्याण तथा विकास समिति	पहली किस्त	2023-24	270750
28	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी गुना	इन्डियन रैड क्रास सोसाईटी	पूर्ण एवं अंतिम किस्त	2022-23	925540
29	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी जबलपुर	इन्डियन रैड क्रास सोसाईटी	पूर्ण एवं अंतिम किस्त	2022-23	99135
30	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी जबलपुर	इन्डियन रैड क्रास सोसाईटी	पूर्ण एवं अंतिम किस्त	2023-24	301750
31	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी झबुआ	डिस्ट्रिक्टि मेनेजमेंट टीम	पूर्ण एवं अंतिम किस्त	2022-23	1302791
32	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी. झबुआ	डिस्ट्रिक्टि मेनेजमेंट टीम	पहली किस्त	2023-24	444750
33	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी, कटनी	जिला दिव्यांग पुनर्वास समिति	पहली किस्त	2023-24	393750
34	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी, मंडला	दीनदयाल अंत्योदय मिशन समिति	पहली किस्त	2023-24	567750
35	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी मंदसोर	जिला विंकलाग पुनर्वास केन्द्र	पूर्ण एवं अंतिम किस्त	2022-23	1462643
36	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी मंदसोर	जिला विंकलाग पुनर्वास केन्द्र	पहली किस्त	2023-24	506250

क्र. सं.	राज्य का नाम	डीडीआरसी का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी	किस्त	साल के लिए	जीआईए जारी (रुपये में)
37	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी मोरैना	जिला निशकत कल्याण एवं विकास समिति	पहली किस्त	2023-24	365250
38	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी नरमदापुरम (होंशंगाबाद)	जिला निशकत कल्याण एवं विकास समिति	पहली किस्त	2023-24	478500
39	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी पन्ना	जिला निशकत कल्याण एवं विकास समिति	पहली किस्त	2023-24	472500
40	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी सिओपुर	श्री गौरीशंकर आधुनिक शिक्षा प्रसार समिति	पहली किस्त	2023-24	365250
41	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी सिधि	जिला रोगी कल्याण समिति	पहली किस्त	2023-24	306750
42	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी सिंगरोली	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी	पहली किस्त	2023-24	716250
43	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी टीकमगढ़	दीनदयाल अंत्योदय मिशन समिति	पहली किस्त	2023-24	1100750
44	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी उमंरिया	जिला दिव्यांग पुनर्वास समिति	पहली किस्त	2023-24	393750
45	महाराष्ट्र	डीडीआरसी अहमदनगर	डा विठाराव पाटिल फाउन्डेशन	पहली किस्त	2023-24	1229000
46	महाराष्ट्र	डीडीआरसी अमरावती	अपंग जीवन विकास संस्थान	दूसरी एवं अंतिम किस्त	2022-23	1352270
47	महाराष्ट्र	डीडीआरसी अमरावती	अपंग जीवन विकास संस्थान	तीसरी व आखिरी किस्त	2022-23	2000000
48	महाराष्ट्र	डीडीआरसी लातूर	आरएसएस जनकल्याण समिति	पूर्ण एवं अंतिम किस्त	2021-22	2310722
49	महाराष्ट्र	डीडीआरसी लातूर	आरएसएस जनकल्याण समिति	पूर्ण एवं अंतिम किस्त	2022-23	2448651
50	महाराष्ट्र	डीडीआरसी नागपुर	महात्मा गांधी सेवा संघ	पूर्ण एवं अंतिम किस्त	2021-22	1143941
51	महाराष्ट्र	डीडीआरसी परभानी	महात्मा गांधी सेवा संघ	पहली किस्त	2023-24	1147250
52	मनिपुर	डीडीआरसी बिशनुपुर	पायनियर डेवलपमेंट एसोसिएशन	पूर्ण एवं अंतिम किस्त	2022-23	3840600
53	मनिपुर	डीडीआरसी तेन्गनोपाल	ओरियन्टल रूरल डवैल्पमैन्ट आरगेनाईजेशन	पहली किस्त	2023-24	822000
54	मनिपुर	डीडीआरसी उखरूल	सोशल एंड हेल्थ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (एसएचईडीओ)	पूर्ण एवं अंतिम किस्त	2022-23	3631800
55	मनिपुर	डीडीआरसी उखरूल	सोशल एंड हेल्थ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (एसएचईडीओ)	पहली किस्त	2023-24	907900

क्र. सं.	राज्य का नाम	डीडीआरसी का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी	किस्त	साल के लिए	जीआईए जारी (रुपये में)
56	नागालैन्ड	डीडीआरसी तुनसंग	डिस्ट्रिक्टि मेनेजमेंट टीम	पहली किस्त	2023-24	922500
57	ओडिसा	डीडीआरसी भद्रक	सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन सर्विसेज एंड रिसर्च (सीआरएसआर)	दूसरी व अंतिम किस्त	2022-23	1956153
58	ओडिसा	डीडीआरसी देवगढ	श्री सोशल अवेयरनैस इन्सटीटयूट फार सरविस हैल्प रीसर्च एजूकेशन एम्पलायमैन्ट.	पहली किस्त साई	2023-24	1322000
59	ओडिसा	डीडीआरसी देंनकानाल	अरून इन्स्टीटयूट आफ रूरल अफेयरस	दूसरी व अंतिम किस्त	2022-23	683393
60	ओडिसा	डीडीआरसी जगतसिंहपुर	एसोसिएशन फॉर सोशल रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज	पहली किस्त	2023-24	1316000
61	ओडिसा	डीडीआरसी केंद्रपाड़ा	गांधीयन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल एडवांसमेंट (जीआईटीए)	दूसरी व अंतिम किस्त	2023-24	1322000
62	ओडिसा	डीडीआरसी नयागढ़	सोसायटी फॉर इंवायरमेंटल डेवलपमेंट एंड वोलंटरी एक्शन (सेवा)	पहली किस्त	2023-24	1322000
63	ओडिसा	डीडीआरसी पुरी	नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान	पहली किस्त	2023-24	1322000
64	ओडिसा	डीडीआरसी सुबारनापुर	नेशनल रूरल डेवलपमेंट कॉपेरेशन	पहली किस्त	2023-24	1322000
65	पंजाब	डीडीआरसी भंटिंडा	इन्डियन रैड क्रास सोसाईटी	पूर्ण एवं अंतिम किस्त	2021-22	1284047
66	पंजाब	डीडीआरसी सगरूर	इन्डियन रैड क्रास सोसाईटी	पूर्ण एवं अंतिम किस्त	2021-22	620480
67	पंजाब	डीडीआरसी सगरूर	इन्डियन रैड क्रास सोसाईटी	पूर्ण एवं अंतिम किस्त	2022-23	606877
68	राजस्थान	डीडीआरसी चित्तोरगढ	भगवती सेवा एवं शिक्षण संस्थान	पूर्ण एवं अंतिम किस्त	2022-23	2025000
69	राजस्थान	डीडीआरसी उदयपुर	नारायण सेवा संस्थान	पूर्ण एवं अंतिम किस्त	2022-23	1466557
70	तेलंगाना	डीडीआरसी रंगारेडी	किरानाम	पूर्ण एवं अंतिम किस्त	2022-23	2517000
71	तिरूपुरा	डीडीआरसी खोवई	डिस्ट्रिक्ट रिहैबिलिटेशन सोसायटी फॉर डिसेबल्ड	पहली किस्त	2023-24	1291850
72	तिरूपुरा	डीडीआरसी नार्थ त्रिपुरा	डिस्ट्रिक्ट रिहैबिलिटेशन सोसायटी फॉर डिसेबल्ड	पहली किस्त	2023-24	1291850

क्र. सं.	राज्य का नाम	डीडीआरसी का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी	किस्त	साल के लिए	जीआईए जारी (रुपये में)
73	तिरूपुरा	डीडीआरसी सेपाहीजाला	डिस्ट्रिक्ट रिहैबिलिटेशन सोसायटी फॉर डिसेबल्ड	पहली किस्त	2023-24	1291850
74	तिरूपुरा	डीडीआरसी साउथ त्रिपुरा	डिस्ट्रिक्ट रिहैबिलिटेशन सोसायटी फॉर डिसेबल्ड	पहली किस्त	2023-24	1291850
75	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी बंदायु	प्रभात ग्रामोद्योग सेवा संस्थान	पूर्ण एवं अंतिम किस्त	2022-23	1677000
76	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी बंदायु	प्रभात ग्रामोद्योग सेवा संस्थान	पहली किस्त	2023-24	375750
77	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी बंदायु	प्रभात ग्रामोद्योग सेवा संस्थान	दूसरी किस्त	2023-24	375750
78	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी बंदायु	प्रभात ग्रामोद्योग सेवा संस्थान	तीसरी किस्त	2023-24	375750
79	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी बरेली	महात्मा ज्योतिबा फुले युबा श्रीमाली कल्याण सेवा समिति	पूर्ण एवं अंतिम किस्त	2022-23	1986292
80	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी बस्ती	संचित विकास संस्थान	पूर्ण एवं अंतिम किस्त	2022-23	478680
81	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी कुशीनगर	इन्डियन रैड क्रास सोसाईटी	पूर्ण एवं अंतिम किस्त	2022-23	1442167
82	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी पिलीभीत	डिस्ट्रिक्टि रूरल डवैलप्मैन्ट एजेन्सी	पूर्ण एवं अंतिम किस्त	2022-23	1233222
83	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी रामपुर	उपासना जन कल्याण समिति	पूर्ण एवं अंतिम किस्त	2022-23	1819518
84	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी रामपुर	उपासना जन कल्याण समिति	पहली किस्त	2023-24	375750
85	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी रामपुर	उपासना जन कल्याण समिति	दूसरी किस्त	2023-24	375750
86	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी रामपुर	उपासना जन कल्याण समिति	तीसरी किस्त	2023-24	375750
87	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी श्रावस्ती	इन्डियन रैड क्रास सोसाईटी	पूर्ण एवं अंतिम किस्त	2022-23	834268
88	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी श्रावस्ती	इन्डियन रैड क्रास सोसाईटी	पहली किस्त	2023-24	477000
89	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी श्रावस्ती	इन्डियन रैड क्रास सोसाईटी	दूसरी किस्त	2023-24	477000
90	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी श्रावस्ती	इन्डियन रैड क्रास सोसाईटी	तीसरी किस्त	2023-24	477000
91	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी उन्नाव	जोंसन अकादमिक इंस्टिट्यूट	पूर्ण एवं अंतिम किस्त	2021-22	39513

क्र. सं.	राज्य का नाम	डीडीआरसी का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी	किस्त	साल के लिए	जीआईए जारी (रुपये में)
92	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी उन्नाव	जोंसन अकादमिक इंस्टिट्यूट	पूर्ण एवं अंतिम किस्त	2022-23	1159264
93	उतराखण्ड	डीडीआरसी टिहरी गढवाल	ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति	पूर्ण एवं अंतिम किस्त	2022-23	2834791
94	उतराखण्ड	डीडीआरसी टिहरी गढवाल	ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति	पहली किस्त	2023-24	952950
95	उतराखण्ड	डीडीआरसी टिहरी गढवाल	ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति	दूसरी किस्त	2023-24	952950
96	वैस्ट बैंगाल	डीडीआरसी मालदा	हैदरपुर शेल्टर ऑफ मालदा	दूसरी व अंतिम किस्त	2022-23	2686643
97	वैस्ट बैंगाल	डीडीआरसी मालदा	हैदरपुर शेल्टर ऑफ मालदा	पहली किस्त	2023-24	773850
					Total	**104339864**

अनुबंध–6क

एडिप योजना के तहत विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 2020-21 to 2023-24 के दौरान विभिन्न गतिविधियों के तहत आयोजित शिविरों, उपयोग की गई निधियां और कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या का राज्य–वार विवरण ।

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2020-21			2021-22			2022-23			2023-24		
		शिविरों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (रु. लाख में)	लाभार्थियों की संख्या	शिविरों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (रु. लाख में)	लाभार्थियों की संख्या	शिविरों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (रु. लाख में)	लाभार्थियों की संख्या	शिविरों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (रु. लाख में)	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	27	1490.75	12099	58	1757.62	10755	32	921.18	8368	35	2066.99	17569
2	बिहार	62	667.39	10054	28	675.77	6308	62	1424.03	13488	145	2425.74	23878
3	छत्तीसगढ	13	400.80	5040	4	18.86	468	4	166.13	1550	10	37.41	320
4	गोवा	3	173.03	2616	1	2.62	28	0	14.18	4	2	40.55	416
5	गुजरात	48	968.29	17975	86	890.45	13929	97	1363.56	22286	157	1288.52	18677
6	हरियाणा	10	306.79	2931	35	482.94	5743	38	810.97	6862	52	1000.20	6169
7	हिमाचल प्रदेश	15	108.76	2824	13	79.91	1586	17	142.97	2036	21	113.07	1808
8	जम्मू और कश्मीर	33	212.6	3690	65	321.97	5331	25	568.4	7181	46	377.65	6809
9	झारखंड	16	162.19	2066	204	294.32	4399	39	877.74	13191	51	460.06	7850
10	कर्नाटक	22	481.01	2566	22	502.34	2922	34	1554.16	13637	90	908.77	15741
11	केरल	68	300.27	3502	27	265.17	3126	41	327.93	3836	18	563.88	6766
12	मध्य प्रदेश	83	1696.51	29936	302	1723.27	24312	124	2375.07	26166	209	4088.5	33650
13	महाराष्ट्र	122	2482.85	28272	38	2665.92	25139	78	3059.88	23118	137	4182.25	54928
14	ओडिशा	136	981.72	16544	82	982.74	11529	97	999.97	12625	133	831.186	11095
15	पंजाब	43	449.65	5089	141	1210.94	19009	80	1162.45	12437	71	1523.98	11254
16	राजस्थान	49	607.96	11419	43	759.88	11273	82	1288.82	14465	88	1939.22	19632
17	तमिलनाडु	58	557.09	8982	83	885.37	26118	34	874.32	10913	86	1025.67	12629
18	उत्तर प्रदेश	236	3548.46	50015	211	3473.67	39396	157	6879.49	40111	288	6915.54	49854
19	उत्तराखंड	73	262.22	5775	34	161.27	4724	37	357.29	4646	51	258.70	2514

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2020-21			2021-22			2022-23			2023-24		
		शिविरों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (रु. लाख में)	लाभार्थियों की संख्या	शिविरों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (रु. लाख में)	लाभार्थियों की संख्या	शिविरों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (रु. लाख में)	लाभार्थियों की संख्या	शिविरों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (रु. लाख में)	लाभार्थियों की संख्या
20	पश्चिम बंगाल	46	713.05	14855	50	547.50	7507	88	2349.9	25174	102	901.34	10685
21	अंडमान और निकोबार	1	5.33	166	1	14.05	146	1	6.63	153	1	0.06	1
22	चंडीगढ	4	46.46	478	2	25.55	428	2	44.47	473	7	29.12	163
23	दादरा और नगर हवेली	1	2.49	93	0	0	0	4	14.23	264	2	2.80	48
24	दमन और दीव	1	7.31	147	1	1.99	38	1	0.85	13	0	0	0
25	दिल्ली	8	187.36	958	23	263.28	1922	24	505.10	4008	71	376.74	3325
26	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.37	15
27	पुदुचेरी	4	28.54	572	3	52.87	793	0	0	0	7	24.24	301
28	अरुणाचल प्रदेश	6	32.63	366	9	20.8	300	0	0	0	5	4.57	40
29	असम	59	303.53	13083	91	431.30	9180	55	914.51	12065	262	1162.95	17350
30	मणिपुर	45	71.64	1586	16	73.10	1694	13	127.36	1050	14	21.00	259
31	मेघालय	2	7.56	201	11	34.64	307	21	113.31	1511	2	3.87	42
32	मिजोरम	2	9.12	82	8	5.95	189	3	13.92	183	14	10.41	297
33	नागालैंड	2	17.8	412	2	45.33	487	4	22.03	318	5	3.16	48
34	सिक्किम	2	12.84	169	0	0	0	6	18.27	293	6	4.27	61
35	त्रिपुरा	35	80.41	2241	15	57.73	643	22	381.87	3416	18	88.90	1119
36	तेलंगाना	30	495.60	1945	53	802.66	3658	24	1465.49	4146	76	1174.36	11196
37	लद्दाख										2	28.79	355
कुल		**1365**	**17880.01**	**258749**	**1762**	**19531.78**	**243387**	**1346**	**31146.48**	**289987**	**2285**	**33885.87**	**346864**

अनुबंध–6ख

एडिप योजना के तहत वर्ष 2023–24 के दौरान एनआई/एलिम्को/सीआरसी और गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) को जारी किया गया सहायता अनुदान

क्र. सं.	कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	शिविर	मुख्यालय	सर्व शिक्षा अभियान	सीआई	कुल (लाख रूपये में)
1	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, एलिम्को, कानपुर	15330.85	2875.66	2894.37	4544.28	25645.16
2	राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद		125.00			125.00
3	अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई	170.39	162.02		958.18	1290.59
4	पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक विकलांग व्यक्ति संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी), दिल्ली	30.00	74.92			104.92
5	समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी), नागपुर		7.96			7.96
6	समेकित क्षेत्रीय केंद्र, अहमदाबाद		9.86			9.86
7	समेकित क्षेत्रीय केंद्र, छतरपुर		10.00			10.00
8	समेकित क्षेत्रीय केंद्र, राजनंदगांव		9.80			9.80
9	समेकित क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ		7.21			7.21
10	समेकित क्षेत्रीय केंद्र, श्रीनगर		10.00			10.00
11	समेकित क्षेत्रीय केंद्र, जम्मू		10.00			10.00
12	समग्र क्षेत्रीय केंद्र, पटना		9.55			9.55
13	समेकित क्षेत्रीय केंद्र, अगरतला		10.00			10.00
14	समेकित क्षेत्रीय केंद्र, नाहरलागून		10.00			10.00
15	समेकित क्षेत्रीय केंद्र, सुंदरनगर		10.00			10.00
16	समेकित क्षेत्रीय केंद्र, गोरखपुर		10.00			10.00
17	समेकित क्षेत्रीय केंद्र, गंगटोक		10.00			10.00
18	समेकित क्षेत्रीय केंद्र, जयपुर		10.00			10.00
19	समेकित क्षेत्रीय केंद्र, गुवाहाटी		10.00			10.00
20	समेकित क्षेत्रीय केंद्र, रांची		10.00			10.00
21	समेकित क्षेत्रीय केंद्र, बलांगीर		10.00			10.00
22	समेकित क्षेत्रीय केंद्र, इंफाल		10.00			10.00
23	समेकित क्षेत्रीय केंद्र, कोझिकोड		10.00			10.00
24	समेकित क्षेत्रीय केंद्र, पोर्ट ब्लेयर		10.00			10.00
25	समेकित क्षेत्रीय केंद्र, मदुरै		10.00			10.00
26	समेकित क्षेत्रीय केंद्र, शिलांग		10.00			10.00

क्र. सं.	कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	शिविर	मुख्यालय	सर्व शिक्षा अभियान	सीआई	कुल (लाख रूपये में)
27	नारायण सेवा संस्थान (एनएआरएसएस), उदयपुर, राजस्थान		900.00			900.00
28	श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर, राजस्थान		350.00			350.00
29	गुरु नानक चैरिटेबल ट्रस्ट, लुधियाना, पंजाब	7.50				7.50
30	अपंग जीवन विकास संस्था, अमरावती, महाराष्ट्र	7.50				7.50
31	जय श्री मारुति नंदन किसान विकास एजुकेशन ट्रस्ट, दाहोद, गुजरात	7.50				7.50
32	सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन सर्विस एंड रिसर्च (सीआरएसआर) ओडिशा	33.75	11.25			45.00
33	डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर (आईआरसीएस), नीमच, मध्य प्रदेश	14.50				14.50
34	डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर (डीडीआरसी), वडोदरा		11.25			11.25
35	ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति, टेहरी गढ़वाल, उत्तराखंड	15.00				15.00
36	होप डिसेबिलिटी सेंटर एंड शी होप सोसाइटी, जम्मू और कश्मीर का उपक्रम	11.25				11.25
37	शमा विकास समिति, नालन्दा, बिहार	11.25				11.25
38	पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल फाउंडेशन अहमदनगर, महाराष्ट्र	11.25				11.25
39	क्षेत्रीय पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र, आरआरआरसी, आर.जी.एच. के पास। पानपोश रोड, राउरकेला, ओडिशा	34.00	10.00			44.00
40	ओपन डोर्स (चाइल्डलाइन), लुंगलेई, मिजोरम	5.00				5.00
41	जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र (डीएमटी), झाबुआ, मध्य प्रदेश	10.00				10.00
42	दिनदयाल अंत्योदय मिशन समिति (डीडीआरसी), बालाघाट	7.50				7.50
43	बामोइर बिष्णुपुर विवेकानन्द स्मृति संघ, उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल		11.10			11.10
44	जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी), मंदसौर, मध्य प्रदेश		9.60			9.60
45	जिला (भारतीय) रेड क्रॉस सोसाइटी, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	7.30				7.30
	कुल	**15714.54**	**4755.18**	**2894.37**	**5502.46**	**28866.55**

अनुबंध–6ग

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में माननीय संसद सदस्यों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की मांग पर 01.01.2023 से 31.03.2024 आयोजित विशेष शिविरों का विवरण

क्र. सं.	जिला/राज्य	एनओबी	मूल्य (लगभग लाख रुपये में)	वितरण की तिथि
1	पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा	689	58.99	06.01.2023
2	चित्तूर, आंध्र प्रदेश	59	3.2	14.01.2023
3	कोकराझार, असम	35	3.43	14.01.2023
4	जमुई, बिहार	238	22.82	14.01.2023
5	शिवहर, बिहार	167	13.63	14.01.2023
6	पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली	780	78.79	14.01.2023
7	करनाल, हरियाणा	254	26.91	14.01.2023
8	कुरूक्षेत्र, हरियाणा	326	46.67	14.01.2023
9	हिसार, हरियाणा	305	46.19	14.01.2023
10	सरायकेला–खरसावा, झारखंड	453	33.66	14.01.2023
11	चतरा, झारखंड	62	4.86	14.01.2023
12	डोडा, जम्मू और कश्मीर	1436	69.39	14.01.2023
13	पुंछ, जम्मू और कश्मीर	1091	98.21	14.01.2023
14	बारामूला, जम्मू और कश्मीर	357	33.73	14.01.2023
15	बांदीपोरा, जम्मू और कश्मीर	505	43.04	14.01.2023
16	चामराजनगर, कर्नाटक	1693	120.31	14.01.2023
17	विजयनगर, कर्नाटक	767	49.82	14.01.2023
18	सोलापुर पंढरपुर, महाराष्ट्र	159	14.33	14.01.2023
19	झाबुआ, मध्य प्रदेश	2499	213.5	14.01.2023
20	धार, मध्य प्रदेश	210	32.31	14.01.2023
21	शिवपुरी, मध्य प्रदेश	249	21.75	14.01.2023
22	राजगढ़, मध्य प्रदेश	188	16.23	14.01.2023
23	सीधी, मध्य प्रदेश	798	73.87	14.01.2023
24	मुरैना, मध्य प्रदेश	81	8.35	14.01.2023
25	लॉन्गलेंग, नागालैंड	121	7.7	14.01.2023
26	अमृतसर – पंजाब	976	110.39	14.01.2023
27	पुदुचेरी	245	17.11	14.01.2023
28	राजसमंद, राजस्थान	282	35.93	14.01.2023
29	बीकानेर, राजस्थान	322	48.96	14.01.2023
30	बहराईच, उत्तर प्रदेश	410	48.15	14.01.2023
31	अयोध्या, उत्तर प्रदेश	122	12.26	14.01.2023

क्र. सं.	जिला/राज्य	एनओबी	मूल्य (लगभग लाख रुपये में)	वितरण की तिथि
32	मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश	890	88.4	14.01.2023
33	फ़िरोज़ाबाद, उत्तर प्रदेश	651	60.84	14.01.2023
34	इटावा, उत्तर प्रदेश	391	35.19	14.01.2023
35	जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल	519	43.25	14.01.2023
36	दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	179	12.83	14.01.2023
37	बांकुरा, पश्चिम बंगाल	1310	95.5	14.01.2023
38	पुरुलिया, पश्चिम बंगाल	412	29.98	14.01.2023
39	खंडवा, मध्य प्रदेश	344	33.97	14.01.2023
40	बरौनी, बिहार	442	62.16	14.01.2023
41	कानपुर, उत्तर प्रदेश	40	9.19	14.01.2023
42	औरैया, उत्तर प्रदेश	375	35.21	14.01.2023
43	पश्चिमी चंपारण (बेतिया), बिहार	425	54.3	14.01.2023
44	पटना (बिहटा), बिहार	82	7.31	14.01.2023
45	दिल्ली	81	8.01	14.01.2023
46	उदालगिरि, असम	369	38.01	14.01.2023
47	झारखंड, रांची	260	19.36	14.01.2023
48	कारवार, कर्नाटक	364	33.1	14.01.2023
49	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	382	30.1	14.01.2023
50	बलिया, उत्तर प्रदेश	359	23.19	14.01.2023
51	उदयपुर, राजस्थान	300	25	14.01.2023
52	जालौर, राजस्थान	300	17	14.01.2023
53	डूंगरपुर, राजस्थान	250	13	14.01.2023
54	कृष्णागिरी, तमिलनाडु	600	30	14.01.2023
55	विजयपुरा, कर्नाटक	500	40	14.01.2023
56	पार्वतीपुरम और बोब्बिली, आंध्र प्रदेश	300	28.5	14.01.2023
57	खुर्दा, ओडिशा	1295	52	14.01.2023
58	नई दिल्ली	53	22.26	05.02.2023
59	उडुपी, कर्नाटक	1390	106.86	11.02.2023
60	फ़रीदाबाद, हरियाणा	201	47.97	18.02.2023
61	कठुआ, जम्मू और कश्मीर	223	20.52	20.02.2023 से 26.02.2023
62	गुड़गांव (गुरुग्राम), हरियाणा	173	28.98	22.02.2023
63	फतेहाबाद, हरियाणा	219	58.33	24.02.2023 और 25.02.2023
64	नादिया, पश्चिम बंगाल	787	73.21	04.03.2023

क्र. सं.	जिला/राज्य	एनओबी	मूल्य (लगभग लाख रुपये में)	वितरण की तिथि
65	छोटा उदयपुर, गुजरात	627	77.47	25.03.2023
66	वडोदरा, गुजरात	1510	203.5	25.03.2023
67	सूरत (बारडोली), गुजरात	837	57.71	25.03.2023
68	कलबुर्गी, कर्नाटक	1252	111.25	25.03.2023
69	भंडारा, महाराष्ट्र	2853	213.35	25.03.2023
70	अलीराजपुर, मध्य प्रदेश	594	46.09	25.03.2023
71	दतिया, मध्य प्रदेश	815	128.96	25.03.2023
72	महोबा, उत्तर प्रदेश	700	60.42	25.03.2023
73	लालगंज (आजमगढ़), उत्तर प्रदेश	536	62.75	25.03.2023
74	संगरूर, पंजाब	228	60.31	28.03.2023
75	शामली, उत्तर प्रदेश	322	62.58	07.04.2023
76	कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश	1236	130.17	09.04.2023
77	फतेहगढ़ साहिब, पंजाब	295	62.51	21.04.2023
78	गोंदिया, महाराष्ट्र	1387	105.37	8.05.2023 से 20.05.2023 तक
79	बरनाला, पंजाब	262	47.84	15.05.2023 से 17.05.2023 तक
80	जयपुर, ग्रामीण, राजस्थान	340	44.72	16.05.2023 से 19.05.2023 तक
81	नैनीताल, उत्तराखंड	202	18.49	16.05.2023 और 18.05.2023
82	मदुरै, तमिलनाडु	2377	206.65	18.05.2023
83	छतरपुर, मध्य प्रदेश	1031	165.71	20.05.2023
84	वायनाड, केरल	406	28.91	25.05.2023 और 26.05.2023
85	पटियाला, पंजाब	290	52.55	29.05.2023 से 31.05.2023 तक
86	बांकुरा, पश्चिम बंगाल	1404	116.53	01.06.2023 और 02.06.2023
87	फ़िरोज़पुर, पंजाब	303	51.05	02.06.2023 और 03.06.2023
88	राणाघाट – नादिया, पश्चिम बंगाल	650	52.65	04.06.2023
89	शामली, उत्तर प्रदेश	341	143.22	07.04.2023 23.06.2023
90	रियासी, जम्मू और कश्मीर	379	32.95	08.06.2023
91	बड़वानी, मध्य प्रदेश	391	45.41	08.06.2023
92	दक्षिणी दिल्ली, दिल्ली	121	18.46	12.06.2023

क्र. सं.	जिला/राज्य	एनओबी	मूल्य (लगभग लाख रुपये में)	वितरण की तिथि
93	कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	257	19.92	12.06.2023 से 15.06.2023
94	मेरठ, उत्तर प्रदेश	701	161.75	13.06.2023
95	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	369	35	15.06.2023
96	सारण, बिहार	3594	329.97	16.06.2023
97	बक्सा और तामुलपुर, असम	663	46.29	19.06.2023
98	उज्जैन (नागदा), मध्य प्रदेश	229	22.27	20.06.2023
99	बुरहानपुर, मध्य प्रदेश	188	31.68	21.06.2023
100	गया, बिहार	271	35.85	22.06.2023 से 25.06.2023
101	पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली	869	193.05	23.06.2023
102	धार, मध्य प्रदेश	1171	109.56	23.06.2023
103	संगमनेर और कोपरगांव (अहमदनगर), राहुरी–नगर–पाथर्डी, महाराष्ट्र	7147	555.08	27.06.2023
104	सारण, बिहार	1644	150.57	03.07.2023
105	सीहोर, मध्य प्रदेश	1627	178.05	05.07.2023, 06.07.2023, 08.07.2023 और 12.07.2023
106	इडुक्की, केरल	818	65.31	14.07.2023 से 18.07.2023
107	देवरिया, सलेमपुर, उत्तर प्रदेश	1490	313.22	22.07.2023 से 24.07.2023
108	बांसवाड़ा, राजस्थान	542	62.22	29.07.2023
109	बिशुनपुर, मणिपुर	111	8.18	31.07.2022
110	रीवा, मध्य प्रदेश	613	71.03	31.07.2023
111	भटिंडा, पंजाब	304	48.71	01.08.2023 से 10.08.2023
112	किदवई नगर, उत्तर प्रदेश	152	14.88	03.08.2023
113	जम्मू, जम्मू और कश्मीर	151	12.94	3.08.2023 से 5.08.2023
114	कोझिकोड, केरल	821	64.55	06.08.2023
115	बालाघाट, मध्य प्रदेश	275	94.08	07.08.2023
116	अस्का (गंजम), ओडिशा	609	57.21	07.08.2023
117	डिंडौरी, मध्य प्रदेश	405	33.13	07.08.2023 से 11.08.2023
118	ललितपुर, उत्तर प्रदेश	776	75.18	14.08.2023

क्र. सं.	जिला/राज्य	एनओबी	मूल्य (लगभग लाख रुपये में)	वितरण की तिथि
119	झाँसी, उत्तर प्रदेश	362	51.51	16.08.2023
120	हरदा (टिमरनी एवं खिरकिया), मध्य प्रदेश	135	18.72	16.08.2023 से 18.08.2023
121	लुधियाना, पंजाब	673	79.2	17.08.2023 और 18.08.2023
122	मध्य दिल्ली, दिल्ली	340	64.28	18.08.2023
123	लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश	1546	260.27	19.08.2023 और 21.08.2023
124	पठानकोट, पंजाब	151	19.89	21.08.2023
125	दौसा, राजस्थान	579	66.84	21.08.2023 से 25.08.2023
126	शाजापुर, मध्य प्रदेश	460	98.00	24.08.2023
127	कार्बी–आंगलोंग	194	13.77	24.09.23
128	धलाई	166	15.53	24.09.23
129	वोखा	31	1.86	24.09.23
130	पलक्कड़	362	28.43	09.09.23
131	त्रिस्सूर	713	64.98	09.09.23
132	चित्रदुर्ग	1017	112.59	24.09.23
133	बेल्लारी	450	28.47	24.09.23
134	मन्दसौर	147	14.54	18.09.23
135	विदिशा	43	8.07	24.09.23
136	रायसेन	45	6.25	29.09.23
137	खंडवा	48	6.66	24.09.23
138	आलीराजपुर	285	48.71	24.09.23
139	अशोकनगर	193	29.12	24.09.23
140	निवाड़ी	320	4.65	24.09.23
141	टीकमगढ़	725	47.16	24.09.23
142	मंडला	500	53.85	24.09.23
143	डिंडोरी	75	9.42	24.09.23
144	श्योपुर	217	48.63	24.09.23
145	गुना	681	85.93	24.09.23
146	नर्मदापुरम	916	70	24.09.23
147	कटनी	508	36.3	24.09.23
148	सीधी	432	82.46	24.09.23
149	शिवपुरी	716	110.36	24.09.23
150	बलरामपुर	101	9.46	24.09.23

क्र. सं.	जिला/राज्य	एनओबी	मूल्य (लगभग लाख रुपये में)	वितरण की तिथि
151	हरदोई	589	74.08	24.09.23
152	सीतापुर	444	47.98	24.09.23
153	मथुरा	282	43.75	30.09.23
154	चमोली	50	3.56	24.09.23
155	हरिद्वार	304	85.95	27.09.23
156	फरीदाबाद	243	45.7	24.09.23
157	सिरोही	118	22.93	24.09.23
158	धौलपुर	239	37.82	24.09.23
159	झुंझुनू	348	62.95	24.09.23
160	राजसमंद	274	42.26	24.09.23
161	मध्य दिल्ली	38	7.29	24.09.23
162	बेगूसराय	1057	120.09	24.09.23
163	आरा	2554	307.12	24.09.23
164	सीतामढ़ी	651	58.83	24.09.23
165	पूर्वी चंपारण	697	86.27	24.09.23
166	पाटलिपुत्र	1473	151.74	24.09.23
167	उत्तर दिनाजपुर	640	52.72	24.09.23
168	बरहाम्पुर	214	14.94	24.09.23
169	रावेर	181	14.59	24.09.23
170	बीड	338	26.72	24.09.23
171	वर्धा	520	29.92	24.09.23
172	सोलापुर	127	10.02	24.09.23
173	नेल्लोर	225	25	24.09.23
174	हैदराबाद	173	72.66	24.09.23
175	रीवा, मध्य प्रदेश	613	71.03	03.10.2023 से 06.10.2023
176	खंडवा, मध्य प्रदेश	118	18.88	04.10.2023 से 06.10.2023 तक
177	शहडोल, मध्य प्रदेश	158	26.57	05.10.2023 से 06.10.2023
178	कपूरथला, पंजाब	51	14.41	06.10.2023
179	साँची, रायसेन, मध्य प्रदेश	6	2.52	06.10.2023
180	अलाप्पुझा, केरल	463	45.79	07.10.2023
181	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	116	22.1	07.10.2023
182	कोटा, राजस्थान	317	73.97	08.10.2023
183	बांदा, उत्तर प्रदेश	331	33.99	13.10.2023

क्र. सं.	जिला/राज्य	एनओबी	मूल्य (लगभग लाख रुपये में)	वितरण की तिथि
184	मछलीपट्टनम (कृष्णा), आंध्र प्रदेश	2890	261	13.10.2023
185	विजयनगरम, आंध्र प्रदेश	2338	325.05	14.10.2023
186	मुरादनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	22	9.24	20.10.2023
187	संगरूर, पंजाब	181	41.09	23.10.2023
188	बुलढाणा, महाराष्ट्र	855	63.79	25.10.2023 और 28.10.2023
189	मनसा, पंजाब	310	84.85	26.10.2023
190	अमरावती चिखलदरा, धरनी, महाराष्ट्र	1824	163.93	29.10.2023
191	यमुना नगर, हरियाणा	451	94.01	08.11.2023
192	बंगाण (नादिया), उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल	1006	116.59	16.11.2023
193	वाईएसआर कडपा (ब्लॉक– चिंताकोम्मा दीन्ने, जम्मलमडुगु), आंध्र प्रदेश	5800	539.81	25.11.2023
194	वाईएसआर कडप्पा, आंध्र प्रदेश	709	45.95	25.11.2023
195	बोंगाईगांव, असम	1586	112.11	25.11.2023
196	नागांव, असम	3499	260.3	25.11.2023
197	सीवान, बिहार	2268	165.21	25.11.2023
198	जहानाबाद, बिहार	1056	104.15	25.11.2023
199	नालन्दा, बिहार	1160	142	25.11.2023
200	भागलपुर (प्रखंड जगदीशपुर, पीर, पैंती, सबौर, सोनहौला, सुल्तानगंज), बिहार	2512	249.98	25.11.2023
201	वलसाड, गुजरात	1697	145.32	25.11.2023
202	साबरकांठा (हिम्मतनगर), गुजरात	3047	347.39	25.11.2023
203	मलप्पुरम, केरल	1273	85.37	25.11.2023
204	सतारा, महाराष्ट्र	8623	718.21	25.11.2023
205	सांगली, महाराष्ट्र	3488	274.35	25.11.2023
206	जलना ब्लॉक पारथुर, बदनापुर, महाराष्ट्र	2440	168.72	25.11.2023
207	यवतमाल में वानी (वाशिम) (उमरखेड़ एवं बासमत) ब्लॉक पुसाद, ज़री ज़मनी, महाराष्ट्र	2944	222.43	25.11.2023
208	औरंगाबाद गंगापुर–खुल्टाबाद, महाराष्ट्र	3658	332.04	25.11.2023
209	कुड्डालोर, तमिलनाडु	1669	173.8	25.11.2023
210	सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	1246	118.64	25.11.2023

क्र. सं.	जिला/राज्य	एनओबी	मूल्य (लगभग लाख रुपये में)	वितरण की तिथि
211	मलदह चंचल–1, हबीबपुर, हरिशचंद्रपुर–2, पश्चिम बंगाल	2733	197.93	25.11.2023
212	बेलूरघाट (दक्षिण दिनाजपुर) कुमारगंज, पश्चिम बंगाल	1008	79.39	25.11.2023
213	उस्मानाबाद परंदा, महाराष्ट्र	3568	232.2	03.12.2023
214	मैनपुरी, उत्तर प्रदेश	684	127.65	03.12.2023, 8.12.2023, 10.12.2023
215	दिल्ली	83	25.55	06.12.2023
216	कन्नौज/औरैया/कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश	1004	235.17	09.12.2023
217	हुगली, पश्चिम बंगाल	247	24.81	10.12.2023
218	अनकापल्ली, आंध्र प्रदेश	1343	162.84	16.12.2023
219	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	172	32.19	17.12.2023
220	अकबरपुर–रनिया, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश	132	17.34	21.12.2023
221	वाईएसआर कडप्पा, आंध्र प्रदेश	5800	539.81	21.12.2023
222	वाईएसआर कडप्पा, आंध्र प्रदेश	709	45.95	21.12.2023
223	करीमनगर, तेलंगाना	733	88.35	27.12.2023
224	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	194	40.36	27.12.2023
225	राजौरी ख्वास, जम्मू और कश्मीर	645	43.42	28.12.2023 से 29.12.2023
226	सांबा, जम्मू और कश्मीर	23	3.1	28.12.2023 से 29.12.2023
227	डोडा, जम्मू और कश्मीर	133	8.93	28.12.2023 से 29.12.2023
228	रियासी ब्लॉक ठाकराकोट, जम्मू और कश्मीर	77	5.32	28.12.2023 से 29.12.2023
229	कठुआ, जम्मू और कश्मीर	35	4.42	28.12.2023 से 29.12.2023
230	अस्का (गंजम), ओडिशा	609	57.21	29.12.2023
231	रामबन ब्लॉक खीरी, जम्मू और कश्मीर	98	9.96	29.12.2023
232	रामपुर	579	108.21	03.01.2024
233	कोल्लम, केरल	518	46.44	10.01.2024
234	गोलाघाट, असम	1348	119.29	11.01.2024
235	पुंडरी, कैथल, हरियाणा	567	137.88	11.01.2024
236	आगर मालवा, मध्य प्रदेश	179	34.54	19.01.2024

क्र. सं.	जिला/राज्य	एनओबी	मूल्य (लगभग लाख रुपये में)	वितरण की तिथि
237	अमृतसर – पंजाब	551	116.86	24.01.2024
238	पथानामथिट्टा, केरल	413	33.31	27.01.2024
239	नासिक, महाराष्ट्र	386	34.45	28.01.2024
240	हुगली, पश्चिम बंगाल			
241	नसिक महाराष्ट्र	2293	219.53	15.02.2024
242	निर्वारी मध्य प्रदेश	165	67	15.02.2024
243	टीकमगढ़ मध्य प्रदेश	192	67.77	15.02.2024
244	श्रांची झारखंड	507	81.23	15.02.2024
245	कोझिकोड केरल	200	20.00	26.02.2024
246	बैंगलोर (शहरी)	732	110.58	26.02.2024
247	कटक ओडिशा	200	25.00	26.02.2024
248	पलवल हरयाणा	711	146.31	26.02.2024
249	सोनीपत हरयाणा	179	18.28	26.02.2024
250	दौसा राजस्थान त्रेंजींद	250	67.00	26.02.2024
251	बालाघाट मध्य प्रदेश	1148	126.13	26.02.2024
252	दमोह मध्य प्रदेश	327	67.00	26.02.2024
253	वडोदरा गुजरात	363	64.00	26.02.2024
254	अहमदाबाद गुजरात	200	20.00	26.02.2024
255	हरदोई उतर प्रदेश।	703	135.32	26.02.2024
256	कन्नौज उतार प्रदेश।	230	80.81	26.02.2024
257	चित्रकूट उतर प्रदेश।	693	122.39	26.02.2024
258	सोनभद्र उतर प्रदेश।	167	25.48	26.02.2024
259	बस्ती उतर प्रदेश।	487	67.00	26.02.2024
260	सहारनपुर उतर प्रदेश।	306	92.41	26.02.2024
261	लखनऊ उतर प्रदेश।	200	45.00	26.02.2024
262	प्रयागराज उतर प्रदेश।	243	76.30	26.02.2024
263	महाराजगंज उतर प्रदेश।	1892	267.36	26.02.2024
264	आगरा उतर प्रदेश।	255	67.00	26.02.2024
265	अयोध्या उतर प्रदेश।	240	41.61	26.02.2024
266	गोमती त्रिपुरा	704	57.43	26.02.2024
267	बारपेटा असम	537	50.00	26.02.2024
268	सहरसा बिहार	554	67.00	26.02.2024
269	भागलपुर बिहार	476	67.00	26.02.2024
270	लेहरदगा (प्रखंड किस्को)	37.95	454	01.03.2024

क्र. सं.	जिला/राज्य	एनओबी	मूल्य (लगभग लाख रुपये में)	वितरण की तिथि
271	गुमला झारखंड	83.71	918	03.03.2024
272	धर्मपुरी तमिलनाडु	28.13	345	04.03.2024
273	महाराजपुर विधानसभा (कानपुर नगर) उतर प्रदेश।	13.38	49	08.03.2024
274	सीतापुर (बिसवां) उतर प्रदेश।	191.5	1125	10.03.2024
275	कानपुर नगर उतर प्रदेश।	56.37	345	03.03.2024
276	कानपुर देहात उतर प्रदेश।	51.51	314	03.03.2024
277	उन्नाव उतर प्रदेश।	64.28	460	03.03.2024
278	पुरवा, उन्नाव उतर प्रदेश।	1.3	16	03.03.2024
279	मिर्जापुर हलिया, पटेहरा उतर प्रदेश।	280.81	2060	04.03.2024
280	रामनाथपुरम (थिरुवदनई) तमिलनाडु	29.64	241	06.03.2024
281	बक्सर बिहार	25.17	199	07.03.2024
282	कैमूर (लोकसभा बक्सर) बिहार	7.93	55	07.03.2024
283	नैनीताल उत्तराखंड	20.87	144	08.03.2024
284	भोगनीपुर (कानपुर देहात) उतर प्रदेश।	24.86	136	10.03.2024

अनुबंध–6घ

एडिप योजना के तहत पिछले चार वर्षों के दौरान एनजीओ/वीओ/राज्य निगम/डीडीआरसी इत्यादि को जारी सहायता अनुदान।

क्र. सं.	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसियों का नाम	जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)			
			2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) (उमा एजुकेशन एंड टेक्निकल सोसाइटी काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी जिला), डीडीआरसी0 काकीनाडा0 533001	11.00	0	0	0
		गुरुदेव चैरिटेबल ट्रस्ट, मंगलपलेम, कोथावलसा मंडल, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश	10.00	0	0	0
		गुड वॉक ऑर्थोटिक्स एसोसिएशन, 74–74–6ए हेमलता नगर कल्लूर (एम) कुरनूल (जिला) पिन कोड 518003 आंध्र प्रदेश	4.00	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	रामकृष्ण मिशन अस्पताल, पी.ओ. आर. के. मिशन, ईटानगर–791113, अरुणाचल प्रदेश	27.95	0	0	0
3	बिहार	एम्स, पटना, बिहार	0	0	60.00	0
		शमा विकास समिति, नालन्दा, बिहार	0	0	0	11.25
4	दिल्ली	अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, अमर ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी, विकास मार्ग, रोड नंबर 72, कड़कड़डूमा, आनंद विहार, दिल्ली, 110092	20.0	0	21.675	0
5	दादरा और नगर हवेली	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस हाउस, सिलवासा 0396230, सिलवासा, दादरा और नगर हवेली	0	12.62	0	0
6	गुजरात	ब्लाइंड पीपुल्स एसोसिएशन, डॉ. विक्रम साराभाई रोड, वस्त्रपुर, अहमदाबाद	32.25	0	0	0
		जयश्री मारुति नंदन किसान विकास एजुकेशन ट्रस्ट, सुखसार, स्वामी विवेकानन्द सोसायटी, आश्रम के पास, यूनाइटेड मोटर्स के सामने, गरबाडा रोड, दाहोद	25.00	11.25	0	7.5
		श्री ब्रहम समाज सेवा ट्रस्ट, 402, सपना अपार्टमेंट, आदर्श हाई स्कूल रोड, नियर, एसटी, स्टैंड, पाटन	45.00	0	33.75	0
		आशीर्वाद ट्रस्ट फॉर डिसेबल्ड, सायला, पलिस स्टेटिन, राष्ट्रीय राजमार्ग, सायला, जिला– सुरेंद्रनगर, गुजरात	7.50	0	0	0
		डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया, श्री साई समर्थ रेजीडेंसी के पास, लेकव्यू गार्डन के सामने, उमरा, सूरत	7.50	0	0	0

क्र. सं.	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसियों का नाम	जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)			
			2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
		श्री खोडियार एजुकेशन सेवा ट्रस्ट, पो पल्ला कोथंबाटा लूनावाडा डिस्ट्रिक्ट महीसागर, पिन–389220	5.00	0	0	0
		जीवनदीप हेल्थ एजुकेशन एंड चौरिटेबल ट्रस्ट, कोडिनार, 2/12, राजनगर सोसाइटी बाईपास ताल के पास, कोडीनार, गिर सोमनाथ	10.00	0	0	0
		एडुफन फाउंडेशन ट्रस्ट, 38, नवग्रह सोसायटी, मधुसूदन प्लाजा के पीछे, बनासकांठा, गुजरात	0	0	8.82	0
		डीडीआरसी, वडोदरा	0	0	0	11.25
7	हरियाणा	आरोहण वेलफेयर सोसायटी, 132, प्रोफेसर कॉलोनी, यमुनानगर, पिन कोड 135001 हरियाणा	8.99	0	0	0
8	हिमाचल प्रदेश	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, कुल्लू	0	6.04	0	0
9	कर्नाटक	ऑल इंडिया जैन यूथ फेडरेशन (आर), महावीर लिम्ब सेंटर, किम्स प्रिमाइसिस विद्यानगर धारवाड़ हुबली कर्नाटक	11.00	0	0	0
10	केरल	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग, (एनआईएसएच), करीमनाल, तिरुवनंतपुरम	15.00	0	0	0
11	मध्य प्रदेश	दीन दयाल अंत्योदय मिशन फॉर डीडीआरसी बालाघाट, बालाघाट, जिला निशक्त पुनर्वास केंद्र, जिला पंचायत परिसर, बालाघाट	0	7.50	0	0
		जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र (आईआरसीएस) दमोह, ओल्ड, कलेक्टोरेट केंपस (सीएमओ कार्यालय के पीछे) दमोह	0	7.50	0	0
		इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (डीडीआरसी), देवास, एमजीएच प्रथम तल, देवास	0	0	7.50	0
		जिला निशक्त कल्याण एवं विकास समिति, मुरैना	0	0	7.5	0
		डीडीआरसी रन बाई इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, रीवा, मध्य प्रदेश	0	7.50	0	0
		जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र, नीमच, मध्य प्रदेश	0	0.00	0	14.5
		जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्रए झाबुआ				10.00
		जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्रए मन्दसोर				9.60
12	महाराष्ट्र	अपंग जीवन विकास संस्था, भूमिपुत्र कोनी, कांग्रेस नगर, अमराव	0	7.50	0	7.5

क्र. सं.	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसियों का नाम	जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)			
			2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
		अयोध्या चैरिटेबल ट्रस्ट, क्र.सं. 51/2, एसआरपी गेट नंबर 2 के पास, विकास नगर, वानावाड़ी गांव, पुणे	11.25	0	0	0
		महात्मा गांधी सेवा संघ, सरकारी लाईब्रेरी समर्थ नगर के पास औरंगाबाद	67.50	0	71.25	0
		पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखेपाटिल फाउंडेशन कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, सरकारी मिल्क डेयरी एमआईडीसी के सामने, वडगांव गुप्ता रोड, विलाद घाट, अहमदनगर–414111	10.00	0	0	11.25
13	ओडिशा	सीआरएसआर. भद्रक (सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन सर्विस एंड रिसर्च, पथराडी पीओ चरम्पा जिला भद्रक	0	34.50	0	45.00
		रिजनल रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर, आरआरआरसी, आरजीएच पानपोश रोड के पास, राउरकेला, ओडिशा	40.00	0	0	0
14	पंजाब	भारत विकास परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट, पीओ – विकलांग सहायता केंद्र, सी. ब्लॉक, ऋषि नगर, लुधियाना	50.00	0	45.00	0
		गुरु नानक चैरिटेबल ट्रस्ट, लुधियाना	7.50	0	0	7.5
		डीडीआरसी बठिंडा, 100 फीट मेन रोड, गुरु नानक स्कूल के पास, शांत नगर, बठिंडा	0	11.25	0	0
		इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, फरीदकोट, शाखा रेड क्रॉस भवन सादिक चौक फरीदकोट 151203 पंजाब	15.00	0	0	0
15	राजस्थान	भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर	0	0	150.00	350
		नारायण सेवा संस्थान, सेवाधाम, 483, हिरण मगरी, सेक्टर–4, उदयपुर	495.00	495.00	760.00	900
		ज्ञानाराम झम्मनलाल, जयपुर, 67/56ए मंदरा बस स्टैंड के पास, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर, राजस्थान	7.5	0	0	0
		माँ गीता देवी सेवा संस्थान खेरली, पावर हाउस के पीछे, बाय पास रोड, वार्ड नंबर 18, खेरली – 321606	3.66	0	0	0
		आम्रपाली प्रशिक्षण संस्थान, कारिगल मोहल्ला, वार्ड नंबर 4, टोंक, राजस्थान	10.00	0	0	0
		तंवर शिक्षण संस्थान, प्लॉट नंबर 11खसरा नंबर 18 रमजान जी का हट्टा बनार रोड जोधपुर, पिन कोड:– 342015	5.00	0	0	0

क्र. सं.	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसियों का नाम	जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)			
			2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
		जैमिनी शिक्षण एवं ग्रामीण विकास संस्थान, सी–234, दयानंद मार्ग, तिलक नगर, जयपुर, 302004	0.00	0	10.00	0
		संबल समिति जयपुर, सी–96, आनंद विहार, जगतपुरा, राजस्थान	0.00	0	9.73	0
		काव्य शिक्षा एवं विकास सेवा संस्थान, करौली, राजस्थान, 132, केवीजीएसएस कॉलोनी के पास, करौली, राजस्थान	0.00	0	9.56	0
		हेल्थ वेलफेयर संस्थान, जेपी स्कूल खेमे का कुहा पाल रोड के पीछे, जोधपुर–342005, राजस्थान	0.00	0	10.50	0
16	त्रिपुरा	जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी), उत्तरी त्रिपुरा	0	48.08	0	0
17	उत्तराखंड	ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति, टेहरी गढ़वाल, ग्राम एवं पोस्ट रानीचौरी टेहरी गढ़वाल, उत्तराखंड	10.00	0	0	15.00
18	पश्चिम बंगाल	विकास भारती वेलफेयर सोसायटी, 20/1बी, लाल बाजार स्ट्रीट, कोलकाता	9.73	0	0	0
		बैमोर बिशनुपुर विवेकानंद समृति संघ, उतर दिनाजपुर	0	0	0	11.10
19	जम्मू और कश्मीर	होप डिसेबिलिटी सेंटर और शी होप सोसाइटी, जम्मू और कश्मीर का उपक्रम कुल	0	0	0	11.25
20	मिजोरम	ओपन डोरस (चाइल्डलाईन) लुन्गले, मिजोरम				5.00
		कुल	**982.33**	**648.74**	**1205.28**	**1479.20**

अनुबंध–6ङ

वर्ष 2023–24 के दौरान दस लाख रुपये से पचास लाख रुपये से कम तक की आवर्ती/गैर–आवर्ती एकमुश्त सहायता अनुदान प्राप्त निजी और स्वैच्छिक संगठनों का विवरण।

क्र.सं.	कार्यान्वयन एजेंसियों का नाम	जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)
1	जिला दिव्यंगता पुनर्वास केंद्र (आईआरसीएस), नीमच, मध्य प्रदेश	14.50
2	सीआरएसआर भद्रक (सेंटर रिहैबिलिटेशन सर्विस एंड रिसर्च, पथराडी पीओ चरम्पा जिला भद्रक, ओडिशा	45.00
3	ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति, टिहरी गढ़वाल, ग्राम एवं पोस्ट रानीचौरी टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड	15.00
4	होप डिसेबिलिटी सेंटर और शी होप सोसाइटी, जम्मू और कश्मीर का उपक्रम	11.25
5	शमा विकास समिति नालन्दा बिहार	11.25
6	पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखेपाटिल फाउंडेशन, अहमदनगर, महाराष्ट	11.25
7	बैमोर बिशनुपुर विवेकानंद समृति संघ, उतर दिनाजपुरए पश्चिम बंगाल	11.10
8	रीजनल रीहैबलीटेशन रिसर्च सैन्टर आरआरआरसी नियर आरजीएच पनपोश रोड रूरकेला ओडिशा	44.00
	कुल	**163.35**

अनुबंध–7

क) वर्ष 2023–24 के दौरान सिपडा योजना के तहत बाधामुक्त वातावरण के निर्माण के लिए जारी की गई सहायता अनुदान

क्र. सं.	राज्य सरकारों / संघ राज्यी क्षेत्र / विश्वविद्यालयों / संस्थानों / कॉलेजों / एनजीओ का नाम	उद्देश्य	जारी की गई कुल (₹लाख में)
1	मध्य प्रदेश सरकार	छतरपुर में दिव्यांगजनों के लिए सेंसरी पार्क के विकास के लिए पहली किस्त	225.00
2	राजस्थान सरकार सिक्किम	जयपुर में राज्य सरकार के 09 भवनों को बाधामुक्त वातावरण के निर्माण के लिए पहली किस्त	339.50
3	सिक्किम सरकार	नामची में सोलोफेक चारधाम में बेहतर वातावरण के निर्माण के लिए पहली किस्त	416.50
4	मेघालय सरकार	शिलोंग में 17 राज्य सरकार बिल्डिंग के लिए दूसरी व अन्तिम किश्त	847.12
5	मैसर्स विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, नई दिल्ली	सर्वोच्च न्यायालय, सभी उच्च न्यायालयों और सीसीपीडी और एससीपीडी द्वारा दिए गए निर्णयों/आदेशों का एक सुगम्य डेटाबेस का संकलन और तैयार करना	0.83
6	मैसर्स विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, नई दिल्ली	सर्वोच्च न्यायालय, सभी उच्च न्यायालयों और सीसीपीडी और एससीपीडी द्वारा दिए गए निर्णयों/आदेशों का एक सुगम्य डेटाबेस का संकलन और तैयार करना	8.26
7	विविध	प्रिंट विज्ञापन जारी करने के लिए एलओए	65.00
		राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह के लिए विज्ञान भवन की बुकिंग हेतु	2.06
		राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के पुरस्कार विजेताओं के लिए 35 कमरों की बुकिंग के लिए पहली किस्त	7.29
		राष्ट्रीय पुरस्कार, 2023 हेतु राष्ट्रीय चयन समिति की बैठक हेतु कॉन्फ्रेंस हॉल की बुकिंग	0.45
		विभाग की सिपडा योजना के तहत 09 वर्ष की उपलब्धियों पर फिल्म का निर्माण	11.51
		दिनांक 2 और 3 दिसंबर, 2023 को ईपीडब्ल्यूडी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 2023 के लिए खानपान की व्यवस्था (90:)	9.28
		दिनांक 2 और 3 दिसंबर, 2023 को इवेंट मैनेजमेंट, ईपीडब्ल्यूडी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 2023	11.27
		दिनांक 03.12.2023 को विज्ञान भवन में ईपीडब्ल्यूडी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 2023 के लिए पुष्प सजावट की व्यवस्था	1.00
		रैंप के निर्माण के लिए दिनांक 01.12.2023 को प्लेनरी हॉल, विज्ञान भवन की बुकिंग	0.62

		राष्ट्रीय पुरस्कार, 2023 के लिए आवेदकों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी में भाग लेने वाले बाहरी विशेषज्ञ	0.33
		राष्ट्रीय पुरस्कार, 2023 के लिए आवेदकों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी में भाग लेने वाले बाहरी विशेषज्ञ	0.08
		राष्ट्रीय पुरस्कार, 2023 के लिए आवेदकों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी में भाग लेने वाले बाहरी विशेषज्ञ	0.08
		राष्ट्रीय पुरस्कार, 2023 के लिए मिलिट्री बैंड की बुकिंग	0.30
		21 प्राप्तकर्ताओं को पुरस्कार के नकद घटक का वितरण	26.00
		ईपीडब्ल्यूडी 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए प्रमाणपत्रों में सुलेख	0.06
		स्थानीय आवागमन के लिए रैंप के साथ वेंट पर एक सुगम्य इको वैन की बुकिंग	0.04
		दिनांक 16.11.2023 को राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय चयन समिति में खानपान सेवाएं	0.72
		सुश्री अनुपमा खन्ना, सीनियर ऑक्यूपेशनल ट्रांसप्लांट, एनआईईपीआईडी नोएडा को मानदेय और टीए भुगतान	0.06
		राष्ट्रीय पुरस्कार, 2023 के लिए कमरों की बुकिंग के लिए वाईएमसीए हॉस्टल सर्विसेज, नई दिल्ली	0.88
		वर्ष 2023 के लिए 23 पदकों की आपूर्ति के लिए मेसर्स शिव अवार्ड्स को भुगतान	1.24
		2 और 3 दिसंबर, 2023 को ईपीडब्ल्यूडी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 2023 के लिए आईटीडीसी, विज्ञान भवन में खानपान व्यवस्था	6.21
		आईटीडीसी, अशोक एरेंट को राष्ट्रीय पुरस्कार, 2023 के समारोह के लिए इवैन्ट मैनेजरमेंट सेवा	0.90
		23 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं के टीए दावे, 2023	4.42
		सुश्री जियाराय, राष्ट्रीय अवादी का टीए दावा	0.09
		मेसर्स अन्ज क्रिएशन नई दिल्ली	138.06
		पीडीयूएनआईपीपीडी नई दिल्ली	5.37
		नैशनल अवार्डी तहा अदरीस हाजिद एसकोर्ट बिल	0.20
		कुल	**2486.42**

ख) वर्ष 2023–24 के दौरान सिपडा योजना के तहत सुगम्य भारत अभियान के लिए जारी की गई सहायता अनुदान

क्र. सं.	राज्य सरकारों / संघ राज्यी क्षेत्र / विश्वविद्यालयों / संस्थानों / कॉलेजों / एनजीओ का नाम	उद्देश्य	जारी की गई कुल (₹लाख में)
1	असम सरकार	गुवाहाटी में 02 राज्य सरकार भवनों के बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण के लिए दूसरी किस्त का शेष भाग	80.16
2	नागालैंड सरकार	कोहिमा में 08 राज्य सरकार भवनों के बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण के लिए दूसरी किस्त का भाग	95.65
3	एसोसिएशन फॉर डिसेबल्ड पीपल, दिल्ली	जन्मभूमि, मथुरा और बांके बिहारी मंदिर वृन्दावन, उत्तर प्रदेश के लिए सुगम्यता संबंधी लेखा परीक्षा	1.40
4	डॉ. कविता मुरुगकर, पुणे, महाराष्ट्र	द्वारकाधीश मंदिर परिसर, गुजरात के लिए पहुंच संबंधी लेखा परीक्षा	0.70
5	एकांश ट्रस्ट, पुणे, महाराष्ट्र	ओंकारेश्वर मंदिर, मध्य प्रदेश के लिए सुगम्यता संबंधी लेखा परीक्षा	0.70
6	समर्थ्यम, नई दिल्ली	मल्लिकार्जुन मंदिर और श्री भ्रमरम्बा अम्मावरी शक्ति पीठम, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश के लिए सुगम्यता संबंधी लेखा परीक्षा	1.40
7	स्वयं, नई दिल्ली	पटना साहिब, पटना, विष्णुपद मंदिर, गया और सारनाथ, बिहार सुगम्यता संबंधी लेखा परीक्षा	2.10
8	शिशुसारोथी, असम	कामाख्या मंदिर, असम सुगम्यता संबंधी लेखा परीक्षा	0.70
9	स्वाभिमान, भुवनेश्वर, ओडिशा	श्री जगन्नाथ, मंदिर, भुवनेश्वर, ओडिशा के लिए एक्सेस ऑडिट शुल्क	0.70
10	विषय लर्निंग सर्विसस प्राईवेट लि. चेन्नई तमिलनाडू	केलाशनाथन कांचीपुरम कामाकक्षी अम्मा टैम्पल कांचीवुरम तमिलनाडू विद्यानाथ ज्योतिलिंग टैम्पल झारखंड का सुगम्यता संबंधी लेखा परीक्षा	2.10
11	एनआईपीआईडी सीएनए सिकन्दराबाद तेलंगाना	परामर्शदात्री शुल्क का भुगतान	54.00
		कुल	**239.61**

ग. वर्ष 2023–24 के दौरान सिपडा योजना के तहत दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के लिए जारी की गई सहायता अनुदान

क्र. सं.	राज्य सरकारों / संघ राज्यी क्षेत्र / विश्वविद्यालयों / संस्थानों / कॉलेजों / एनजीओ का नाम	उद्देश्य	कुल मात्रा जारी किया (₹ लाख में)
1	उदारह स्किल टेक्नोलॉजी प्रा. लिमिटेड, इंदौर, मध्य प्रदेश	डीबीटी मोड के माध्यम से 144 दिव्यांगजनों के लिए व्यक्तिगत सहायक यंत्र सहायता	5.76
		डीबीटी मोड के माध्यम से 58 दिव्यांगजनों के लिए व्यक्तिगत सहायक यंत्र सहायता	2.32
		38 दिव्यांगजनों के लिए व्यक्तिगत सहायक यंत्र सहायता	1.52

2	सत्यम शिवम बिल्डविज़न प्राइवेट लिमिटेड, राजस्थान	डीबीटी मोड के माध्यम से 317 दिव्यांगजनों के लिए व्यक्तिगत सहायक यंत्र सहायता	12.68
		डीबीटी मोड के माध्यम से 201 दिव्यांगजनों के लिए व्यक्तिगत सहायक यंत्र सहायता	8.04
		847 दिव्यांगजनों के लिए व्यक्तिगत सहायक यंत्र सहायता एवं 300 दिव्यांगजनों के लिए परिवहन खर्च सहायता	14.14
		232 दिव्यांगजनों के लिए व्यक्तिगत सहायक यंत्र सहायता एवं 55 दिव्यांगजनों के लिए परिवहन खर्च सहायता	3.28
3	नवज्योति ग्लोबल सॉल्यूशन प्रा. लिमिटेड, गुरूग्राम, हरियाणा	डीबीटी मोड के माध्यम से 97 दिव्यांगजनों के लिए व्यक्तिगत सहायक यंत्र सहायता	3.88
		डीबीटी मोड के माध्यम से 09 दिव्यांगजनों के लिए व्यक्तिगत सहायक यंत्र सहायता	0.36
		डीबीटी मोड के माध्यम से 04 दिव्यांगजनों के लिए व्यक्तिगत सहायक यंत्र सहायता	0.16
		डीबीटी मोड के माध्यम से 147 दिव्यांगजनों के लिए व्यक्तिगत सहायक यंत्र सहायता	1.47
4	केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपी	डीबीटी मोड के माध्यम से 19 दिव्यांगजनों के लिए व्यक्तिगत सहायक यंत्र सहायता	0.76
5	दिव्यांगजनों के लिए कौशल परिषद (एससीपीडब्ल्यूडी), नई दिल्ली	5140 दिव्यांगजनों के मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण हेतु शुल्क	51.40
		4884 प्रशिक्षुओं के संबंध में मूल्यांकन और प्रमाणन शुल्क का भुगतान	4.88
6	पश्चिम बंगाल इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग विकास निगम लिमिटेड, पश्चिम बंगाल	डीबीटी मोड के माध्यम से 97 दिव्यांगजनों के लिए परिवहन लागत	3.23
7	एनआईएसीई फाउंडेशन, उत्तराखंड	डीबीटी मोड के माध्यम से 13 दिव्यांगजनों को लाने–ले जाने की लागत	0.22
		डीबीटी मोड के माध्यम से 194 दिव्यांगजनों के लिए व्यक्तिगत सहायक यंत्र सहायता	9.70
8	नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली।	नियोजित प्रशिक्षण साझेदारों (ईटीपी) के लिए भुगतान	182.43
		एनएचएफडीसी को जारी	60.58
		दूसरी किस्त	5.75
		कौशल प्रशिक्षण के लिए पहली किस्त	300.00
		1047 दिव्यांगों के लिए प्रशिक्षण लागत और नौकरी आउटरीच लागत और 720 दिव्यांगों के लिए भोजन और आवास की लागत	157.45
		2269 दिव्यांगजनों को व्यक्तिगत सहायक सहायता के हस्तांतरण की नोडल एजेंसी	113.45
9	दिव्यांग कौशल विकास केंद्र (डीएसडीसी), नई दिल्ली	डीबीटी मोड के माध्यम से 132 दिव्यांगजनों के लिए व्यक्तिगत सहायक सहायता	1.32

10	प्रोवाइडर्स स्किल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, तमिलनाडु	डीबीटी मोड के माध्यम से 137 दिव्यांगजनों को परिवहन लागत	4.11
		डीबीटी मोड के माध्यम से 269 दिव्यांगजनों के लिए व्यक्तिगत सहायक सहायता	2.69
11	रवि शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, सीहोर, मध्य प्रदेश	27 दिव्यांगजनों के संबंध में व्यक्तिगत सहायक सहायता के लिए 27 दिव्यांगजनों के परिवहन के लिए डीबीटी भुगतान	2.05
12	पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांग्जन संस्थान	डीबीटी मोड के माध्यम से 923 दिव्यांगजनों को परिवहन लागत	20.60
		डीबीटी मोड के माध्यम से 98 दिव्यांगजनों के लिए व्यक्तिगत सहायक सहायता	4.90
		10 दिव्यांगजनों को व्यक्तिगत सहायक सहायता और 265 दिव्यांगजनों के लिए डीबीटी मोड के माध्यम से वाहन लागत	6.91
13	एनआईसीएआइ नई दिल्ली	100 प्रतिशत भुगतान 1 करोड एसएमएस नैशनल एक्शन प्लान के तहत	2.90
14	सनसाइड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, उत्तर प्रदेश	121 दिव्यांगजनों के लिए वाहन लागत और 190 दिव्यांगजनों के लिए डीबीटी मोड के माध्यम से व्यक्तिगत सहायक सहायता	4.79
15	कन्नियप्पा मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट, चिन्नई, तमिलनाडु	300 दिव्यांगजनों को व्यक्तिगत सहायक सहायता	15.00
16	नैशलन बन्जार एजूकेशन सोसाईटी कर्नाटका	77 दिव्यांगजनों के लिए दूसरी किशत	12.78
		63 दिव्यांगजनों के लिए व्यक्तिगत सहायक सहायता	0.75
		कुल	**1022.26**

घ) वर्ष 2023–24 के दौरान सिपडा योजना के तहत विशिष्ट दिव्यांगता पहचान परियोजना के लिए जारी की गई सहायता अनुदान

क्र. सं.	राज्य सरकारों / संघ राज्यी क्षेत्र / विश्वविद्यालयों / संस्थानों / कॉलेजों / एनजीओ का नाम	उद्देश्य	कुल राशि जारी किया (₹ लाख में)
1	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड	यूडीआईडी परियोजना के तहत तैनात राज्य समन्वयक का पारिश्रमिक	2.68
		राज्य समन्वयक के वेतन के लिए झारखंड सरकार को निधियां जारी करना	5.81
2	फोकल प्वाइंट बीआर–पोस्टल ट्रान (इंडिया पोस्ट तांबरम डिवीजन)	स्पीड पोस्ट के माध्यम से फरवरी, 2023 से मार्च, 2023 के महीनों के लिए 2,63,899 यूडीआईडी कार्डों के प्रेषण की प्रतिपूर्ति	77.85
3	संघ राज्य क्षेत्र, अंडमान और निकोबार	यूडीआईडी परियोजना के तहत तैनात राज्य समन्वयक का पारिश्रमिक	3.00

4	विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी), सिक्किम	यूडीआईडी परियोजना के तहत तैनात राज्य समन्वयक का पारिश्रमिक	3.00
		यूडीआईडी परियोजना के तहत तैनात राज्य समन्वयक का पारिश्रमिक	3.00
5	एसएसयूपीएसडब्ल्यू, सिपडा, बिहार	यूडीआईडी परियोजना के तहत तैनात राज्य समन्वयक का पारिश्रमिक	3.00
		यूडीआईडी परियोजना के अंतर्गत पदस्थ समन्वयक का 06 माह का पारिश्रमिक (01.10.2023 से 31.03.2024 तक)	3.00
6	निदेशक, डब्ल्यूडीएटी और एससी विभाग, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश	यूडीआईडी परियोजना के तहत तैनात राज्य समन्वयक का पारिश्रमिक	3.00
		यूडीआईडी परियोजना के तहत तैनात राज्य समन्वयक का पारिश्रमिक	3.00
7	नियामक समाज सुरक्षा खाटू, गुजरात	यूडीआईडी परियोजना के तहत तैनात राज्य समन्वयक का पारिश्रमिक	3.00
8	समाज कल्याण और जनजातीय कार्य विभाग, मिजोरम	यूडीआईडी परियोजना के तहत तैनात राज्य समन्वयक का पारिश्रमिक	3.00
		यूडीआईडी परियोजना के तहत तैनात राज्य समन्वयक का पारिश्रमिक	3.00
9	दिव्यांगजन के लिए विशिष्ट आईडी, अरुणाचल प्रदेश	यूडीआईडी परियोजना के तहत तैनात राज्य समन्वयक का पारिश्रमिक	3.00
10	सिपडा 1995, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कार्यान्वयन के लिए योजना	यूडीआईडी परियोजना के तहत तैनात राज्य समन्वयक का पारिश्रमिक	3.00
		यूडीआईडी परियोजना के तहत तैनात राज्य समन्वयक का पारिश्रमिक	3.00
11	निदेशक समाज कल्याण सिपडा, नागालैंड	यूडीआईडी परियोजना के तहत तैनात राज्य समन्वयक का पारिश्रमिक	3.00
		यूडीआईडी परियोजना के तहत तैनात राज्य समन्वयक का पारिश्रमिक	3.00
12	निदेशक, ईएसओएमएसए, हिमाचल प्रदेश	यूडीआईडी परियोजना के तहत तैनात राज्य समन्वयक का पारिश्रमिक	2.81
		यूडीआईडी परियोजना के अंतर्गत पदस्थ समन्वयक का 06 माह का पारिश्रमिक (01.10.2023 से 31.03.2024 तक)	2.98
13	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, महाराष्ट्र के कार्यान्वयन के लिए योजना	यूडीआईडी परियोजना के तहत तैनात राज्य समन्वयक का पारिश्रमिक	2.34
		राज्य समन्वयक के वेतन के लिए महाराष्ट्र सरकार को निधियां जारी करना	3.32
14	सिपडा, मणिपुर	यूडीआईडी परियोजना के तहत तैनात राज्य समन्वयक का पारिश्रमिक	3.00
		यूडीआईडी परियोजना के तहत तैनात राज्य समन्वयक का पारिश्रमिक	3.00

15	यूडीआईडी, निदेशक सामाजिक एवं सुरक्षा महिला एवं बाल विकास, पंजाब	यूडीआईडी परियोजना के तहत तैनात राज्य समन्वयक का पारिश्रमिक	2.10
		यूडीआईडी परियोजना के तहत तैनात राज्य समन्वयक का पारिश्रमिक	3.00
16	एनआईईपीआईडी (सीएनए), सिकंदराबाद, तेलंगाना	परियोजना के अंतर्गत 6,06,458 यूडीआईडी कार्डों का मुद्रण एवं प्रेषण	59.47
		ई–केवाईसी कार्यान्वयन के लिए लाइसेंस शुल्क की राशि यूआईडीएआई को जारी की जाए	3.54
		यूडीआईडी के पीएमयू के लिए परामर्श शुल्क के भुगतान के लिए एनआईसीएसआई को विज्ञप्ति	14.15
		यूडीआईडी के पीएमयू के लिए परामर्श शुल्क के भुगतान के लिए एनआईसीएसआई को विज्ञप्ति	8.93
		यूडीआईडी के पीएमयू के लिए परामर्श शुल्क के भुगतान के लिए एनआईसीएसआई को विज्ञप्ति	7.07
17	निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखंड	यूडीआईडी परियोजना के तहत तैनात राज्य समन्वयक का पारिश्रमिक	3.00
		यूडीआईडी परियोजना के तहत तैनात राज्य समन्वयक का पारिश्रमिक	3.00
18	एजी, यूटी, चंडीगढ़	अवधि (01.07.2023 से 31.12.2023) के लिए यूडीआईडी के लिए राज्य समन्वयक का पारिश्रमिक	2.87
		यूडीआईडी परियोजना के तहत तैनात राज्य समन्वयक का पारिश्रमिक	1.50
19	मैसर्स पोस्टमास्टर, नोएडा, उत्तर प्रदेश	यूडीआईडी कार्ड भेजने के लिए विक्रेता को भुगतान	38.76
		यूडीआईडी कार्ड भेजने के लिए विक्रेता को भुगतान	13.47
		अप्रैल से मई, 2023 माह के दौरान 4,75,041 यूडीआईडी कार्डों की डिलीवरी	140.14
		क्यूआर कोडित यूडीआईडी कार्ड का प्रेषण	161.48
		दिसंबर 2024 के लिए यूडीआईडी कार्ड भेजने के लिए भुगतान	72.25
		यूडीआईडी कार्ड भेजने के लिए भुगतान	239.35
20	मैसर्स कलरप्लास्ट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तर प्रदेश	कार्ड–विक्रेता भुगतान की छपाई	4.48
		परियोजना के अंतर्गत 5,47,759 यूडीआईडी कार्डों का मुद्रण एवं प्रेषण	53.71
		फरवरी, 2024 के लिए यूडीआईडी कार्ड भेजने के लिए विक्रेता को भुगतान	22.28
		यूडीआईडी कार्ड की छपाई	133.69
21	सक्किम सरकार	यूडीआईडी आउटडोर प्रचार के लिए पहली किस्त	1.50
22	निदेशक, समाज कल्याण, अंडमान एवं निकोबार	राज्य समन्वयक को छह माह का पारिश्रमिक	3.00
23	बीएनपीएल, सेक्टर–16 नोएडा, उत्तर प्रदेश (डाक विभाग)	क्यूआर कोडित यूडीआईडी कार्ड का प्रेषण	144.49

24	तमिलनाडु सरकार	यूडीआईडी परियोजना के तहत तैनात राज्य समन्वयक का पारिश्रमिक	3.00
25	समाज कल्याण निदेशालय, गोवा	यूडीआईडी परियोजना के तहत तैनात राज्य समन्वयक का पारिश्रमिक	3.00
26	डिर. विशेष योग्यजन निदेशालय, राजस्थान	यूडीआईडी परियोजना के तहत तैनात राज्य समन्वयक का पारिश्रमिक	2.92
27	यूपी विकलांगता विभाग यूडीआईडी परियोजना	मैनुअल प्रमाणपत्र का डिजिटलीकरण	30.24
		यूडीआईडी परियोजना के तहत तैनात राज्य समन्वयक का पारिश्रमिक	3.45
28	समाज कल्याण निदेशालय, असाम	यूडीआईडी परियोजना के तहत तैनात राज्य समन्वयक का पारिश्रमिक	3.00
29	प्रोजेक्ट कोरडीनेशन और एनपीआरपीडी कर्नाटक	यूडीआइडी हेतू राज्य समनवकों का परीतोशिक	3.00
		कुल	**1334.63**

ङ) वर्ष 2023–24 के दौरान सिपडा योजना के तहत जागरूकता सृजन और प्रचार–प्रसार के लिए जारी की गई सहायता अनुदान

क्र. सं.	राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र / विश्वविद्यालयों / संस्थानों / कॉलेजों / एनजीओ का नाम	उद्देश्य	कुल राशि जारी किया (₹ लाख में)
1	एनएचएफडीसी (सीएनए), नई दिल्ली	सरकारी स्कीमों की उपलब्धि पर एक्सपो सरकार में भागीदारी दिनांक 21–23 जुलाई, 2023 तक प्रगति मैदान में	0.84
		जून, 2023 के महीने में इंदौर और जयपुर में दिव्य कला मेले के आयोजन के लिए पहली किस्त	112.50
		हैदराबाद में दिनांक 6–15 अक्टूबर, 2023 तक और बेंगलुरु में दिनांक 27 अक्टूबर से 5 नवंबर, 2023 तक दिव्य कला मेले का आयोजन	150.00
		दिनांक 12–17 मई, 2023 तक गुवाहाटी, असम में दिव्य कला मेले के आयोजन के लिए जीआईए (प्रतिपूर्ति के आधार पर)	76.89
		सूरत गुजरात और नागपुर, महाराष्ट्र में	100.00
		अहमदाबाद, गुजरात में 16 से 25 फरवरी 2024 तक दिव्य कला मेला आयोजित करने के लिए पहली किस्त	50.00
		अगरतला, तिरिपुरा में 6 से 11 फरवरी 2024 तक दिव्य कला मेला आयोजित करने के लिए सी.एन.ए. को जारी	50.00
		शिमला, हिमाचल प्रदेश में 1 से 10 मार्च 2024 तक दिव्य कला मेला आयोजित करने के लिए पहली किस्त	50.00

2	एनआईईपीआईडी (सीएनए), सिकंदराबाद, तेलंगाना	सीडब्ल्यूएसएन के लिए कंप्रेशन शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन के लिए एकेडमी ऑफ मेडिकल साईसेज़, केरल को पहली किस्त जारी की गई	10.32
		अल्मोडा जिले में जागरूकता शिविर के आयोजन के लिए गोपाल दत्त शिक्षण समिति, उत्तराखंड को दूसरी और अंतिम किस्त जारी की गई	1.27
		बागेश्वर जिले में जागरूकता शिविर के आयोजन के लिए गोपाल दत्त शिक्षण समिति, उत्तराखंड को दूसरी और अंतिम किस्त जारी की गई	1.27
		दिनांक 21 जून, 2023 को सिकंदराबाद में मेगा योग दिवस कार्यक्रम के आयोजन के लिए पहली किस्त	70.67
		आंध्र प्रदेश के 02 मारेलों में जागरूकता सेमिनार आयोजित करने के लिए वेलुगु, आंध्र प्रदेश को पहली किस्त जारी की गई	3.23
		दिव्यांगजनों के लिए 'सबल' को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट के लिए गोलमेज बैठक आयोजित करने के लिए भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान को पहली किस्त	2.25
		दो जागरूकता शिविरों के आयोजन के लिए सामाजिक एवं स्वास्थ्य विकास संगठन, मणिपुर को दूसरी किस्त जारी करना	0.18
		01 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन के लिए पायनियर डेवलपमेंट एसोसिएशन को दूसरी किस्त जारी करना	0.06
		दिनांक 27–28 जुलाई, 2023 को आंध्र प्रदेश के मंडलों में संवेदीकरण/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वेलुगु, मदनपल्ले, आंध्र प्रदेश को दूसरी किस्त जारी की जाएगी।	1.08
		दिनांक 27.05.2023 को वाराणसी में दिव्यकला शक्ति के आयोजन के लिए पीडीयूएनआईपीपीडी को दूसरी किस्त जारी की गई	2.43
		15 राज्यों में पुनर्वास सेवाओं के बारे में 30 संवेदीकरण कार्यक्रम के आयोजन के लिए पहली किस्त जारी करना	11.25
		दिनांक 01.01.2024 को अहमदाबाद, गुजरात में दिव्यकला शक्ति के आयोजन के लिए पहली किस्त जारी की गई	15.75
		इन्दौर, मध्य प्रदेश में 05.01.2024 को दिव्य कला मेला आयोजित करने के लिए जारी पहली किस्त बैंगलूरू, करनाटक शक्ति	17.33
		बैंगलूरू, कर्नाटक में 06.01.2024 को दिव्यकला शक्ति आयोजित करने के लिए जारी पहली किस्त	16.84
		हैदराबाद में 10.02.2024 को दिव्यकला शक्ति आयोजित करने के लिए	22.76

		8–9 फरवरी, 2024 को विशेष कर्मचारी राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए जारी पहली किस्त	4.50
		पुडूचैरी एवं तमिलनाडु में 15–16 मार्च 2024 को दो दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम करने के लिए	2.63
		अर्मत उद्यान, राष्ट्रपति भवन में 26.02.2024 को पर्पल फैस्ट आयोजित करने के लिए पहली किस्त	49.54
		01.01.2024 को अहमदाबाद में दिव्य कला शक्ति के आयोजन के लिए AYJNISHD को दूसरी किस्त	2.25
		03 प्रस्तावों के लिए साइनिंग हैंड्स फाउंडेशन को जीआईए जारी करना	6.04
		08–09 फरवरी, 2024 के दौरान 29वीं विशेष कर्मचारी बैठक आयोजित करने के लिए दूसरी किस्त	3.41
		राष्ट्रीय विकलांगता हेल्पलाइन नंबर (14456) के लिए AYJNISHD को पहली किस्त	19.87
		08–13 जनवरी, 2024 तक पर्पल फेस्ट गोवा में भागीदारी और स्टॉल स्थापित करने के लिए एनआईईपीएमडी को जीआईए जारी करना	1.87
		03–04 अप्रैल, 2024 को एनआईएसडी, द्वारका में पर्पल टॉक्स के आयोजन के लिए नेशनल ट्रस्ट को पहली किस्त	1.88
		SABAL को बढ़ावा देने के लिए गोलमेज बैठक आयोजित करने के लिए भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान को दूसरी किस्त	0.75
		बेंगलुरु में दिव्य कला शक्ति के आयोजन के लिए एनआईईपीएमडी को दूसरी और अंतिम किस्त	4.79
		सेल्फ एडवोकेट्स फोरम के 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन के लिए परिवार को दूसरी और अंतिम किस्त	1.09
		राष्ट्रीय एकता सप्ताह के लिए AYJSNISHD के माध्यम अहमदाबाद को ळप्। जारी करना	1.04
		गोवा में पर्पल उत्सव, 2024 में भागीदारी के लिए एनआईईपीआईडी को पूर्ण और अंतिम किस्त	1.57
3	पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री	मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन पर जागरूकता बढ़ाने और शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना	6.00
4	मैसर्स अन्ज क्रिएशनस, नई दिल्ली	सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, डीएआईसी, एनडीआरएस और दिल्ली युनिवर्सिटी में सैल्फी पाईन्टस का इन्सटालेशन	5.90
		लखनऊ, अमृतसर, बेंगलुरु, अहमदाबाद और वाराणसी हवाई अड्डों पर 05 सेल्फी बूथ की तैयारी और स्थापना।	7.38
		विभाग के लिए सभी 09 एनआई पर 09 लघु फिल्मों का निर्माण	103.54
		भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद में 04 सेल्फी बूथ की तैयारी और मुंबई हवाई अड्डे स्थापना।	5.90

		छात्रवृत्ति, एडीआईपी और यूडीआईडी पर 04 रेडियो जिंगल्स का उत्पादन (02)	2.12
5	एन.आई.एल.डी. कोलकता	25–31 अक्तूबर, 2023 तक राष्ट्रीय एकता सप्ताह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए	2.27
6	सूरज कुंड मेला प्राधिकरण, फ्रिडाबाद	37वें सूरजकुंड मेले में 04 मेगा होर्डिंग्स की स्थापना और 10 मेगा एलईडी स्क्रीन का प्रदर्शन	35.40
7	प्रसार भारती	एशिया कप क्रिकेट, 2023 आकाशवाणी के सीधे प्रसारण के दौरान डीईपीडब्ल्यूडी का जागरूकता अभियान	27.18
		कुल	**1063.84**

च) 2023–24 में दिव्यांगता से सम्बन्धित प्रोद्योगिकी, उत्पाद, सिपडा योजना के तहत के मामलों पर रिसर्च के लिए जारी उनुदान

क्र. स.	राज्य सरकार/संघीय क्षेत्र/ विश्वविद्यालय/ संस्थान/ महाविद्यालय/ एनजीओ का नाम	उद्देश्य	जारी की गई राशि (रूपये लाख में)
1	रामाकृष्ण मिशन विवेकानन्द एजूकेशनल एवं रीसर्च संस्थान, कोयमबटोर, तमिलनाडू	पूर्ण कार्य एवं अंतिम रिपोर्ट की प्रस्तुतिकरण पर प्रतिपूर्ति की तीसरी एवं चौथी किस्त	0.31
2	टाटा समाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बई	पूर्ण कार्य एवं अंतिम रिपोर्ट की प्रस्तुतिकरण पर प्रतिपूर्ति आधार पर तीसरी और अंतिम किस्त	3.97
3	एन.आई.ई.पी.आई.डी (सीएएन), सिकंदराबाद, तेलंगाना	सैरीबर्ल पालसी दिव्यांगजन हेतु योजना के तहत अध्यापन एंव सीखने की सामग्री का प्रभाव	5.55
		विशिष्ट सीखने की अक्षमताओं वाले बच्चों की दृश्य मोटर धारणा और संज्ञानात्मक क्षमताओं के बीच संबंध पर अध्ययन	3.60
		विशिष्ट शिक्षण विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए योजना के तहत घर–आधारित शिक्षण अधिगम सामग्री का एक प्रोटोटाइप विकसित करना	6.80
		यूपी, तेलंगाना, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य में बौद्धिक और विकास संबंधी कमजोरियों वाले दिव्यांगजनों की बड़ी संख्या का सटीक कारण	9.84
		मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के माध्यम से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार (एएसडी) से पीड़ित बच्चों को सशक्त बनाना	5.72
		विशिष्ट सीखने की अक्षमताओं (एसएलडी) के लिए अकादमिक उपलब्धि परीक्षण का विकास	15.60
4	भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान (आई. आई.आई.टी.), कोटा, राजस्थान	ए. आई. ग्लासिस	6.91
5	शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल (एमआईसी)	स्मार्ट इंडिया हैकाथन (SIH) 2023 के लिए पुरस्कार राशि का भुगतान	11.25
		कुल	**69.55**

छ) वर्ष 2023–24 के दौरान सिपडा योजना के तहत स्पाइनल इंजरी सेंटरों को सहायता के लिए जारी की गई सहायता अनुदान

क्र. सं.	राज्य सरकारों / संघ राज्यी क्षेत्र / विश्वविद्यालयों / संस्थानों / कॉलेजों / एनजीओ का नाम	उद्देश्य	कुल मात्रा जारी किया (₹ लाख में)
1	एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर, राजस्थान	कॉलेज में स्थापित राज्य स्पाइनल इंजरी सेंटर में 10 बिस्तरों की प्रतिपूर्ति	32.08
2	राजस्थान सरकार	जे.एल.एन. में राज्य स्पाइनल इंजरी सेंटर की स्थापना। मेडिकल कॉलेज, अजमेर	233.00
3	मध्य प्रदेश सरकार	जिला चिकित्सालय सागर में राज्य स्पाइनल इंजरी सेंटर की स्थापना	287.00
		कुल	**552.08**

ज) वर्ष 2023–24 के दौरान सिपडा योजना के तहत ब्रेल प्रेसों की स्थापना /आधुनिकीकरण/ क्षमता संवर्धन हेतु सहायता अनुदान

क्र. सं.	राज्य सरकारों / संघ राज्यी क्षेत्र / विश्वविद्यालयों / संस्थानों / कॉलेजों / एनजीओ का नाम	उद्देश्य	कुल राशि जारी किया (₹ लाख में)
1	एनआईईपीआईडी (सीएनए), सिकंदराबाद, तेलंगाना	जीएसटी के लिए भुगतान की गई अतिरिक्त राशि के लिए एनआईवीएच	1.63
		प्रतिपूर्ति के आधार पर प्रशासन व्यय	6.16
		प्रतिपूर्ति के आधार पर ब्रेल प्रेस पृष्ठों की छपाई	71.20
		ब्रेल प्रेस योजना के तहत ब्रेल एम्बॉसर के लिए जीआईए के संबंध में	90.00
		भोपाल सरकार को संवितरण के लिए दूसरी किस्त	83.42
		प्रतिपूर्ति आधार तत्संबंधी।	193.99
		कुल	**446.40**

झ) 2023–24 के दौरान सिपडा योजना के तहत क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर को सहायता अनुदान जारी किया गया (29.02.2024 तक)

राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों / विश्वविद्यालयों / संस्थानों / कॉलेजों / एनजीओ का नाम	उद्देश्य	राशि जारी किया (₹ लाख में)
एनआईईपीआईडी (सीएनए), सिकंदराबाद, तेलंगाना	व्यय के साथ वेतन	287.43
	कुल	**287.43**

ञ) वर्ष 2023–24 के दौरान सिपडा योजना के तहत सीपीएमयू सह डीएसयू के लिए जारी की गई सहायता अनुदान

क्र. सं.	राज्य सरकारों / संघ राज्यी–क्षेत्र / विश्वविद्यालयों / संस्थानों / कॉलेजों / एनजीओ का नाम	उद्देश्य	कुल जारी किया (₹ लाख में)
1	सीपीएमयू सलाहकार	निरीक्षण दौरे के लिए परामर्श शुल्क और टीए / डीए बिल।	170.44
		कुल	**170.44**

अनुबंध–8

दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार यूडीआईडी परियोजना की स्थिति		
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तैयार किए गए ई–यूडीआईडी कार्डों की संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5819
2	आंध्र प्रदेश	1125857
3	अरुणाचल प्रदेश	3635
4	असम	202759
5	बिहार	501115
6	चंडीगढ़	9292
7	छत्तीसगढ	248635
8	दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव	3695
9	दिल्ली	69330
10	गोवा	9670
11	गुजरात	402831
12	हरियाणा	181474
13	हिमाचल प्रदेश	93383
14	जम्मू और कश्मीर	193115
15	झारखंड	177299
16	कर्नाटक	772541
17	केरल	327800
18	लद्दाख	3628
19	लक्षद्वीप	984
20	मध्य प्रदेश	853322
21	महाराष्ट्र	1106611
22	मणिपुर	11968
23	मेघालय	30731
24	मिजोरम	5767
25	नागालैंड	2770
26	ओडिशा	683305
27	पुदुचेरी	20883
28	पंजाब	341821
29	राजस्थान	516803
30	सिक्किम	4797
31	तमिलनाडु	799316
32	तेलंगाना	774268
33	त्रिपुरा	36080
34	उत्तर प्रदेश	1290215
35	उत्तराखंड	91690
36	पश्चिम बंगाल	32034
कुल		**10935243**

अनुबंध–9

वर्ष 2015–16 से 2023–24 के दौरान जारी की गई निधियां और छात्रवृत्ति योजनाओं के संबंध में कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार है:–

(राशि करोड़ रू. में)

क्र. सं.	योजना		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (आज की तारीख के अनुसार)
1	प्री–मैट्रिक	राशि	1.60	5.52	9.07	6.50	24.57	9.82	12.35	21.39	11.50
		लाभार्थी	2368	7927	12593	6767	22218	12488	12592	21170	10791
2	पोस्ट–मैट्रिक	राशि	3.21	9.82	14.92	56.39	64.98	47.29	83.12	72.31	72.68
		लाभार्थी	3565	6281	7657	22953	19978	12573	28347	21498	17231
3	उच्च श्रेणी शिक्षा	राशि	0.24	0.86	0.67	1.06	3.02	4.50	5.04	7.82	8.47
		लाभार्थी	14	42	37	78	239	453	519	825	706
4	नेशनल ओवरसीज	राशि	0	0.38	0.70	1.08	1.02	1.23	2.39	3.15	2.88
		लाभार्थी	0	2	1	2	0	2	4	15	13
5	नेशनल फैलोशिप	राशि	19.97	19.26	30.24	19.86	20.98	28.69	29.27	40.53	34.93
		लाभार्थी	527	589	666	566	537	551	669	654	633
6	निःशुल्क कोचिंग	राशि	0	0	0.87	1.38	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
		लाभार्थी	0	0	250	0	0	0	0	0	0

अनुबंध–10

दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि के तहत प्रस्तावों पर किए गए व्यय का विवरण :

वर्ष 2023–24 में राष्ट्रीय निधि के तहत व्यय का विवरण				
क्र. सं	संगठन / व्यक्ति का नाम	प्रयोजन	राशि जारी (रुपये में)	टिप्पणी
1.	नेशनल दिव्यांगजन फाईनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली	सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला–2022 में भागीदारी 19.03.2022 से 03.04.2022	9,01,693	दूसरी और अंतिम किस्त
2.	एनआईएमएचऐएनएस (निमहंस), बेंगलुरु, कर्नाटक	एनआईएमएचऐएनएस (निमहंस) में दिव्यांगजनों द्वारा बनाई गई पेंटिंग को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की कला कार्यशाला सह प्रदर्शनी का आयोजन	4,09,052	दूसरी और अंतिम किस्त
3.	असम ग्रामीण विकास केंद्र, गुवाहाटी	दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए दो दिवसीय राज्य स्तरीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन।	5,00,000	दूसरी और अंतिम किस्त
4.	नेशनल दिव्यांगजन फाईनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली	सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला–2022 में भागीदारी 3 से 19 फरवरी 2023	9,80,798	दूसरी और अंतिम किस्त
5.	ऑटिजम, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली	'बौद्धिक और विकासात्मक वाले व्यक्तियों की प्रतिभा और अवसर' विषय पर 02 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनी	10,00,000	दूसरी और अंतिम किस्त
6.	राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, (एनआईईपीएमडी), देहरादून	दिनांक 28.02.2023 को 'एबिलिटीज़ हब'– राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी' का आयोजन	6,94,164	दूसरी किस्त
7.	आदर्श पुनर्वास केंद्र, भिवानी, हरियाणा	दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए दो दिवसीय राज्य स्तरीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन।	4,12,020	दूसरी और अंतिम किस्त
8.	भारतीय पुनर्वास परिषद, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय	सीबीआईडी प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे बैच का संचालन	88,65,600	दूसरी किस्त
9.	एम रामलिंगम, डेफ़ एंड टनल विज़न आर्टिस्ट, चेन्नई	08 से 15 मई, 2023 तक सोची, रूस में आयोजित कार्यों की तीसरी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भागीदारी	1,80,400	पहली और दूसरी किस्त
10.	राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून	पैन इंडिया दिव्य बैंड प्रतियोगिता और समापन समारोह के लिए	10,03,000	और अंतिम किस्त

11.	श्री रिमो साहा पैरा स्विमर, गोलाबारी, पश्चिम बंगाल	इंग्लिश चैनल एडवेंचर में भाग लेते हुए दोतरफा तैराकी, इंग्लैंड से फ्रांस तथा फ्रांस से इंग्लैंड।	1,38,050	पूर्ण और अंतिम किस्त
12.	एसोसिएशन फॉर लर्निंग परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड नॉर्मेटिव एक्शन (अल्पना), दिल्ली	दिनांक 18–19 नवंबर, 2023 के दौरान इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी का आयोजन	20,00,000	पहली और दूसरी किस्त
13.	राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद	दिनांक 28–29 नवंबर, 2023 को हाइब्रिड मोड में ऑटिज्म के आकलन के लिए भारतीय पैमाने पर दो दिवसीय कार्यशाला	8,65,000	पहली और दूसरी किस्त
14.	राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद	दिनांक 24 से 25 नवंबर, 2023 तक सीडब्ल्यूएसएन के पुनर्वास में तकनीकी– शैक्षणिक दृष्टिकोण पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन	6,60,000	पहली और दूसरी किस्त
15.	राज्य आयुक्त दिव्यांगजन का कार्यालय, जीएनसीटी, दिल्ली,	दिव्य उत्सव का आयोजन 4जी .5जी क्मबमउइमतए2023	22,60,626	पहली और दूसरी किस्त
16.	सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट, दिल्ली	दिल्ली में दिव्यांगता पर दो दिवसीय कार्यशाला के आयोजन हेतु	11,37,327	पहली और दूसरी किस्त
17.	विकलांग सहारा समिति, दिल्ली	दिल्ली हाट, पीतमपुरा में दिव्यांगजनों द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए कार्यशाला/प्रदर्शनी आयोजित करने हेतु	9,96,491	पहली और दूसरी किस्त
18.	समाज कल्याण विभाग, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू–कश्मीर,	पर्पल फेस्ट, जम्मू, 2023	2,00,00,000	पहली और दूसरी किस्त
19.	राज्य आयुक्त दिव्यांगजन का कार्यालय, सरकार गोवा	इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट, गोवा, 2024 8जी जव 13जी जनवरीए 2024	5,00,00,000	पहली, दूसरी, तीसरी किस्त
20.	राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद	29–31 जनवरी, 2024 को नई दिल्ली में एनआईईपीआईडी इंडियन टैस्ट ऑफ इंटेलिजेंस पर 03 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला	3,35,000	पहली और दूसरी किस्त
21.	नेशनल एबिलिंपिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनएएआई)	दिव्यांगजनों के लिए 02 क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन	17,50,000	पहली किस्त
22.	भारतीय सांकेतिक भाषा एवं अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली	बधिरों के सेवाकालीन विशेष शिक्षकों के आईएसएल के ज्ञान और कौशल को उन्नत करने के लिए कार्यशाला	10,00,000	पहली किस्त
		कुल खर्च	**9,60,89,221**	
		प्रशासनिक खर्चे	**12,15,171**	
		कुल	**9,73,04,392**	

अनुबंध–11

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं की सूची (श्रेणी–वार):

I. व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार–2023

संख्या	पुरस्कार की श्रेणी	पुरस्कार की संख्या	पुरस्कार विजेताओं के नाम
1	सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन (किसी भी क्षेत्र या गतिविधि से संबंधित अर्थात शिक्षा/ स्वास्थ्य / रोजगार / कला और संस्कृति / खेल / रचनात्मक कार्य / दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण / सामाजिक सेवा / आदि – एक रोल मॉडल) – आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत 21 निर्दिष्ट दिव्यांगताओं में से किसी भी दिव्यांगता से प्रभावित सभी दिव्यांगजनों के लिए खुला।	05(पुरुष के लिए 03 और महिला के लिए 02)	महिला 1. श्रीमती सुनीता गुप्ता 2. श्रीमती स्वार्णलथा तुमकुर गुरुप्रसाद पुरुष 3. श्री सत्यप्रकाश मातासरन तिवारी 4. श्री ताहा इदरीस हाज़िक 5. श्री वैभव तानाजी सांगले
2	श्रेष्ठ दिव्यांगजन क. गतिविषयक दिव्यांगता – (लोकोमोटर, मस्कुलर दिव्यांगता, बौनापन, एसिड अटैक पीडित, कुष्ठ रोग उपचारित, सेरेब्रल पाल्सी)। ख. दृष्टि बाधित – (दृष्टिहीनता, कम दृष्टि) ग. श्रवण बाधिता – (बधिर, सुनने में कठिनाई, वाक् और भाषा दिव्यांगता) घ. बौद्धिक दिव्यांगता – (मानसिक मंदता, मानसिक व्यवहार, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार) ड़. ऊपर दी गई क्र.सं. (क) से (घ) तक उल्लिखित दिव्यांगताओं को छोड़कर कोई भी अन्य निर्दिष्ट दिव्यांगता। (रक्त विकार, हीमोफिलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल रोग, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियों, मल्टीपल स्केलेरोसिस, पार्किंसंस रोग और बहु दिव्यांगता के कारण दिव्यांगता)। च. हालांकि, यदि इनमें से किसी एक या अधिक उप–श्रेणियों में उपयुक्त व्यक्ति (ओं) नहीं पाए जाते हैं, तो पुरस्कार अन्य उप–श्रेणियों में अतिरिक्त व्यक्तियों को दिए जा सकते हैं। (रोजगार / स्व–रोजगार, स्वास्थ्य / खेल, कला, संस्कृति ड्राइंग, चित्रकला, संगीत, या किसी अन्य प्रकार के रचनात्मक कार्य, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में))	10 (पुरुष के लिए 6 और महिला के लिए 5)	1. श्री साईकौस्तुव दास गुप्ता 2. सुश्री श्रीलेखा मंडलापल्ली 3. श्री तेजवीर सिंह 4. श्री सी गोविंदा कृष्णन 5. सुश्री दिव्या शर्मा 6. श्री हिमांशु कंसल 7. सुश्री पूनम 8. श्री अभिनव चौधरी 9. सुश्री ज्योति सिन्हा 10. श्री जय महेश कुमार गंगडिया 11. सुश्री एस स्मिता

3	श्रेष्ठ दिव्यांग बाल/बालिका (18 वर्ष की आयु तक के दिव्यांग बच्चे) (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट दिव्यांगताओं की किसी भी श्रेणी से संबंधित)– (कला और संस्कृति ड्राइंग, पेंटिंग, संगीत, या किसी अन्य प्रकार के रचनात्मक कार्य आदि के क्षेत्र में)	3 (पुरुष के लिए 2 और महिला के लिए 1) (18 वर्ष की आयु तक)	1. मास्टर रूपांजन सेन 2. मास्टर आदित्य सुरेश 3. कुमारी जिया राय
4	दिव्यांगजनों के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति	1 पुरस्कार	श्री प्रशांत अग्रवाल
5	दिव्यांगता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास पेशेवर	1 पुरस्कार	डॉ. आप्टे सुभाष
6	दिव्यांगता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान/नवप्रवर्तन/उत्पाद विकास	1 पुरस्कार	उपयुक्त आवेदन प्राप्त नहीं हुआ

II) दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में लगे संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 2023

क्र. सं.	पुरस्कार की श्रेणी	पुरस्कार की संख्या	पुरस्कार विजेता का नाम और पता
1.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु सर्वश्रेष्ठ संस्थान (निजी संगठन, एनजीओ)	1 व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए पुरस्कार। 1 समावेशी शिक्षा के लिए पुरस्कार (समावेशी शिक्षा प्रदान करने या बढ़ावा देने वाले संस्थान)	1. सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट 2. दीपस्तंभ फाउंडेशन
2.	दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता (सरकारी संगठन/पीएसई/स्वायत्त निकाय/निजी क्षेत्र)	1 पुरस्कार	अमेज़न इंडिया
3	दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट एजेंसी– सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों को छोड़कर	1 पुरस्कार	उपयुक्त आवेदन प्राप्त नहीं हुआ
4	सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन/बाधामुक्त वातावरण के सृजन में सर्वश्रेष्ठ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला	1 पुरस्कार	मध्य प्रदेश, संचालनालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन शक्तिकरण विभाग dir.socialjustice@mp.gov.in
5.	सर्वश्रेष्ठ सुगम्य यातायात के साधन / सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी	1 पुरस्कार	इंडिया साइनिंग हैंड्स प्राइवेट लिमिटेड सन मिल कंपाउंड, लोअर परेल (पश्चिम), महाराष्ट्र 400013 ईमेलः alok@indiasigninghands.com
6.	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम/ यूडीआईडी एवं दिव्यांग सशक्तिकरण की अन्य/योजनाओं के कार्यान्वनयन में सर्वश्रेष्ठ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला	1 पुरस्कार	गडचिरोली ईमेलः ceozpgadchiroli@gmail.com

क्र. सं.	पुरस्कार की श्रेणी	पुरस्कार की संख्या	पुरस्कार विजेता का नाम और पता
7.	दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम के अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य दिव्यांगजन आयुक्त	2 पुरस्कार	श्री गुरुप्रसाद पावसकर राज्य आयुक्त दिव्यांगजन का कार्यालय गोवा ईमेलः dis-comm.goa@gov.in 9970620111 श्री संदीप रजक , आयुक्त दिव्यांगजन मध्य प्रदेश ईमेलः comm-pwds@mp.gov.in
8	पुनर्वास सेवाओं के लिए पेशेवर तैयार करने वाला सर्वश्रेष्ठ संस्थान	1 पुरस्कार	दिव्यांग डेवलपमेंट सोसायटी कानपुर– 208012 ईमेल : kaurmanpreet100@gmail.com

अनुबंध–12

सफलता की कहानी

I. एडिप कॉक्लियर इंप्लांट (सीआई) योजना – सफलता की कहानियां

क) मास्टर निलॉय धर, गांव– मानिकपुर, जिला– माजुली, असम

मास्टर निलॉय धर को बाईलेटरल गंभीर से गहन सेंसरीन्यूरल श्रवण हानि का पता चला था। श्रवण हानि के कारण सुनना या बोलना कठिन हो गया। 29.06.2021 को 3 वर्ष 3 माह की आयु में एडिप योजना के तहत उनकी कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की गई। उन्होंने एडिप सीआई योजना के तहत पैनलबद्ध केंद्र, प्रतीक्षा अस्पताल में नियमित चिकित्सा सत्रों में भाग लिया। वर्तमान में प्रत्यारोपण के 2 वर्ष 5 महीने बाद, वह वाक्यों में स्पष्ट रूप से बोलने, सरल कहानियाँ सुनाने और कविताएँ गाने में सक्षम है। वह नियमित रूप से प्रयुक्त मौखिक आदेशों को समझता है और उनका पालन करता है। माता–पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ बातचीत करता है, सवाल पूछता है और सभी के साथ बातचीत करने का प्रयास करता है। वर्तमान में एक अंग्रेजी माध्यम के प्राईवेट स्कूल में नर्सरी में पढ़ रहा है।

ख) **सुश्री अन्वी किशन,** कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

सुश्री अन्वी किशन का 5 वर्ष की आयु में 17.02.2021 को एसपीएस लुधियाना में 'न्यूक्लियस' सीपी 802 प्रत्यारोपण किया गया है। वह सिमरन स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, लुधियाना, एडिप पैनलबद्ध थेरेपी केंद्र में नियमित रूप से थेरेपी में भाग लेती रही हैं। इम्प्लांट के 2 वर्ष 10 माह बाद, उसकी वर्तमान स्थिति यह है कि वह मौखिक रूप से सरल वाक्यों में स्पष्ट रूप से संवाद कर सकती है और प्रश्नों को समझकर सवाल भी पूछती है। वर्तमान में वह एक सामान्य स्कूल में सीनियर केजी में पढ़ती है। वह सामान्य रूप से सुनने वाले हमउम्र बच्चों की तरह स्वयं को पारिवारिक और टेलीफोनिक बातचीत में सामाजिक रूप से शामिल करना पसंद करती है।

II. पं.दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी) की सफलता की कहानियाँ:

मास्टर चंदन (बदला हुआ नाम), एक 4 वर्षीय लड़के को 24 अप्रैल 2023 को व्यावसायिक चिकित्सा विभाग, सीडीईआईसी, पीडीयूएनआईपीपीडी में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की जांच में चिन्हित किया गया था, उसे गंभीर संवेदी प्रोसेसिंग (सेंसरी प्रोसेसिंग) कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसका आंख द्वारा संपर्क (आई कांटेक्ट) बहुत कम था और वह चिड़चिड़ा और असहयोगी था। शुरुआती सत्रों के दौरान उसका संवेदी प्रोफ़ाइल स्कोर 248/430 था । प्रारंभिक मूल्यांकन पर, 30 मिनट के थेरेपी सत्र के दौरान उनका आई कांटेक्ट बहुत ख़राब (1–2 सेकंड के लिए) था, असहयोगी व्यवहार, थेरेपी सत्र के दौरान ऑब्जेक्ट फिक्सेशन (संख्याओं और वर्णमाला खूंटियों के साथ) 30 मिनट, नई स्थितियों में और नई गतिविधियों से घबराया हुआ था ।

उन्हें व्यावसायिक थेरेपी (ओटी) सत्र दिए गए, जिसमें बबल कॉलम का उपयोग करके दृश्य उत्तेजना, टैकटाइल डिफेंसिवनेस के लिए विल्बर्गर प्रोटोकॉल (मानकीकृत प्रोटोकॉल), प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट के लिए जॉइंट कम्प्रेशन

और भारित (वेटेड) जैकेट और टैकटाइल रेग्युलेशन के लिए टैक्टाइल मैट शामिल थे। उनके ध्यान की अवधि और देर तक बैठने की क्षमता में सुधार के लिए उनके थेरेपी कार्यक्रम में हाथ की गतिविधियों को शामिल किया गया था।

उन्होंने 1 माह की अवधि में स्नातक – स्तर की खेल आधारित गतिविधियों के माध्यम से संवेदी प्रोसेसिंग में उनकी बाधाओं को पार–पाते हुए प्रगति की। तीन माह तक लगातार व्यावसायिक थेरेपी सत्रों के बाद, बच्चा अब सहयोगात्मक है, अधिक समय तक आंखों से संपर्क (आई कांटेक्ट) करता है और उसके संवेदी लक्षणों में भी सुधार हुआ है। उनका संवेदी प्रोफ़ाइल स्कोर अब 211/430 है। 8–10 सेकंड तक के लिए आई कांटेक्ट, सहयोगात्मक व्यवहार, केवल 2 मिनट के चिकित्सा सत्र के दौरान वस्तु निर्धारण (ऑब्जेक्ट फिक्सेशन) (संख्या और अक्षर खूंटियों के साथ) कम हो गया है, नई स्थितियों और नई गतिविधियों में घबराहट कम हो गई है।

पहले

प्रारंभिक सत्र के दौरान बच्चा असहयोगी था

बाद में

बच्चा सहयोगात्मक है और उसकी स्पर्श प्रक्रिया में सुधार हुआ है और अब वह प्ले स्कूल में जाता है

III. स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक की सफलता की कहानी:

क.) श्री xxxxxx (बदला हुआ नाम), xx वर्षीय: यह हिप डिसर्टिक्यूलेशन का एक बहुत ही दुर्लभ और गंभीर मामला है और इसके विपरीत तरफ बहुत कम ऐके एम्पयूटेशन है। पी एंड ओ पेशेवरों की टीम ने रोगी को नवीन स्वदेशी डिजाइन फिट किया, जिसके परिणामस्वरूप मरीज 3 किमी/घंटा की गति से स्वतंत्र रूप से चल रहा है।

क.

ख.

ख) श्री हृषिकेश साहू, आयु लगभग 45 वर्ष, कांटिलो, नयागढ़, ओडिशा में बाइक दुर्घटना के कारण उनकी कोहनी के नीचे का हिस्सा बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो गया था, उन्हें कोहनी के नीचे मॉडिफाइड मॉड्यूलर कृत्रिम अंग सफलतापूर्वक लगाया गया है और वे सक्रिय रूप से दिन–प्रतिदिन के क्रियाकलापों के साथ–साथ साइकिल भी चला रहे हैं।

IV. राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी), कोलकाता, सफलता की कहानीः

क) लगभग 4 वर्ष की आयु के **मास्टर बाल्मीकि** दिनांक 22.02.23 को क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर (सीडीईआईसी), एनआईएलडी में आए क्योंकि उनको सुनने में समस्या और कुछ शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। जांच के बाद पता चला कि वह श्रवण बाधित है, और पुनर्वास पेशेवरों को पता चला कि बच्चा पढ़, लिख या उच्चारण नहीं कर सकता है। उनके बाएं हाथ में एक छोटी सी समस्या थी और वह इसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे जिससे उनका दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा था। केंद्र में आने के बाद, उसे हियरिंग ऐड प्राप्त करने के लिए रेफर कर दिया गया। इसके अलावा, ओटी, पीटी और विशेष शिक्षा सत्रों में चर्चा करने के बाद, उन्होंने स्कूल तैयारी कार्यक्रम (स्कूल रेडीनेस) के लिए दाखिला लिया, अब वह वाहनों के विभिन्न हॉर्न, साइकिल की घंटी आदि जैसी ध्वनियों को पहचानने में सक्षम हैं। वह विभिन्न अक्षरों और संख्याओं को पढ़, लिख और उच्चारण कर सकता है। वह जानवरों, फलों, सब्जियों, वाहन, शरीर के अंगों, पक्षियों आदि की भी पहचान कर सकता है।

ख) सुश्री दीप्ति प्रमाणिक (3 वर्ष और 2 माह) ने 15 नवंबर, 2022 को सीडीईआईसी में आई। वह हाथ पैरों के निचले हिस्से के बढ़ते खींचाव और जकड़न, मांसपेशियों की कमजोरी और समन्वय तथा गतिविधि संबंधित बाधाओं के कारण बैठने और खड़े होने में असमर्थ थी। फिजियोथेरेप्यूटिक उपचार के कुछ माह के बाद, बच्ची अब बिना किसी सहारे के बैठ सकती है, न्यूनतम सहारे के साथ खड़ी हो सकती है और चलने वाले उपकरणों की मदद से चल सकती है। व्यापक पुनर्वास से आगे भविष्य में स्वतंत्र रूप से चलना संभव हो सकता है।

ग) मास्टर देबट्टम (6 वर्ष) पहले एक हाइपरएक्टिव बच्चा था, उसकी ख़राब आई कांटेक्ट और बैठने की आदत नहीं थी और दो वर्ष और चार माह की आयु में उसे हल्के बौद्धिक दिव्यांगता (आईडी) का पता चला। सीडीईआईसी, एनआईएलडी में 14 माह के प्रशिक्षण के बाद, उसको बैठने में सुधार हुआ। वह शिक्षकों और अभिभावकों के निर्देशों को समझ सकता है। उसने सामाजिक कौशल में भी सुधार किया है और शरीर के अंगों, रंगों, फलों, सब्जियों, आकार, आकृति, अक्षर और संख्याओं की पहचान

करना भी शुरू कर दिया है।

V. राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून, सफलता की कहानियाँ:

क) सुश्री शेफाली रावत की सफलता की कहानी उनकी ताकत, दृढ़ संकल्प तथा शिक्षा और खेल दोनों के प्रति जुनून का प्रमाण है। कम दृष्टि के साथ जन्म होने के बावजूद, शेफाली ने लगातार शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और 10वीं कक्षा में शीर्ष अंक हासिल किए। 2021 में, उन्होंने ब्लाइंड फुटबॉल में शामिल होकर अपनी ज्ञान सीमा का विस्तार किया, अंततः 2023 में उत्तराखंड ब्लाइंड फुटबॉल की कप्तानी की। शेफाली ने अपने माता–पिता और खेल शिक्षक/कोच, मॉडल स्कूल के मार्गदर्शन में, 2023 में बर्मिंघम (यूके) में महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व चैम्पियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला ब्लाइंड फुटबॉल खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी खेल के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें 2018 और 2023 में उत्तराखंड ब्लाइंड क्रिकेट और उत्तर में उत्तराखंड ब्लाइंड फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व करना शामिल है। विशेष रूप से, उन्होंने 2018 में उत्तराखंड ब्लाइंड क्रिकेट का प्रतिनिधित्व किया और टी–12 श्रेणी के अंतर्गत 800 मीटर और 1500 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय पदक हासिल किए। उन्होंने 2023 में उत्तराखंड नॉर्थ और सेंट्रल जोनल ब्लाइंड फुटबॉल चैंपियनशिप में भाग लेकर, एक खिलाड़ी और एक कप्तान के रूप में, उत्तराखंड ब्लाइंड फुटबॉल टीम की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

ख) मास्टर सौरभ शर्मा संस्थान के मॉडल स्कूल के पूर्व छात्र वर्तमान में शिक्षा और खेल दोनों में उल्लेखनीय प्रगति कर रहे हैं। विशेष शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, एनआईईपीवीडी, देहरादून में डी.एड विशेष शिक्षा (वीआई) की पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी सफलता कक्षा से परे है, क्योंकि वह एक स्पोर्ट्स सेंसेशन के रूप में उभरे हैं, खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और संस्थान की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं। उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों में 19वीं, 20वीं और 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के साथ–साथ 12वीं राष्ट्रीय जूनियर सब पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप एवं 2022 में आईबीएसए कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी शामिल है। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के सम्मान में, सौरभ को महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है अर्थात् 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक, 12वीं राष्ट्रीय जूनियर सब जूनियर पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, और पांच पोडियम फिनिश के साथ रोड रेस में लगातार उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया। उनके असाधारण कौशल को खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में और दर्शाया गया, जहां उन्होंने 1500 मीटर दौड़ में कांस्य पदक और 5000 मीटर दौड़ में रजत पदक प्राप्त किया।

(ग) अक्षरा राणा की कहानी वास्तव में प्रेरणादायक है और खेल के प्रति उनके दृढ़ संकल्प और जुनून की शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने न केवल ब्लाइंड फुटबॉल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, बल्कि 2023 में यूके के बर्मिंघम में आयोजित महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व चैंपियनशिप में ऑस्ट्रिया के खिलाफ गोल करने वाली पहली महिला ब्लाइंड फुटबॉल खिलाड़ी बनकर इतिहास भी रच दिया है। अक्षरा की यात्रा में उनके माता–पिता, श्री प्रताप सिंह राणा, जो एक किसान हैं और उनकी माँ, एक समर्पित

गृहिणी, का अटूट समर्थन रहा है। उनकी सफलता को आकार देने में मॉडल स्कूल के खेल शिक्षक श्री नरेश सिंह नायल का भी अहम योगदान है। अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के अलावा, अक्षरा ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चैंपियनशिप दोनों में उत्तराखंड ब्लाइंड फुटबॉल टीम की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पैरालिंपिक और महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के सपने के साथ, अक्षरा राणा इस तथ्य का प्रमाण हैं कि दृढ़ संकल्प और जुनून बाधाओं को तोड़ सकता है।

VI. अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान (एवाईजेएनएसएचडी), मुंबई

क) सुश्री जिया रायः अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान (एवाईजेएनएसएचडी), मुंबई की छात्रा, ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल (एनआईओएस) सेंटर के 2022–23 बैच की एक युवा छात्रा के रूप में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। दिव्यांगजनों के लिए आत्म–सशक्तिकरण के क्षेत्र में उन्हें दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार – 2023 प्रदान किया गया है।

उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (पीएमआरबी) – 2022 शामिल है, जो 18 वर्ष से कम आयु के उत्कृष्ट नागरिकों को दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। उत्कृष्टता के प्रति सुश्री राय की प्रतिबद्धता को उत्तर प्रदेश दिव्यांगता पुरस्कार – 2021, शिवर–कैनेडी स्टूडेंट अचीवमेंट अवार्ड (यूएसए) और डॉ. टेम्पल ग्रैंड अवार्ड (यूएसए) से भी सम्मानित किया गया है।

VII. राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद की सफलता की कहानियाँ:

क) श्री एन्नम तनय पुत्र ए.वी. वेणु गोपाल, आयु 22 वर्षः मध्यम बौद्धिक दिव्यांगता और ऑटिज्म से ग्रस्त, उन्हें ड्राइंग और पेंटिंग गतिविधि के साथ–साथ स्क्रीन प्रिंटिंग गतिविधियों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एनआईईपीआईडी के डिपार्टमेंट ऑफ़ एडल्ट इंडिपेंडेंट लिविंग (डीएआईएल) में भेजा गया है। उन्हें ड्राइंग और पेंटिंग, कंप्यूटर से संबंधित कार्यों जैसी गतिविधियों में प्रशिक्षण दिया गया। उनकी माँ बहुत सहयोगी थीं और उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग गतिविधियों में ज्ञान/कौशल प्राप्त करने में उनकी मदद करती थी। व्यावसायिक प्रशिक्षकों द्वारा दिए गए प्रशिक्षण से उन्हें कलात्मक और कंप्यूटर कौशल प्राप्त करने में मदद मिली। वह ड्राइंग और पेंटिंग कौशल में बहुत अच्छे हो गए। छह माह की अवधि के बाद, उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विभिन्न राज्यों में अपनी प्रस्तुति के माध्यम से अपनी कलात्मक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। उन्होंने विभिन्न प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं में भी भाग लिया और स्पेशल एम्प्लोई नेशनल मीट में भी भाग लिया।

ख) श्री मनीष कुमार, 22 वर्ष की आयु में हल्की बौद्धिक दिव्यांगता के साथ, 2022 में एनआईईपीआईडी, एमएसईसी व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुभाग में भर्ती हुए थे। उनका आत्मविश्वास कम था, पैसे से संबंधित कम ज्ञान और स्वतंत्र रूप से यात्रा करने में असमर्थ थे। कौशल प्रशिक्षण (डेटा एंट्री ऑपरेटर), अभिभावक परामर्श, विशेष शिक्षा, समूह गतिविधियाँ जैसे हस्तक्षेप किए गए।

निरंतर प्रयासों और प्रशिक्षण से, श्री मनीष ने स्कूल में ऑफ़लाइन और ऑनलाइन विभिन्न गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया है। उन्हें "डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रशिक्षण" में नामांकित किया गया था। इस अवधि के दौरान उन्होंने शिक्षकों और अभिभावकों से स्वतंत्र रूप से यात्रा करना और प्रशिक्षण भी सीखा। उन्हें स्कूल में धन से संबंधित ज्ञान, वजन करना, पैकेजिंग, सुरक्षा कौशल और अन्य क्षेत्रों की अवधारणाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। साथ ही घर पर भी प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें स्व–समर्थित रोजगार के लिए चाय–कॉफी वेंडिंग मशीन और एक छोटी टक शॉप संचालित करने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। प्रारंभ में वह पर्यवेक्षण और मौखिक संकेत के तहत कार्य कर रहे थे। प्रशिक्षण के बाद अब वह सभी कार्य करने में पूर्णतया स्वतंत्र है।

VIII. राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी), चेन्नई, सफलता की कहानियाँ:

क) लगभग 5 वर्ष 7 माह की आयु के मास्टर गोकुला वसंतन को ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का पता चला था। मास्टर वसंतन, हाइपर एक्टिविटी, नाम पुकारने पर अपर्याप्त प्रतिक्रिया और ख़राब आई कांटेक्ट, हम उम्र के साथियों के साथ (पीयर) खराब इंटरैक्टिव खेल और संवाद की शिकायतों के लिए दिनांक 20.03.23 को एनआईईपीएमडी आए। उनकी क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर (सीडीईआईसी), एनआईईपीएमडी में पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया की गई और बाद में उन्हें एएसडी का पता चला। माता–पिता को बच्चे की स्थिति और सुधार के लिए उपचार की आवश्यकता के बारे में परामर्श दिया गया। उन्हें व्यावसायिक थेरेपी, ट्रांस–डिसिप्लिनरी ग्रुप, स्पीच थेरेपी और विशेष शिक्षा के लिए सीडीईआईसी, एनआईईपीएमडी में नामांकित किया गया था। पिछले 9 महीनों से नियमित चिकित्सा में भाग लेने के बाद, बच्चे की प्रतिक्रिया और आई कांटेक्ट में सुधार हुआ है, उसकी हाइपर एक्टिविटी कम हो गई है। बच्चे के पूर्व–भाषाई कौशल में सुधार हुआ है। पीयर इंटरैक्टिव खेल और सामाजिक–भावनात्मक कौशल में सुधार हुआ है। वह तमिल वाक्य और अंग्रेजी शब्द लिखने में सक्षम है।

ख) बेबी रसिका सुबर्णा, जिसकी आयु लगभग 2 वर्ष 5 माह है, में विकासात्मक विलंब (डेवेलपमेंटल डिले) की पहचान की गई थी। शिवगंगई जिले के देवकोट्टई से बेबी रसिका 10.06.2022 को ग्रॉस और फाइन मोटर कौशल, खराब सामाजीकरण तथा संवाद में कठिनाई की शिकायत लेकर एनआईईपीएमडी आई थी। उनकी क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर (सीडीईआईसी), एनआईईपीएमडी में पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया की गई और उनमें ग्लोबल विकासात्मटक विलंब (डेवलपमेंटल डिले) की पहचान की गयी। माता–पिता को बच्चे की स्थिति और उसके विकास संबंधी हस्तक्षेप की आवश्यकता के बारे में परामर्श दिया गया। उन्हें सीडीईआईसी, एनआईईपीएमडी में नामांकित किया गया था जहां उन्होंने फिजियोथेरेपी, व्यावसायिक थेरेपी, ट्रांस–डिसिप्लिनरी ग्रुप और स्पीच थेरेपी की सेवाओं का लाभ उठाया। बच्चे को ग्रॉस मोटर विकास संबंधी लक्ष्य जैसे रोलिंग, खराब नैक (गर्दन) कंट्रोल, ऊपरी और निचले दोनों अंगों में हाइपोटोनिया के साथ बैठना और खड़ा होना। बच्चे को पकड़, पहुंच, नॉन–प्रहेंसाइल कौशल, पिंच जैसे फाइन मोटर विकासात्मक लक्ष्यों में देरी हुई। बच्चा परिजनों की बात नहीं समझ पा रहा था। उसकी लार भी टपक रही थी। सीडीईआईसी में गहन चिकित्सा के बाद बच्चे ने करवट लेना, गर्दन पर नियंत्रण, स्वतंत्र रूप से बैठना, सहारे के साथ खड़ा होना हासिल किया। बच्चा अब परिवार के सदस्यों को समझने और उनके नाम पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। वह लगातार /a/, /i/, /u/ बोलने में सक्षम है। लार का बहना नियंत्रित कर लिया गया है। बच्चा अब समूह गतिविधि में भाग लेने में सक्षम है। पीयर इंटरएक्शन में उसकी भागीदारी में सुधार हुआ है। उसके सामाजिक–भावनात्मक कौशल में सुधार हो रहा है।

ग) श्री आई. हरन नटराज (विशिष्ट अधिगम दिव्यांगजन) ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा आयोजित परीक्षाओं को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया और सहायक ग्रेड III (सामान्य) के पद के लिए चुने गए। एनआईईपीएमडी ने बौद्धिक दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, मानसिक बीमारी, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और बहु दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में स्कोर करने हेतु उनकी योग्यता बढ़ाने के लिए

निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए सितंबर 2022 में एक प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग केंद्र शुरू किया था। श्री हरन 22 जुलाई 2023 को आयोजित रोज़गार मेले के एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रेरक संबोधन के साथ अपना करियर शुरू करने वाले सौभाग्यशाली लोगों में से एक थे।

IX. भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली। (आईएसएलआरटीसी), सफलता की कहानीः

क) सुश्री मोनिका सिंहः आईएसएलआरटीसी में डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन (डीआईएसएलआई) की छात्रा सुश्री मोनिका सिंह 2021–23 बैच के लिए नेशनल टॉपर बनकर उभरीं। बधिर वयस्कों के बच्चे (सीओडीए) के रूप में, उनकी यात्रा को अद्वितीय चुनौतियों से चिह्नित किया गया है।

ख) सुश्री नेहा मित्रुका : आईएसएलआरटीसी में डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन (डीटीआईएसएल) पाठ्यक्रम की छात्रा सुश्री नेहा मित्रुका ने 2021–23 बैच के लिए नेशनल टॉपर होने का गौरव हासिल किया है। वह राजस्थान की रहने वाली है और उनके ग्यारह सदस्यों के परिवार में आठ सदस्य बधिर हैं। वे घर पर बिना किसी बाधा के, भारतीय सांकेतिक भाषा में सहजता से संवाद करते हैं। उनके माता–पिता, माँ बधिर हैं और पिता श्रवण बाधित है, उसके लक्ष्यों का समर्थन करते हैं। अपनी बधिरता और प्रारंभिक स्कूली शिक्षा में औपचारिक आईएसएल शिक्षा की कमी के बावजूद, नेहा ने डीटीआईएसएल पाठ्यक्रम में आईएसएलआरटीसी में सीखने के अवसरों को अपनाया। आईएसएलआरटीसी के शिक्षकों और कर्मचारियों के समर्पित मार्गदर्शन के साथ, उन्होंने आईएसएल और अंग्रेजी लिखने में महारत हासिल की और द्विभाषिक बन गई। नेहा की कड़ी मेहनत की सफलता डीटीआईएसएल पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय टॉपर के रूप में उनकी उपलब्धि में हुई, जो भारतीय सांकेतिक भाषा के माध्यम से शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण है। उनकी सफलता की कहानी न केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा है। उन्होंने आईएसएलआरटीसी के श्रवण और बधिर दोनों शिक्षकों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और आशा व्यक्त कि उनकी यात्रा और अधिक बधिर दिव्यांगजनों को आईएसएल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी।

*****

मीडिया झलकियाँ

राष्ट्रपति भवन में गूंजी समावेशिता की धुन

पर्पल फेस्ट के दौरान राष्ट्रपति भवन में गूंजी समावेशिता की धुन

नई दिल्ली / राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में विविधता में एकता का एक ऐतिहासिक उत्सव मनाया गया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति भवन ...

अमृत उद्यान में पर्पल फेस्ट में दिव्यांगों ने दिखाई प्रतिभा

Rashtrapati Bhavan hosts Purple Fest

- President Droupadi Murmu witnessed cultural performances by specially abled persons as part of the Purple Fest organised by Rashtrapati Bhavan at Amrit Udyan on Monday.
- After the cultural event, the President met and interacted with the differently abled people. Various activities like 'Know your disabilities', 'Purple Cafe', 'Purple Kaleidoscope', 'Purple Live Experience Zone' and 'Purple Sports' were organised during the day for the visitors. More than 14,000 people participated in the fest.
- The fest, organised by the Ministry of Social Justice and Empowerment, aimed to raise awareness about different disabilities and their impact on people's lives and to promote understanding, acceptance and inclusion of persons with disabilities within society. TNS

President Droupadi Murmu poses with persons with disabilities; and (below) specially abled persons during Purple Fest at Amrit Udyan at Rashtrapati Bhavan in New Delhi on Monday.

TIMES CITY

Hitting a purple patch at fest that celebrates people with special needs

पर्पल फेस्ट 2024
राष्ट्रपति भवन में गूंजी समावेशिता की धुन

नई दिल्ली। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में विविधता में एकता का एक ऐतिहासिक उत्सव मनाया गया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किया गया। पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान के ... संबंध को बढ़ावा मिला। पर्पल फेस्ट को यह शानदार मंच सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मन मोहने वाले प्रदर्शनों से जीवंत हो उठा। सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रत्येक प्रस्तुति अपने आप में रचनात्मकता के अदम्य भावना का जीवंत प्रमाण रहा। शाइनिंग स्टार बैंड की अलौकिक धुनों से लेकर सत्या और सागरिका की मनमोहक ...

दैनिक सवेरा टाइम्स

Hydrotherapy pool for rehabilitation of children with multiple disabilities

An access-friendly hydrotherapy pool at NIEPMD campus in Muttukadu is a boon to children with multiple disabilities: it speeds up the rehabilitation process. Although the facility was set up in 2019, services to the pool started this May.

The facility is available to special children and adults every Tuesdays and Thursday between 2 p.m. and 4 p.m. And it is available free-of-cost for children below the poverty line.

R. Yogarajan, associate professor (Physiotherapy), Department of Therapeutics, says the temperature of the pool is maintained between 33 degree Celsius and 37 degree Celsius and this helps relax the muscles, reduce tightness and improve movements. "The temperature-controlled pool helps reduce muscle spasms," he says.

This therapy is best recommended for those with cerebral palsy and muscular dystrophy. "We have 20 children enrolled with us and the duration of the treatment is 20 minutes," says Yogarajan, a certified aquatic therapist.

The weekly sessions include warm-up, one-on-one session with the coach in the pool followed by activities in the pool. He says an eight-year-old with cerebral palsy and intellectual disability was under the care of the department. "She would fall frequently, could not walk for even 100 yards and had poor eye coordination. The sessions has helped her and now she can swim with the support of tubes," says Yogarajan.

Children are enrolled for such sessions after a pre-assessment test and the basic programme in the pool is for two months.

For details, call NIEPMD at 18004250046

The pool at NIEPMD in Muttukadu

संकल्प यात्रा के द्वारा दिव्यांगजन करेंगे गोवा की यात्रा

विभाग के सचिव द्वारा हरि झंडी दिखाकर यात्रा को किया रवाना

35 New District Disability Rehabilitation Centres Virtually Inaugurated

National, 7th March - In a significant step towards the empowerment and rehabilitation of persons with disabilities, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities has established 35 new District Disability Rehabilitation Centers (DDRC) across the country. The virtual inauguration of these centres was done by Hon'ble Social Justice and Empowerment Minister Dr. Virendra Kumar. These 35 new District Disability Rehabilitation Centres are distributed as follows: 13 in Madhya Pradesh, 07 in Andhra Pradesh, 05 in Odisha, 04 in Tripura, 03 in Maharashtra, and 1 each in Assam, Nagaland, and Manipur. During the inauguration event, Honorable Minister Dr. Virendra Kumar emphasized the remarkable achievements of persons with disabilities in various fields, both nationally and internationally. He re-affirmed the Government's commitment to provide the best possible services to divyangjan, highlighting recent changes in the Central Scheme Guidelines to enhance the functioning of DDRCs. Dr. Virendra Kumar commended the adoption of new technologies by the DDRCs, such as tele-medicine services and assistance in UDID card registration, aiming to improve accessibility and efficiency in service delivery. He urged NGOs to strive for excellence in rehabilitation services. Minister of State for Social Justice and Empowerment Ms. Pratima Bhoumik remarked that the establishment of the new DDRC centres exemplifies the deep compassion of our Honorable Prime Minister Narendra Modi's commitment towards Divyangjan. She also said that DDRCs serve as crucial channels for delivering rehabilitation services directly to persons with disabilities at the grassroots level. This initiative ensures that individuals with disabilities no longer need to travel to distant areas to access essential facilities. Secretary of the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Shri Rajesh Aggarwal, emphasized the expansion of schemes to benefit persons with disabilities. He expressed the Government's vision to ensure accessibility to rehabilitation centers for all DDRCs, CRCs etc within 100 kilometers of districts across the country. At the end of the programme, Joint Secretary of the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Shree Rajeev Sharma expressed his gratitude to all the honoured guests present physically and virtually and concluded the programme. Services and Facilities Provided by District Disability Rehabilitation Centers: The newly established DDRCs aim to offer comprehensive services to persons with disabilities, including medical provisions, education, skill training, rehabilitation services, early identification, assistive device fitment, UDID Registration Facilitation, financial assistance, prosthetics and orthotics, physiotherapy, speech and hearing therapy, special education, parent counseling, among others. Additionally, these centres will facilitate awareness generation and promote government schemes while ensuring referral arrangements for surgical corrections through government and charitable institutions.

दिव्यांगों की सुविधा के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

तिलकताजपुर पहुंचे सभापति देवेश चंद्र ठाकर अपने काफिला के साथ

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
www.depwd.gov.in